

July to September 2024
E-Journal
Volume I, Issue XLVII

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Scientific Journal Impact Factor- 8.054
ISO 9001:2015 - E2024049304
(Quality Management System)

Naveen Shodh Sansar

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)



नवीन शोध संसार


Editor - Ashish Narayan Sharma


Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, NEEMUCH (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, Email : nssresearchjournal@gmail.com, Website www.nssresearchjournal.com


Index


01. Index	02
02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board	08/09
03. Referee Board	10
04. Spokesperson	12
05. Indian Instrumental Music: A Comprehensive Study of its Evolution (Dr. Praveen Bhatia)	14
06. Role of Emotional Intelligence in the Organization (Reena Salvi, Dr. Rashmi Singh)	18
07. Assessing the Toxic Effects of the Selected Heavy Metals on Freshwater Fish Populations	22
(Dr. Shashi Parmar, Atul Parmar, Osin Koli)	
08. बाल श्रम समस्या एवं समाधान : भारतीय परिपेक्ष्य में (डॉ. विभा शर्मा)	28
09. भगवतधाम् शिवरीनारायण (डॉ. रामरतन साहू, वर्षा सूर्यवंशी)	32
10. किन्नरों की दयनीय दशा (डॉ. डोमन प्रसाद चन्द्रवंशी)	34
11. महात्मा गांधी का नैतिक दर्शन (राजेश कुमार पालीवाल)	36
12. An Overview of Secularism and Religious Freedom in India	38
(Dinesh Chaudhary, Dr. Rekha Mali)	
13. Functionalism and Psychological Analysis in Understanding Superstitious Beliefs,	42
A Part of Nepalese Culture (Dr. Poonam R L Rana)	
14. Appointment Procedures for Ministers and Administrative Officials by the Ancient Indian	48
Scholars (Astha Vellanki Ratnam)	
15. The Rise of Social Commerce : How Social Media is Changing the Way We Shop	52
(Sunil Suryavanshi)	
16. स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवादी, दार्शनिक विचार और वर्तमान में प्रासंगिकता (डॉ. साहेबराव झरबड़े)	55
17. राजस्थान के जयपुर जिले की द्रव्यवती नदी जीर्णोद्धार परियोजना के सन्दर्भ में जल प्रदूषण नियंत्रण	57
का विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. कीर्ति चौधरी, सविता शर्मा)	
18. भील जनजाति की महिलाओं के शैक्षिक विकास में शासकीय योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन	60
(डॉ. दीपक गर्ग, बरखा अलंसे)	
19. मध्य प्रदेश में आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका (डॉ. मोहन निमोले, दशरथ प्रसाद)	65
20. Key Challenges Faced by Farmers in Transitioning to and Sustaining Organic Farming	68
Practices In Madhya Pradesh (Dr. Mohan Nimole, Aashish Panwar)	
21. A Density Functional Theory Analysis on Syngas Interaction (Adsorption) on Ceria (001)	72
Surface (Kartikay Pandey, Parth Gupta, Dr. Anjul Singh)	
22. नागार्जुन के काव्य में नारी जीवन (बबिता कुमारी)	79
23. Empowering Sustainability: The Impact of AI on Green IT Innovations	82
(Dr. Khatoon Aftab Kathawala)	
24. भीलवाड़ा नगर की जनसंख्या के सन्दर्भ में नगरीकरण का भौगोलिक विश्लेषण-2011 की जनगणना के	85
आधार पर (शबनम तंवर, डॉ. काश्मीर कुमार भट्ट)	

25. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 - एक विश्लेषण(मनोज टाक, डॉ. कनिया मेड़ा)	96
26. संस्कृत नाट्योत्पत्ति एवं प्रयोजन (डॉ. नलिनी तिलकर)	98
27. Role and Challenges of Media in Strengthening Indian Democracy	100
(Anshul Kumar Agrawal, Tejasvi Dubey)	
28. राजस्थान में जलग्रहण प्रबंधन (संजय सिंह गुर्जर, डॉ. एल. सी. अग्रवाल)	103
29. The Legal Study of International Environmental Conventions (Vijaya Laxmi Joshi)	107
30. ऋग्वैदिककाल से सूत्रकाल तक का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का विश्लेषणात्मक अध्ययन	111
(डॉ. अमित कुमार ताम्रकार)	
31. Traditional Ecological Values of Indian Knowledge System in <i>The Forest of Enchantments</i>	114
by Chitra Divakaruni Benerjee (Dr. Sehba Jafri)	
32. Impact of Performance Appraisal Systems on Employee Motivation: A Comparative Study	117
of State Bank of India and HDFC Bank (Dr. B.M.S. Bhadauria, Diksha Mishra)	
33. जनजातीय क्षेत्रों में मौसमी पलायन के विभिन्न प्रभावों का अध्ययन (अलीराजपुर जिले के संदर्भ में	122
एक अध्ययन) (सज्जनसिंह मौर्य)	
34. किशोर बालक-बालिकाओं में फास्ट फूड के प्रति अभिरुचि का अध्ययन (दमोह शहर के संदर्भ में)	124
(डॉ. आराधना श्रीवास)	
35. आदिवासी सामाजिक कला एवं परंपराएं (डॉ. एम. एल. अवाया)	126
36. अनुसूचित जातियों की राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं निर्णय निर्माण में भागीदारी: मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ में	128
(डॉ. रमन प्रकाश, लाल कुमार साकेत)	
37. भारत में अंतरंगी व्यापार कैसे खत्म करें? (रिचा अग्रवाल)	132









Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur - Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar - Employability Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. Anoop Vyas - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
8. Prof. Dr. P.P. Pandey - Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
9. Prof. Dr. Sanjay Bhayani - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
10. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
11. Prof. Dr. B.S. Jhare - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
12. Prof. Dr. Sanjay Khare - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
13. Prof. Dr. R.P. Upadhyay - Exam Controller, Govt. Kamlaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
14. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
15. Prof. Akhilesh Jadhav - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
16. Prof. Dr. Kamal Jain - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
17. Prof. Dr. D.L. Khadse - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharashtra) India
18. Prof. Dr. Vandna Jain - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
19. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar - Prof., Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
20. Prof. Dr. Sharda Trivedi - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
21. Prof. Dr. Usha Shrivastav - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
22. Prof. Dr. G. P. Dawre - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
23. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
24. Prof. Dr. Vivek Patel - Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anoopur (M.P.) India
25. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
26. Prof. Dr. P.K. Mishra - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
27. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
28. Prof. Dr. R. K. Gautam - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
29. Prof. Dr. Gayatri Vajpai - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Avinash Shendare - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
31. Prof. Dr. J.C. Mehta - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
32. Prof. Dr. B.S. Makkad - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
33. Prof. Dr. P.P. Mishra - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
34. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
35. Prof. Dr. K.L. Sahu - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
36. Prof. Dr. Malini Johnson - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
37. Prof. Dr. Ravi Gaur - Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain - O.S.D., Additional Director Office, Bhopal (M.P.) India
4. Prof. Dr S.K. Joshi - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel - Principal, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar - Principal, Govt. Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani - HOD, Commerce /Management, Govt. Hamidiya Arts And Commerce Degree College, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan - Principal, Govt. College, Dhamnood, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.C. Jain - Professor, Commerce, Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya - Chairman,Commerce Deptt.,Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam - Dean, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta - HOD, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta - Former, Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh P.G. College, Jaora (M.P.) India
26. Prof. Dr. A. K. Pandey - HOD, Economics Deptt., Govt. Girls College, Satna (M.P.)

Referee Board

Maths	-	(1) Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
Physics	-	(1) Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.) (2) Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
Computer Science	-	(1) Prof. Dr. Umesh Kr. Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
Chemistry	-	(1) Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
Botany	-	(1) Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.) (2) Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.) (3) Prof. Dr. Jolly Garg, HOD, D.A.K. P.G. College, Moradabad (U.P.)
Life Science	-	(1) Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.) (2) Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
Statistics	-	(1) Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
Military Science	-	(1) Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
Biology	-	(1) Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
Geology	-	(1) Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.) (2) Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
Medical Science	-	(1) Dr. H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
Microbiology Sci.	-	(1) Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)
**** Commerce ****		
Commerce	-	(1) Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.) (2) Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) (3) Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.) (4) Prof. Naresh Kumar, NSCBM Govt. College, Hamirpur (H.P.)
**** Management ****		
Management	-	(1) Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
Human Resources	-	(1) Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
Business Admin.	-	(1) Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.) (2) Dr. Kuldeep Agnihotri, Modern Group of Institutions, Indore (M.P.)
**** Law ****		
Law	-	(1) Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.) (2) Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.) (3) Prof. Lok Narayan Mishra, Govt. Law College, Rewa (M.P.) (4) Dr. Bijay Kumar Yadav, Om Sterling Global University, Hisar (Haryana)
**** Arts ****		
Economics	-	(1) Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.) (2) Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) (3) Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.) (4) Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
Political Science	-	(1) Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.) (2) Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.) (3) Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
Philosophy	-	(1) Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
Sociology	-	(1) Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.) (2) Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.) (3) Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

- Hindi - (1) Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
(3) Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)
(4) Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)
(5) Prof. Dr. Anchal Shrivastava, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
- English - (1) Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)
(2) Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
- Sanskrit - (1) Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
- History - (1) Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
- Geography - (1) Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
(2) Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
- Psychology - (1) Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.)
(2) Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
- Drawing - (1) Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
(3) Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
- Music/Dance - (1) Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak), Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)
(2) Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)
- ***** Home Science *****
- Diet/Nutrition Science - (1) Prof. Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
(2) Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)
(3) Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
- Human Development - (1) Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)
(2) Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
- Family Resource Management - (1) Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)
- ***** Education *****
- Education - (1) Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)
(2) Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific Education College, Udaipur (Raj.)
(3) Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)
(4) Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education, Tigaon, Faridabad (Haryana)
(5) Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)
- ***** Architecture *****
- Architecture - (1) Prof. Kiran P. Shindey, Principal, School of Architecture, IPS Academy, Indore (M.P.)
- ***** Physical Education *****
- Physical Education - (1) Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)
(2) Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.)
(3) Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.)
- ***** Library Science *****
- Library Science - (1) Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

Spokesperson's

1. Prof. Dr. Davendra Rathore - Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2. Prof. Smt. Vijaya Wadhwa - Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3. Dr. Surendra Shaktawat - Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4. Prof. Dr. Devilal Ahir - Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5. Shri Ashish Dwivedi - Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6. Prof. Manoj Mahajan - Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7. Shri Umesh Sharma - Shree Sarvodaya Institute Of Professional Studies, Sarwaniya Maharaj, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
8. Prof. Dr. S.P. Panwar - Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
9. Prof. Dr. Puralal Patidar - Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10. Prof. Dr. Kshitij Purohit - Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11. Prof. Dr. N.K. Patidar - Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12. Prof. Dr. Y.K. Mishra - Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13. Prof. Dr. Suresh Kataria - Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14. Prof. Dr. Abhay Pathak - Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15. Prof. Dr. Malsingh Chouhan - Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16. Prof. Dr. Gendalal Chouhan - Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17. Prof. Dr. Prabhakar Mishra - Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18. Prof. Dr. Prakash Kumar Jain - Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19. Prof. Dr. Kamla Chauhan - Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20. Prof. Abha Dixit - Govt. Girls P.G. College, Ujjain (M.P.)
21. Prof. Dr. Pankaj Maheshwari - Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22. Prof. Dr. D.C. Rathi - Swami Vivekanand Career Guidance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23. Prof. Dr. Anita Gagrade - Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24. Prof. Dr. Sanjay Pandit - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25. Prof. Dr. Rambabu Gupta - Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26. Prof. Dr. Anjana Saxena - Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
27. Prof. Dr. Sonali Nargunde - Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28. Prof. Dr. Bharti Joshi - Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29. Prof. Dr. M.D. Somani - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30. Prof. Dr. Priti Bhatt - Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31. Prof. Dr. Sanjay Prasad - Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32. Prof. Dr. Meena Matkar - Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33. Prof. Dr. Mohan Waskel - Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34. Prof. Dr. Nitin Sahariya - Govt. College, Kotma Distt. Anoopur (M.P.)
35. Prof. Dr. Manju Rajoriya - Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36. Prof. Dr. Shahjad Qureshi - Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37. Prof. Dr. Shail Bala Sanghi - Maharani Lakshmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
38. Prof. Dr. Praveen Ojha - Shri Bhagwat Sahay Govt. P.G. College, Gwalior (M.P.)
39. Prof. Dr. Omprakash Sharma - Govt. P.G. College, Sheopur (M.P.)
40. Prof. Dr. S.K. Shrivastava - Govt. Vijayaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
41. Prof. Dr. Anoop Moghe - Govt. Kamalaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
42. Prof. Dr. Hemlata Chouhan - Govt. College, Badnagar (M.P.)
43. Prof. Dr. Maheshchandra Gupta - Govt. P.G. College, Khargone (M.P.)
44. Prof. Dr. Mangla Thakur - Govt. P.G. College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45. Prof. Dr. K.R. Kumhekar - Govt College, Sanawad, Distt. Khargone(M.P.)

46. Prof. Dr. R.K. Yadav - Govt. Girls College, Khargone (M.P.)
47. Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta - Govt. P.G. College, Badwani (M.P.)
48. Prof. Dr. Hemsingh Mandloi - Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
49. Prof. Dr. Prabha Pandey - Govt. P.G. College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50. Prof. Dr. Rajesh Kumar - Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51. Prof. Dr. Ravendra singh Patel - Govt. P.G. College, Satna (M.P.)
52. Prof. Dr. Manoharlal Gupta - Govt. P.G. College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53. Prof. Dr. Madhusudan Prakash - Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54. Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava - Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55. Prof. Dr. Sunil Vajpai - Govt. Tilak P.G. College, Katni (M.P.)
56. Prof. Dr. B.S. Sisodiya - Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
57. Prof. Dr. Shashi Prabha Jain - Govt. P.G. College, Agar-Malwa (M.P.)
58. Prof. Dr. Niyaz Ansari - Govt. College, Sinhaval, Distt. Sidhi (M.P.)
59. Prof. Dr. ArjunSingh Baghel - Govt. College, Harda (M.P.)
60. Dr. Suresh Kumar Vimal - Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
61. Prof. Dr. Amar Chand Jain - Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
62. Prof. Dr. Rashmi Dubey - Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
63. Prof. Dr. A.K. Jain - Govt. P.G. College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
64. Prof. Dr. Sandhya Tikekar - Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65. Prof. Dr. Rajiv Sharma - Govt. Narmada P.G. College, Hoshangabad (M.P.)
66. Prof. Dr. Rashmi Srivastava - Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
67. Prof. Dr. Laxmikant Chandela - Govt. Autonomus P.G. College, Chhindwara (M.P.)
68. Prof. Dr. Balram Singotiya - Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
69. Prof. Dr. Vimmi Bahel - Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
70. Dr. Aprajita Bhargava - R.D.Public School, Betul (M.P.)
71. Prof. Dr. Meenu Gajala Khan - Govt. College, Maksi, Distt. Shajapur (M.P.)
72. Prof. Dr. Pallavi Mishra - Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
73. Prof. Dr. N.P. Sharma - Govt. College, Datia (M.P.)
74. Prof. Dr. Jaya Sharma - Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
75. Prof. Dr. Sunil Somwanshi - Govt. College, Nepanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
76. Prof. Dr. Ishrat Khan - Govt. College, Raisen (M.P.)
77. Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi - Govt. P.G. College, Sehore (M.P.)
78. Prof. Dr. Bhawana Thakur - Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
79. Prof. Dr. Keshavmani Sharma - Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
80. Prof. Dr. Renu Rajesh - Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.)
81. Prof. Dr. Avinash Dubey - Govt. P.G. College, Khandwa (M.P.)
82. Prof. Dr. V.K. Dixit - Chhatrasal Govt. P.G. College, Panna (M.P.)
83. Prof. Dr. Ram Awdesha Sharma - M.J.S. Govt. P.G. College, Bhind (M.P.)
84. Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri - Sarojini Naidu Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
85. Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla - Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
86. Prof. Dr. Anoop Parsai - Govt. J. Yoganand Chattisgarh P.G. College, Raipur (Chattisgarh)
87. Prof. Dr. Anil Kumar Jain - Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
88. Prof. Dr. Kavita Bhadiriya - Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
89. Prof. Dr. Archana Vishith - Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
90. Prof. Dr. Kalpana Parikh - S.S.G. Parikh P.G. College, Udaipur (Rajasthan)
91. Prof. Dr. Gajendra Siroha - Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
92. Prof. Dr. Krishna Pensia - Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
93. Prof. Dr. Pradeep Singh - Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
94. Prof. Dr. Smriti Agarwal - Research Consultant, New Delhi

Indian Instrumental Music: A Comprehensive Study of its Evolution

Dr. Praveen Bhatia*

*Associate Professor (Music Instrumental) Rajkiya Kanya Mahavidyalaya, Shimla (Himachal Pradesh) INDIA

Abstract : Music as a genre is widely classified into two types- Vocal and instrumental. The Instrumental Music is known as “Vadhya Sangeet”. Indian instrumental music is a crucial aspect of Indian culture that reflects the country’s vast cultural heritage and has significantly influenced the global music scene. As every art needs a strong medium to express its apparatus and uniqueness, similarly, a musical instrument is a medium to express the musical ‘Nada’, which has significance all over the world. The present paper explores the rich and diverse history of Indian instrumental music, tracing its origins and examining its evolution through various historical periods. Furthermore, it highlights the role of key instruments and musicians in shaping Indian instrumental music and discusses its contemporary significance. By examining archaeological evidence, historical texts, and scholarly analyses, this paper aims to provide a comprehensive understanding of the development and impact of Indian instrumental music.

Keywords: Music, Instrument, evolution, musicians, contemporary significance.

Introduction - Indian music is one of the oldest and most diverse musical traditions in the world. The roots of Indian instrumental music can be traced back to ancient times, characterized by a complex interplay of cultural, religious, and social influences. From the resonant sounds of the Vedic chants to the sophisticated compositions of classical music, Indian instrumental music has evolved into a multifaceted art form. This study aims to explore the origins and development of Indian instrumental music, analyzing its historical context, key instruments, and prominent figures. By understanding the past, we can better appreciate the contributions of Indian instrumental music to both Indian culture and the global music landscape.

Objectives:

1. To investigate the origins of Indian instrumental music and its historical context.
2. To analyze the development of key instruments and styles over time.
3. To explore the influence of external cultures on Indian instrumental music.
4. To examine the role of prominent musicians and their contributions.
5. To assess the contemporary relevance of Indian instrumental music.

Methodology: This research is based on a comprehensive review of historical texts, archaeological findings, and academic literature. It utilizes qualitative analysis to explore the cultural, historical, and social factors that have shaped Indian instrumental music. Additionally, the study

incorporates insights from interviews with musicians and musicologists to provide a nuanced understanding of the subject.

Indian Classical Music: Vocal music involves meaningful words in any language combined with musical notes known as *Swaras*. In contrast, instrumental music uses the same *swaras*, but instead of words, it employs *Boles*. These *boles* replace lyrics and are used to create music through musical instruments. For example, in compositions for plucked instruments, *boles* like “Da,” “Dir,” and “Dara” are played. Indian classical music is mainly individualistic in nature. Consequently, our instruments are designed to be played solo. Indian musicians view music as a path to reach divinity, which is why they engage in ‘*swara-sadhana*’ (tone-culture) while singing or practicing their instruments. They become so immersed in this practice that they lose awareness of their surroundings, merging their identity with ‘*Nadabrahma*’. This solo nature of Indian musical instruments aligns with the individualistic approach to music. In Indian classical music, there are no fixed or pre-written compositions. Each instrumentalist acts as a composer and has complete freedom to interpret the medium of their choice, within the framework of a raga.

History and Development of Indian Instrumental Music: Musical instruments have played a significant role in the evolution and development of Indian classical music. The history of Indian instrumental music is vast and detailed. To better understand this extensive history, it can be divided into three main periods: ancient times, the medieval era,

and the present day.

1. The Vedic Period: The origins of Indian instrumental music can be traced back to the Vedic period (approximately 1500–500 BCE), during which music was an integral part of religious and cultural practices. The Vedas, ancient sacred texts of Hinduism, provide the earliest evidence of musical activities in India.

Music in the Vedic Texts: The Vedas, particularly the Samaveda, are rich in musical content. The Samaveda consists of melodies called “Saman,” which were chanted during religious rituals. These chants were the precursors to the development of both vocal and instrumental music in India. The Vedic hymns were often accompanied by various musical instruments. The Veena, a stringed instrument, is mentioned in the Rigveda, highlighting its significance in early Indian music. Other instruments such as the Dundubhi (a type of drum), Vanshuri (flute), and Conch were also used during this period.

Instruments of the Vedic Era

(a) Veena: The Veena, a plucked string instrument, is one of the oldest and most revered instruments in Indian music. It is mentioned numerous times in the Vedic texts and has been associated with the goddess Saraswati, symbolizing knowledge and arts. The design and structure of the Veena have evolved over time, giving rise to various forms such as the RudraVeena and SaraswatiVeena.

(b) Dundubhi: The Dundubhi is an ancient percussion instrument, resembling a kettle drum. It was used in both religious ceremonies and martial contexts. The sound of the Dundubhi was believed to possess spiritual power, often used to invoke deities or signify important events.

(c) Venu (Flute): The Venu or flute holds a prominent place in Indian mythology and culture. Made from bamboo, it is associated with Lord Krishna, who is often depicted playing the flute. The Vedic references to the Venu highlight its melodic role in early Indian music.

2. Classical Indian Music: The Development of Hindustani and Carnatic Traditions: The evolution of Indian instrumental music is significantly marked by the development of two major classical traditions: Hindustani and Carnatic music. These traditions, while sharing common roots, have distinct characteristics shaped by regional, cultural, and historical influences.

(a) Hindustani Classical Music: Hindustani classical music, primarily practiced in Northern India, has its roots in the ancient musical traditions of the Vedic and medieval periods. The influence of Persian and Mughal cultures during the medieval era played a significant role in shaping Hindustani music.

(b) Historical Background: The medieval period witnessed the fusion of indigenous Indian music with Persian elements, leading to the development of distinct ragas and talas. This synthesis was facilitated by the patronage of Mughal emperors, who encouraged musical innovation and experimentation.

(c) Key Instruments:

i) Sitar: The sitar, a plucked string instrument, became synonymous with Hindustani music. It evolved from the Veena and was further refined by musicians like Amir Khusro and Pandit Ravi Shankar.

ii) Tabla: The tabla, a pair of drums, is integral to Hindustani music. Its rhythmic complexity and versatility have made it a staple in classical performances.

iii) Sarod: The sarod is another prominent string instrument known for its deep, resonant sound. It evolved from the Afghan rubab and gained prominence in the 18th century.

(d) Influential Musicians:

i) Tansen: A legendary figure in Hindustani music, Tansen was a court musician of Emperor Akbar. He is credited with creating several ragas and significantly influencing the Hindustani tradition.

ii) Amir Khusro: A polymath and musician, Khusro is often credited with introducing Persian elements to Indian music. His contributions laid the foundation for the development of Hindustani music.

3. Carnatic Classical Music: Carnatic music, predominantly practiced in Southern India, retains a strong connection to the ancient musical traditions of the Vedic period. Unlike Hindustani music, Carnatic music remained relatively untouched by external influences.

(a) Historical Background: Carnatic music's development was closely linked to the Bhakti movement, emphasizing devotional themes. The compositions of saints like Thyagaraja, MuthuswamiDikshitar, and Syama Sastri form the core of Carnatic repertoire.

Key Instruments:

i) Veena: The SaraswatiVeena is a fundamental instrument in Carnatic music, known for its intricate and expressive sound.

ii) Mridangam: The mridangam is a percussion instrument that provides rhythmic accompaniment in Carnatic performances. It is renowned for its dynamic and nuanced rhythmic patterns.

iii) Violin: The violin, adapted to the Carnatic style, plays a crucial role in both solo and ensemble performances.

(b) Influential Musicians:

i) Thyagaraja: One of the greatest composers in Carnatic music, Thyagaraja's compositions is revered for their lyrical beauty and spiritual depth.

ii) M. S. Subbulakshmi: A legendary vocalist, Subbulakshmi's renditions of Carnatic music has captivated audiences worldwide, earning her the title of “Nightingale of India.”

4. The Impact of Persian and Mughal Influence: The interaction between Indian and Persian cultures during the medieval period had a profound impact on the evolution of Indian instrumental music, particularly in the Hindustani tradition.

Persian Contributions: Persian musicians and scholars introduced new musical concepts, instruments, and styles

to the Indian subcontinent. The fusion of Persian and Indian musical elements gave rise to unique forms and compositions.

(a) Introduction of New Instruments

i) Sitar: The sitar, a quintessential instrument of Hindustani music, has Persian origins. Its design and playing technique evolved over time, incorporating Indian musical elements.

ii) Sarangi: The sarangi, a bowed string instrument, is believed to have been influenced by the Persian rebab. It became a prominent accompaniment for vocal music in the Hindustani tradition.

b) Development of Ragas: The Persian influence led to the development of new ragas, incorporating Persian scales and modes. This resulted in a richer and more diverse repertoire in Hindustani music.

i) Mughal Patronage: The Mughal emperors, particularly Akbar, were great patrons of the arts and played a crucial role in the flourishing of Indian music. They encouraged the synthesis of Persian and Indian musical traditions, leading to innovative compositions and performances.

Akbar's Court and Tansen: Tansen, one of the Navaratnas (Nine Gems) in Akbar's court, was instrumental in popularizing the fusion of Indian and Persian musical styles. His compositions and innovations laid the foundation for the modern Hindustani tradition.

The Role of the Sufi Tradition: The Sufi tradition, with its emphasis on spiritual and mystical themes, significantly influenced Indian music. The qawwali, a form of devotional music, emerged from this synthesis, blending Persian and Indian musical elements.

5. Folk Music and Regional Traditions: In addition to the classical traditions, Indian instrumental music is deeply rooted in folk music and regional traditions. These styles reflect the diverse cultural landscape of India and have contributed to the richness of Indian music.

(a) Folk Instruments: Indian folk music is characterized by a wide variety of instruments, each unique to its region and cultural context. These instruments often reflect the daily lives, rituals, and traditions of the communities they belong to:

i) Dhol: The dhol is a double-headed drum widely used in Punjabi and Bhangra music. Its energetic beats are synonymous with celebrations and festivities.

ii) Shehnai: The shehnai, a wind instrument, is commonly played at weddings and auspicious occasions in North India. Its melodious sound is believed to bring good fortune.

iii) Pungi: The pungi, also known as the snake charmer's flute, is a traditional wind instrument associated with folk music in Rajasthan and other regions.

(b) Regional Styles: Each region of India has its own distinct musical style, shaped by local traditions, languages, and cultures. These regional styles have enriched the diversity of Indian instrumental music.

i) Baul Music (West Bengal): Baul music, characterized by its mystical and devotional themes, is a folk tradition of

West Bengal. The ektara, a one-stringed instrument, is commonly used in Baul performances.

ii) Lavani (Maharashtra): Lavani is a traditional folk music and dance form from Maharashtra, known for its lively rhythms and expressive performances. The dholki, a percussion instrument, is an integral part of Lavani music.

(c) Gamelan (Northeast India): In Northeast India, particularly in Manipur and Assam, the Gamelan tradition reflects the cultural influence of Southeast Asia. The xylophone-like instruments and metallophones are central to this musical style.

6. The Role of Indian Instrumental Music in Religion and Spirituality:

Indian instrumental music has always been closely linked to religion and spirituality. It serves as a medium for expressing devotion, enhancing rituals, and facilitating meditation and transcendence.

(a) Music in Hindu Worship: In Hinduism, music is considered a divine art form that elevates the soul and connects individuals with the divine. Instruments like the Veena, Mridangam, and Flute are often used in temple rituals and devotional music.

i) Bhajans and Kirtans: Bhajans and kirtans are devotional songs that often incorporate instrumental accompaniment. Instruments like the harmonium, tabla, and cymbals enhance the spiritual experience of these performances.

ii) Sufi Music and Mysticism: Sufi music, with its roots in Islamic mysticism, emphasizes the spiritual journey and union with the divine. Instruments like the rabab, sarangi, and daf are commonly used in Sufi performances.

iii) Qawwali: Qawwali is a form of Sufi devotional music characterized by powerful vocals and rhythmic clapping. The harmonium and tabla provide instrumental support, creating an immersive and transcendent experience.

(b) Buddhist Chanting and Meditation: In Buddhist traditions, music and chanting play a vital role in meditation and spiritual practices. Instruments like the singing bowl, bells, and woodwind flutes are used to create a serene and meditative atmosphere.

7. Contemporary Indian Instrumental Music: Innovations and Global Influence:

In recent years, Indian instrumental music has witnessed significant innovation and global influence. Musicians have embraced new technologies and genres, creating a fusion of traditional and contemporary styles.

(a) Fusion Music: Fusion music, blending Indian classical and folk elements with Western genres, has gained popularity worldwide. This genre reflects the adaptability and versatility of Indian instrumental music.

i) Shakti: The band Shakti, led by guitarist John McLaughlin and tabla virtuoso Zakir Hussain, pioneered the fusion of Indian classical music with jazz. Their innovative compositions have inspired countless musicians globally.

ii) Anoushka Shankar: Anoushka Shankar, a prominent sitarist and composer, has explored diverse musical landscapes, collaborating with artists from various genres.

Her work exemplifies the seamless blending of Indian and Western musical elements.

(b) Technological Advancements: Technological advancements have opened new possibilities for Indian instrumental music. Electronic instruments, digital recordings, and online platforms have expanded the reach and accessibility of Indian music.

i) Electronic Fusion: Electronic fusion music combines traditional Indian instruments with electronic beats and effects. Artists like Karsh Kale and Nucleya have popularized this genre, attracting a global audience.

ii) Online Platforms and Education: The internet has revolutionized the way Indian music is accessed and learned. Online platforms provide tutorials, performances, and collaborations, making Indian instrumental music more accessible to a global audience.

Conclusion: The origin and evolution of Indian instrumental music is a testament to the rich cultural heritage and diversity of India. From its ancient roots in the Vedic period to its contemporary global influence, Indian instrumental music continues to inspire and captivate audiences worldwide. This study highlights the historical development, key instruments, influential figures, and contemporary innovations that have shaped Indian instrumental music. By understanding its origins and evolution, we gain a deeper appreciation for its contributions to both Indian culture and the global music scene.

References:-

1. Bakhle, Janaki. *Two Men and Music: Nationalism in the Making of an Indian Classical Tradition*. Oxford University Press, 2005.
2. Brown, Katherine Butler, and Ghulam Rasool Santosh. *Music in the Mughal Court*. Oxford University Press, 2007.
3. Deshpande, Vamanrao H. *Indian Musical Traditions: An Aesthetic Study of the Gharanas in Hindustani Music*. Popular Prakashan, 1987.
4. Deva, B.C. (1993). *Musical instruments*. National Book Trust, 1993.
5. Durga, S.A.K. *Ethnomusicology: A study of intercultural musicology*. B.R. Rhythms, Reprint, Divine Books, 2004.
6. Kaufmann, Walter. *The Ragas of North Indian Music*. Indiana University Press, 1968.
7. Kuppaswamy, Gowry, and M. Hari Haran. *Indian music; A prospective*. Sandeep Prakashan, 1980.
8. Lavezzoli, Peter. *The Dawn of Indian Music in the West: Bhairavi*. Continuum International Publishing Group, 2006.
9. Patnaik, Praveen. *Music: Cross-cultural perception*. Common wealth Publishers, 2006.
10. Sharma Swatantra, and Pratibha Prakashan. *Fundamentals of Indian music*. Delhi: Oriental Publishers & Book Sellers, 1996
11. Soumya, S. "A Study on the Origin of Indian Instrumental Musi." *International Journal of Engineering and Management Research*, vol.12, issue 2, Apr. 2022.

Role of Emotional Intelligence in the Organization

Reena Salvi* Dr. Rashmi Singh**

*Ph. D Scholar, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur (Raj.) INDIA

** Assistant Professor, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract: Emotional intelligence (EI) is characterised as the skill to observe an individual's own and the other person's emotions, to discern diverse emotions and understand them properly, and to practice emotional data to direct thinking pattern and behaviour. The present paper aims to explain the significance and need for Emotional Intelligence (EI) in the Organization. To achieve the aim of this paper, various research papers and articles have been reviewed. Salovey and Mayer (1990, Mayer & Salovey 1997) and Goleman (1998) with their theoretical research work and book explained the significance of emotional intelligence in organizations. Goleman developed 5 dimensions of Emotional Intelligence known as "self-awareness, self-regulation, empathy, motivation and social abilities". The incorporation of emotional intelligence into an organization model can have significant effects on achieving various organizational goals. It was found that EI increases team performance, job satisfaction, and leadership ability. EI enriches teamwork, enhances effective communication, improves the workplace environment, boosts organizational commitment, fosters a positive service environment, and contributes to customer satisfaction. EI is correlated with traits like perseverance, self-control, resilience and performance under pressure. For effective organizational outcomes, emotional quotient tests or assessments can be used in hiring or entry-level processes.

Keywords: Emotional Intelligence, Organization, Job Satisfaction, Leadership, Team Performance.

Introduction - In recent centuries, behavioural sciences have gained significant attention in the field of organizational setups. Researchers are exploring the relationship between rational behaviour or logic and emotions. The concept of emotional intelligence has evolved with time. Thorndike (1920) paved the way for understanding emotions and named it "social intelligence", Gardner (1983) and Sternberg (1988) explained emotional intelligence as "intrapersonal intelligence". Later, the concept of emotional intelligence was introduced by Salovey and Mayer in the year of 1990. Emotional intelligence is the "ability to monitor one's own and other's feelings and emotions, to discriminate among them, and to use this information to guide one's thinking and actions" (Salovey & Mayer, 1990).

Different approaches are used to study emotional intelligence, the trait and the ability approach are the main dominant approaches. The trait approach includes dispositional tendencies such as self-efficacy beliefs or personality traits and that can be assessed by self-report questionnaires. The ability approach includes mental ability based on emotional information processing and can be evaluated with performance tests.

Emotional Intelligence and Leadership: Many researchers believe emotional intelligence has a connection with leadership roles. Emotional intelligence gives the strength to evaluate folks more evidently and meticulously

and establish a link between individuals and also cultivates a sense of sensitivity, balanced emotions and a solid blend of cognitive ability (rational, abstract understanding and creative thinking), public skills (interpersonal abilities, communication abilities and influence abilities) (Batool, 2013). Emotional Intelligence significantly influences effective leadership by concentrating on 5 vital components of leader effectiveness: cultivation of communal objectives and purposes; breeding and upholding enthusiasm, confidence, optimism, collaboration, and conviction; inculcating in others a gratefulness for work accomplishments; promoting flexibility in judgment processes and adjustment; and creating and preserving an eloquent individuality for an institution (George, 2000). A study led by Cavallo and Brienza (2001) at an organization stated that emotional skill distinguishes effective leaders. High-accomplished managers were perceived as having significant levels of Self-Management capability, Self-Awareness, Public Skills and Organizational Understanding, which are assumed components of the emotional intelligence domain. Emotional intelligence enhances the leadership qualities of charisma, intellectual stimulation and administration by exception and contingent reward (Wagner, 2013).

Styles of leadership have a relationship with various aspects of emotional intelligence. Burns (1978) defined two

types of leadership. Transformational leadership is defined as a leader encourages subordinates to rise above their personal benefits under the requirements of the organization. This builds trust, allegiance from followers and also motivation to achieve higher outcomes. Brass and Avolio (1990) stated that transformational leadership yields organizational change and emotional intelligence is closely related to the use of transformational behaviour. Kumar (2014) analysed the association between emotional intelligence and transformational leadership and established that features of emotional intelligence like self-awareness, motivation and empathy have a thorough relation with transformational leadership elements like personal impact, inspirational motivation and personalised consideration. Bass (1998) believes transformational leaders permit their followers to face conflict or stress successfully and provide safety and tolerance in times of uncertainty. He defined transactional leaders as those who give special importance to work ethics, projects, and task-oriented goals. Transactional leaders discipline followers for the desired outcome and motivate them for their personal interest. Transactional leaders are task-motivated, so they often have emotional intelligence abilities like self-motivation and self-awareness that show the link between transactional leadership and emotional intelligence (Ivanova, 2016). According to Weisinger (2000), there is a high association between transactional leadership and self-motivation. Self-awareness with Self-motivation and a minimal amount of emotional mentoring focus all consideration on the course of task execution, rather than the other builds their robust relationship with transactional leadership rather than transformational leadership appears rational in hindsight.

Team Emotional intelligence: Teams denote a vital approach to getting accomplished all tasks in an organization. Team emotional intelligence can be defined as the capability of a group to develop a set of rules that lead the emotional involvement in a group in an efficient way. Emotional management, emotional awareness, and internal and external relationship management are core team EQ skills. Teams with greater emotional intelligence fellows can employ their emotions in effectual means to get higher thinking and executive routes (Mayer et al., 2001). Team having emotional intelligence creates standards that boost communal faith among fellows, a feeling of team worth and a presence of team efficiency (Druskat & Wolff, 2001). Members having high emotional intelligence are more expected to seem trustworthy and unflinching because of their ability to deal with various emotionally strenuous organizational occasions successfully (Huy, 1999). Team emotional intelligence is adversely associated with team procedure (i.e. relationship clash and task clash) and positively associated with team efficacy (i.e. group performance, cohesion and innovation) (Lee and Wong, 2017). Emotional intelligence encourages team conviction that in turn, develops a cooperative culture

which boosts the creativity of the team and cognitive reliance regulates the connection between co-operative culture and team creativity (Barczak et al. 2010). Differing emotional intelligence skills are connected to particular teamwork behaviour, which plays an important role during different stages of teamwork (Clarke, 2010). Garcia-Buades et al., 2020 stated that sharing positive outlooks during work shifts might impact the team's attitudinal (e.g. group satisfaction), motivational (e.g., group goal commitment) and behavioural (e.g. proactive behaviour) procedures. Emotional intelligence is a trait that promotes an affirmative connection between psychological resemblance and team unity, so administrators should make a team with akin interest employees (Lu & Fan, 2017). Clarke (2010) investigated the role of emotional intelligence capabilities in side the learning culture of teams and found that emotional intelligence skills such as emotional management and emotional awareness impact the three crucial consideration procedures: problem-solving, action planning, hypothesising causal relations, as well as procedures related with group learning comprising group credentials, communication, communal commitment and conflict regulation. Teams with a lack of emotional intelligence environments are linked with having work and interpersonal conflict and high conflict force, therefore, a group emotional intelligence environment regulates the connection between work conflict and negative responses to conflict (Ayoko et al., 2008).

Emotional Intelligence and Performance: Emotional intelligence is an essential element for an administration's performance and progress and plays a vital role in today's cut-throat competitive organizational environment. People with greater emotional intelligence execute better on cognitive jobs and better negotiate with the obstruction or helplessness that comes from bumping into challenging tasks (Schutte et al., 2001). Entities with high emotional intelligence seem to display a greater level of performance results. There is an association found between emotional intelligence and two features of task outcomes ("work performance" and "two types of institutional citizenship behaviours- compliance and altruism") (Carmeli and Josman, 2009). Emotional intelligence is accountable for defining success and mental well-being which plays a significant role during contact between administrators and subordinates in their task process (Jorfi et al., 2010). Decision-making styles arbitrate the association between emotional intelligence and sub-domains of personal task performance (Adaptive performance, Work performance and contextual performance) (Akram and Siddiqui, 2019). Poor management skills can decrease performance. Higher emotional intelligence traits are positively correlated with recovery from stress during work tasks (Arora, 2011). Executives with developed emotional intelligence demonstrate greater excellence in performance as related to their executives with lesser emotional intelligence

(Khokhar et al., 2009).

Furthermore, a highly significant link is found between job satisfaction and emotional intelligence (Elias & George, 2012). Personnel with better emotional intelligence are regularly in a positive mood and mental state and they exhibit a greater job satisfaction level and well-being (in contrast to employees with lesser emotional intelligence) (Carmeli, 2003). In various professions, emotional intelligence acts as a significant contributor to job skills, job opportunities, needed skills and occupation success (Mousavi et al., 2012). Singh and Singhal (2015) established the association between emotional intelligence and consumer satisfaction and established that EI factor such as the maturity of the administrator is the foremost contributor to consumer satisfaction. In organizations communication skills are essential, especially in service-rendering organizations. EI and its dimensions such as "self-management and self-awareness" have a positive influence on the communication abilities of employees (Raeissi et al., 2023).

Conclusion: Promoting emotional intelligence can influence significantly to the success of an organization. Emotional intelligent leaders can handle organizational ups and downs. They can comprehend the requirements of personnel and create a productive work environment accordingly. So, they can become good managers, supervisors, and HR. Emotional intelligent team members show more cooperation to each other and they uplift each other's spirit in adverse times. Employees with greater emotional intelligence are better performers and satisfied with their jobs and have greater communication skills. Incorporation of emotional intelligence in organizational models and scrutinizing EI at the entrance level can be a great addition to organizational effectiveness. Furthermore, more research scope was found on emotional intelligence and its association with employees and organizational outcomes.

References:-

1. Akram, H., & Siddiqui, D. A. (2019). *Impact of Emotional intelligence on individual work performance of employees with the mediating role of decision-making styles: Evidence from Pakistan*. SSRN.
2. Alston, B. A., Dastoor, B. R., & Sosa-Fey, J. (2010). Emotional intelligence and leadership: A study of human resource managers. *International Journal of Business and Public Administration*, 7(2), 61-76.
3. Antonova Ivanova, D. (2016). Emotional intelligence and leadership.
4. Arora, S., Russ, S., Petrides, K. V., Sirimanna, P., Aggarwal, R., Darzi, A., & Sevdalis, N. (2011). Emotional intelligence and stress in medical students performing surgical tasks. *Academic Medicine*, 86(10), 1311-1317.
5. Ayoko, O. B., Callan, V. J., & Härtel, C. E. (2008). The influence of team emotional intelligence climate on conflict and team members' reactions to conflict. *Small Group Research*, 39(2), 121-149.
6. Barczak, G., Lassk, F., & Mulki, J. (2010). Antecedents of team creativity: An examination of team emotional intelligence, team trust and collaborative culture. *Creativity and innovation management*, 19(4), 332-345.
7. Bass, B. M. (1997). Does the transactional–transformational leadership paradigm transcend organizational and national boundaries?. *American psychologist*, 52(2), 130.
8. Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1990). Developing transformational leadership: 1992 and beyond. *Journal of European industrial training*, 14(5).
9. Batool, B. F. (2013). Emotional intelligence and effective leadership. *Journal of business studies quarterly*, 4(3), 84.
10. Burns, J. M. (1978). Transformational leadership theory. *Leadership*.
11. Carmeli, A. (2003). The relationship between emotional intelligence and work attitudes, behavior and outcomes: An examination among senior managers. *Journal of Managerial Psychology*, 18(8), 788-813.
12. Carmeli, A., & Josman, Z. E. (2006). The relationship among emotional intelligence, task performance, and organizational citizenship behaviors. *Human performance*, 19(4), 403-419.
13. Cavallo, K., & Brienza, D. (2002). Emotional competence and leadership excellence at Johnson & Johnson: The emotional intelligence and leadership study. *Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations*, 1, 12.
14. Clarke, N. (2010). Emotional intelligence and learning in teams. *Journal of Workplace Learning*, 22(3), 125-145.s
15. Druskat, V. U., & Wolff, S. B. (2001). Building the emotional intelligence of groups. *Harvard business review*, 79(3), 80-91.
16. García-Buades, M. E., Peiró, J. M., Montañez-Juan, M. I., Kozusznik, M. W., & Ortiz-Bonnín, S. (2020). Happy-productive teams and work units: A systematic review of the 'happy-productive worker thesis'. *International journal of environmental research and public health*, 17(1), 69.
17. George, J. M. (2000). Emotions and leadership: The role of emotional intelligence. *Human relations*, 53(8), 1027-1055.
18. Huy, Q. N. (1999). Emotional capability, emotional intelligence, and radical change. *Academy of Management review*, 24(2), 325-345..
19. Jorfi, H., Jorfi, S., & Moghadam, K. (2010). Impact of emotional intelligence on performance of employees. *Postmodern Openings*, 1(4), 63-74.
20. Kumar, S. (2014). Establishing linkages between emotional intelligence and transformational leadership.

- Industrial Psychiatry Journal*, 23(1), 1.
21. Lee, C., & Wong, C. S. (2019). The effect of team emotional intelligence on team process and effectiveness. *Journal of Management & Organization*, 25(6), 844-859.
 22. Lu, L., & Fan, H. L. (2017). Strengthening the bond and enhancing team performance: Emotional intelligence as the social glue. *Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance*, 4(3), 182-198.
 23. Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2000). Emotional intelligence as zeitgeist, as personality, and as a mental ability
 24. Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2004). TARGET ARTICLES: "emotional intelligence: Theory, findings, and Implications". *Psychological inquiry*, 15(3), 197-215.
 25. Mousavi, S. H., Yarmohammadi, S., Nosrat, A. B., & Tarasi, Z. (2012). The relationship between emotional intelligence and job satisfaction of physical education teachers. *Annals of Biological Research*, 3(2), 780-788.
 26. Raeissi, P., Zandian, H., Mirzarahimy, T., Delavari, S., Moghadam, T. Z., & Rahimi, G. (2023). Relationship between communication skills and emotional intelligence among nurses. *Nursing Management*, 30(4).
 27. Schutte, N. S., Schuettpelez, E., & Malouff, J. M. (2001). Emotional intelligence and task performance. *Imagination, Cognition and Personality*, 20(4), 347-354.
 28. Singh, P., & Singhal, R. (2015). Emotional intelligence & customer satisfaction in Indian banks. *Indian Journal of Industrial Relations*, 70-80.
 29. Wagner, B. (2013). Impacts of emotional intelligence on leadership effectiveness. *New Challenges of Economic and Business Development*, 2, 654-669.
 30. Weisinger, H., & Cali, R. L. L. (1999). Emotional intelligence at work: The untapped edge for success.

Assessing the Toxic Effects of the Selected Heavy Metals on Freshwater Fish Populations

Dr. Shashi Parmar* Atul Parmar** Osin Koli***

* Associate Professor (Zoology) SBP Govt. College, Dungarpur (Raj.) INDIA

** Associate Professor (Geography) SBP Govt. College, Dungarpur (Raj.) INDIA

*** Assistant Professor (Zoology) Gurukul PG College, Dungarpur (Raj.) INDIA

Abstract : Heavy metals are pervasive contaminants in freshwater ecosystems, posing significant threats to aquatic environment. The most common heavy metals are arsenic, chromium, aluminium and mercury, which affect human health and are considered systemic toxicants. This study aims to highlight the issue of pollution in the fresh water aquatic ecosystems and fish health through comprehensive assessment and analysis. Key objectives include evaluating the concentrations of heavy metals in water bodies and sediments, assessing bioaccumulation levels in fish tissues, and elucidating physiological and biochemical responses in exposed fish. Results indicate that heavy metal toxicity negatively affects the growth, reproduction and physiology of fish, causing threat to the sustainable development of the fisheries and aquaculture sector.

Keywords: heavy metals, fish health, fresh water fish, metal toxicity.

Introduction -In the recent era environmental pollution posing a major challenge to the modern society. There are various environmental contaminants among them heavy metals are of greater concern due to not only their toxicity for living organisms and aquatic life but also possessing the potentiality of bioaccumulation in the food chain (Garai *et al.*, 2021). Heavy metals are a unique class of naturally occurring elements that persist in the environment for a long time and are not biodegradable (Kanamarlapudi *et al.*, 2018). The sources of heavy metals into the environment could be natural or anthropogenic activities such as mining, industrial discharge agricultural runoff etc. These heavy metals ultimately end up in aquatic ecosystems, then subsequently enter into the body of aquatic organisms and in the course of the food chain, these metals enter into the body of higher animals (Authman *et al.*, 2015, Eroglu *et al.*, 2015, Mokarat *et al.*, 2022). The frequent discharge of excessive heavy metals into water bodies cause deleterious effects on aquatic animals. The ecological equilibrium is disrupted due to accumulation of heavy metals because these metals interfere physiological, metabolic and cellular functions of living organisms (Arisekar *et al.*, 2020, Hussain *et al.*, 2022). At higher concentrations, these heavy metals become a concern for aquatic habitats because frequently the biological system itself alone is not able to destroy those kinds of substances rapidly (Paul *et al.*, 2019, Abbas *et al.*, 2021). Since fish are at the top of the food chain in most of the aquatic environments and are the most responsive to

the toxic effects of heavy metal exposure. In addition, being one of the most abundant vertebrates, fish can directly affect humans through food intake; therefore, fish can be employed to assess the extent of environmental pollution in an aquatic environment.

It is reported that excess quantity of heavy metals in water produces Reactive Oxygen Species (ROS), which subside the water quality and detrimental for aquatic life by causing oxidative stress (Aldoghachi *et al.*, 2016, Paul *et al.*, 2019, Kiran, *et al.*, 2021). Bioaccumulation of toxic heavy metals in the different tissues can harm animal health and eventually cause damage to normal physiological processes of the body (Malik *et al.*, 2014).

Because of the rapid economic development across the globe, large-scale emissions and pollution by heavy metals are of special concern. In the realm of environmental research, the detrimental impact of heavy metals on aquatic ecosystems, particularly freshwater environments, stands as a critical concern. Among the diverse array of aquatic life forms, freshwater fishes serve as vital indicators of ecosystem health, as their well-being is intrinsically linked to the quality of their surrounding habitat. According to International Agency for research on cancer and also US environmental protection agency which are also working / researching on cancer they classified these metals which are toxic to freshwater fishes as carcinogen. (sabhaa k.AL-Taee, Karam H., Al-Mallah and Hana Khlsmail, 2020). It is also reported that it is highly carcinogenic, teratogenic and

mutagenic. How much it can affect a particular kind of species is depend on its dose and exposure time it vary with the species. (Garai *et al.*, 2021)

The present study seeks to delve into the intricate relationship between heavy metal contamination in fresh water bodies and its adverse effects on freshwater fish populations. Through a holistic understanding of the intricate interplay between heavy metal contamination and freshwater fish health, stakeholders can formulate evidence-based policies and interventions to mitigate the pervasive threat posed by heavy metals and ensure the long-term viability of freshwater ecosystems.

Material and Methods

1. ALUMINIUM (Al): Aluminum is a ubiquitous metal in the Earth's crust accounting for 8.1% of the Earth's mass [Sparling and Lowe, 1996]. Toxic metals, including aluminium (Al), negatively affect aquatic organisms. Al is naturally occurs exclusively in the +3-oxidation state (Al^{3+}) in combination with other elements such as oxygen, silicon and fluorine [Jones and Bennett, 1986, Ganrot 1986,]. Al^{3+} is the major component of a large number of minerals such as mica, feldspars and clays [Ganrot 1986,]. Through the weathering of rocks or minerals or through volcanic activities, it is released into the environment naturally. Al is commercially used in electrical engineering, transportation, construction, and in the manufacture of household utensils, appliances, packaging material and to manufacture particles in paints, pigments, and coatings in chemical and paper and textile industries. [Jones and Bennett, 1986,]. Aluminium sulphate ($Al_2(SO_4)_3$) is widely used to improve the clarity of drinking water [Pernitsky and Edzwald, 2006], and various Al compounds are used in processing, packaging, and the preservation of food (Stahl *et al.*, 2011).

In fishes, Al may be associated with gill damage due to its deposition and changes in osmoregulation, as well as with oxidative stress in lymphocytes (Galar-Martinez *et al.* 2010; Garcia-Medina *et al.* 2010). Al accumulates in the nervous system of freshwater vertebrates, where it can trigger oxidative stress, alter enzymatic activities, and neurotransmitters levels but also affect gene expression, cause astrogliosis and morphological changes, and impair behaviour and cognitive abilities. (Closset *et al.*, 2021)

A study by Hadi and Alwan 2012, in the freshwater fish *Tilapia zillii*, reported cellular hypertrophy or hyperplasia with cellular degeneration which results in necrosis of gill epithelial tissues and alteration of the circulatory system in fresh water fishes, when exposed to three different concentrations of Al. The fishes had symptoms of oedema, congestion, inflammation in the liver with atrophy of pancreatic tissue and activation Melan macrophage. In another study toxic effects of Al in the kidney was demonstrated which lead to severe degeneration in the tubules cells, irregular diameters of renal tubules with glomerular expansion, renal corpuscle damage and haemorrhage. (Authman, 2011)

2. CHROMIUM (Cr): Chromium is one of the most common trace elements found in the earth's crust and seawater (Bakshi and Panigrahi, 2018). This element is present in divalent (Cr^{2+}), trivalent (Cr^{3+}) or hexavalent (Cr^{6+}) oxidation states. Among these Cr^{3+} and Cr^{6+} are considered as the most stable forms (Velma *et al.*, 2009 and Vincent *et al.*, 1995). Due to low membrane permeability, non-corrosiveness nature and minimum power of bio magnifications in the food chain so Cr^{3+} oxidation state is less toxic as compared to the Cr^{6+} state, which is more toxic because of its strong oxidative potentiality and ability to cross the cell membrane (Ram *et al.*, 2019).

Various anthropogenic sources and industrial applications such as leather tanneries, metal processing, electric furnaces, corrosion inhibitors, petroleum refining, textile manufacturing, alloy preparation, wood preserving, steel industries and cooling towers are responsible for releasing Cr that leads to chromium toxicity in an aquatic ecosystem,. [Panov *et al.*, 2003, Huang *et al.*, 2004, Javed and Usmani, 2019, Garai *et al.*, 2021).

According to the physicochemical properties of the surface water, two forms of chromium may be present in the water environment, the trivalent Cr^{+3} and the hexavalent Cr^{+6} that can pass cell membrane and then reduced to trivalent. It is reported that these would combined with macromolecules as genetic materials and cause mutation (Svobodova, 1993; Bakshia and Panigrahi, 2018, Shahbaa *et al.*, 2020). It is also reported that it plays a vital role for carcinogenesis and stimulate oxidative stress (Eisler, 2000; Lushchak *et al.*, 2009).

Unlike other heavy metals, chromium enters the body through gills or digestive tracts, but it is reported that it has a lower ability to accumulate than others (Rashed,2001). Exposure of fish to acute toxicity causes an increase of mucous secretion and suffocation which leads to death while in chronic toxicity, chromium may severely affect kidneys causing reduction of renal function and renal tubular hypertrophy and vacuolisation of the head kidney's internal cells glomerular necrosis and fibrosis with stenosis of the tubular lumen (Mishra and Mohanty, 2008, Mishra and Mohanty, 2009, Tae *et al.*, 2020).

It is reported that blood coagulation time was decreased in the *Tilapia sparrmanii* when exposed to chromium, which reflects by internal bleeding with an increase of pH value (Vutukuru, 2003). Accumulation of chromium in the tissue of Indian major carp *Labeo rohita* leads to decreased total protein and lipid content in the muscle, liver and gill [24]. Likewise depletion of liver glycogen content was observed in a freshwater teleost *Colisa fasciatus*, on chromium exposure (Nath K, Kumar, 1987). Cr^{6+} toxicity showed osmoregulatory and respiratory dysfunction at pH 7.8 and 6.5 in rainbow trout, *Salmo gairdneri* (Van *et al.*, 2009]. Chronic exposure of chromium is reported to cause DNA damage, microscopic lesions, physiological abnormalities, and reduction in growth and survival rate in fishes (Farak

et al,2006, Garai et al, 2021].

3. MERCURY (Hg): Mercury is considered as one of the most toxic heavy metal found in the environment. (Garai Et al, 2021). Due to huge industrialisation the 20th century Mercury contamination in the environment has increased rapidly (Grandjean et al, 2010). According to United State Environmental Protection Agency (EPA) and the Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) Mercury is reported to be rank third in the list of the hazardous substance of the environment after the two toxic agents, lead and arsenic (Pack et al, 2014).The inflow of mercury into an aquatic ecosystem occurs naturally as a result of volcanoes, oceanic emission, mineral deposits, crust degassing and forest fires (Washburn et al, 2018, Hylander and Meili, 2003).

Apart from elementary form, mercury is present in an ionic form which forms a compound with sulphide, chloride or organic acid and organic form, especially methyl mercury [103]. Literature suggests methyl mercury is the most chemically toxic form of mercury and 70-100% of mercury present in the fish body is of methylated form. Methylation of inorganic mercury occurs by microorganisms such as anaerobic sulphate-reducing bacteria, iron reducers, and methanogens [104,105]. Increase in water temperatures attributed to climate change which stimulates the methylation of mercury.

Methyl mercury is one of the most toxic compounds to fish usually generated through methylation of inorganic mercury by anaerobic microorganism as sulfate-reducing bacteria SRB, methanogens MPA and iron reducers FeRP (Pack et al., 2014). Methyl mercury is a highly lipophilic environmental contaminant, firstly reported in 1970 to cause pollution in Minamata Bay in Japan and massive human poisoning in Iraq (Bakir et al., 1973 and Tsubaki and Irudayaraj, 1977).

It is reported that fish has capacity to absorb mercury and heavy metals from the surrounding water as well as from the food they consume (et al, 2013). The amount of mercury content in fish relay upon the factors, such as the vicinity in which they live, food quality, the characteristics of the species and the absorption conditions [12]. The mercury content in fish increases with age, weight and length [Sackett et al, 2013]. Water pH and dissolved organic carbon content modify the uptake of Hg compounds. The highest concentration of Hg in fish muscle is observed when the pH of water is around 5 (Eisler et al, 2000). Various studies have concluded that fish poisoning with mercury compounds leads to brain damage and manifested itself as dilation of the gill covers, excessive mucus secretion, increased frequency of respiratory movements, decreased motility, abnormal motor coordination, loss of balance and a lack of appetite (Eisler et al, 2000, Brodziak et al, 2023).

4. Arsenic: Arsenic is a metalloid element which is abundant in the aquatic environment due to natural and anthropogenic processes (Rossman et al, 2003, Rabbane

et al, 2022). It is the 14th and 20th abundant element in saltwater and earth crust respectively (Popovic et al, 2001). It is a remarkable and ubiquitous environmental contaminant causes health issues to all living organisms [Jeziarska et al, 2003]. Various research has demonstrated the adverse effects of arsenic on fish growth, mortality, development, RNA:DNA ratio, histopathology and genetic expression [Hayat et al, 2013,Foley et al, 2016, Ahmed et al, 2013,Banerjee et al, 2015, Minatel et al, 2017]. The World Health Organization (WHO) has also classified arsenic as one of the most dangerous chemicals to public health [Babich, et al, 2019].

Natural activities such as volcanic eruption, forest fires and weathering of rocks add a significant amount of arsenic in aquatic environment. (Malik et al, 2023). Various anthropogenic activities responsible to release arsenic into the environment [. Like, onferrous metal mining and smelting, combustion, wood preservation, fossil fuel processing, pesticide production and its application in agricultural fields, municipal and industrial waste disposal. (Nasser et al, 2020, Slimak et al, 1983). Arsenic, in its soluble forms, enters into the ground water and water bodies through runoff and leeching (Pongratz et al, 1998). Arsenic has been reported as highly toxic mineral found in the earth's crust which can enter the food chain through soil, water and plants. (Malik et al, 2023). The uncontrolled discharge of arsenic and its disastrous impact on fish diversity is a significant concern for aquaculture progress and economic stability. Continuous exposure of freshwater fish to the low concentration of arsenic consequences in bioaccumulation in the liver and kidney tissue (Kumari et al, 2016)]. This deposited arsenic in the fish imposes significant impairment to physiology and biochemical disorders including poisoning of gills, livers, decrease fertility, tissue destruction, lesions, and cell death. When arsenic enters in the cell and produces reactive oxygen species which increases the level of stress which centralises the oxidative enzymes and cortisol levels in fish. The (Malik et al, 2023)

In a study it is reported that lethal and sub-lethal arsenic exposure, stimulates different histopathological injuries in various organs in the fish and put impacts on the nervous, gastrointestinal, respiratory and cardiovascular systems (Kumari et al, 2016)]. Moreover, when *Tilapia mossambica*, *Channa punctatus*, *Cyprinus carpio*, *Anguilla anguilla* and *Mastacembelus armatus* exposed to heavy arsenic pollution, lamellae fusion, epithelial cell hyperplasia, necrosis, cystic formations within secondary lamellae epithelium and secondary lamellae loss were found in their gill tissue. (Ahmed et al, 2013, Javed et al, 2017, Gürcü et al, 2010, Yildiz et al, 2010). Since gills play an important role in fish by carrying out gas exchange, ion regulation and the emission of metabolic wastes thus they are considerably infected by water pollutants as a result of continual contact with water, and respiratory problems are

one of the early indications of pollution exposure. Kumari et al, 2016, Golam et al, 2022)

Conclusion: The findings of this study underscore the significant and varied toxic effects of aluminium, chromium, mercury, and arsenic on freshwater fish populations. Through comprehensive assessment and analysis, it is evident that these heavy metals accumulate in fish tissues, leading to adverse physiological and biochemical responses. Arsenic and mercury, in particular, exhibited substantial toxicity, impacting fish health, reproductive success, and overall population dynamics.

Moreover, the study highlights the interconnectedness between environmental contamination and human health risks, as heavy metal bioaccumulation in fish poses potential threats through the food chain. Understanding the mechanisms and pathways of heavy metal toxicity in freshwater ecosystems is crucial for developing effective environmental management and regulatory measures.

Recommendations: Based on the findings of this research, several recommendations are proposed to mitigate the impacts of heavy metal contamination on freshwater fish populations and ecosystems:

1. Enhanced Monitoring and Regulation: Implement rigorous monitoring programs to regularly assess heavy metal concentrations in water bodies and sediments. Strengthen regulatory frameworks to enforce limits on permissible levels of aluminium, chromium, mercury, and arsenic in aquatic environments.

2. Remediation Strategies: Develop and implement remediation techniques such as phytoremediation, bioremediation, and sediment dredging to reduce heavy metal concentrations in contaminated areas.

3. Public Awareness and Education: Increase public awareness regarding the sources, risks, and impacts of heavy metal pollution on freshwater ecosystems and human health. Promote sustainable practices in industry and agriculture to minimise pollutant runoff into water bodies.

4. Research and Innovation: Invest in further research to explore innovative technologies and approaches for mitigating heavy metal toxicity in aquatic environments. Foster interdisciplinary collaborations to advance understanding of ecological impacts and develop sustainable solutions.

5. Long-Term Monitoring and Assessment: Establish long-term monitoring programs to track changes in heavy metal concentrations, fish populations, and ecosystem health over time. Continuously evaluate the effectiveness of remediation efforts and adapt strategies as needed.

By implementing these recommendations, stakeholders can work collaboratively to protect freshwater ecosystems, preserve biodiversity, and safeguard public health from the detrimental effects of heavy metal contamination.

References:-

1. A Authman MMN, Zaki MS, Khallaf EA, Abbas HH. Use

- of Fish as Bio-indicator of the Effects of Heavy Metals Pollution. *J Aquac Res Development*. 2015;6: 328.
2. Ahmed, K.; Mamun, H.A.; Parvin, E.; Akter, M.S.; Khan, M.S. Arsenic induced toxicity and histopathological changes in gill and liver tissue of freshwater fish, tilapia (*Oreochromis mossambicus*). *Exp. Toxicol. Pathol.* 2013, 65, 903–909.
 3. AUTHMAN MMN.2011. Environmental and experimental studies of aluminium toxicity on the liver of *Oreochromis niloticus* (Linnaeus, 1758) fish. *Life Science Journal*, 8(4).
 4. Bakshi A, Panigrahi AK. A comprehensive review on chromium induced alterations in fresh water fishes. *Toxicol Rep.* 2018, 5:440- 447.
 5. Banerjee, S.; Mitra, T.; Purohit, G.K.; Mohanty, S.; Mohanty, B.P. Immunomodulatory effect of arsenic on cytokine and HSP gene expression in *Labeo rohita* fingerlings. *Fish Shellfish. Immunol.* 2015, 44, 43–49.
 6. Brodziak-Dopiera^{3a}, B.; Fischer, A. Analysis of the Mercury Content in Fish for Human Consumption in Poland. *Toxics* 2023, 11,717.
 7. Closset M, Cailliau K, Slaby S, Marin M. Effects of Aluminium Contamination on the Nervous System of Freshwater Aquatic Vertebrates: A Review. *Int J Mol Sci.* 2021, Dec 21;23(1):31.
 8. EISLER R., 2000. Handbook of chemical risk assessment: Health hazards to humans, plants, and animals. Boca Raton: CRC Press, Lewis publishers. 4141, ISBN 9781566705066
 9. Eisler, R. Handbook of Chemical Risk Assessment Health Hazards to Humans, Plants, and Animals; Lewis Publishers: Boca Raton, FL, USA, 2000, pp. 344–440
 10. Farag AM, May T, Marty GD, Easton M, Harper DD, Little EE, et al. The effect of chronic chromium exposure on the health of Chinook salmon (*Oncorhynchus tshawytscha*). *Aquat Toxicol.* 2006, 76(3– 4):246–257.
 11. Foley, C.J.; Bradley, D.L.; Höök, T.O. A review and assessment of the potential use of RNA:DNA ratios to assess the condition of entrained fish larvae. *Ecol. Indic.* 2016, 60, 346–357.
 12. Garai P, Banerjee P, Mondal P, Saha NC (2021) Effect of Heavy Metals on Fishes: Toxicity and Bioaccumulation. *J Clin Toxicol.* S18:001.
 13. Galar-Martinez M, Gomez-Olivan LM, Amaya-Chavez A, Razo-Estrada AC, Garcia-Medina S (2010): Oxidative stress induced on *Cyprinus carpio* by contaminants present in the water and sediment of Madín reservoir. *Journal of Environmental Science and Health A* 45, 875–882.
 14. Ganrot P.O. Metabolism and possible health effects of aluminium. *Environ. Health Perspect.* 1986, 65:363–441.
 15. Garcia-Medina S, Razo-Estrada AC, Gomez-Olivan LM, Amaya-Chavez A, Madrigal-Bujaidar E, Galar-Mar-

- tinez M (2010): Aluminum-induced oxidative stress in lymphocytes of common carp (*Cyprinus carpio*). *Fish Physiology and Biochemistry* 36, 875–882.
16. Grandjean P, Satoh H, Murata K, Eto K. Adverse effects of methylmercury: environmental health research implications. *Environ Health Perspect.* 2010, 118(8):1137-45.
 17. Gürcü, B.; Yildiz, S.; Koca, Y.B.G.; Koca, S. Investigation of Histopathological and Cytogenetic Effects of Heavy Metals Pollution on *Cyprinus carpio* (Linnaeus, 1758) in the Gölarmara Lake, Turkey. *J. Anim. Vet. Adv.* 2010, 9, 798–808.
 18. HADI AA, AND ALWAN SF. Histopathological changes in gills, liver and kidney of freshwater fish, *Tilapia zillii*, exposed to aluminium. 2012, 3(11):2071-2081.
 19. Hayat, S.; Javed, M.; Razzaq, S. Growth performance of metal stressed major carps viz. *Catla catla*, *Labeo rohita* and *Cirrhina mrigala* reared under semi-intensive culture system. *Pak. Vet. J.* 2007, 27, 8–12.
 20. Huang KL, Holsen TM, Chou TC, Yang MC. The use of air fuel cell cathodes to remove contaminants from spent chromium plating solutions. *Environ Technol (United Kingdom)*. 2004, 25(1):39–49.
 21. Hylander, L.D.; Meili, M. 500 years of mercury production: Global annual inventory by region until 2000 and associated emissions. *Sci. Total Environ.* 2003, 304, 13–27.
 22. Popovic A, Djordjevic D, Polic P. Trace and major element pollution originating from coal ash suspension and transport processes. *Environment International*. 2001, 26(4):251-255.
 23. Javed, M., Usmani, N. An Overview of the Adverse Effects of Heavy Metal Contamination on Fish Health. *Proc. Natl. Acad. Sci., India, Sect. B Biol. Sci.* 2019, 89, 389–403
 24. Jezierska, B.; Witeska, M. *Metal Toxicity to Fish*; Wydawnictwo Akademii Podlaskiej: Siedlce, Poland, 2001, 318p.
 25. Jones K.C., Bennett B.G. Exposure of man to environmental aluminium—an exposure commitment assessment. *Sci. Total Environ.* 1986, 52:65–82.
 26. Kanamarlapudi S. L. R. K., Chintalpudi V. K. & Muddada S. 2018 Application of biosorption for removal of heavy metals from wastewater. *Biosorption* 18, 69.
 27. K. AL Tae, S., Al-Mallah, K., Kh. Ismail, H. Review On Some Heavy Metals Toxicity On Freshwater Fishes. *Journal of Applied Veterinary Sciences*, 2020, 5(3), 78-86.
 28. Kumari, B.; Kumar, V.; Sinha, A.K.; Ahsan, J.; Ghosh, A.; Wang, H.; De Boeck, G. Toxicology of arsenic in fish and aquatic systems. *Environ. Chem. Lett.* 2016, 15, 43–64
 29. LUSHCHAK OV, KUBRAK OI, LOZINSKY OV, STOREY JM, STOREY KB, LUSHCHAK VI .2009. Chromium (III) induces oxidative stress in goldfish liver and kidney. *Aquatic Toxicol*, 93: 45-52.
 30. Malik DS, Maurya PK. Heavy metal concentration in water, sediment, and tissues of fish species (*Heteropneustis fossilis* and *Puntius ticto*) from Kali River, India. *Toxicol Environ Chem.* 2014, 96(8):1195-1206.
 31. Minatel, B.C.; Sage, A.P.; Anderson, C.; Hubaux, R.; Marshall, E.A.; Lam, W.L.; Martinez, V.D. Environmental arsenic exposure: From genetic susceptibility to pathogenesis. *Environ. Int.* 2017, 112, 183–197
 32. MISHRA AK, AND MOHANTY B. Histopathological Effects of Hexavalent Chromium in the Ovary of a Fresh Water Fish, *Channa punctatus* (Bloch). *Bull Environ Contam Toxicol.* 2008, 80:507– 511.
 33. Nasser NA, Patterson RT, Roe HM, Galloway JM, Falck H, Sanei H. Use of Arcellinida (testate lobose amoebae) arsenic tolerance limits as a novel tool for biomonitoring arsenic contamination in lakes. *Ecological Indicators.* 2020, 113:10617
 34. Nath K, Kumar N. Toxicity of manganese and its impact on some aspects of carbohydrate metabolism of a freshwater teleost, *Colisa fasciatus*. *Sci Total Environ.* 1987, 67(2–3):257–262.
 35. Pack EC, Lee SH, Kim CH, Lim CH, Sung DG, Kim MH, et al. Effects of environmental temperature change on mercury absorption in aquatic organisms with respect to climate warming. *J Toxicol Environ Heal - Part A Curr Issues.* 2014, 77:1477–90.
 36. Panov VP, Gyul'khandan'yan EM, Pakshver AS. Regeneration of exhausted chrome tanning solutions from leather production as a method preventing environmental pollution with chromium. *Russ J Appl Chem.* 2003;76(9):1476–8.
 37. Pernitsky D.J., Edzwald J.K. Selection of alum and polyaluminum coagulants: Principles and applications. *J. Water Supply Res. Technol. AQUA.* 2006;55:121–141. doi: 10.2166/aqua.2006.062.
 38. Pongratz R. Arsenic speciation in environmental samples of contaminated soil. *Science of the Total Environment.* 1998;224:133-141
 39. Rabbane, Md. Golam, Md. Alamgir Kabir, Md. Habibullah-Al-Mamun, and Md. Ghulam Mustafa. 2022. "Toxic Effects of Arsenic in Commercially Important Fish Rohu Carp, *Labeo rohita* of Bangladesh" *Fishes* 7, no. 5: 217.
 40. Rabbane, M.G.; Kabir, M.A.; Habibullah-Al-Mamun, M.; Mustafa, M.G. Toxic Effects of Arsenic in Commercially Important Fish Rohu Carp, *Labeo rohita* of Bangladesh. *Fishes* 2022, 7, 217.
 41. RASHED MN.2001. Monitoring of environmental heavy metals in fish from Nasser Lake. *Environ Int*, 27: 27-33
 42. Ram BK, Han Y, Yang G, Ling Q, Dong F. Effect of hexavalent chromium [Cr(VI)] on phytoremediation

- potential and biochemical response of hybrid napier grass with and without EDTA application. *Plants(Basel)*. 2019;8(11):515.
43. Rossman TG. Mechanism of arsenic carcinogenesis: An integrated approach. *Mutation Research/ Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis*. 2003;533(1-2):37-65
 44. Sackett, D.K.; Cope, W.G.; Rice, J.A.; Aday, D.D. The influence of fish length on tissue mercury dynamics: Implications on natural resource management and human health risk. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 2013, 10, 638–659.
 45. Slimak M, Delos C. Environmental pathways of exposure to 129 priority pollutants. *Journal of Toxicology: Clinical Toxicology*. 1983;21(1-2):39-63
 46. Sparling D.W., Lowe T.P. Environmental hazards of aluminium to plants, invertebrates, fish, and wildlife. *Rev. Environ. Contam. Toxicol.* 1996;145:1–127.
 47. Stahl T., Taschan H., Brunn H. Aluminium content of selected foods and food products. *Environ. Sci. Eur.* 2011;23:1–11. doi: 10.1186/2190-4715-23-37.
 48. SVOBODOVÁ, Z.1993. Water Quality and Fish Health. FAO, Rome, EIFAC technical paper No. 54, 67pp.
 49. Taweel, A.; Shuhaimi-Othman, M.; Ahmad, A.K. Evaluation of copper, lead and arsenic level in tilapia fish in Cempaka Lake (Bangi, Malaysia) and human daily/weekly intake. *Biologia* 2013, 68, 983–991.
 50. Van Der Putte I, Laurier MBHM, Van Eijk GJM. Respiration and osmoregulation in rainbow trout (*Salmo gairdneri*) exposed to hexavalent chromium at different pH values. *Aquat Toxicol.* 2009;2(2): 99-112
 51. Velma V, Vutukuru SS, Tchounwou PB. Ecotoxicology of hexavalent chromium in freshwater fish: A critical review. *Rev Environ Health.* 2009;24(2):129-45.
 52. Vincent S, Ambrose T, Kumar LC, Selvanayagam M. Biochemical response of the Indian major carp, *Catla catla* (HAM.) to chromium toxicity. *Indian J. Environ. Health.* 1995;37:192-196.
 53. Vutukuru, S. Chromium Induced Alterations in Some Biochemical Profiles of the Indian Major Carp, *Labeo rohita* (Hamilton). *Bull. Environ. Contam. Toxicol.* 70, 0118–0123 (2003)
 54. Washburn, S.J.; Blum, J.D.; Kurz, A.Y.; Pizzuto, J.E. Spatial and temporal variation in the isotopic composition of mercury in the South River, VA. *Chem. Geol.* 2018, 494, 96–108.
 55. Yildiz, S.; Gürcü, B.; Koca, Y.B.; Koca, S. Histopathological and Genotoxic Effects of Pollution on *Anguilla anguilla* in the Gediz River (Turkey). *J. Anim. Vet. Adv.* 2010, 9, 2890–2899.
 56. Zrnčić, S.; Oraić, D.; Čaleta, M.; Mihaljević, Z.; Zanello, D.; Bilandžić, N. Biomonitoring of heavy metals in fish from Danube River. *Environ. Monit. Assess.* 2013, 185, 1189–1198.

बाल श्रम समस्या एवं समाधान : भारतीय परिपेक्ष्य में

डॉ. विभा शर्मा *

* सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान) एस.आर.के. राज. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजसमन्द (राज.) भारत

प्रस्तावना - बालक समाजरूपी बगिया के खिलते हुए पुष्प एवं राष्ट्र की बहुमूल्य सम्पत्ति है जिस समय में जीवन का निर्माण हो रहा होता है उस समय में बाल श्रमिक के रूप में नियोजन उन बालकों के लिए ही नहीं अपितु सम्पूर्ण समाज एवं राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षतिकारी होता है।


बाल श्रम के बारे में जब भी हम कुछ सुनते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में साईकिल का पंचर बनाने वाला चाय की थडी पर गिलास धोने वाले कूडा बीनने वाले की तस्वीर कौथती है। कल-कारखानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, अखबार और फेरी लगाने वाले एवं खनन उद्योग में काम कर रहे बच्चों को जिन्हें माता-पिता द्वारा रूपयों के लिए गिरवी रखा हो या इन क्षेत्रों में वे मजदूरी या बिना मजदूरी के काम कर रहे हैं को बाल श्रम की श्रेणी में माना गया है। भारतीय समाज जो एक कृषि प्रधान समाज है जहां संताने माता पिता के साथ कृषि एवं घर-गृहस्थी के काम में हाथ बंटते आए हैं उसको भी कई गैर सरकारी वैश्विक संगठनों द्वारा बाल श्रम की श्रेणी में रख दिया जाता है। बाल श्रम की समस्या समाधान एवं चुनौतियों को जानने के लिए श्रम एवं बाल श्रम के इसी महीन अन्तर को जानना एवं समझना आवश्यक है।

वैश्विक राज्यों के संगठन संयुक्त राष्ट्र द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के श्रम करने वालों को बाल श्रम की श्रेणी में माना गया है, वहीं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बाल श्रम की वय 15 वर्ष तय की गई है। भारतीय संविधान में किसी उद्योग, कल कारखाने या किसी कम्पनी में मानसिक या शारीरिक श्रम करने वाले 5-14 वर्ष की उम्र के बच्चे को बाल श्रमिक माना गया है। बाल श्रम की समस्या केवल भारत तक ही सीमित न ही है वरन इसका स्वरूप वैश्विक है जिसके समाधान के लिए अलग-अलग देशों ने कई कदम उठाए हैं। इसी क्रम में भारत में भी बाल श्रम को समाप्त करने के उद्देश्य से बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) कानून 1986 कारखाना अधिनियम 1948, खदान अधिनियम 1952, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, पेंसिल पोर्टल, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2006 जैसे महत्वपूर्ण कानून बनाकर बाल श्रम उन्मूलन की कोशिशें की गई हैं जिनसे बाल श्रम की समस्याओं के समाधान को गति एवं प्रगति मिली है परन्तु भारत जैसे विशाल जनांकिकी एवं भौगोलिक विविधताओं वाले देश में अभी इस दिशा में कई समस्याएं हैं, जिनके समाधान एवं इस ओर आने वाली चुनौतियों से पार पाने के लिए काम करना समय की महत्ती आवश्यकता है।

बाल श्रम के सम्बन्ध में सांख्यिकी - जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 10.1 मिलीयन बाल श्रमिक है जबकि गैर सरकारी संगठनों के आंकड़े

इसे 5 करोड बताते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ की रिपोर्टों के अनुसार कोविड महामारी के प्रभाव से बाल श्रमिकों की संख्या 160 मिलीयन हो गई है।

भारत के राज्यों में बाल श्रम की स्थिति



स्रोत जनगणना 2011

उपर्युक्त आरेख से स्पष्ट है कि राज्यों की दृष्टि से बाल श्रम में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है उसके बाद बिहार एवं राजस्थान में बाल श्रमिक है, झारखण्ड, गुजरात एवं महाराष्ट्र भी बड़ी संख्या में बाल श्रमिक वाले राज्य है।

लोकसभा में नवम्बर 2019 में बाल श्रम के सम्बन्ध में पुछे गए एक अतारांकित प्रश्न पर केन्द्रीय मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा दी गई सूचना में 2018-19 में 4586 निरीक्षण किए गए जिसमें 1325 निरीक्षणों में श्रम कानून उल्लंघन के मामले पाए गए जिनमें से 27 मामलों में अभियोजन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं शून्य मामलों में आर्थिक दण्ड एवं जेल की सजा दी गई। इन समकों से स्पष्ट है कि किस तरह अभियोजन पक्ष की कमजोरी एवं कानून में मौजूद कमियों से आरोपियों को अन्ततः सजा नहीं मिल पायी।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ की रिपोर्टों के अनुसार कोविड महामारी के प्रभाव से बाल श्रमिकों की संख्या 160 मिलीयन हो गई है। किन्तु यहां पर पुनः वहीं स्थिति देखने को मिलती है कि क्या पारिवारिक व्यवसायों में हाथ बंटाना क्या बाल श्रम की श्रेणी में सम्मिलित है एवं गैर सरकारी संगठनों, आई एल ओ व यूनिसेफ के प्रतिवेदनों में बाल श्रम के क्या मानक रखे गए हैं।

भारत में बाल श्रम निषेध कानून - स्वतन्त्रता के पूर्व से ही भारत में बालश्रम के सम्बन्ध में वैश्विक संगठनों के प्रयासों से कानून बनाए गए थे

जो भारतीय कारखाना अधिनियमों में सम्मिलित थे, स्वतन्त्रता के पश्चात भारत में संविधान में प्रावधान कर बालश्रम को निषेध किया गया। जिससे हम अपने आस-पास काम कर रहे कम उम्र के बालकों को बालश्रम के दलदल से बाहर निकालकर उनका खोया हुआ बचपन उन्हें लौटाकर एक बेहतरीन नागरिक बना सके।

1. संविधान का अनुच्छेद 23 किसी भी प्रकार के बलात् श्रम को निषिद्ध करता है।
2. अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को खतरनाक काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
3. संविधान के नीति निदेशक सिद्धान्त का अनुच्छेद 39 बालकों के स्वास्थ्य और उनके शारीरिक विकास के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित करता है।

अनुच्छेद 23 एवं 24 को ध्यान में रखते हुए 1986 में भारत सरकार द्वारा बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) कानून 1986 पारित किया गया जो 14 वर्ष से कम वय के बालकों को जीवन जोखिम में डालने वाले व्यवसायों में काम करने पर रोक लगाता है।

संविधान के नीति निदेशक सिद्धान्तों के क्रम में 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति तैयार की गई जिसका उद्देश्य बाल श्रम पर प्रतिबन्ध एवं विनियमन के द्वारा बाल श्रम को समाप्त करना, बालकों एवं उनके परिवार के लिए कल्याण एवं विकास कार्यक्रम प्रदान करना और कार्यशील बालकों के लिए शिक्षा एवं पुनर्वास को सुनिश्चित करना है।

वर्ष 1988 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना शुरू की गई जिसमें देश के कतिपय बालश्रम आधिक्य वाले जिलों में इस परियोजना के माध्यम से खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बालकों को पुनर्वासित कराया गया।

इसी को आगे बढ़ाते हुए 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। जिसमें अनुच्छेद 21 ए सम्मिलित कर 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। जिसे 2009 में निजी शैक्षणिक संस्थानों में भी विस्तार दिया गया।

2017 में शुरू किए गए पेंसिल पोर्टल के द्वारा बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) कानून 1986 को प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया जिसमें राज्य के सहयोग के साथ ही समाज एवं आम नागरिक का भी सहयोग प्राप्त करना था।

वैश्विक स्तर पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार के लिए जारी आधारभूत सिद्धान्तों में बलात् श्रम के उन्मूलन पर कन्वेंशन, न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन और बाल श्रम के सबसे विकृत रूप पर कन्वेंशन को माना है जिसे भारत द्वारा भी स्वकार किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ष 2002 में बाल श्रम उन्मूलन के लिए 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस घोषित किया गया। 2015 में विश्व के नेताओं द्वारा सतत विकास के लक्ष्य में 2025 तक सभी तरह के बाल श्रम उन्मूलन का लक्ष्य तय किया गया।

बाल श्रम से उत्पन्न समस्याएं – बाल श्रम एक सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय समस्या है जिसके कारण बालक जहां प्रारम्भिक शिक्षा से वंचित हो जाता है वहीं अल्प आयु में जोखिम भरे कल कारखानों प्रतिष्ठानों में काम करने से शारीरिक एवं मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दासता, बच्चों का विक्रय दुर्व्यापार वेश्यावृत्ति एवं पोर्नोग्राफी, बाल यौन शोषण ने


गत दशकों में काफी विस्तार कर लिया है जो बालश्रम का जघन्यतम रूप है। बालवय में कार्य करने से बालक मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर हो जाता है एवं यह तय है कि भविष्य के आदर्श नागरिक की भूमिका वह सही से नहीं निभा सकता है। वहीं मानसिक एवं शारीरिक विकास में कमी से वह राष्ट्र के आर्थिक विकास में भी समुन्नत रूप से सहभागी नहीं रह पाता है जो अन्ततः इस प्रतिस्पर्धी युग में पहले स्वयं को उसके बाद समाज एवं राष्ट्र को पीछे धकेलने वाला सिद्ध होता है। बाल श्रम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक गम्भीर चुनौती पैदा कर रहा है। अनौपचारिक घरेलू व्यवसाय एवं कृषि कार्यों से जहां राष्ट्रीय छवि धूमिल हो रही है वहीं कल कारखानों एवं खनन उद्योगों में बालश्रम से बालकों पर गम्भीर तात्कालिक एवं दीर्घगामी प्रभाव पड़ रहे हैं। बलात् बाल श्रम के साथ ही चार्डल्ड पोर्नोग्राफी, वेश्यावृत्ति आदि से बालकों की तस्करी एवं अंगों की तस्करी ने भी बालश्रम के जघन्यतम स्वरूप को उजागर किया है। तात्कालिक रूप से बालश्रम जोखिम भरा नहीं लग सकता है किन्तु बालकों की शिक्षा स्वास्थ्य एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव दीर्घकालिक रूप से निश्चित ही विनाशकारी होंगे। जिसका परिणाम दुष्चक्रकारी होगा जो गरीबी से शुरू होकर अशिक्षा कौशल विकास का अभाव कम वेतन वाले जीविकापार्जन के साधन, अस्वास्थ्य अल्पायु एवं गरीबी पर समाप्त होगा।

भारत के परिपेक्ष्य में बाल श्रम के कारक – बालश्रम को बढ़ावा देने वाले कारणों में मुख्यतया आय का असमान वितरण, गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी है। बाल श्रमिकों के जीवन के दुष्चक्र में अल्प शिक्षा, कम आय, बड़े परिवार, भूखमरी, काम के लम्बे घंटे, रोजगार की असुरक्षा माता पिता की अज्ञानता ऐसे कई कारक हैं जो बालश्रम के लिए स्थितियां उत्पन्न करते हैं और उन्हें बढ़ावा देते हैं।

भारत में बाल श्रम का विस्तार एवं प्रारूप – बाल श्रम की व्यापकता हर काल एवं युग में देखी गई है फिर चाहे वह राजशाही हो अथवा ब्रिटिश कालीन शासन या फिर स्वतन्त्र भारत बस अन्तर था तो मात्र समाज की मौजूदा आर्थिक सामाजिक संरचना के आधार पर प्रकृति और आयाम में। भारत में बाल श्रम का लगभग 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से आता है एवं बचा खुचा बाल श्रम शहरी कच्ची बस्तियों से आता है। आर्थिक विषमता के इस युग में गरीब जो अत्यधिक दीन-हीन अवस्था में है आज भी इसी मानसिकता पर कायम है कि जितने ज्यादा हाथ होंगे उतने ही ज्यादा अर्थ की पूर्ति का माध्यम होंगे। नतीजतन परिवार में वृद्धि से कुपोषण, अशिक्षा, स्वास्थ्य में कमी एवं जीवन प्रत्याशा में कमी यही दुष्चक्र चलता रहता है और गरीब, गरीब ही बना रहता है। जिससे आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग बाल श्रम को चाहे अनचाहे स्वीकार करने का मजबूर है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के परिवारों द्वारा जैसे गडरिया चरवाहे के परिवार के बालको द्वारा पारिवारिक कार्य के रूप में गडरिया चरवाहे का कार्य करना हो अथवा कुम्हार, लौहार के बालकों द्वारा मिट्टी खोदने से लेकर थापने, कुटने का कार्य हो इसमें बचपन कहीं रीतता हुआ महसूस होता है। यद्यपि ये पारिवारिक एवं पुष्टैनी कार्य है जिनको करने से उसमें कौशल ही पैदा होता है किन्तु सम्पूर्ण बालपन शिक्षा के इतर यदि इन्हीं कार्यों में बीतता है तो कहीं न कहीं बाल श्रम को बढ़ाता हुआ दिखता है जिसे गैर सरकारी संगठन एवं राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं बढ़ा चढ़ा कर राष्ट्रीय छवि को खराब करते हैं। कई बाल श्रमिक खनन, बैटरी मरम्मत, वेल्डिंग आरा मशीनों जैसे खतरनाक उद्योगों एवं परिस्थितियों में काम करते हैं जिनमें काम के दौरान कई बार वे अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं एवं कई बार स्थायी रूप से अपंग भी हो जाते हैं। इस तरह के बाल श्रम

से भावी जीवन पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है एवं अशिक्षा उन्हें भविष्य के लिए भी बेहतर आजीविका के लिए अवसर प्रदान नहीं करता है। बाल श्रमिकों का श्रम के आधार पर वर्गीकरण के सम्बन्ध में जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार 26 प्रतिशत बाल श्रमिक कृषि कार्य से सम्बन्धित है वहीं 32.9 प्रतिशत कृषि मजदूरी से जुड़े है। 5.2 प्रतिशत घरेलु उद्योग से सम्बन्धित है एवं 35.8 प्रतिशत इन सबके अतिरिक्त अन्य कार्यों में बाल श्रमिक के रूप में कार्यरत है।

बाल श्रमिकों का श्रम के आधार पर वर्गीकरण



स्रोत जनगणना 2011

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के परिवारों के बालक विहीत आयु से कम आयु में जोखिम भरे कल कारखानों एवं खनन उद्योगों में कार्य करने को मजबूर है तो यह कहीं न कहीं उस परिवार समाज एवं राज्य की बाल श्रम के प्रति असंवेदनशीलता एवं बाल श्रम उन्मूलन नीतियों की असफलता को प्रकट करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के प्रमुख विकल्प कृषि में पारिवारिक कृषि कार्यों में शिक्षा के साथ बालक परिवार का सहयोग करता है एवं कुछ सीखता है तब तक उचित एवं मान्य प्रतीत होता है किन्तु जीविकोपार्जन के लिए यदि बालवय में व्यावसायिक खेती मसलन कपास बीनने, मुंगफली खोदने, तोड़ने या चाय बागान, बीडी उद्योग आदि कई व्यावसायिक कृषि में रत पाया जाता है जो बालश्रम का विकृत स्वरूप है।

इसी तरह से नगरीय क्षेत्रों में कच्ची बस्तियों के परिवारों द्वारा बालकों को जीविकोपार्जन के लिए घरेलु नौकरों, कूड़ा बीनने, होटलों में सफाई आदि कार्यों के लिए लगाया जाता है जो निश्चित ही बालश्रम का रूप है इसके साथ ही छोटे शहरों में माचिस, पीतल, पटाखा उद्योग, कालीन बनाने आदि कार्यों में भी बालकों को आर्थिक विषमताओं से पार पाने के लिए जाने अनजाने धकेल दिया जाता है। वर्तमान की आधुनिक संचार क्रांति/सोशल मीडिया के बेतहाशा उपयोग ने बालकों को अनजाने ही भौतिकता की ओर खींचकर अर्थोपार्जन के लिए मजबूर किया है और अर्थोपार्जन का जरिया अनायास ही बालश्रम को पैदा कर रहा है।

राजस्थान के मेवाड़ एवं वागड अंचल के ग्रामीण क्षेत्रों (उदयपुर इंगूरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ सिरोंही जिले) से मौसमी प्रवास एक महत्वपूर्ण बालश्रम का उदाहरण है जहां के परिवारों के बालक-बालिकाएं कृषि जन्य मजदूरी के लिए गुजरात मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में प्रवास करते पाए गए है। साक्ष्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का प्रवास प्रतिशत बढ़ रहा है जो बालश्रम की ओर इंगित करता है। बाल श्रम की व्यापकता एवं वृद्धि का महत्वपूर्ण

कारक है गरीबी, पारिवारिक कर्ज, माता-पिता की अशिक्षा, परिवारों का बड़ा होना, बालश्रम का सस्ता होना एवं नियोक्ता की आवश्यकता के अनुरूप होना।

2001 की जनगणना के अनुसार देश में कुल बालकों 25.2 करोड़ में से 1.26 करोड़ बाल श्रमिक थे। 2004-05 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बाल श्रमिकों की संख्या 90.75 लाख थी जो 2011 की जनगणना में घटकर 43.53 लाख रह गई है। जिससे पता चलता है कि सरकार के प्रयासों का वांछित फल मिला है।

बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में सुझाव - बाल श्रम की समस्या देश के सामने एक चुनौती बनी हुई है, सरकार इस समस्या से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है समस्या की भयावहता और सीमा को देखते हुए यह मूल रूप से गरीबी और अशिक्षा से जुड़ी एक सामाजिक आर्थिक समस्या है और इसके समाधान के लिए समाज के सभी वर्गों से ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में कार्य किये जाने हेतु सुझाव के निम्न कतिपय बिन्दु:

1. गरीबी, बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, जीविकोपार्जन के अल्प वेतन, अशिक्षा, स्वास्थ्य में कमी, सभी बाल श्रम के कारक हैं एवं दुष्चक्र की भांति एक दूसरे से चलायमान है। सर्वप्रथम परिवारों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना होगा जिससे वे बच्चों को बालश्रम में धकेलने से बच सके।
2. अब्राहम मेस्लो के आवश्यकता पद सोपान को ध्यान में रखते हुए मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं (रोटी कपडा मकान) की पूर्ति की जावे।
3. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की दिशा में दृढ़तापूर्वक कार्य करते हुए एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन के साथ ही डीबीटी व्यवस्था को मजबूत किया जावे।
4. वयस्कों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जावे एवं न्यूनतम वेतन जैसे मापदण्ड लागू करने होंगे।
5. मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति उपरान्त स्वास्थ्य एवं शिक्षा को भी अगले पदसोपान में चिन्हीत कर सुविधाएं प्रदत्त करनी होगी।
6. अनिवार्य शिक्षा को प्रभावी करते हुए शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए गुणवत्ता एवं रोजगारपरक शिक्षा दी जावे।
7. शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जावे।
8. पेंसिल पोर्टल जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सार्वजनिक जनभागीदारी का दायरा विस्तृत किया जावे।
9. भारत में लगभग 80 प्रतिशत बालश्रम ग्रामीण क्षेत्रों से आता है ऐसे में ग्राम पंचायतें बालश्रम को रोकने में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकती है।
10. बालश्रम कानूनों के उल्लंघन पर सजा त्वरित एवं व्यवहारिक हो मसलन पकड़े गए बालश्रमिकों को उन्हीं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा गोद लेकर आगे की शिक्षा दीक्षा पूरी करायी जाने की जिम्मेदारी दी जावे।
11. वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में सोशल मीडिया प्रचार प्रसार एवं मानसिकता परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, अतः इसके माध्यम से न केवल जनजागरूकता प्रसारित की जा सकती है बल्कि बाल श्रम पाए जाने पर त्वरित कार्यवाही भी की जा सकती है।
12. राज्य द्वारा सामाजिक नागरिक संगठनों, प्रिंट-मीडिया एवं दबाव

- समूहों के माध्यम से भी बाल श्रम पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जागरूकता लायी जाकर प्रभावी भूमिका निभायी जा सकती है।
13. कोविड के बाद के समय में परिवारों के मुखिया अथवा कमाने वाले की असामर्थिक मृत्यु से परिवारों को आर्थिक संकट एवं जीवनयापन की मूलभूत आवश्यकताओं से जुझते एवं बाल श्रम को बढ़ते हुए पाया गया है अतः राज्यों को महामारी एवं आपदाओं की स्थिति में त्वरित कार्यवाही करते हुए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को मजबूत करना चाहिए।
 14. गैर सरकारी संगठनों जैसे कि कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउण्डेशन, चाईल्ड फण्ड तलाश एसोसिएशन बचपन बचाओ आन्दोलन जैसे कई संगठन बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में कार्यरत हैं एवं इनके द्वारा सराहनीय कार्य किए गए हैं किन्तु भारत जैसे विशाल भूभाग वाले देश में सुदूर ग्रामीण एवं वनांचल में ऐसे कतिपय गैर सरकारी संगठन नाकाफी हैं इन्हें सी.एस.आर. के माध्यम से गांव एवं क्षेत्र गोद लेकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी होगी।

निष्कर्ष – यह तो निश्चित है कि बाल श्रम एक सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय समस्या है जिसका निवारण समय पर आवश्यक है अन्यथा हमें पीढ़ियों में इसके नुकसान दिखाई देते रहेंगे। बाल श्रम के सम्बन्ध में जारी कई प्रतिवेदनों, कार्यशालाओं में और पाया कि कानूनी प्रावधानों से बाल श्रम में राहत तो मिली है किन्तु उसे वह सफलताएं नहीं मिल सकी जो अपेक्षित थी। भारत सरकार द्वारा संचालित पेंसिल पोर्टल एवं ऐसे ही कई नवाचारों की आवश्यकता है जिससे जनमानस बाल श्रम उन्मूलन से जुडकर इसे

वास्तविक धरातल पर साकार कर सके।

बाल श्रम न केवल राष्ट्रीय छवि को धुमिल करता है बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में विकसित एवं सम्पन्न राष्ट्र बनने के लिए बाधक भी बनता है अतः हमें येन केन प्रकारेण विकास के मार्ग में आ रही बाधाओं में से एक बाधक तत्व से नई सदी में पार पाना होगा यही सतत विकास का लक्ष्य भी है आखिर ये बालक ही है जो कल के युवा एवं देश के खिचैया है अतः इनकी जड़ों को कमजोर कदापि नहीं रखा जा सकता है। सुरक्षित एवं स्वस्थ बचपन से ही सशक्त भारत का निर्माण सम्भव है। बाल श्रम के जड से उन्मूलन के लिए परिवार, नागरिक समाजिक संगठन, गैर सरकारी संगठन, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं सरकारों को मिल जुल कर प्रतिबद्धता के साथ प्रयास करने होंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Jain, Mahaveer and Sangeeta Saraswat (ed. 2004), Child Labour from Different Perspectives, Delhi: Manak publications.
2. Ipsita Priyadarsini Pattanaik Dr. Sinil Kumar Padhi I.J.R.S.S. Vol. 9 Issue 9, September 2019, ISSN: 2249-2496 Magnitude and Nature of Child Labour in Odisha
3. Census of India 2011
4. www.un.org
5. www.ilo.org
6. https://labour.gov.in/

भगवतधाम् शिवरीनारायण

डॉ. रामरतन साहू * वर्षा सूर्यवंशी **

* सह-प्राध्यापक (इतिहास) सामाजिक विज्ञान विभाग, डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय, करगीरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत
** शोधार्थी (इतिहास) डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय, करगीरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

शोध सारांश - छत्तीसगढ़ के इतिहास में शिवरीनारायण एक ऐसा परिचय है जो विलुप्त होती जा रही हमारी सांस्कृतिक पारम्परिक, धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक चेतना को पुनर्जीवित करता है। प्रमाण हैं कि यह प्रागैतिहासिक सभ्यता के अवशेष अंचल और आसपास के महानदी तट के क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। यहां प्रागैतिहासिक शैलचित्रों की उपस्थिति इसका ठोस प्रमाण है। महानदी के तटवर्ती ग्राम्यांचलों के भित्ति चित्रांकन की लोक परम्परा भी इतिहास के रहस्यों को उजागर करते हैं। यहाँ बिरतिया कहे जाने वाले निषाद-केंवट, धीवर, मछुवारे और शबर जाति के भ्रात भी बहुतायत में रहते हैं जो यहाँ की लोक-कलाकृतियों के ज्ञाता है। वे स्वयं को शबरी का वंशज मानते हैं।

शब्द कुंजी - प्रागैतिहासिक, संस्कारधानी, चित्रोत्पल, शिवरीनारायणग्राम।

प्रस्तावना - शिवरीनारायण को छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। ये सांस्कृतिक तीर्थ चित्रोत्पला गंगा के तट पर क्रमशः महानदी, शिवनाथ एवं जोंक नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। परिचयात्मक स्वरूप में शिवरीनारायण का सुन्दर वर्णन करते हुए पंडित मालिकराम भोगहा श्री शिवरीनारायण माहात्म्य बताते हुए कहते हैं कि -

आठों गण सुर मुनि सदा आश्रय करत सधीरा
जानि नारायण क्षेत्र शुभ चित्रोत्पल नदि तीरा।
देश कलिगहि आइके धर्म रूप थिर पाई।
दरसन परसन वास अरू सुमिरन ते दुख जाई।।

अर्थात् आठों गण, देवता एवं मुनिगण धीरता पूर्वक नारायण क्षेत्र के चित्रोत्पला नदी के तट पर लगातार वास करते हैं। यहां जो स्थिरता पूर्वक निवास तथा दर्शन आदि करते हैं उन के दुःख विनष्ट होते हैं।

पंडित हीराराम त्रिपाठी जी काव्य को पुनः भक्ति की पवित्र मन्दाकिनी में स्नान कराते हुए भक्ति रस धारा की ऐतिहासिकता में सराबोर करते हुए कहते हैं कि -

चित्रउत्पला के निकट श्रीनारायण धाम।
बसत सन्त सज्जन सदा शिवरीनारायणग्राम ॥

सवैया :-

होत सदा हरिनाम उच्चारण रामायण नित गान करै।
अति निर्मल गंगतरंग लखै उर आनंद के अनुराग भरै।
शबरी वरदायक नाथ विलोकत, जन्म अपार के पाप हरै।
जहां जीव चारु बखान बसैं सहजे भवसिंधु अपार तरै।।
इन पंक्तियों में मिश्र जी ने इतिहास को जीवन के तीन कालों से संबद्ध किया है, यह भी तो निरन्तर प्रवाहित होकर गतिशील है, परिवर्तनशील है। यह प्रवाह टुकड़े-टुकड़े नहीं होता और अनन्त और असीम से एकत्व का बोध कराते हुए दृढ़ संकल्पता के साथ प्रवाहित होता हुआ आगे बढ़ता है। चिन्तन मिश्रित अविराम गति से अर्थात् विश्रान्ति न कि विराम के साथ प्रवाहमय है। इसमें मोड़ प्रति मोड़, उतार-चढ़ाव, घेराव-टकराव आते-जाते

रहते हैं जो आवश्यक अंग हैं इस पथ के जो सीधा नहीं इसलिए बीते मोड़, उतार-चढ़ाव से आगे का मार्ग तय होता है, निश्चित होता है, जिसका शक्ति व सामर्थ्य अर्जित करने में ये तत्व सहायक होते हैं।

शिवरीनारायण ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक तीर्थ है।¹ प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण इस विष्णुकांक्षी तीर्थ का संबंध शबरी और नारायण से होने के कारण इसे शबरी नारायण भी कहा जाता है। शिवरीनारायण शैव, वैष्णव धर्मों का प्रमुख केन्द्र रहा है। यह स्थान भगवान जगन्नाथ का मूल स्थान होने के कारण यहां रथयात्रा का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री जगन्नाथ की विग्रह मूर्तियों को यहीं से जगन्नाथपुरी ले जाया गया था। यहां प्राचीन समय से प्रचलित रथयात्रा उत्सव में अन्य राज्यों के साधु-संत और श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। माघी पूर्णिमा को यहां छत्तीसगढ़ का सबसे भव्य पंद्रह दिवसीय मेला भरता है। महाशिवरात्रि के दिन को मेले का समापन होता है।² माघी पूर्णिमा के दिन यहां साधु-संत-महंत शाही स्नान करते हैं। भारतवर्ष प्राण संवाहिका नदियों का देश रहा है, जो कि सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक विकास में प्राचीनकाल से समर्पण रहा है। सिंधु तथा गंगा नदी की घाटियों में ही विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यताओं-सिन्धु घाटी तथा आर्य सभ्यता का आविर्भाव हुआ। इसी परिप्रेक्ष्य में महानदी और छत्तीसगढ़ का अभिन्न सम्बन्ध है। आज भी देश और राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या एवम् कृषि का संकेन्द्रण नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। प्राचीन काल में व्यापारिक एवम् यातायात की सुविधा के कारण देश के अधिकांश नगर नदियों के तटों पर ही विकसित हुए थे³ तथा आज भी देश के लगभग सभी धार्मिक स्थल किसी न किसी नदी से सम्बद्ध रहे हैं।

छत्तीसगढ़ का गुप्तधाम शिवरीनारायण रामावतार चरित्र और याज्ञवल्क्य संहिता में वर्णित है। यह नगर सतयुग में बैकुंठपुर, त्रेतायुग में रामपुर, द्वापरयुग में विष्णुपुरी और नारायणपुर के नाम से अवस्थित था। इतिहास में वर्णित है कि कोरिया जिले के भरतपुर पहुंचकर मवई नदी को पार कर श्रीराम जी ने दण्डकारण्य क्षेत्र में प्रवेश किया था। वे मांड नदी मार्ग

से चंद्रपुर और महानदी मार्ग से शिवरीनारायण पहुंचे थे। यहाँ मतंग ऋषि के आश्रम पर उन्होंने समय व्यतीत किया था। स्कंद पुराण में भी इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। यह महानदी, जोंक और शिवरीनारायण नदियों के संगम स्थल और मैकल पर्वत श्रृंखला की तलहटी पर बसा अप्रतिम, अद्भुत, सात्विक सौंदर्य से परिपूर्ण क्षेत्र है। जिसे 'नारायण क्षेत्र' और 'पुरुषोत्तम क्षेत्र' भी कहा जाता है।

चित्रोत्पला गंगा के तट पर सुशोभित है पवित्र, पुण्यप्रद, मोक्षदायी श्री नारायण धाम जिसे स्कंद पुराण में 'श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र' कहा गया है।⁴ वर्तमान में भी यहां चतुर्भुजी श्रीहरि विष्णु के विभिन्न अवतार स्वरूप, उहारणार्थ शबरीनारायण, केशवनारायण, लक्ष्मीनारायण आदि के दर्शनीय, दिव्य और भव्य श्रीविग्रहों के दर्शन प्राप्त होते हैं।

इस अद्भुत आस्था संगम पर स्थित हैं भगवान श्री शबरीनारायण, उनके चरण प्रक्षालन करता अक्षय कुण्ड रोहिणी, श्री चंद्रचूड़ महादेव, श्रीराम जानकी देवालय, दिव्य ऊर्जा संपन्न मठ, मठ परिसर और वहाँ स्थित पारंपरिक महंतों की समाधियाँ, भगवान श्रीजगन्नाथ-बलभद्र और सुभद्रा, श्रीराम-लक्ष्मण-जानकी मंदिर, शबरी के मधुर फल खाते श्रीराम और अनुज भ्राता श्री लक्ष्मण जी का मंदिर, श्रीकृष्ण वट वृक्ष, गादी चौरा, विभिन्न महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक घाट, माखन साव घाट स्थित देवालय महेश्वरनाथ और शीतला देवी मंदिर, धन-धान्य, सुख-समृद्धि प्रदाता मां अन्नपूर्णा एवम् विभिन्न अनेक अन्यान्य देवालय तथा दैवीय श्रीविग्रह, जोगीडीपा अर्थात् योगियों के डेरे के श्री बजरंगबली हनुमान जी का मंदिर, शिवरीनारायण से दो किलोमीटर के दायरे पर स्थित खरौद का ऐतिहासिक, प्रमाणिक श्री लक्ष्मणेश्वर महादेव का चमत्कारी मंदिर, इंदलदेव मंदिर, सौराइन दाई (शबरी) मंदिर, गिरि गोस्वामियों का शैव मठ इत्यादि, यहां से 11 किलोमीटर की सीमा पर स्थित केरा का सिद्ध शक्तिपीठ माता चण्डी दाई का मंदिर, 11 कि.मी. दूर स्थित मेंहदी में सिद्ध हनुमान मंदिर, 12 कि०मी० की दूरी पर स्थित गुरु घासीदास के गृहग्राम गिरीदपुरी का आध्यात्मिक मन्दिर, यहाँ से 17 कि०मी० के दायरे पर नवागढ़ का शैव पीठ श्री लिंगेश्वर महादेव का शिवालय, प्राकृतिक सुरम्यता पूर्ण नैसर्गिक परिवेश और वातावरण युक्त दर्शनीय आकर्षण का स्थल जोंक नदी और पहाड़ी का क्षेत्र। यहाँ से नारायणपुर और तुरतुरिया का बौद्ध विहार, जैन स्थली, मल्हार आदि भी जाया जा सकता है।⁵ तुरतुरिया के बौद्ध विहार में प्रतिवर्ष पौष पूर्णिमा (छेरछेरा पर्व) के दिन एक दिवसीय मेला भरता है जो आकर्षक और भव्य होता है।

समस्या का वर्णन - शोधकर्ता द्वारा शिवरीनारायण अंचल पर लेखन कार्य के दौरान अनेक समस्या उत्पन्न हुये। जिसका जीवटता के साथ सामना करके समस्या का समाधान करते हुये अपने कार्य को पूर्ण किया। शिवरीनारायण अंचल के वैभवपूर्ण इतिहास, संस्कृति, मूर्तिकला, संग्रहालय, सरोवर, ताम्रपत्र लिपी, सिक्के, भग्नावशेष, मंदिरों, उत्खनन हुये कार्य पर अध्ययन, आदि पर लेखन कार्य पूर्ण कर अंचल की ऐतिहासिकता को प्रकाश

में लाकर धरोहर के रूप में संग्रहित करना चुनौतीपूर्ण कार्य है।

शोध-पत्र का उद्देश्य:

1. अंचल के जन जीवन का विस्तार से जानकारी प्राप्त करना।
2. भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन कर भविष्य के लिये जानकारी एकत्र करना।
3. दक्षिण कोसल के इस क्षेत्र के राजनैतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन करना।
4. अंचल में अवस्थित मंदिरों, प्रतिमाओं, अभिलेखों का वैज्ञानिकता की दृष्टि से अध्ययन करना।
5. अंचल में छिपे विशिष्ट कलाओं को उजागर करना।
6. विभिन्न शासकों द्वारा किए गए, जनकल्याणकारी कार्यों इत्यादि को उनके द्वारा अंकित कराए गए कलाओं के माध्यम से समाज को अवगत कराना।
7. क्षेत्रीय कलाओं को विश्वपटल पर लाकर छत्तीसगढ़ की प्राचीन सभ्यताओं की विशेषता से लोगों को परिचित कराना।

डेटा संग्रह में प्रयुक्त उपकरण - प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत साक्षात्कार, अवलोकन, सर्वेक्षण विधि, पुस्तकें, समाचार पत्र-पत्रिकाएँ जर्नल इत्यादि से तथ्यों का संकलन किया गया है।

द्वितीयक तथ्यों का संकलन - आवश्यकतानुसार समाग्री का संकलन एवं अध्ययन।

तथ्यों का विश्लेषण - आवश्यकतानुसार समाग्री का संकलन एवं अध्ययन।

निष्कर्ष- छत्तीसगढ़ की पावन धरा, माँ शबरी की तपोभूमि शिवरीनारायण धर्म और आस्था का केन्द्र है, जहाँ भगवान नारायण स्वरूप श्रीराम जी का विग्रह के दर्शन करने दूर दूर से भक्तजन आते हैं। यहाँ मोक्षदायिनी चित्रोत्पला का पावन तट भक्तों को मुक्ति दिलाता है। इस प्रकार माँ शबरी का यह नगर तथा मतंग मुनि का आश्रम ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भोगहा, मालिकराम, शिवरीनारायण माहात्म्य, अरपा प्रकाशन, बिलासपुर, पृष्ठ 15, 1988
2. त्रिपाठी, हीराराम शबरीनारायण माहात्म्य, बैभव प्रकाशन रायपुर, पृष्ठ 27, 1997
3. पटेल हरि राम, छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, एच आर पब्लिकेशन पृष्ठ 195, 2018
4. मिश्र रमेन्द्र नाथ, छत्तीसगढ़ का इतिहास दीक्षित ब्रदर्स रायपुर, पृष्ठ 79, 1990,
5. बेहार रामकुमार, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी रायपुर, पृष्ठ 55, 2018

किन्नरों की दयनीय दशा

डॉ. डोमन प्रसाद चन्द्रवंशी*

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शास.जे.एम.पी. महाविद्यालय, तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) भारत

शोध सारांश – किन्नर समाज मानव समाज की उत्पत्ति का अपवाद है। पुरुषों एवं स्त्रियों के बीच की स्थिति में निर्मित यह प्राणी मात्र है। इनका अपना अलग संसार है जो इनके द्वारा समाज की उपेक्षा एवं अपनों के तिरस्कार स्वरूप निर्मित एक अलग दुनिया है। ये अपने को अपनों से अलग नहीं करते अपितु अपने ही इन्हे तिरस्कृत कर घर से ही निकाल देते हैं। फलतः ये किन्नर समाज द्वारा निर्मित प्रथम परम्परा में जाना ही समीचीन समझते हैं। अपनों का व्यवहार एवं समाज की भूमिका ने इनकी दशा और दिशा का दुर्गत किया है।

महेन्द्र भीष्म उपन्यास 'किन्नर कथा' में लिखते हैं कि 'लिंगोच्छेदन कर बनाए गए हिजड़ों की 'छिबरा' और नकली हिजड़ा बने मर्दों को 'अबुआ' कहते हैं हिजड़ों की चार शाखाएँ होती हैं-बुचरा नीलिमा, मनुसा और हंसा। बुचरा जन्मजात हिजड़ा होते हैं, नीलिमा स्वयं बने, मनसा स्वेच्छा से शामिल तथा हंसा शारीरिक कमी के कारण बने हिजड़े हैं।'

किन्नरों की दशा एवं दिशा – परिवार एवं समाज की उपेक्षा के कारण इनकी दशा दयनीय एवं सोचनीय है। ये मांगलिक अवसर पर नृत्य-गान करके एवं सार्वजनिक स्थलों पर भिक्षावृत्ति से जीविकोपार्जन चला रहे हैं। इन्हें देखकर आमजन एक कटु मुस्कुराहट देकर इनकी पीड़ा में आग में घी डालने का काम करते हैं। सामाजिक भेद भाव के कारण ही ये हमसे पृथक रहने को मजबूर हो जाते हैं। इनकी दयनीय दशा पर विचार करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने 15 अप्रैल 2014 को एक ऐतिहासिक फैसला दिया इन्हे समाज में तृतीय लिंग का दर्जा दिया गया है। समाज में इनका स्थान तय किया गया। शिक्षा का अधिकार अनिनियम 2009 के अंतर्गत ये भी निःशुल्क शिक्षा के अधिकारी बन गये संसद ने सन् 2016 में किन्नरों के अधिकारों के संरक्षण हेतु 'ट्रांसजेंडर पर्सन बिल' को मंजूरी दी है।

किन्नर समुदाय तिलतिल करते हुए कैसे जीवन संघर्ष करते हैं उसका सप्रमाण उदा. नीरजा माधव कृत 'यमदीप' है। साहित्य में किन्नर विमर्श पर आधारित यमदीप के अलावा तीसरी ताली, किन्नर कथा, गुलाम मंडी, पोस्टर बाक्स नं. 203 नाला सोपारा प्रमुख उपन्यास हैं।

चित्रा मुद्गल पोस्टर बाँक्स नं. 203 नाला सोपारा में किन्नरों की दयनीयता का वर्णन करते हुए लिखती हैं, 'जननांग विकलांगता बहुत बड़ा दोष है लेकिन इनता बड़ा भी नहीं कि तुम मान लो कि तुम धड़ की मात्र वही निचला हिस्सा भर हो। तुम्हारे हाथ-पैर नहीं हैं, सब वैसा ही है जैसे औरों के हैं। यौन सुख लेने-देने से वंचित हो तुम, वात्सल्य सुख से नहीं।' तृतीय लिंग वर्ग सदियों से एक पीड़ा लिए समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज करते आ रहे हैं। यदा-कदा उनकी उपयोगिता पुल्लिंग और स्त्रीलिंग धारकों से उत्कृष्ट है किन्तु सम्मान शून्य है। कन्या भ्रूण हत्या का तो कानूनी दण्ड प्रावधान है किन्तु जननांग दोष से उत्पन्न बच्चों का परित्याग करने को कही भी कोई समाजिक या कानूनी दण्ड देय नहीं है। चित्रा मुद्गल पोस्टर बाँक्स 203 में नाला सोपारा में लिखती हैं, 'कन्या भ्रूण हत्या के दोषी माता-

पिता अपराधी हैं। उससे कम दंडनीय अपराध नहीं जननांग दोषी बच्चों को त्यागा।'

हिजड़ा होना अपने आप ही भारी पीड़ा दायक अभिशाप है, इससे अधिक अपने परिवार द्वारा बार-बार अपमानित किया जाना ज्यादा ही कष्टकर है। महेन्द्र भीष्म 'किन्नर कथा' में इसी स्थिति का वर्णन करते हुए लिखते हैं, 'प्रत्येक किन्नर अभिशाप है, अपने परिवार के बिछुड़ने के दंश से। समाज का पहला धात यहीं से शुरू होता है। अपने ही परिवार से अपने ही लोगों द्वारा उसे अपनों से दूर किया जाता है। परिवार से विस्थापन का दंश सर्व प्रथम उन्हें ही भुगतना पड़ता है।'

'गुलाम मंडी' में लेखिका निर्मला भुराड़िया किन्नरों के प्रति समाज के तिरस्कार से जुड़े कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है, किन्नर खुद अपनी व्यथा कहते हैं, 'हम ना, तुम्हारे जो शादी-ब्याह हो तो नाचेंगी-गाएँगी, शगुन पाएँगी मगर यूँ जो रास्ते में आ पड़े ना हम, तो हिजड़ा कहकर धिक्कारोगी।'

शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार तो है किन्तु जेंडर की स्पष्टता न होने के कारण तृतीय लिंग को स्कूल में दाखिला लेने से कठिनाई होती है, तीसरी ताली उपन्यास की मंजू स्पष्ट कहती है 'हिजड़े के बच्चे को कौन दाखिला देगा स्कूल में?' इस प्रकार लेखिका ने शैक्षणिक व्यवस्था पर किन्नरों की दायनीयता का प्रश्न उठाया है।

उपसंहार – किन्नर समुदाय जो संवेदना के पात्र हैं उन्हे यह समाज आज भी हाशिये में रखते हुए उपहास और तिरस्कार दे रहा है। यह वर्ग अपने लिए आवाज उठा तो रहा है किन्तु इनकी आवाज की यह कोशिश नकार खाने में तूती आवाज सिद्ध हो रही है किन्तु साहित्य जगत ने इनकी आवाज को समाज तक पहुँचाने का जो बीड़ा उठाया है वह सचमुच डूबते के लिए तिनके का सहारा बन गया है। साहित्य के माध्यम से समाज इस वर्ग को जानने लगा है इनके दुख, इनकी पीड़ा को समझने का यत्न हो रहा है।

अकेलेपन और जेंडर के अलावा बीच समाज में जीवन जीने की ललक तृतीय लिंग के संघर्ष को उजागर करता है। ये जीविकोपार्जन हेतु नृत्य, नाटक, भिक्षावृत्ति वेश्यावृत्ति जैसे राह पर चल पड़ते हैं इनके पीछे भी इनकी मजबूरी और समाज का अनदेखा पहलू है। हम इनसे सामाजिक दूरी बनाए तो ये क्या करेंगे? आखिर इन्हे भी तो जीना है? जिसके लिए राह भटक जाते हैं, इन्हे सही मार्ग पर लाना हम सबका नैतिक जिम्मेदारी है। यदि किन्नर समाज गलत राह पर जा रहा है तो सही मार्ग पर लाने का दायित्व समूचे सभ्य समाज का है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. किन्नर कथा महेन्द्रभीष्म, अमन प्रकाशन 2011
2. यमदीप :- नीरजा माधव, सामयिक पेपर बैक : संस्करण 2021
3. तीसरी ताली : लेखक प्रदीप सौरभ : प्रकाशक वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2011 पृष्ठ -31
4. पोस्ट बॉक्स नं. 203 नालासोपारा, चित्रा मुद्गल सामाजिक प्रकाशन नई दिल्ली 2016
5. गुलाम मंडी, निर्मला भुराडिया प्रकाशक सामयिक प्रकाशन दरियागंज, नई दिल्ली
6. इंटरनेट।

महात्मा गांधी का नैतिक दर्शन

राजेश कुमार पालीवाल*

* सहायक आचार्य (इतिहास) (विद्यासम्बल योजना) श्री द्वारिकाधीश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजसमन्द (राज.) भारत

शोध सारांश – गांधी कोई नाम नहीं विचारधारा है। इस विचार धारा को आगे बढ़ाने का कार्य पोरबन्दर गुजरात में जन्में मोहनदास ने किया उन्होंने न केवल भारत बल्कि सम्पूर्ण विश्व में अपनी विचार धारा को प्रस्तुत किया। उनकी विचारधारा में नैतिकता अपृश्यता तथा रंगभेद नीति प्रमुख थी। परन्तु उनका नैतिक दर्शन अत्यन्त व्यापक है। उन्होंने सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किये इनके विचार मानसिक या बौद्धिक स्तर तक ही सीमित नहीं अपितु उन्होंने अपने विचारों को जीने का प्रयास किया उनका नैतिक दर्शन गांधीवादी कहलाता है।

शब्द कुंजी – सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय न्यासधारिता, साधन पवित्रता।

प्रस्तावना – महात्मा गांधी ने अपने जीवन की शुरुआत बड़े कड़े अनुभव से की थी। जब वह अपनी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम बार व्यवसाय तथा नौकरी करने अक्रीका गये तब उनके साथ 'मेरिट्सबर्ग' में उनको ट्रेन से धक्का देकर उतार दिया गया था।

मेरिट्स बर्ग बाण्ड ने गांधी जी जीवन यात्रा को एक नई दिशा प्रदान की। वहां से उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग के बारे में विचार करने लग गये। और मानव कल्याण की विचारधारा का उदय हुआ। मानव कल्याण ही उनका नैतिक दर्शन था।

शोध विधि – प्रस्तुत शोध पत्र ऐतिहासिक एवं वर्णनात्मक दृष्टि पर आधारित है। शोध सामग्री की प्रमुख पुस्तकों से संकलित किया गया है। यह शोध पत्र द्वितीय आंकड़ों पर आधारित है।

शोध के उद्देश्य: प्रस्तुत शोध पत्र के निम्न उद्देश्य हैं :

1. गांधीजी के दार्शनिक विचारों को आगे बढ़ाना।
2. उनके विचारों (दर्शन के) जन मानस के जीवन में उतारना।
3. प्रत्येक व्यक्ति को उनके विचारों के अनुरूप आचरण करना।

महात्मा गांधी का नैतिक दर्शन

1. **अहिंसा** – इनकी नैतिक अवधारणा में अहिंसा का विशेष महत्व है। इस विचार पर या अहिंसा सम्बन्धित विचारों पर जैन, बौद्ध, ईसाई आदि धर्मों का प्रभाव दिखाई देता है। इनके इस विचार टॉलस्टॉय के नैतिक दर्शन का गांधी के दर्शन पर प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने अहिंसा का दो अर्थों में प्रयोग किया। (1) सकारात्मक (2) नकारात्मक। उन्होंने कायरता को हिंसा से भी बुरा कहा। कायरता व अहिंसा एक साथ ही नहीं चल सकती है। उनके अनुसार कि व्यक्ति को मन कर्म और किसी प्रकार से दुःखही नहीं करना ही अहिंसा है। किसी व्यक्ति के प्रति निर्दयता क्रूरता आदि नहीं करना ही अहिंसा है। उनके अनुसार अहिंसा वीरों का आभूषण है।

गांधी दर्शन के अनुसार प्राणी के प्रति सद्ब्यवहार और उसके प्रति प्रेम ही अहिंसा है। प्रत्येक जीव चाहे व छोटा हो या बड़ा हो उसके प्रति दया रखना अहिंसा की भावना है।

परन्तु उनके विचार में अन्याय को सहन करना अहिंसा नहीं दूर्बलता

अन्याय के खिलाफ हिंसा को उन्होंने स्वीकार नहीं किया परन्तु इसका उन्होंने विरोध भी नहीं किया।

2. **सत्य** – यह गांधी जी के दर्शन का परम मूल्य है। उनका सम्पूर्ण दर्शन सत्य की धारणा पर आधारित है। मुदता तथा अविनम्रता को वाणी द्वारा व्यक्त करना सत्य का आधार है। जो तथ्य जिस रूप में देखा सुना अथवा समझा जाये उन्हें बिना किसी स्वार्थ के लिए परिवर्तन कर मन वचन तथा कर्म उक्त तीनों ही स्तरों पर ठीक उसी रूप में व्यक्त करना सत्य है। सत्य का केवल सैद्धान्तिक रूप में स्वीकार नहीं होता अपितु व्यवहारिक रूप में दिखाई देना चाहिए। उनके अनुसार 'ईश्वर सत्य है' यह परिमार्जित तथा परिष्कृत रूप है। सत्य का क्षेत्र ईश्वर से अधिक व्यापक है। सत्य वह मूल्य है जो सदाचार से सम्बन्धित है। यह सदाचार का प्रतीक है। इनके विचारोनुसार 'सत्य ही ईश्वर है तथा ईश्वर ही सत्य है जो सर्वत्र विद्यमान है।' सत्य का पालन राजनैतिक धार्मिक सामाजिक तथा व्यक्तिगत सभी स्तरों पर समान रूप से होना चाहिए।

3. **सत्याग्रह** – इसकी अवधारणा 'सरमन ऑफ द माउण्ट' से प्राप्त हुई है। सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है। सत्य तथा आग्रह अर्थात् जो सत्य है उस पर जीवन पर्यन्त दृढ़ रहना तथा उसके लिए आग्रह करना। सत्याग्रह गांधी जी के अनुसार – 'अहिंसा में अभेद निष्ठा रखने वाले व्यक्ति का सत्य के प्रति आग्रह सत्याग्रह सत्य की रक्षा करना है। किन्तु विरोधी को कष्ट पहुंचाकर नहीं, अपितु स्वयं कष्ट सहनकर। इनके अनुसार यह आध्यात्मिक शक्ति है। इससे अत्याचारी का मन परिवर्तन किया जा सकता है।'

सत्याग्रही के लक्षण – (1) धैर्यवान (2) विनम्र (3) निर्भिक (4) मन वचन तथा कर्म में एकरूपता (5) मृदुभाषी एवं अल्पभावी (6) ईमानदार (7) आत्मसंयमी तथा अनुशासित (8) ईश्वर के प्रति आस्थावान सत्याग्रही की प्रकार।

(1) **असहयोग** – सत्याग्रही द्वारा असत्य अवैध अनैतिक या अहितकर कानूनों तथा नियमों का सहयोग न करना।

(2) **हड़ताल** – कुछ समय के लिए व्यक्ति द्वारा अपने स्वधर्म का पालन न

करना अन्यायपूर्ण तथा अनैतिक कानूनों के विरुद्ध प्रतिकारात्मक प्रतिरोध प्रदर्शित करना।

(3) हिजरत - सत्याग्रही को अत्याचार के स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए।

(4) सविनय अवज्ञा - अनैतिक या अन्यायपूर्ण नियमों का उल्लंघन करना।

उपवास - सत्याग्रही स्वयं आत्मशुद्धि के साथ-साथ विरोधी की आत्मशुद्धि करने का प्रयास करता है।

सर्वोदय - सर्वोदय की भावना हमें सर्वप्रथम भारतीय वैदिक साहित्य के उपनिषदों में दिखाई देती है।

'सर्वभवन्तु सुखिन'

सर्व+उदय अर्थात् सभी की उन्नति तथा कल्याण सभी का सर्वपक्षीय तथा सर्वांगीण विकास ही सर्वोदय है। गांधीजी के नैतिक दर्शन में आदर्श समाज का उद्देश्य सर्वोदय है। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित या कल्याण ही सर्वोदय है।

गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा ब्रिटिश दार्शनिक रास्किन की प्रसिद्ध पुस्तक 'यन्दजव जीम स्ववज' से प्रभावित होकर लिखी हैं इनके अनुसार सत्ता का विकेन्द्रीकरण ही सर्वोदय है। वर्गविहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना करना।

न्यास धारिता - यह दर्शन गांधीजी के आर्थिक दर्शन से सम्बन्धित है। उन्होंने ऐसे समाज की कल्पना कि जिसमें धनी-निर्धन, ऊँ-नीच का भेद नहीं हो। सभी व्यक्ति पूर्ण रूपेण विकसित हो।

'वह आर्थिक विचार धारा जिसके अनुसार पुंजीपति समाज की धरोहर रूपी पुंजी का संरक्षण करे तथा उसका प्रयोग समाज के हितार्थ करें। यह पुंजवादी तथा समाजवादी के मध्य की अवस्था है। गांधीजी के न्यासधारिता के अनुसार कोई भी व्यक्ति पुंजी या सम्पति लेकर पैदा नहीं हुआ। उसने सम्पूर्ण सम्पति प्रकृति से अर्जित की है। इसलिए सम्पति का वास्तविक स्वामी समाज या ईश्वर है। अतः संरक्षक की भांति उस पुंजी की रक्षा करे तथा उसमें निरन्तर संवर्द्धन करेंगे साथ ही उसे अपने हित में प्रयुक्त ना करके

लोक कल्याण तथा समाज के कल्याण के लिए काम में लेंगे। इस प्रकार इस आर्थिक व्यवस्था में पुंजी की उत्पादकता भी बनी रहेगी तथा शोषण न होने के कारण आर्थिक समानता भी क्रमशः दूर हो जायेगी।

रामराज्य - गांधीजी के अनुसार ऐसा राज्य जहाँ पर नैतिकता पर आधारित जनता का शासन हो तथा प्रत्येक व्यक्ति सर्वोदय को आधार बना कर अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करता हो यह समाज पूर्णतः अहिंसा शान्ति तथा प्रेम पर आधारित हो। इसकी कल्पना गांधी जी द्वारा 'हिन्दी स्वराज' पुस्तक में की गई। प्रत्येक व्यक्ति अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करता है तो इसकी कल्पना की जा सकती है। इसमें सत्ता का विकेन्द्रीकरण मूल आधार है। गांधी जी के अनुसार राम राज्य साधन है। जिससे व्यक्ति अपने नैतिक और आध्यात्मिक विकास कर सके।

सर्वधर्म - जब व्यक्ति अपने धर्म के साथ-साथ दूसरों के धर्मों का भी सम्मान करता है। तब विभिन्न धर्मों के मध्य सामंजस्य तथा सौहार्द स्थापित होता है। यह विचारधारा सत्य अहिंसा प्रेम मानवता आधारित सर्वधर्म समभाव कहलाती है।

बुनियादी शिक्षा - गांधीजी के अनुसार इस शिक्षा पद्धति और पाठ्यक्रम को इस रूप में निर्धारित और संचालित किया जावे जो विद्यार्थियों के हृदय बुद्धि तथा शरीर को शुद्ध करें।

निष्कर्ष - गांधीजी के नैतिक दर्शन में सम्पूर्ण समाज का विकास हो तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति निम्नतर से लेकर उच्चतर का विकास होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति में कोई भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए। जिससे समाज एवं सम्पूर्ण देश का निर्माण हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अहिंसा के प्रथम चरण (1910) - महात्मा गांधी, ई-पुस्तकालय।
2. सत्य के मेरे प्रयोग - महात्मा गांधी, ई-पुस्तकालय।
3. गांधीजी एवं सत्याग्रह - विकीपीडिया।
4. सर्वोदय - महात्मा गांधी, ई-पुस्तकालय।
5. गांधीजी के दर्शन - विकीपीडिया।

An Overview of Secularism and Religious Freedom in India

Dinesh Chaudhary* Dr. Rekha Mali**

*Research Scholar (Social Science) Pacific Academy of Higher Education and Research University, Udaipur (Raj.) INDIA

** Associate Professor (Social Science) Pacific Academy of Higher Education and Research University, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract : Secularism, understood in the western sense, is the rigorous separation of church and state. The situation in India is very different from that in the West in that religion plays a major part in people's personal life. There is no distinction made between any faith and others in India. In India, discrimination based on religion is illegal and religious freedom is a basic right. In addition to the religious freedom guaranteed by the Indian constitution, this study attempts to examine several conceptions of secularism in India. Moreover, it provides an overview of the significance of both secularism and religious freedom in India. Our country's founding fathers ensured religious freedom as a basic right in the Indian constitution. The Indian constitution is well-equipped with a secular character, prohibiting discrimination based on religion, even though it did not contain any secular words when it was adopted. Furthermore, Nehru and Gandhi's concepts of Dharm Nirpekshata and Sarva Dharma Sambhava, respectively, have been a route towards realizing and comprehending the ideas of secularism in India. Various scholars have offered differing perspectives on the type of secularism that would be appropriate in the Indian setting. As a result, this essay emphasizes and provides a summary of religious freedom and secularism in the Indian setting.

Keywords: India, ethnic conflicts, religious conflicts, communal harmony, identity politics, economic disparities, conflict resolution, national unity, diversity, interfaith dialogue.

Introduction - India has always been a multicultural melting pot due to its diverse range of cultures, languages, and faiths. But this variety has also caused friction, which has resulted in a number of clashes between different ethnic and religious groups (Kofi, 2021). With an emphasis on the origins, effects on society, and historical evolution of these wars, this article seeks to offer a thorough examination of them. India, a country well-known for its diverse range of cultures, languages, and faiths, provides evidence of how well variety can coexist. However, underneath this beautiful tapestry is a past tainted by religious and ethnic tensions that have occasionally threatened to tear apart the country's fundamental fabric. The present research essay undertakes a thorough investigation of these disputes, revealing the complex dynamics that underlie their genesis, continuation, and influence on Indian society (Kazmi, 2023). The partition of British India in 1947 and the brushstrokes of colonial authority are visible on the canvas of India's past; these events carved out sharp religious divisions. The aftermath of this division, which was marked by millions of people migrating and the establishment of Pakistan and India (Rajan & Kumar, 2020), prepared the ground for more conflicts stemming from religious identity. Studying the past

reveals how these early earthquakes continue to influence tensions now, emphasizing how important it is to comprehend the historical roots of India's ethnic and religious conflicts. Sociopolitical intricacies are at the core of many conflicts, amplifying already-existing differences and creating new ones. The emergence of identity politics, driven by rivalry for resources and electoral dynamics, has created an environment that is conducive to manipulating public opinion. Ethnic and religious affinities are being used as political weapons in a climate created by the discourse of difference and the falsification of historical accounts (Maoz & Henderson, 2020). Given this, it is critical to analyze the socio-political processes that intensify conflict and obstruct efforts to promote national unity. The shadow of economic inequality, a powerful instigator of discontent, covers the edges of these confrontations. Ethnic and religious identities are intricately intertwined with economic inequities and unequal access to healthcare, education, and opportunities. This junction feeds the flames of strife by adding to the feeling of unfairness and exclusion. Upon scrutinizing these economic fault lines in detail, it becomes evident how crucial fair development is to promoting social peace (Bulajic, 2023). We traverse the tumultuous seas of India's historical

conflicts by closely examining notable case studies, such as the demolition of the Babri Masjid and the Gujarat riots. These case studies provide a prism through which to examine each conflict's actors, outcomes, and underlying reasons. By examining the connections between these occurrences, we can uncover important information about the processes that lead to conflict escalation. But these confrontations have effects that go beyond the short-term instability they cause. They erode the fundamental pillars that support the structure of a prosperous society, casting a lengthy shadow over the monument of national unity. Community violence leaves profound wounds that erode trust and collaboration amongst various populations (Yoder, 2020). We are compelled to look for comprehensive solutions that heal the divisions and open the door for an inclusive and unified India as we consider how these disputes will affect the course of the country. The media, education, and civil society play a crucial role in providing optimism in the face of these obstacles (Natil, 2022). The goal of concord is greatly aided by initiatives that support interfaith communication, dispel prejudices, and increase understanding. A model for constructing bridges over problematic waterways may be found in grassroots initiatives that unite disparate communities and allow them to work together and coexist. We set out on a voyage of reflection and investigation as we negotiate the maze of ethnic and religious strife in India. Through a comprehensive analysis of historical legacies, socio-political dynamics, and economic underpinnings, this essay aims to elucidate the intricacies that characterize India's trajectory towards a future that is both peaceful and inclusive (Natil, 2022).

India is described as a secular, democratic, socialist nation that upholds equality and human dignity in the preamble of the Indian Constitution (Palathinadiyil, 2020). Even though most people in India are Hindu, the country was not religiously affiliated. Additionally, theocratic republics such as Islamic Pakistan on the east and west, Hindu Nepal in the north, and Buddhist Sri Lanka in the south surrounded the country. Regarding the preservation of religious plurality, the Indian Constitution's founders were extremely clear. India has no official state religion, despite the fact that the word "secular" was not used once in the original constitution (Srivastava, 2022). India provides equal freedom to all religions and respects them all. The founders of the Constitution envisioned a multi-cultural society with religious pluralism that went beyond simple tolerance to include the peaceful coexistence of all religions as well as the freedom of religion as a basic right (Singh & Saxena, 2021).

India is a fascinating mosaic of variety, an old continent where many different cultures, languages, and beliefs coexist (Babb, 2020). However, underneath this colorful tapestry, there is a continuous undercurrent of religious and ethnic tensions that has occasionally endangered the

nation's unity. This academic paper takes readers on a fascinating journey into the core of these disputes, revealing the many threads that together create this complicated web of strife within the Indian setting. India's history is laced with periods of extreme change and turmoil, leaving behind lingering shadows that influence the nature of modern conflicts. Colonialism's aftereffects and the seismic partition events of 1947 continue to resonate, leaving an enduring mark of communal conflicts on the national psyche (Vinod, 2023).

One of the first foreign religions to reach India was Judaism. Despite being a minority in India, Jews did not face any anti-Semitic incidents from the majority population. Thomas the Apostle brought Christianity, the third most popular religion in India, to the country when he traveled to Kerala in 52 AD. There is a widespread assumption that Christianity originated in India around the sixth century AD, yet the exact origins of Christianity in India are still unknown.

The nation's pre-existing religious plurality and diversity suffered greatly under British control. They used communal politics and a "divide and rule" strategy, which finally resulted in the establishment of a separate country for Muslims (Khan et al., 2022). Despite the creation of Pakistan, many Muslims chose to stay in India and acknowledged it as their motherland. The writers of the Constitution chose a secular state over a theocratic Hindu state to respect the religious plurality of the nation. The liberal-democratic state established by the constitution is challenged by the society's ingrained medieval institutions and customs, which undermine the upholding of human rights.

The freedom of religion is guaranteed by the Indian constitution and largely characterizes Indian secularism (Modood & Sealy, 2021). The Indian constitution addresses religious freedom in two ways: directly and indirectly. Articles 15 and 16 implicitly guarantee religious freedom. The state is declared to be neutral toward any one religion or any belief by virtue of the two Articles, which address the rights to equality and nondiscrimination. Articles 25, 26, 27, and 28 specifically address everyone's right to practice their own or group religion. An individual is entitled to the freedom of religion because of concern for his or her "liberty" and "well-being." The person comes before and above religion, as well as the values of tolerance and equality. It is possible that this is the reason why Article 25 and other constraints on this freedom are the most heavily weighted.

Thinkers with sober minds drafted the Constitution. They established the groundwork for a liberal democratic state in the future. The constitution's several articles explicitly address the essence of religious freedom, encompassing both its societal and personal dimensions. The constitution guarantees religious freedom in a constructive and favorable manner. Although it has certain fair limitations to make it practical and realistic, it is not absolute.

The majority of Indians are ignorant about the precise nature of their constitutionally protected freedom of religion, as well as the legitimate limitations placed on that freedom (Henrico, 2023). It is a significant determinant of public space and life as well as a role in social connections. Since there is no wall between the public and private spheres, religion serves as one of the organizing principles for social, political, and personal institutions as well as individual lives. It establishes relationships both inside and across communities, and unfortunately, religion as an institution has done more to undermine or impede the realization of human rights in India (Marshall, 2022).

The first Prime Minister of India, Pandit Nehru, had believed that as education and development increased, religion's position and influence in public life would naturally decline. Sadly, vote-bank politics led to community politics and the politicization of religion, so that did not occur.

Result and Discussion - The study explores ethnic and religious conflicts in India, revealing their historical, socio-political, and economic roots. It highlights the impact of colonial rule, partition of British India, identity politics, electoral considerations, and communal rhetoric on conflict. Economic disparities, limited access to education and healthcare, and systemic marginalization contribute to conflict escalation. Case studies like the Babri Masjid demolition and Gujarat riots show how religious and ethnic tensions can be manipulated by political actors, media, and social dynamics. The study emphasizes the importance of leadership and responsible media in mitigating or exacerbating conflicts (Marshall, 2022).

The study highlights the complex relationship between ethnic and religious conflicts in India, emphasizing the need for a comprehensive approach that acknowledges the country's cultural diversity and historical sensitivities. It suggests that a long-term vision, involving political leaders, civil society, and citizens, is crucial for fostering harmony. The study also highlights the role of economic development in mitigating conflicts, highlighting the need for targeted policies, inclusive growth, and job creation. Education can also play a crucial role in conflict prevention, promoting tolerance and empathy. The study concludes that overcoming resistance from vested interests, countering misinformation, and managing competing narratives can lead to a more harmonious future in India.

The discussion emphasizes the importance of collaboration among stakeholders, including government, civil society, religious leaders, media, and citizens, to resolve ethnic and religious conflicts in India (Kapoor et al., 2022). It suggests a vision of a unified India, embracing pluralism, acknowledging historical truths, and promoting interfaith dialogue. By recognizing challenges and learning from global experiences, India can foster a transformative journey towards peacebuilding.

Conclusion - The study of ethnic and religious conflicts in India reveals a complex tapestry influenced by historical

legacies, socio-political dynamics, economic disparities, and cultural diversity. These conflicts have a profound impact on social cohesion, economic progress, and India's global standing. Acknowledging and addressing historical wounds is crucial for healing and reconciliation. Socio-political factors, such as identity politics and manipulation of communal sentiments for electoral gains, have exacerbated divisions. However, responsible leadership, unbiased media, and informed citizenry can guide the nation towards unity. Economic disparities and unequal access to resources and opportunities are catalysts for conflict, necessitating equitable development and investment in education and healthcare. In-depth case studies highlight the importance of fostering tolerance, respect, and understanding among communities. The implications of these conflicts for national unity are far-reaching, affecting social cohesion, economic progress, and India's global standing. Conflict resolution strategies, including inclusive governance, interfaith dialogue, responsible media, education reform, and youth engagement, have emerged as key pathways to healing the past and forging a shared future. The journey towards unity requires sustained commitment, introspection, and a willingness to transcend differences in pursuit of a shared vision.

References:-

1. Babb, L. A. (2020). *Religion in India: Past and Present*. Liverpool University Press.
2. Bulajic, M. (2023). *Principles of international development law: progressive development of the principles of international law relating to the new international economic order* (Vol. 38). BRILL.
3. Henrico, R. (2023). The essential religious practices test used by the judiciary in India: restricting or advancing the constitutional protection of religious freedom? *Journal of South African Law*, 2023(1).
4. Kapoor, V., Flavin, W., Ochs, P., Matyók, T., & Fahim, E. (2022). Community Policing Solutions for Religion-on-Religion Conflict: Lessons from an Indian Case Study. *World*, 3(4), 840–857.
5. Kazmi, A. (2023). *Historiography Of Exclusion: Tracing The Impact Of Colonial Rule On Muslim Marginalization In British India*.
6. Khan, N. A., Ambreen, M., & Rasheed, B. (2022). Muslims Of Indian Subcontinent Struggle For Freedom On The Basis Of Culture Differences: An Analyze. *International Research Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(1), 1–15.
7. Kofi, U. A. (2021). Religion and Federal Practices in Multicultural Societies: A Comparative Analysis of Nigeria and India. *International Journal of Social Sciences*, 14(1).
8. Maoz, Z., & Henderson, E. A. (2020). *Scriptures, shrines, scapegoats, and world politics: Religious sources of conflict and cooperation in the modern era*.

- University of Michigan Press.
9. Marshall, K. (2022). *Freedom of Religion or Belief in International Relations: Basic Principles, Nagging Debates*. JSTOR.
 10. Modood, T., & Sealy, T. (2021). Freedom of religion and the accommodation of religious diversity: Multiculturalising secularism. *Religions*, 12(10), 868.
 11. Natil, I. (2022). *New leadership of civil society organisations: community development and engagement*. Taylor & Francis.
 12. Palathinadiyil, A. M. (2020). Human Dignity In Indian Democracy: Already Or Not Yet? *Asian Horizons*, 14(4), 927–940.
 13. Rajan, S. I., & Kumar, P. (2020). Historical overview of international migration. In *India Migration Report 2010* (pp. 1–29). Routledge India.
 14. Singh, M. P., & Saxena, R. (2021). *Indian politics: Constitutional foundations and institutional functioning*. PHI Learning Pvt. Ltd.
 15. Srivastava, V. (2022). Constitutional Protection of Religious Practice vis a vis Reformatory Secularism: Analytical Study. *Issue 4 Indian JL & Legal Rsch.*, 4, 1.
 16. Vinod, R. (2023). *Modernity in India: Issues, Perspectives and Challenges*.
 17. Yoder, C. (2020). *The Little Book of Trauma Healing: Revised & Updated: When Violence Strikes and Community Security Is Threatened*. Simon and Schuster.

Functionalism and Psychological Analysis in Understanding Superstitious Beliefs, A Part of Nepalese Culture

Dr. Poonam R L Rana*

*Associate Professor, Central Dept. of Nepalese history Culture & Archaeology, Tribhuvan University, Kathmandu, NEPAL

Abstract : Despite the advancement of science, technological advancements, and modernization, superstitious beliefs continue to be prevalent in contemporary culture. This paper explores the oriental beliefs related to rain and droughts and identifies other beliefs and analyze it from Functionalism and Psychological approach. The methodology is qualitative approach based on exploration, analysis and narration. It was found that there exist innumerable beliefs related to rain and drought and other beliefs in Nepal. Functionalist analyze it saying if beliefs are functional they maintain social solidarity and value-consensus and Psychological approach claim that beliefs provides strength and positivity to survive and at times may hinder progress incase of negative beliefs.

Keywords: Superstitious-beliefs, Functionalism, Psychological, Nepalese- Culture.

Introduction - Belief in accordance to Oxford Dictionary refers to acceptance of things as true or what one believes (Ostler, 1941, p. 48). E.B Tylor shows that all religious beliefs and cults have developed from certain mistaken inferences from observation of such phenomena as dramas, trances, vision, diseases, walking and sleeping, life and death. He defines religion as a belief in Spiritual Beings or the Supernatural. He further added that early men believed that after death the soul left the body, and appeared only sometimes in dreams. They began to believe that everything possessed life and souls, this he termed as 'Animism' belief in spirits. They further believed that these spirits protected their families, tribes and watched over their moral behavior. (Jha, 1981, pp. 30-31) It perhaps was this attempt to communicate with these departed soul and spirits that gave rise to prayers and active worship. It was later that these spirits took the form of deities. With it emerged 'polytheism', and hierarchy of gods. This developed into 'monotheism'. The seed of so called superstitious beliefs were sown during primitive phase. As soon as they realized the power of nature, they considered it as 'superhuman forces' if there was no rainfall, the spirit of 'rain' was displeased, if landslide occurred the 'mountain spirit' was angry, they offered sacrifices to please it Hence we can say that superstition refers to belief for which there is no real basis in either science or religion. Most superstitions are vestiges of decayed systems of belief.(Tylor,1990, p.513)

The problem of the study is that focused study related to beliefs in Nepal is lacking is the greatest problem of study. The major research objective this paper deals are as follows

a) To explore Oriental beliefs related to rain and droughts
b) To superstitious identify other beliefs and analyze it from Functionalism and Psychological approach. The methodology is qualitative approach based on exploration, analysis and narration Global Beliefs.

The Dugum Dani tribes lives in the highland of New Guinea, they have no god, but their world is inhabited by host of supernatural beings known a 'Mogat'. The 'Mogat' are the ghost of the dead. They cause illness and death and also control the wind and rain. These tribes are not pious; they do not pray. Their rituals are not to honour or worship the 'Magots' but it was to placate and appease them. (Harlambos, 1989, p.435) This shows that the seed of superstition sown in the primitive phase continued through out the world.

The Teton Sioux tribes live on the northern prairies of USA The belief persists that the nature on which they are dependent, is controlled by 'Wakan Powers'. These powers are stronger and more mysterious than man. They cause the seasons to change, rain to fall, plants to grow and animals to multiply. The 'Waken Powers' were not worshipped but were appealed for assistance and protection. They believed that 'Wakan Powers' save-guarded them. (Harlambos, 1989,, pp. 435-436)

The world has progressed from the discovery of fire to interior heating systems and microwaves. From the earliest wooden wagon to the BMW, rocket, and space shuttle. We may have moved from the nineteenth to the twenty-first century, and most of us feel ourselves to be modern, with a liberal outlook on life and its prospects. However, there is a

paranormal effect on real-world happenings in commonplaces everyday; from black cats to ladders, salt to mirrors, objects tend to become superstitious everyday. These seemingly irrational behaviors have a remarkable impact on our mental states and defy reasonable explanation. The fact that most superstitions revolve around unpredictable events is not shocking in the slightest. Similar to other societies, Nepalese culture is deeply ingrained with superstitious beliefs that have been passed down through unknowable ages. These beliefs have a profound impact on the lives of those who live in this ancient, religiously orientated region of legends and myths known as Nepal.

This research paper fulfills the objective to explore the oriental beliefs associated with rain and drought.

Rain/Drought associated with Oriental Beliefs - It is interesting to note the oriental beliefs associated with rain and droughts. Prior to that it is note-worthy matter to know about the definitions related to the existing beliefs.

Since beliefs are “part of a system that includes our values and attitudes, plus our personal knowledge, experiences, opinions, prejudices, morals and other interpretive perceptions of the social world,”(Saldana, 2016, p.132). Beliefs can also be embedded or implicit in many other study topics, such as judgements, ideologies, concepts, attitudes, or theories. (Pajares, 1994, pp 193-203).

Superstition is described as an unreasonable, baseless phenomenon.(Vyse, 1997) It is described as a notion that one occurrence happens because of another, without any natural mechanism that links the two. (Jahoda, 2007, pp.20, 594-595). It appears that superstitious beliefs are similar to intuitive thinking. (Genovese, 2005, Hergovich & Arendasy, 2005; Lindeman& Aarnio, 2006).

There exist contradictory results related to superstitious beliefs. It has been inferred that weak analytical thinking is correlated with superstitious beliefs and those based on logic and reasoning, is opposite to superstitious thinking or beliefs. (Bressan, 2002, pp.17-34)

Whatever it maybe, weak analytical thinking or logic and reasoning based beliefs. Despite 21st century we are still within the web of these beliefs.

Beliefs on Rain & Drought - In the remote villages of Nepal, if there is no rain for a long period of time, the belief persists that if women-folks in the middle of the night plough the field completely naked. There will be rainfall. Research foretells.



Fig. - 1 Frogs wedding

Frogs Wedding in the city of Bhaktapur and other surrounding areas of Kathmandu valley where there exist agricultural lands; if in case, there is a long period of drought, the villagers start their traditional rituals, where they worship ‘Lord Indra’ deity of the rain and end the ritual by conducting a traditional wedding of a Male Frog with a Female Frog. Both frogs have to be brought from different streams. They chant holy mantras and complete the sacred marriage and finally leave the married ‘frogs’ in a pond. This wedding of a frog and a female frog was recently conducted in the year of 2009 at Bhaktapur when the valley went without rain for nearly eight months. This belief exists to this day in Nepal. Such marriages take place at Madhya Pradesh also by the farming community. When many locals were interviewed out of 30 samples (comprising of elders, middle-aged and youths). Majority agreed that such rituals were good for them. After observing it, rainfall did take place. Functionalist claim that be it beliefs or values, if functional for the community and society, it will help to maintain value consensus and social solidarity. While Psychological approach claims that when belief and traditions are so very embedded into their minds and the strong belief, actually fulfills their wish and self -satisfaction is acquired.

Surrounding **Swyambhunath temple and King pratap Malla** are the shrines of five elements earth, water, fire, wind and sky.

- Basupura is the shrine of the earth, where the image of Basundhara , the divinity of the crop is placed.
- Nagapura Nagas (serpent) are believed to be the agent of rain and water. Thus to signify water, Nagapura or the shrine is dedicated to Naga lies to the north of the stupa.
- Agnipura or the shrine dedicated to Agni or fire stands on the northern western corner of the stupa dome.
- Bayupura, it is dedicated to the god of the wind and is situated on the south western corner of swaymbhu.



Fig 1 a Swayambhunath and Shantipur stupa(Source Net) Fig 1 b King Pratap Malla

Shantipur lies on the northern side of Swyambhu. This shrine is dedicated to the sky. It is believed that there are nearly twenty-seven subterranean dark chambers within this shrine. In this last 300 years no one has dared to enter it. Once there was serious drought in the valley. It is believed that King Pratap Malla of Kantipur entered into the underground cells and was able to bring out ‘manuscripts’

written with blood of (Naga) serpents. This chanting lead to heavy rainfall. (Varya, 1981, pp 113-114).This is historically mentioned in the New Vamsawali (local text) . When analyzing this the functionalist would generate that, King Pratap Malla a tantric was able to read the text and enter the holy place. To this day only tantric 'Guvajus' (well-versed tantric) enter for worship once a year. Be what may Functionalism claims that any beliefs or rituals that benefits all, is valuable for the universe. Psychological approach views that the existing beliefs actually manifests itself and befits them if the wish and belief is strong.

Croaking of the Frog - During long period of drought, the farmers in various part of Nepal keep listening for the croaking of the frogs. Belief persists that, if the frogs croak loudly, there is sure to be rainfall. This is a belief passed down from generations to generations. Earlier when there was no science and technology to predict rainfall. The farmers relied on the saying of their elders. When people were interviewed, new generation had no idea, they just said their granny talked about it. But, among the farmers, to this day they believe and majority claim it is true. They believe that it will rain. Functionalist claim that any values or beliefs that is fruitful to the community and society helps to maintain 'value-consensus' in the society. Psychological approach views that if any beliefs help to provide peace of mind and brings happiness among all it is acclaimed as positive constructionism.

Circling of Kankakuli (Eagle/ Cheel) - When eagles fly in circles, whistling loudly all the time it means that they are asking for water. Belief exist that they do not drink water from lakes, rivers because they see it as dirt, blood they drink only the rainwater as it falls. Hence, when they cry as they fly, people believe that it is going to rain. They term them as 'Kamkakuli'.

There is an interesting myth related to this bird termed as 'Kamkakuli' in Nepalese culture. Story foretells of a man who happened to be very greedy, one day a dying man came to his door-step and requested for a drop of water to drink; but the greedy man shut the door on his face. After he died he turned into 'Kamkakuli' bird that cannot drink water from ponds or rivers but have to wait for rainfall to quench their thirst. The new generation have forgotten about it, however, if there are elderlies in the family, then such local tales are passed down from generations to generations. Functionalism claim that if beliefs does not harm anyone and is functional then it helps to maintain balance in the society. Psychological approach is that such tales also is a didactics as it teaches us moral values of helping others in need.

Hom / Yajna Rituals and Songs/ Dance - Another common practice among the Nepalese people during prolonged draught is to offer prayers and 'agni-hom' and chant from the 'veda' in name of Indra deva. Among the Hindus Lord Indra is regarded as the 'God of Rain'. This belief exists to this day. Despite secular Nepal, majority

are Hindus who are involved in rituals and worships if anything goes wrong.

There are ancient classical songs and music termed as 'Megha Malahara' Megaha refers to the dark floating clouds that brings rain and 'malahara' is the classical song associated with it. Belief exists that when an artist with extraordinary voice sings the 'Megaha Malhara' from the very core of his soul, there will be rainfall. To this day story of Tansen who by singing 'Megha Malhara' brought rainfall, is famous here in Nepal too. Among the Newar community on the day of Indra Jatra (Festivity celebrated for Lord Indra) on this day there is dance pf " Majipa Lakhey" (Masked Dancer.)



Fig - 2 " Majipa Lakhey" (Masked Dancer)

Majipa is derived from the words Manjupattan, which means 'the city built by Manjushree,' and Lakhey, which means 'the carnivorous demon of Majipa.' The Lakhey dances to the music and proceeds through the procession. It is said that the harvest will be good and there will be timely rainfall. The Functionalist approach views that these persisting beliefs are so very strong that it is passed down from generations to generations. This benefits and is functional to maintain one's traditions and culture. Likewise, Psychological approach views that our attitude, thinking and what we do or believe are the products of our mind. If thinking is positive than it helps to safe-guard one's culture and traditions. If not, it will vanish with time.

Historical Legendary Tale associated with Rain and Drought



Fig - 3 Guru Gorakhnath

Legend foretells that once Gura Gorakhnath caught hold of nine serpent deities including 'Karakotaka Naga' and confined them, and took to meditation. Because of confinement of Nagas (serpents), Nepal experienced tremendous drought for the period of 12 years. Lord Matshendra Nath, who had been mediating in the Himalayas, came to know about the drought and came to save Nepal. Thus due to him Nepal received rainfall after 12 years. He is regarded as 'Karunamaya' or 'tender soul'. Since then in his honour the festival of 'Machendranath' is practiced every year. Believe it or not, on that day when the chariot of 'Machendranath' is pulled, the valley there is rainfall. Strange! But True. (Shakya, 2024, interview)

Cleaning of the well and Rainfall



Fig - 4 Belief associated with well

The valley once upon a time was a fertile land for agriculture. Hence, rainfall was very much necessary. In the valley to avoid prolonged draught the locals of the valley followed a passed down belief or a custom of cleansing the famous well '**Japa Tung**' made during the period of Brisha Deva the father of Lichhavi King Dharmadeva and grandfather of Manadeva. He was helped by Guvaju tantrik Shantikar Bajracharya. Locals believe that it took 12 years to commemorate it. To this day many elderlies believe that in times of drought or lack of rain for a long time the cleaning of this ancient well will bring rainfall. (Bajracharya, 2024, interview)

Asking for Rainfall -In the valley there is a belief that if it does not rain for a long time, then youths who are half naked jump outside the valley yelling 'Hara Hara Mahadeva Pani Dey' 'Holy Mahadeva give us water' At Kirtipur, on such occasion people throw water from house to house, from windows on them. This is said to avoid drought.

Another belief persists that if a cow is taken to the sandy banks of Holy Bagmati and milked, and if 'Holy Rudri' is performed at Sacred Pahupatinath, by 'burning of the holy fire'. There is a belief that it will end drought and rainfall will take place. (Shakya, 2024, interview)

Researcher's Grandmothers Belief related to rain & drought - Granny always told us ' Rainfall on Tuesday or Saturday' is taken for the continuity of rainfall for the whole week. Strange but true, as a researcher I have observed that that this seem to be true in Nepal. The rain may not

fall for a week, but it certainly continues for a day or two.

When the rainfalls, if it creates huge big bubbles as it falls, belief persists that there will be heavy rainfall for many days. Likewise, if the eastern sky turns red during sunset time there will be rainfall and if western sky turns red then it will not rain.

If it does not rain for a long time then, belief exist in Nepal that that at midnight if naked women go to the fields and plough it. It will rain.

Another interesting belief related to rainfall is that to see rows of ants running around, shows that there is to be rainfall along with the storm.

If it rains on a wedding day, it is believed that either the groom or the bride has licked the ladle, or the cooking spoon. This saying and belief is true to this day. When married couples were interviewed, 70% who had licked the ladle did have rainfall on their wedding day, but 30% who had licked the ladle but did not experience rainfall on their wedding. Statistically this belief is true, if we are to consider the percentages.

There are also beliefs that if without rainfall; water starts to pour down from the rooftop, known as 'balesi' in Nepal. It is a premonition of bad days ahead to come.

If there is non-stop torrential downpour , only way to stop it; is to heat the iron pan (Karai) in Nepali and turn the heated 'Karai' upside down below the 'Balesi' or the water poring down from the roof-top. The sound and the smoke that goes up is said to stop the rain. (Rana, 1980, oral tradition)

Belief & Rainfall - Worship of 'Akash Bhairab', Akash means 'sky' and Bhairab is the destructive form of Siva, who is the one of the most important deity in Nepal. Worshipping of the sky existed throughout the world millions of years ago. In Nepal it continues to this very day by burning incense, offering prayers is believed to bring rainfall. In Nepal many farmers offered prayers for rain. Today since most of the land has been used for constructions, its importance has decreased but the rituals, beliefs continue to persist to this day. (Bajracharya, 2024, interview)

When both sun and the rain shines and falls together at the same time, saying goes like this:

" Gham Pani Gham pani,
Sun, Rain, Sun, Rain,
Shyala ko biha,
On the Jackles wedding,
Kukur janti, Birallo Bahun,
Dogs are the procession, and Cats are the
Brahmins."

The general belief which most of the Nepalese believe is that there will be rainfall on the festivity of Sivaratri and Machendranath jatra. It is interesting to note that it certainly does rain on such festivity. Strange but True can be termed as 'Believe it or Not'

Functionalism views that be it beliefs or values or myths , legends as long as they are functional and it helps

to maintain social solidarity and it helps individuals to “Fit In” within these beliefs and values. These beliefs existed, is existing and will continue to exist .

Psychological approach claim that these values, beliefs that has been passed down since times unknown have become a part of the society and culture as a result some of it has taken into ritualistic forms. These beliefs helps to provide strength, and may help to provide mental peace of mind and gratifies their needs.

These are just few research collections related to rain and drought. This area is further open for research. Thereby the researcher has fulfilled its first research objective.

The **second objective** is to identify other Superstitious beliefs and analyze it from Functionalism and Psychological approach: Below are few beliefs associated with arrival and departure, that is followed by many to this day.

Departure & Arrival Beliefs - In traditional society like Nepal, every little thing is associated with auspicious and inauspicious beliefs. Arrival and departure to both domestic and foreign lands are also associated with numerous beliefs.:

“Mangalbar na bhetnu, Sanibar na chutnu”

“Do not meet on Tuesday, and do not separate on Saturday”

Most people to this day avoid leaving home on Saturday, for a long journey. If it is urgent then on Friday itself one should send ones personal attire or clothing to a relative’s home as ‘departure sagun’ This small ritual signifies that particular individual has left his home on Friday itself. After this he is free to leave his home on Saturday and he will avoid facing ill-omen.

The belief exists that one should avoid travelling on Saturday. If in case of urgency on When a person is about to go to foreign lands he has to undergo through some minor rituals. Prior to his departure he worships ‘Lord Ganesha’ the ‘Elephant God’who is said to remove all obstacles and burns ‘oil lamp’. He is applied with ‘vermillion tikka’ and is given banana, curd etc, and among some ethnic communities like Newars boiled & fried eggs, and fishes are considered very auspicious omen. (Self-Observation since childhood)

Functionalist when they analyze the above traditions or beliefs view that as long as these believes do not harm anyone, it can be followed and it is accepted to be functional. While **Psychological approach** analyzes it by saying, if such beliefs develop positivity and good vibes among all, then, it is fruitful for all those who follow it. It will provide them strength and helps to maintain peace of mind in times of trouble.

King or some important person of the country is to depart to foreign lands. It is considered very auspicious to accept flowers from the ‘Pancha Kanyas’ or 5 young girls. They are regarded as the incarnations of the ‘Kumaris’. Their blessings in form of flowers are considered extremely auspicious to the person, leaving his land. This ritual

continues to this day in this land of gods.

A person should not leave home or walk around during the mid-day. It is considered ‘unlucky’, Research reveals that a lady who left her home on her scooter during mid-day, simply, simply forgot her destination, who she was? She wandered for more then one hour prior to realizing her destination. Since then she never leaves her house during mid-day. Questionnaires reveal that 50% agree to this belief.

Days of the week & Beliefs - When few elderlies were asked about beliefs associated with days of the week . Some had no idea but few enlightened the researcher this way.:

- Monday: We should not purchase new clothes.
- Tuesday : If we leave the city on Tuesday then the belief persists not to return on Saturday.
- Wednesday : Elderly to this day believe that one should not buy cooking oil on Wednesday. This belief has been forgotten today.
- Thursday: There is a belief that a women who are not widows, should avoid washing their hair.
- Friday : One should not eat meat on Friday.
- Saturday: If someone leaves the town on Tuesday they should not return on
- Sunday: Three people leaving the house together on Sunday must avoid heading separate ways to different destination.
- When leaving the house, refrain from cleaning, showering, doing laundry, or removing items to avoid returning them. (Shakya, 2024, interview)

In todays society such beliefs may not be applicable, however, in the villages of Nepal people continue to follow it.

Work Related Beliefs:

- a. To see an empty pitcher is considered ill-omen. To see a filled up pitcher is good.
- b. When one is leaving for some important work, to sneeze or if someone sneezes, it is ill-omen
- c. It is believed that when three persons go together for some business or work it will not be successful.
- d. If a cat or a serpent crosses the road while we are on our way for some work, it is ill-omen, and it is believed that that the work will not be completed

Functionalist view that these beliefs that have been passed down from generations if functional to the society then it helps to maintain social solidarity and value consensus. However, if it hampers or acts as an obstacle for the development of the community and society then it generates dysfunction.

Psychological Approach on the other hand views that the seed of such beliefs has been sown into the brains of the children during socialization as a result , they start to believe that such beliefs work. Sometimes such beliefs generate positivity while others may hamper their personality and behaviors. Such beliefs develop negativity

in a person and makes them weak.

Beside all these there are other general beliefs that exist here in Nepal that has been termed as:

Some other Superstitious Beliefs:

- a. Falling of a chameleon on one-self or some-one is not good it may bring bad news.
- b. Appearance of a big spider on the ceiling is an indication of ensuing quarrel among family members.
- c. It is general belief that to see gold in one's dream is ill-omen it means the person will loose something. If one dreams of stool and urine he will gain something eg. money.
- d. Fluttering of right eyelid is good-luck for male and left is considered bad
- e. For female fluttering of left- eyelid is good, and right is bad omen.
- f. Itching of the right palm for male will bring money and left will loose money and vise-versa for women. (In researcher's case in both case money does come. Believe it or Not.
- g. Itching of the throat is a sign that someone is speaking ill of you.
- h. Itching of the right ear for the male is good, it brings good tidings and vise-versa for the female.
- i. When someone touches the throat, they are to blow over their fingers or it may lead to growth of 'goiter'.
- j. Those with squint – eyes cannot be trusted.
- k. Arrival of a person while someone is speaking of him or her foretells longevity of life. This is believed to this day.
- l. To see pigeon on the roof is good and to see a vulture is considered a bad omen.
- m. Among Nepalese 8th year is considered inauspicious in individuals' life. Example the numbers: 8,18,28,38,48 etc.

Historical Beliefs:

- a. King Shiddhi Narashima Malla of Patan saw Radha Krsna in his dream and established the famous Krshna Mandhir at Patan.



Fig - 5 Krishna Mandhir (Lalitpur)

- b. King Pratap Malla of Kathmandu in the 16th century dug a tank at Bhandarkhal and brought water from 'Buddhanilkhanta' but his action displeased Lord Narayana and the king received a curse saying that if

any Nepali king would visit 'Budaniikhanta' they would die. Since then no king can visit Budaniikhanta.

- c. Likewise there are many more of such beliefs that has yet to be researched.

Thus it can be concluded that this research paper has fulfilled. its objective to explore Oriental beliefs related to rain and droughts, however many more of such beliefs existing outside Nepal can yet be explored and compared. It has also identified other beliefs and analyzed it from Functionalism and Psychological approach. The paper has opened venue for future researches on such beliefs.

Note: The collected beliefs are based on primary sources that have been collected through interviews with elderly women and males of 70 years and above, few 65 years old have been included. (Oral Tradition).

References:-

1. Aarnio, K. 2007, Paranormal, superstitious, magical, and religious beliefs (Doctoral dissertation). Retrieved from <http://urn.fi/urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-4202-7>
2. Bressan, P. 2002, The connections between random sequences, everyday coincidences, and belief in paranormal. *Applied Cognitive Psychology*,16(1),17-34.
3. Genovese, J. E. C. 2005. Paranormal belief, schizotypy, and thinking styles among teachers and future teachers. *Personality and Individual Differences*, 39(1), 93-102.
4. Harlambos, Michael. 1981, *Sociology Themes & Perspectives*, Oxford University Press.
5. Hergovich. A., & Arendasy, M. 2005. Critical thinking and belief in paranormal. *Personality and Individual Differences*, 38, 1805-1812.
6. Jha,, Makhan.1981, *An Introduction to Anthropological Thought*, Vikas publishing House.
7. Lindeman, M., & Aarnio, K. 2007. Superstitious, magical, and paranormal beliefs: An integrative model. *Journal of Research in Personality*, 41(4), 731-744.
8. Ostler, George. 1941, *The Little Oxford Dictionary*, Oxford ,Clarendon Press.
9. Pajares, F. & Miller, M.D., 1994, Role of Self-efficacy and self-concept beliefs in mathematical problem solving: Apath analysis. *Journal of Educational Psychology*.<https://doi.org/10.1037/0022-066386.2.193>.
10. Saldaña, J. 2013. *The coding manual for qualitative researchers (2nd ed.)*. Sage Publications. Google Scholar
11. Tylor, E.B, 1990, *Dictionary of Anthropology*, (Govl SaaB), Goval Publisher.
12. Varya,, Tank 1981, *Vilas The Seat of Cultural Heritage*, Educational Enterprise press,

Interviews:

1. Rani Heroda Devi Pal (Rana) : Oral tradition
2. Renuka Shakya: Age 78, 27th Janurary 2024
3. Surendra Bajracharya: Age 79, 21 March 2024

Appointment Procedures for Ministers and Administrative Officials by the Ancient Indian Scholars

Astha Vellanki Ratnam*

*Department of History, Institute for Excellence in Higher Education, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract : The paper explores the pivotal role of ministers in ancient Indian governance, emphasizing their necessity for effective administration alongside the king. It examines philosophical perspectives, such as those of Kautilya, Kamandak and Shukra. The article outlines the selection criteria and qualifications for ministers, from the Vedic times to the Gupta age highlighting their multifaceted responsibilities. By analysing historical practices and terminology, the article illustrates how ministers were integral to maintaining social order and governance, significantly influencing India's political and cultural evolution.

Keywords-Upadha, Amatya, RajnahRajkritah, Rajsuya, Ratnin, Panya, Lakshandhyaksha, Sita, Durmantra or Kalyanmantra.

Introduction - In ancient India, the need for the state to maintain social order and security was understood from the very beginning. In the absence of system/order, chaos will ensue and anarchy (*Matsya Nyaya*) will ensue. Thus, ancient Indian philosophers considered the existence of the king inevitable for good governance. But the king alone cannot maintain law and order and carry out all the duties and responsibilities expected from him, and for this, he needed his council of ministers.

The concept of a cabinet or council of ministers played an important role in ancient Indian politics. The importance of ministers can be understood by the fact that different scholars have associated different terms with the council. For example, Shukra has compared the kingdom with a human body, where the king is the head, Amatyas are his eyes, and ministers are his ears. Even Kautilya has included and explained the importance of the council of ministers by including them in his "*Saptaang*" theory of state and considered them as the second wheel of the chariot (state). Somadeva Suri has considered ministers as the heart of the king; just as a heart is important for a man to survive, in the same way, it is essential to have ministers for smoother governance.

In the Vedic era, there were certain people called '*RajnahRajkritah*' who used to give *Parnmani* to the king as a form of royal approval. *Parnamani* was made from a soma plant and used for *Bala* (Strength), *Ayu* (long life), and *Dhana* (Wealth). In the post-Vedic era, these Rajkritahs were replaced with Ratnis. To acquire his Ratnis, the king would perform the Ratnahovimshi ceremony, which was a part of the Rajsuyagya. The Ratnis, apart from guiding,

would also legitimize the King and his rule. Most of the rats were 12 in number. And in order of their importance, they were: 1 *Purohit* or Brahman, 2 *Rajan*, 3 *Senani* (Head of the Army), 4 *Mahishi* or the Chief Queen, 5 *Suta*, 6 *Gramni*, 7 *Kshta*, 8 *Sangrahita*, 9 *Bhagadugha*, 10 *Akshvapa*, 11 *Govikruta*, and 12 *Palagal*. The king would visit the houses of these Ratnis and offer them *Havi* (offering given to the havan). *Havi* to the *Senani* was gold. To the priest in the form of a cow, the *Mahishi* is also offered a cow. *Suta* is offered food made from barley, bull to the *Kshta*, and black cow to *Bhagadugha*. *Palagal* was given a bow and arrow and a red turban. The rest (*Akshvapa*, *Sangrihita*, and *Govikruta*) were also offered cows.

Some Ratnis were related to the king through kinship, whereas others were functionaries who had no familial relations with the king. Most of the time, the Ratnis were men. Apart from *Mahishi*, in the Vedic era we do find instances where two or more Ratnis were women too. The Ratnis even included people from the non-Aryan tribe. It can be said that through the Ratnis, all members of different varnas and classes were represented. In most cases, posts were filled based on merit, meaning the Varnas might have been fixed, but the posts didn't assume a hereditary character.

Ancient Indian texts have used different words for council of ministers like *Amatya*, *Sachiv*, *Mantri*, and in later periods, Tirth. In the works of Kautilya, Manu, Kamandaka, and *Agni Purana*, the words *Amatya* and *Sachiv* have been used as synonyms. In the words of John W. Spellman, "Although there are distinctions between *Amatya*, *Sachiv* and *Mantri*, they are not often observed, and authors

sometimes use these words interchangeably and as synonyms.”

The first Indian Empire in its true and complete sense was established in the Mauryan Age. Kautilya was the one who envisioned such an empire under Chandragupta Maurya. Kautilya, in his Arthshastra, has mentioned the Saptaang theory of state. That is, the state is made of seven components. *Amatya* (Ministers) *Janapada* (the territory) *Swami* (the king) *Durga* (a fortified capital) *Kosha* (the Treasury) *Danda* (justice or force) *Mitra* (ally). The functions of a state are so multifaceted and complex that a king alone cannot fulfil them and therefore needs assistance. A king without his councillors and ministers wouldn't be able to rule for a long period. According to Kautilya, the duties and functions related to operating a state are many and have to be performed efficiently at different times and places for smooth administration. To ensure the smooth running of the administrative machinery and avoid any mistakes, Kautilya suggests the appointment of Ministers and *Amatyas*. Kautilya has drawn a distinction between *Amatyas* and *Mantris*. According to him, anyone with good qualities can be appointed as *Amatya* (superintendent),” but *Mantris* he has not mentioned any specifications. Also, the *Amatyas* could be appointed as many depending on the size of the empire and the responsibilities of the state. Whereas he suggests that ministers should be only three or four.

To become a member of the Council of Ministers, the person needed to have some special qualities and qualifications. In ancient India, ministers had very high positions in the government. Their importance was next to the king; this is the reason much emphasis has been put on their qualifications. According to *Arthshastra*, certain pre-requisite qualities that were sought after for all administrative posts were that the person should be a native, a high-born influential well-trained in the arts, possessed of foresight, wise, of strong memory, bold, eloquent, skilled, intelligent, possessed of enthusiasm, dignity, and endurance, pure in character, affable, firm in loyal devotion, endowed with excellent conduct, strength, health, and bravery, free from procrastination, fickle-mindedness, affectionate, and free from such qualities as excite, hatred, and enmity.

Persons endowed with all the above were to be appointed as ministerial officers (*amátayasamprat*), who were the high-ranking officers. Persons who possessed one-half or one-quarter of the above qualifications came under the middle and low ranks.

The ministers also underwent a character test conducted by the king. The ministers were tested under the criteria of life, religion, wealth, love, and fear.

Kautilya suggests that the king shall dismiss a priest who, when ordered, refuses to teach the Vedas to an outcaste person or to officiate in a sacrificial performance, undertaken by an outcaste person (*ayájya*). This dismissed priest, with the help of spies, will then instigate each minister to replace the present king with a new one. If any or all

ministers refuse to do so, they will be considered pure under the religious parameter. Next, the ministers will be allured by a dismissed commander of the army. Under the pretext of gaining immense wealth, the commander will allure the ministers to murder the king. If they refuse to agree, they will be considered pure to monetary temptations. Next, the ministers will be judged on the grounds of love and fear. A woman spy under the guise of an ascetic highly esteemed in the harem may allure each minister of the king on the pretext of love and wealth. If they discard the proposal, they are considered to have passed the love allurements test and are considered pure. With the intention of sailing a commercial vessel, a minister will induce all fellow ministers to follow him. Also, a spy under the guise of a fraudulent disciple, pretending he was imprisoned, will suggest they kill the king and take all the wealth. On the grounds of apprehension that the king would kill them and refuse the proposal, then they are regarded as pure. Those ministers who successfully passed the religious allurements trials were to be employed in civil and criminal courts. Those who were successfully tested under monetary allurements were to be employed as revenue collectors or chamberlains. Those who were tested under love allurements were to be appointed to superintend the pleasure grounds. Those tested under fear allurements were to be appointed to immediate service. Those who passed all four types of allurements—religion, wealth, love, and fear—and showed exceptional integrity of character and conduct were to be appointed as prime ministers. Those who failed and proved themselves impure in one or all of the allurements were to be appointed in departments like mines, timber, elephants, forests, manufactures, etc.

In the Mauryan administration, next to the *Amatyas*, *Adhyakshas* were also appointed. These *Adhyakshas* were also selected for various departments based on their character. These *Adhyakshas* served in economic and military roles. 26 *Adhyakshas*, or secretaries, have been mentioned in *Arthshastra*. Some of them were: i) *Lakshanadhyaksha*, President of Currency & Mint; ii) *PanyaAdhyaksh*, Head of Commerce; iii) *Kupya Adhyaksh*, Head of Forest; iv) *Pautav Adhyaksh*, Head of Weights & Measures; v) *Shulk Adhyaksh*, Collection of Customs & Toll; (vi) *Sutra Adhyaksh*, Head of Textile Production Activities; (vii) *Aayudhagara Adhyaksh*, Head of Maintenance of Weapons; (viii) *Sita Adhyaksh*, Head of Agriculture. It is to be noted here that the department heads were also appointed from among the *Amatyas*. The first-class *Amatyas* became prime ministers. The second class became members of the council of ministers, and the third-class *Amatyas* were to be head of department.

The Satvahanas took after the Mauryan administration, and like that, we find *Amatyas* were appointed here as well. The first mention of *Amatya* is found in the Satvahana inscriptions.

The inscriptions mention the names of various *Amatyas*

who served under them. It is believed that these Amatyas were not appointed based on hereditary. Drawing parallels with the Mauryan Administration since Satvahanas were highly influenced by the Mauryan Administration, we can assume that the Amatyas of the Satvahanas were also chosen based on merit. The only difference was that the Amatyas in this period did not enjoy the same power and prestige once associated with them in the Mauryan period, yet they were equally important. According to R.S.Sharma, the Satvahanas appointed traders and businessmen to the post of Amatyas as many urban and semi-urban centres emerged during Satvahanas rule, and these traders seemed to have a close relation with the activities of the towns and cities and hence were regarded as better suited for the post of Amatyas to look after urban administration.

The next big empire that emerged in ancient India was of the Guptas in the 4th century AD and continued till the late 6th century. The structure of the Gupta administrative setup was not completely different from the Mauryans but was replaced with new terminology. Also, several different posts with new terms were introduced. Kamandak's *Nitisar* serves as a reliable source to learn about the politics and administration of this period. Kamandak, who was a disciple of Kautilya. Uses the term *Mantriparishadmandalam* instead of Kautilya's *Mantriparishad*. Like Kautilya, he too has espoused the Saptangatheory of state and considers ministers to be an important part of any empire.

According to Kamandak, a person who wanted the post of a minister should have certain qualities, like being from a good family, certainly high-born, with pure and heroic tendencies, learned tendencies, versed in the art of politics, and loyal. Also, he should be a native with excellent character and a friendly disposition; he should be enthusiastic, truthful, and a bearer of agility with a sound and attractive personality, a healthy personality, a healthy physique, and appreciable diplomatic skills. Military prowess was a necessary requisite for all the ministers. Thorough scrutiny was done before the selection of ministers because, based on a mantra or council, a council can be *Durmantra* or *Kalyanmantra*, that is, it could be bad or good, respectively.

Kamandak also directs that in any case, if a minister puts his selfish interests above the state's, he should be immediately sacked.

Kamandak's *Nitisar* classified ministers into 3 broad categories: *Mantri*-incharge of territorial units; Amatyas-in charge of revenue; and *Sachiv*-incharge of the military department. Important ministers and administrators under the Guptas are as follows: (i) *Vinaysthithisthapaka*, kind of *Purohit*. Related to religious matters of the state; (ii) *Mahabaladhikarna*, Military General; (iii) *Sarvaadhyaksha*, General Superintendent of the Central Administration; (iv) *Mahasenapati*, Head of the Military Department. Military Department; (v) *Mahadandnayak*, Head of Police Department, Department. Subordinate of *Mahasenapati*; (vi)

Mahasandhivigrahak, Foreign Minister. (vii) *Mahapratihara*, chief of palace guards; (viii) *Dandapashika*, superintendent of the police department; (ix) *Khadyakapakik*, in *Khadyakapakik*, in charge of the Royal Kitchen; (x) *Ayukta*, appointed to restore the vanquished property conquered by the emperor.

The highest administrative officers were the Kumara Amatyas. The Kumaramatyas served as a connecting line between the central and provincial administrations. According to K.C. Srivastava, the Kumaramatyas had their own separate office called '*Kumaramatya Adhikaran*', signalling that they wielded significant importance and influence in the administration.

Somewhere after the era of Chandragupta I, the office of Mantris or Amatyas started to become generally hereditary. This is supported by the various inscriptional evidence we find of this period. One of the examples comes from central India, where five generations of administrative officers come from the same family. Another example is found in the *Karmadand* inscription, which shows that Kumar *Amatya Shikharswami* was the minister of Chandragupta. His son Kumaramatya Prithvisena became minister of Kumargupta and later on, was also appointed Commander in Chief (*Mahabaladhikrita*). This shows that although the selection of ministers was based on merits and qualities, based on them they were appointed to a certain post, and in some cases, there were even changes of portfolios, but the truth was that heredity played an important part. Sons of ministers were seen as the obvious choice for filling in their shoes, given that they had all the required qualifications needed to be a minister. These posts became hereditary with time, but by no means the ministers could act on their own accord. The minister's office was safe for as long as the assembly trusted them. Non-compliance or non-performance of administrative duties would lead to serious repercussions.

Somadeva Suri, the writer of *Nitivakyamrit*, has described certain qualifications for the members of the council of ministers. He opines that a person to be appointed to the post of minister should be a native of the state. Only a person born in the same state will be loyal to the state and not betray his country. Another qualification that the person should possess is that he should be a person of fine character; otherwise, even if he possesses all qualities and qualifications but does not conduct himself properly, then he shouldn't be made a minister. Nobility and lack of any addictions are also required qualities for the post. He should always be ready to assist the king in times of need and should have adequate knowledge of subjects like agriculture, animal husbandry, commerce, trade, etc., as these are required for running a state. Another desired qualification is knowledge of weapons. The post of minister is filled with sufficient responsibilities and dangers. Therefore, the minister should have adequate knowledge of weapons. Somadev like Kautilya advocates the

UpdhaParikshan. That is, a person appointed to the post of minister should undergo an examination based on (i) religion (*Dharmopdha*), (ii) wealth (*Arthopdha*), (iii) lust (*Kamopdha*), and (iv) fear (*Bhayopdha*). The person who passes these four tests should be appointed as the Prime minister of the Council of Ministers.

Conclusion: It can be concluded from the above discussion that ministers were an indispensable part of the ancient administrative system and had wide-ranging and multifaceted roles from policymaking to implementation to military strategization and crisis management. From maintaining diplomatic relations to overseeing religious and cultural matters, all in all, they enabled the smooth functioning of the kingdoms. That's why various scholars have suggested and devised various qualifications and tests to appoint the right, most excellent, and selected people to

the post of minister. Their contribution is integral & crucial in the historical development of ancient India & has left a long-lasting impact on India's polity & cultural legacy.

References :-

1. Sharma, Harishchandra "Prachin Bhartiya Rajnitik Vichar Evam Sansthayen", College Book Depot, Jaipur.
2. Vidyalkar, Satyaketu "Prachin Bharat Me Shasan Sansthayen Au Rajnitik Vichar", Rajkamal publication pvt. lmt., Delhi.
3. Dixitar, VRR "The Gupta Polity", Motilal Banarsidas Publishers Private limited. Ed 1952.
4. Kautaliy Arthashastra translated by R. Shamsastry, Arjun publishing House.
5. Sharma, R.S. "Prachin Bharat me Rajnitik Vishar Evam Sansthayen", Shri Saraswati Sadan, Mussoorie.

The Rise of Social Commerce : How Social Media is Changing the Way We Shop

Sunil Suryavanshi*

*Associate Professor (Commerce) Govt. Madhav Art & Commerce PG College, Ujjain (M.P.) INDIA

The revolution of retail: How social media is changing the way we shop. The way rise of social media has transformed the way we live, communicate and shop.

Platforms as like instagram, facebook and tiktok have revolutionized the retail landscape, offering a seamless and immersive shopping experience. In this article, we will explore the impact of social media on the way we shop and what it means for the future of retail.

The Rise of Social Media: A Revolution in Communication and Connection: In the past two decades, social media has evolved from a niche phenomenon to a global revolution, transforming the way we communicate, interact, and share information. From humble beginnings to worldwide dominance, social media has become an integral part of modern life.

Early Days: The Birth of Social Media : The first social media platforms emerged in the late 1990s, with sites like (link unavailable) and Friendster pioneering online connection. However, it was MySpace and LinkedIn that gained widespread popularity in the early 2000s, laying the groundwork for the social media explosion.

The Rise of Facebook and Twitter: Facebook, launched in 2004, and Twitter, launched in 2006, marked a significant turning point in social media's trajectory. Facebook's user-friendly interface and Twitter's real-time updates made them irresistible to users. Their popularity soared, and they became the standard-bearers for social media.

The Social Media Landscape Expands: As Facebook and Twitter grew, new platforms emerged, catering to diverse interests and demographics. Instagram (2010), Snapchat (2011), and TikTok (2016) capitalized on visual content, while Reddit (2005) and Discord (2015) focused on community-building and niche interests.

Social Media's Impact on Society : Social media has revolutionized communication, enabling instant connections across geographical boundaries. It has:

1. Democratized information sharing.
2. Amplified marginalized voices.
3. Facilitated global networking.
4. Changed the way we consume news and

entertainment.

5. Raised concerns about privacy, mental health, and misinformation

The Future of Social Media : As social media continues to evolve, we can expect:

1. Increased focus on privacy and security.
2. Further integration with artificial intelligence and augmented reality.
3. Growing emphasis on community-building and niche platforms.
4. Rising concerns about regulation and accountability.

The Power Of Visual Discovery

Visual Discovery: The Key to Unlocking Sales : Social media's visual nature has made it an ideal platform for product discovery. High-quality images and videos showcase products in a lifestyle setting, allowing users to envision how they can incorporate them into their daily lives. Brands leverage Instagram's "Shopping" feature, allowing users to purchase products directly from the app. Influencers share their favorite products, creating a sense of FOMO and driving sales.

Social media platforms like Instagram, TikTok, and Pinterest are ideal for discovering products through high-quality visuals. This has led to a rise in "social shopping," where users browse and buy products directly from the app. Uses images instead of text to help customers find products. It makes shopping faster and more engaging for customers. Retailers can use visual discovery to increase sales and customer satisfaction. AI technology plays a big role in making visual discovery work.

Visuals, salespeople are able to make their presentations more engaging and informative, and they are more likely to keep the attention of their audience.

Influencer Marketing and Social Proof : Influencers have become a crucial part of the shopping journey. They share their experiences, opinions, and favorite products with millions of followers, building trust and credibility. Social proof is a powerful driver of purchasing decisions, as users see friends, family, and peers endorsing products.

Online shopping integrations: Many platforms now

allow direct purchases from the app.

Influencer marketing*: Influencers partner with brands to promote products to their vast followings. This form of marketing builds trust and credibility, as users see products endorsed by people they admire.

Brand Awareness and Engagement :Social media enables brands to build relationships with customers, share their stories, and create engaging content. This two-way communication fosters loyalty and advocacy.

Customers can learn about brands through various channels, including:

1. Social media advertising: Targeted ads on platforms like Facebook, Instagram, and LinkedIn.
2. Influencer partnerships: Brands partner with influencers to reach new audiences.
3. Content marketing: Brands create engaging content (blog posts, videos, podcasts) to attract and retain customers.
4. Search engine optimization (SEO): Brands optimize their websites for search engines to improve visibility.
5. Email marketing: Newsletters and promotional emails keep customers informed.
6. Referrals and word-of-mouth: Happy customers share their experiences with others.
7. Events and sponsorships: Brands participate in events, conferences, and sponsorships to build awareness.
8. Traditional advertising: TV, radio, print, and outdoor ads reach a wider audience.
9. Brand ambassadors: Brands partner with well-known figures to represent their values.
10. Online reviews: Customers read reviews on websites, social media, and review platforms.
11. Packaging and branding: Eye-catching packaging and recognizable logos create brand awareness.
12. Loyalty programs: Rewards programs encourage repeat business and build brand loyalty.
13. Public relations: Brands leverage media coverage to build credibility.
14. Employee advocacy: Employees share their positive experiences with the brand.
15. Partnerships and collaborations: Brands partner with other companies to expand their reach.

By leveraging these channels, brands can increase visibility, build recognition, and attract customers.

Personalization and Exclusive Offers: Personalized Recommendations and Exclusive Offers: The Secret to Driving Sales. Social media algorithms suggest products based on interests, interactions, and browsing history. Brands offer exclusive deals and promotions to their followers, creating a sense of urgency and encouraging impulse purchases. Social media has become a go-to destination for finding deals and discovering new products. Brands offer special offers to social media followers and online shopping integration's: many platforms now allow direct purchases from the app. Brands offer special deals

to social media followers they offer lots of vouchers etc. The Information Technology Act, 2000 was enacted with an objective of online medium, digitalization and E-commerce transactions and the businesses.

The Future of Retail: "The Future of Retail: Social, Sustainable, and Seamless".

Social media has forever changed the retail landscape. As platforms continue to evolve, we can expect:

1. Augmented reality shopping experiences.
2. Increased use of AI-powered chatbots for customer service.
3. Further integration of social media and e-commerce platforms.
4. More emphasis on sustainability and social responsibility.

Social media platforms integrate online shopping, allowing users to purchases without leaving the application.

Live shopping : Social media platforms are hosting live shopping events, allowing users to purchase product in real times.

Customer Service : Social media platforms are becoming a primary channel for customer inquiries and resolving issues.

Social Responsibility : Social media is raising awareness about social and environmental issues, influencing purchasing decisions and brand loyalty.

Conclusion: social media has profoundly changed the way we shop, transforming the retail landscape forever. The rise of social shopping has brought about a new era of:

1. Visual discovery and inspiration.
2. Personalized recommendations and exclusive offers.
3. Seamless shopping experiences.
4. Increased focus on sustainability and social responsibility.

As social media continues to evolve, we can expect even more innovative shopping experiences to emerge. Retailers must adapt to these changes to remain competitive, embracing the power of social media to connect with customers, build brand awareness, and drive sales. The future of retail is social, and it's here to stay. By understanding the impact of social media on shopping behavior, retailers can harness its potential to create engaging, immersive, and convenient experiences that meet the evolving needs of modern consumers.

Ultimately, the fusion of social media and shopping has created a new paradigm, one that prioritizes connection, community, and convenience. As we move forward, it will be exciting to see how social media continues to shape the future of retail and redefine the way we shop.

The rise of social media has transformed the fabric of modern society, redefining how we interact, share, and connect. As we navigate the challenges and opportunities presented by social media, one thing is clear – its impact will only continue to grow, shaping the future of communication, connection, and community.

References:-

1. Information Technology (Procedure and Safeguards for Monitoring and Collection of Traffic Data or Other Information) Rules, Section 3-11, (2009).
2. Digital Personal Data Protection Act, 2023, No. 25, Parliament of Indi.
3. Arathi Sethumadhavan, Is Data Privacy a thing of the past in a Digital world?, World Economic Forum, (2021)

स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवादी, दार्शनिक विचार और वर्तमान में प्रासंगिकता

डॉ. साहेबराव झरबड़े*

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय महाविद्यालय, घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - वर्तमान समय को देखते हुए लगता है कि अन्य किसी भी विषय में कितना ही लिखा जाये, कितना ही चिंतन क्यों न हो ? लेकिन भारतीय सनातन मूल्यों को उनके पुरोधा के द्वारा किये गए प्रयास को अगर उजागर न किया जाये तो बाकी सब भौतिकी प्रगति का चिंतन और विकास निरूपयोगी है। वर्तमान समय में राष्ट्र की आध्यात्मिक प्रगति की ओर प्रकाश डालें तो देखते हैं कि भारतीय युवा वर्ग कितना भौतिकवादी एवं पश्चिम के भटकाववादी संस्कृति की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसकी परतें खोलने का प्रयास है। स्वामी विवेकानन्द के राष्ट्रवादी दार्शनिक विचारों की कालजयी व्यापकता ने वास्तव में भारतीय युवाओं को भटकने से रोका है, इसमें स्कूल शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग की महती भूमिका है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में स्वामीजी के साहित्य को अध्ययन हेतु सम्मिलित किया गया है।

महाविद्यालयों में छात्रों के कैरियर एवं आध्यात्मिक, नैतिक उन्नति हेतु स्वामी विवेकानन्द कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों के भौतिक लक्ष्यों के साथ-साथ आध्यात्मिक उन्नति के प्रयास भी निहित हैं। इसके अतिरिक्त खेल गतिविधियों के साथ-साथ राष्ट्रीय सेवा योजना के गठन एवं उसके अन्तर्गत चलाई जाने वाली गतिविधियां स्वामी विवेकानन्द के जीवन दर्शन एवं लक्ष्य से जुड़ी है, जिसमें शिविर एवं समय-समय पर कार्यशाला एवं व्याख्यानमाला के माध्यम से राष्ट्रसेवा की शिक्षा प्रदान की जाती है और यही भारतीय वेदान्त का सार है, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता के अन्धानुकरण से भारतीय युवाओं की बहुसंख्यक आबादी अपने जीवनशक्ति को तबाह करने में लगी है, जिसमें स्वामीजी के आदर्शों के साथ-साथ वर्तमान के राष्ट्रवादी संतों द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है।

प्रस्तावना - स्वामी विवेकानंद का मानना था कि प्रत्येक राष्ट्र के निर्माण में किसी एक तत्व की आधारभूत भूमिका होती है। भारत राष्ट्र के निर्माण में धर्म की ऐसी ही भूमिका है। स्वामी विवेकानन्द ने जिस राष्ट्रवाद की परिकल्पना की, वह धर्म पर आधारित था। वे समझते थे कि आगे चलकर धर्म ही भारत के राष्ट्रीय जीवन का मेरुदण्ड बनेगा। स्वामी विवेकानन्द ने राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक पुट दिया, अतः उनके राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का सिद्धान्त भी कहा जाता है। वे भारत के लोगों में वैचारिक या आध्यात्मिक धरातल पर राष्ट्र के प्रति प्रेम या निष्ठा विकसित करने के पक्षधर थे। इसके लिए उन्होंने भारत के स्वर्णिम अतीत को आधार बनाया। स्वामी विवेकानन्द ने लिखा है - 'राष्ट्र के रूप में हम अपना व्यक्तित्व विस्मृत कर बैठे हैं। हमें देश को उसका खोया हुआ व्यक्तित्व वापस देना है और जनता का उत्थान करना है।'

सांस्कृतिक राष्ट्रीयता - भारत विदेशी साम्राज्य के अधीन था तथा औपनिवेशिक सत्ता का उद्देश्य भारत के गौरव और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को नष्ट करना था। देश की इस कठिन घड़ी में स्वामी विवेकानन्द का अभ्युदय हुआ। स्वामी जी ने धर्म संस्कृति की महानता को जनता के सम्मुख रखा और भारतीयों को उनके अतीत व गौरव से परिचित कराकर उनमें जागृति का मंत्र फूँका। अपनी पुस्तक 'भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास' में बी.एन. लुनिया ने लिखा है - 'देश में ही नहीं उन्होंने (स्वामी विवेकानन्द ने) विदेशों में वेदों और उपनिषदों के प्राचीन आत्मज्ञान का उद्देश्य गूँजा दिया। विश्व के सम्मुख भारतीय संस्कृति और सभ्यता की श्रेष्ठता की घोषणा से उन हिन्दूओं में नवीन शक्ति का संचार हुआ, जो पाश्चात्य सभ्यता से

अपने को हेय समझते थे। उन्होंने सुदूर देशों की यात्रा करके भारी अनुभव प्राप्त किया था।

स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा - स्वामी जी स्वतंत्रता को मानव विकास का मूल मंत्र मानते थे, किसी वर्ग, जाति या धर्म विशेष की धरोहर नहीं। जहां जीवन है, वहां स्वतंत्रता आवश्यक है। व्यक्ति और समाज के आत्मिक, नैतिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के विकास में स्वतंत्रता आवश्यक है। उन्होंने सदा ही तथा निरन्तर इस बात पर बल दिया कि देश में स्वतंत्रता एवं समानता हो तथा जनता को ऊपर उठाया जाना चाहिए। वह इस बात को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे कि उसे अपने शरीर, बुद्धि तथा धन को अपनी इच्छानुसार इस प्रकार प्रयोग करने दिया जाये कि दूसरे किसी को कोई हानि न हो। यह सम्भव नहीं है कि वह मनुष्य समाज व जाति और राष्ट्र उन्नति करें, जहां स्वतंत्रता नहीं है।

राष्ट्रवाद सम्बन्धी धारणा - एक सन्त के रूप में उनका लक्ष्य सम्पूर्ण मानव जाति की सेवा था एवं देशभक्ति तथा राष्ट्रवाद की भावना भी मौजूद थी। वे भारतीय जनता को निर्धनता तथा अज्ञानता से मुक्त कराने के लिए प्रयत्नशील रहे। उनका राष्ट्रवाद सेवा की भावना से प्रेरित था। उनके अनुसार धर्म, भारत के राष्ट्रीय हित का मुख्य अंग होना चाहिए। उनका राष्ट्रवाद आध्यात्मिकता पर आधारित था। राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक अथवा धार्मिक सिद्धान्त स्वामी विवेकानन्द की प्रमुख देन थी।

समाजवाद संबंधी धारणा - समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसरों को भोगने का अवसर मिले, इसे ही समाजवाद कहते हैं। स्वामीजी का विश्वास था कि वह राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है, जिसे भोगते हुए जनसामान्य

आर्थिक उत्थान प्राप्त न कर सके।

वैदिक परम्परा का निर्वहन - स्वामी अद्वैत वेदान्त के समर्थक थे। उनके दर्शन का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण स्रोत वैदिक परम्परा एवं वेदान्त ही थे। वेद, विश्वास उनके लिए प्राण के समान प्रिय था। स्वामी दयानन्द सरस्वती की तरह स्वामी विवेकानन्द ने भी वेद तथा वेदान्त की धारणाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति के गौरव को प्रतिष्ठित किया। इसी के सहारे उन्होंने संसार के सामने भाषा, साहित्य, ज्ञान-विज्ञान, इतिहास, धर्म तथा संस्कृति के क्षेत्र में भारत को अन्य देशों की तुलना में समृद्ध दिखाया।

रामकृष्ण मिशन की स्थापना - जिस प्रकार स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 'आर्य समाज' की स्थापना की, उसी प्रकार स्वामी विवेकानन्द ने 1893 ई. में 'रामकृष्ण मिशन' की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म का प्रचार तथा भारतीयों का नैतिक व आध्यात्मिक उत्थान, दीन दुखियों की सेवा-सहायता करके उन्हें शिक्षित करना और ऊपर उठाना था। इसके अतिरिक्त समाज सुधार हेतु जातीय भेदभाव तथा धार्मिक अन्धविश्वासों और कुरीतियों को दूर करना था।

पाश्चात्य अन्धानुकरण का विरोध - उस समय लोग पाश्चात्य शिक्षा की खूब पैरवी करने में लगे हुए थे। भौतिक सभ्यता की ओर इतने आसक्त थे कि भारत की गौरवपूर्ण संस्कृति को धीरे-धीरे भूलते जा रहे थे। स्वामीजी ने इस अन्धानुकरण का विरोध किया। उनका कथन था कि धर्म का निवास भारत के दर्शन, संस्कृति और अध्यात्म में है।

जनसेवा का समर्थन - स्वामीजी में जनसेवा का भाव प्रबल था। अभावों से ग्रस्त मानव जाति के सुखी होने तथा उनके स्वाभिमानपूर्वक जीवन के लिए हमेशा कामना रही। उनके अनुसार जनसेवा को सच्ची राष्ट्रसेवा के रूप में देखा गया। निर्धनता की समाप्ति और अच्छी शिक्षा से आत्मोन्नति का रास्ता खोलने की बात की।

जाति प्रथा सम्बन्धी विचार - समाज का जाति के आधार पर बंटवारा जो न्यायोचित नहीं था, उसे कर्म के आधार पर विभाजित करने का प्रयास किया गया। उनके अनुसार समाज को शिक्षित करके चतुर्वर्ण व्यवस्था समाप्त की जा सकती है। अतः आवश्यक शिक्षा पर बल दिया। उनके अनुसार जाति प्रथा की संकीर्णताएं विलुप्त करने का एकमात्र उपाय निम्न वर्ग को शिक्षित करना है।

कर्म की प्रधानता - स्वामीजी के अनुसार व्यक्ति को सदा क्रियाशील बने रहना चाहिए। स्वामीजी का विख्यात कथन है कि 'प्रत्येक कार्य में अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग करो, सभी मरेंगे, साधु या असाधु, धनी या दरिद्र सभी। अतएव उठो, जागो और तब तक रुको नहीं, जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।' स्वामीजी के अनुसार व्यक्ति को एक समय में एक ही लक्ष्य तय करके उसके प्रति समर्पित होना चाहिए। साथ ही अपने कर्म के मार्ग में साहस और निर्भिकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

आध्यात्मिक मानववाद के अन्तर्गत एक दृष्टिकोण था और वह यह कि 'आत्मा का संभावित दैवत्व।' उनके अनुसार यदि आत्मा के दैवत्व में कमी आती है तो यह कमी ही उसे नैतिक पतन की ओर ले जाती है। अतः हमें आत्मा की अखण्डता का अभ्यास करना चाहिए। यह अभ्यास जनसेवा के माध्यम से किया जा सकता है।

वर्तमान में प्रासंगिकता - स्वामी विवेकानन्द का दर्शन कर्म का आह्वान करता है। उनका चुम्बकत्व चिन्तक के लिए नहीं वरन् कर्मशील मनुष्य के लिए है। स्वामी विवेकानन्द एवं दयानन्द सरस्वती जैसे महान् समाजसेवी, क्रान्तिकारी संतों एवं भारतीय संस्कृति की गौरवमयी धरोहर, प्राचीन धार्मिक, वैदिक साहित्य का प्रभाव आज भी उसी कलेवर के साथ वर्तमान समय के

संतों में देखा जा सकता है। स्वामी अनिरुद्धाचार्य, संत श्री धीरेन्द्र शास्त्री, अवधेशानन्द गिरी महाराज और सबसे अधिक प्रबल और प्रभावी संत प्रेमानन्द महाराज के संकल्प और साधना को देखा जा सकता है।

भारत के वर्तमान समय के इन राष्ट्रवादी संतों के द्वारा भी नैतिक मूल्यों को तरासने के साथ-साथ राष्ट्रप्रेम (राष्ट्रवाद) का भाव प्रबल रूप से जाग्रत किया जा रहा है। स्वामी विवेकानन्द एवं दयानन्द सरस्वती की शिक्षा कर्मयोग एवं राष्ट्रप्रेम का स्वरूप वर्तमान के बहुचर्चित आत्मज्ञानी भगवत प्राप्त संत प्रेमानन्दजी में देखा जा सकता है। वे भी शास्त्रानुकूल एवं स्वामीजी के सिद्धान्त और आदर्शों के अनुरूप ही मानवमात्र के कल्याण की शिक्षा देने के साथ-साथ प्राणों की बाजी लगाकर भी राष्ट्रसेवा पर बल देते हैं। वर्तमान समय में जिस प्रकार भारत देश में पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया जा रहा है और उसकी विकृति का सामना करना पड़ रहा है, जैसे स्वतंत्रता के नाम पर विवाह के पूर्व नवयुवकों-युवतियों के द्वारा दोस्ती को आधार बनाकर साथ में रहना और फिर सम्बन्ध विच्छेद होना, यह भारतीय संस्कृति एवं शास्त्रों के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की संस्कृति हावी होते चली आ रही है। ऐसे समय में भी हमारे राष्ट्रीय संतों के द्वारा शास्त्रीय पद्धति एवं गौरवमयी इतिहास के उदाहरण देकर भटकते हुए युवाओं को निःस्वार्थ मानव सेवा एवं राष्ट्रप्रेम की शिक्षा देकर राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। अतः स्वामी विवेकानन्द के विचार निश्चित रूप से कालजयी एवं जीवन उपयोगी हैं।

निष्कर्ष - स्वामी विवेकानन्द के द्वारा जो मानव मूल्यों को आत्मसात करके राष्ट्रप्रेम की शिक्षा दी गई, जिस प्रकार से स्वतंत्रता को परिभाषित किया। राष्ट्रवाद के स्वरूप को जिस प्रकार मानव जाति की सेवा के साथ जोड़ा, वैदिक परम्परा को जिस प्रकार अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास किया, अस्पृश्यता एवं जातिवाद को उन्होंने परिष्कृत रूप से उजागर किया और इन सबके पीछे उनका कर्मयोग का सिद्धान्त स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है और यह कालजयी सिद्धान्त आज भी शास्त्र अनुकूल और सामयिक है, जिसको वर्तमान राष्ट्रीय संतों के द्वारा उल्लेखित करके भटके नवजवानों को सही राह पर लाया जा रहा है। लाखों की संख्या में नवयुवक एवं सामान्य जनसमुदाय प्रत्यक्ष राष्ट्रीय संतों के सानिध्य में जाकर एवं सामाजिक जनसंचार के माध्यम से अपने जीवन में बदलाव लाकर अपने को मानव सेवा एवं राष्ट्रप्रेम से जोड़ रहे हैं अर्थात् श्रीमद्भगवद्गीता के कर्मयोग को स्वामी विवेकानन्द एवं समकालीन आधुनिककाल के संतों के द्वारा आत्मसात किया और लोगों को शिक्षा प्रदान कर जनकल्याण किया और तत्कालीन राष्ट्रीय संतों के द्वारा भी हमारी आध्यात्मिक, साहित्यिक धरोहर को लोककल्याण हेतु उजागर किया एवं लाखों लोग हमारे गौरवमयी वैदिक साहित्य को आत्मसात कर राष्ट्र एवं स्वयं के जीवन का उद्धार कर रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. सिंह सर्वेश - दार्शनिक विचारक एवं सामाजिक सुधारक, 2015.
2. सतीश के. कपूर - सांस्कृतिक संपर्क और सम्मिश्रण : पश्चिम में स्वामी विवेकानन्द, 1893.
3. प्रो. पटेल किशोर - नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं मनोवृत्ति।
4. एस.वी. भारती - स्वामी विवेकानन्द का शैक्षिक दर्शन।
5. चौधरी एस.के. - महान राजनीतिक विचारक : स्वामी विवेकानन्द।
6. शर्मा जी. रंजीत - स्वामी विवेकानन्द का आदर्शवादी दर्शन।
7. सिंह शैल कुमारी - स्वामी विवेकानन्द का धार्मिक और नैतिक दर्शन।
8. गुप्ता सुबोधचन्द्र सेन - स्वामी विवेकानन्द और भारतीय राष्ट्रवाद।

राजस्थान के जयपुर जिले की द्रव्यवती नदी जीर्णोद्धार परियोजना के सन्दर्भ में जल प्रदूषण नियंत्रण का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. कीर्ति चौधरी* सविता शर्मा**

* प्रोफेसर (भूगोल) सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर (राज.) भारत
** शोधकर्ता (भूगोल) सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर (राज.) भारत

शोध सारांश – पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व जल के बिना असंभव है। जल पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। पृथ्वी पर जल का अस्तित्व नदियों, हिमानियों, झीलों, तालाबों व भूमिगत जल के रूप में है। सदाना नदिया मीठे जल स्रोत के रूप में प्राचीनकाल से मानव सभ्यता को पोषित करती रही है परन्तु तीव्र गति से बढ़ते नगरीकरण तथा औद्योगिकरण के कारण मानव ने नदियों के प्राकृतिक स्वरूप को प्रदूषित कर दिया है। जल की गुणवत्ता प्राकृतिक परिस्थितियों से भी प्रभावित होती है लेकिन प्रदूषण शब्द से आशय आमतौर पर संदूषण के स्रोत के रूप में मानवीय गतिविधियों से है। जल प्रदूषण मुख्य रूप से दूषित अपशिष्ट जल को सतही जल स्रोतों में प्रवाहित करने के कारण होता है। प्रस्तुत शोध पत्र में राजस्थान के जयपुर जिले की द्रव्यवती नदी जीर्णोद्धार परियोजना के सन्दर्भ में जल प्रदूषण की वर्तमान स्थिति तथा आधुनिक तकनीक से जल प्रदूषण नियंत्रण का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

शब्द कुंजी – पारिस्थितिक तंत्र, प्रदूषण नियंत्रण, जीर्णोद्धार परियोजना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, नगरीय एवं औद्योगिक अपशिष्ट, अनुपचारित जल।

प्रस्तावना – सभी मानवीय क्रियाकलापों के लिए जल एक महत्वपूर्ण तत्व है। पृथ्वी पर जल का अस्तित्व नदियों, हिमानियों, झीलों, तालाबों एवं भूमिगत जल आदि के रूप में विद्यमान है। नदियाँ प्राचीनकाल से ही प्राकृतिक मीठे जल के स्रोत के रूप में मानव सभ्यता को पोषित करने में अपना अमूल्य योगदान देती रही है। विश्व की अधिकांश मानव सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों में हुआ। नदियाँ आज भी पेयजल, सिंचाई हेतु जलापूर्ति, विद्युत उत्पादन, मछलीपालन, पर्यटन एवं नगरीय जलापूर्ति के माध्यम से मानव विकास एवं प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाये रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है।

वर्तमान में तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण से उत्पन्न अतिक्रमण एवं मानव की अतिशोषणकारी प्रवृत्ति ने विश्व की अधिकांश नदियों के प्राकृतिक स्वरूप को प्रदूषित कर दिया है। यद्यपि जल की गुणवत्ता प्राकृतिक परिस्थितियों से भी प्रभावित होती है परन्तु प्रदूषण शब्द से तात्पर्य आमतौर पर संदूषण के स्रोत के रूप में मानवीय गतिविधियों से है। अतएव जल प्रदूषण मुख्य रूप से अपशिष्ट जल को सतही जल स्रोतों में प्रवाहित करने के कारण होता है।

द्रव्यवती नदी राजस्थान के जयपुर जिले की एक महत्वपूर्ण नदी है। प्राचीन समय में यह नदी स्वच्छ पेयजल के स्रोत के रूप में जयपुर शहर की जीवनरेखा कहलाती थी। समय के साथ तीव्र गति से बढ़ती नगरीय जनसंख्या, शहरीकरण व औद्योगिकरण के कारण नगरीय घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट का जमाव नदी के बहाव क्षेत्र में बढ़ता चला गया। शहर का घरेलू अपशिष्ट व मल-जल तथा उद्योगों से निकला प्रदूषित जल नदी में सीधे ही प्रवाहित किया जाने लगा। अपशिष्ट पदार्थों एवं मल-जल के कारण यह निर्मल जल धारा धीरे-धीरे एक गन्दे जल के नाले के रूप में

तब्दील हो गई जिसे अमानीशाह नाला के रूप में जाना जाने लगा।


अपना वास्तविक स्वरूप खोती हुई द्रव्यवती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए राजस्थान सरकार ने 2016 में द्रव्यवती नदी जीर्णोद्धार परियोजना की शुरुआत की। जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) तथा टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड (TPL) एवं शंघाई अर्बन कंस्ट्रक्शन ग्रुप (SUCG) के बीच एक एमओयू हुआ तथा लगभग 1674 करोड़ रु. लागत वाली इस जीर्णोद्धार परियोजना की शुरुआत की गई। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य शहर को आगामी बाढ़ के खतरे से बचाना तथा शहर के गंदे नाले की जगह एक जीवंत बारहमासी नदी का विकास करना था।

प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से वर्तमान में द्रव्यवती नदी जीर्णोद्धार परियोजना के सन्दर्भ में जल की गुणवत्ता एवं जल प्रदूषण की स्थिति एवं उसके कारणों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र – प्रस्तुत अध्ययन राजस्थान के जयपुर जिले की द्रव्यवती नदी पर आधारित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर 26°55' उत्तरी अक्षांश तथा 75°49' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। इसकी स्थापना 1727 ई. में जयपुर महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। यह उत्तर दिशा में अलवर तथा सीकर से, पश्चिम में सीकर, नागौर तथा अजमेर से, दक्षिण में टोंक, सवाई माधोपुर तथा पूर्व में दौसा व भरतपुर जिलों से घिरा है। इसका क्षेत्रफल 484.64 वर्ग किमी. है तथा 2011 के अनुसार इसकी जनसंख्या 30,74,000 व्यक्ति है।

द्रव्यवती नदी जयपुर जिले की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम जयपुर के उत्तर में आमेर स्थित नाहरगढ़ की पहाड़ियों के पश्चिमी ढलान से होता है तथा यह जयपुर शहर के मध्यवर्ती भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर 47.5 किमी. की लम्बाई में बहकर अन्त में दूढ़ नदी में मिल जाती है। जयपुर

शहर की अधिकांश जनसंख्या इस नदी के दोनों ओर 10 किमी. की परिधि में निवास करती है।



चित्र-द्रव्यवती नदी की मानचित्र में अवस्थिति

शोध उद्देश्य :

1. द्रव्यवती नदी जीर्णोद्धार परियोजना के सन्दर्भ में जल प्रदूषण नियंत्रण का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
2. नदी परियोजना में जल प्रदूषण की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना तथा प्रदूषण निंत्रण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

आंकड़ों के स्रोत एवं शोध विधि तंत्र - प्रस्तुत शोध पत्र मुख्यतः विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, रिपोर्टों आदि से प्राप्त द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। शोध पत्र में प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों व तथ्यों का भी प्रयोग किया गया है।

द्रव्यवती नदी जीर्णोद्धार परियोजना द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास - 2016 में जयपुर विकास प्राधिकरण तथा टाटा ग्रुप एवं शंघाई अर्बन कंस्ट्रक्शन ग्रुप के बीच द्रव्यवती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इस परियोजना के तहत जयपुर शहरी क्षेत्र तथा व्यावसायिक क्षेत्र से निकलने वाले दूषित सीवेजयुक्त अपशिष्ट जल को उपचारित करके नदी में स्वच्छ जल का प्रवाह सुनिश्चित किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत नदी से कचरे तथा मलबे को मशीनों से हटाया गया तथा 150-400 फिट की चौड़ाई तथा 1 मीटर की गहराई में नदी को कंक्रीट चैनल के रूप में पक्का किया गया। नदी की कंक्रीट निर्मित सम्पूर्ण लम्बाई में कुल 84 चैक-डेम के रूप में भू-जल संग्रहण संरचनाएं निर्मित की गईं।

सीवेज युक्त जल के उपचार के लिए नदी के किनारे कुल 170 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) क्षमता के 5 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सीतापुरा, बरसी, बम्बाला, देवरी व गोनेर में स्थापित किए गए हैं तथा कुल 40 एमएलडी

क्षमता के 2 प्लांट सुशीलपुरा तथा जगतपुरा में प्रस्तावित है। टाटा प्रोजेक्ट्स द्वारा निर्मित सभी 5 एसटीपी वर्तमान में सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। सीक्रेस बेच रिएक्टर (एसबीआर) तकनीक पर आधारित इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की पूर्ण क्षमतानुसार बाहरी मल-जल को उपचारित करके नदी में प्रवाहित किया जा रहा है।

सांगानेर औद्योगिक क्षेत्र के रंगाई-छपाई उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक रसायनयुक्त प्रदूषित जल को नदी में गिरने से रोक दिया गया है तथा वर्तमान में यह विषाक्त रसायनयुक्त जल सांगानेर (मुहाना) स्थित सीईटीपी (कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) में उपचारित किया जा रहा है।

सारणी-1 द्रव्यवती नदी जीर्णोद्धार परियोजना के तहत संचालित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

क्र.	एस.टी.पी की स्थिति	स्थापित क्षमता (एमएलडी)	सीवेज उपचार में योगदान (प्रतिशत में)
1	सीतापुरा	100	58.8
2	बम्बाला	25	14.7
3	बरसी	20	11.8
4	देवरी	15	8.8
5	गोनेर	10	5.9
	योग	170	100

द्रव्यवती परियोजना में एस.टी.पी. प्लांट के तहत सीवेज के उपचार की कार्यप्रणाली

- चरण-1. **मलजल संग्रह** - विभिन्न स्रोतों जैसे नगरीय रिहायशी क्षेत्रों तथा व्यावसायिक क्षेत्रों से दूषित जल उत्पन्न होता है।
- चरण-2. **इन्टरसेप्टर चेम्बर** - विभिन्न स्रोतों से दूषित पानी नदी की ओर बहता है और यहाँ संग्रहित किया जाता है, जिससे पहले इसमें से ठोस कूड़ा अलग हो जाता है।
- चरण-3. **सीवेज पम्पिंग स्टेशन** - संग्रहित पानी गुरुत्वाकर्षण से या पम्प द्वारा एस.टी.पी. तक भेजा जाता है।
- चरण-4. **सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट** - पानी में ऐसे बेवटीरिया डाले जाते हैं जो पानी में हवा बहने से सीवेज को खा लेते हैं जिसके बाद पानी को स्थिर छोड़ दिया जाता है जिससे कि पानी नीचे बैठ जाता है।
- चरण-5. **क्लोरीनेशन चेम्बर** - स्वच्छ पानी गलियारों से गुजरता है जहाँ उसे क्लोरीन से किटाणुमुक्त किया जाता है।
- चरण-6. **द्रव्यवती नदी** - यह स्वच्छ पानी विभिन्न स्थानों पर द्रव्यवती नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है।

द्रव्यवती नदी में प्रदूषण की वर्तमान स्थिति - द्रव्यवती नदी में जल प्रदूषण वर्तमान में जयपुर शहर के लिए एक प्रमुख समस्या है। जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर तथा राजधानी है जिसकी 2011 की जनगणनानुसार जनसंख्या 30,74,000 थी तथा वर्तमान में अनुमानित जनसंख्या 43,09,000 है। जयपुर शहर की अधिकांश आबादी द्रव्यवती

नदी के दोनों ओर की 10 किमी. की परिधि में निवास करती है। राजधानी में प्रतिदिन 550 एमएलडी से अधिक सीवर निकलता है जबकि जयपुर विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम की ओर से मात्र 400 एमएलडी सीवर को ही उपचारित करने के प्लांट स्थापित है। ऐसे में लगभग 150 एमएलडी सीवेज सीधे ही नदी-नालों में बहाया जा रहा है जो द्रव्यवती नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। नियमित सफाई के अभाव में भी जल प्रदूषण बढ़ रहा है।

वर्तमान में द्रव्यवती नदी में अनेक स्थानों पर नगरीय सीवेज व अपशिष्ट जल सीधे ही प्रवाहित हो रहा है। जगतपुरा स्थित विधानी पुलिया, अजमेर रोड स्थित सुशीलपुरा पुलिया, पुरानी चुंगी, चौमू पुलिया के निकट अम्बा बाडी तथा सुशीलपुरा से आगे दूढ़ नदी ओर नदी में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। सीवेज का पानी सीधे नदी में प्रवाहित होने से नदी का पानी अत्यधिक बदबूदार एवं झागयुक्त हो गया है जो निकटवर्ती निवासियों के लिए अनेक घातक बीमारियां उत्पन्न कर रहा है। इन क्षेत्रों में मलेरिया, डेंगू तथा स्क्रबटाईफस जैसे रोग लगातार बढ़ रहे हैं।



चित्र-A

चित्र-B

द्रव्यवती नदी परियोजना के निर्माण से पूर्व अमानीशाह नाले के छाया चित्र



चित्र-C

चित्र-D

द्रव्यवती नदी परियोजना के निर्माण के पश्चात वर्तमान के छाया चित्र

निष्कर्ष - द्रव्यवती नदी राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका मुख्य उद्देश्य गंदे नाले के रूप में तब्दील हो चुकी द्रव्यवती नदी को पुनर्जीवित करके इसे एक जीवंत स्वच्छ बारहमासी नदी के रूप में विकसित करना है।

टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड तथा शंघाई अर्बन कंस्ट्रक्शन ग्रुप ने संयुक्त उद्यम के रूप में कार्य करके इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बेहतर योगदान दिया है। परन्तु अभी भी यह परियोजना अपने निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर पायी है। कई स्थानों पर नगरीय अपशिष्ट व सीवेज

का प्रवाह सीधे ही नदी में हो रहा है। नियमित सफाई के अभाव में कई स्थानों पर नदी अभी भी गंदे नाले के स्वरूप में बनी हुई है, जिससे घातक बीमारियां फैल रही हैं तथा दुर्गंध से नदी के किनारे आवासीय बस्तियों में वातावरण प्रदूषित हो रहा है।

सुझाव - इस शोध पत्र से जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ है उसके आधार पर द्रव्यवती नदी में जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं -

1. इस परियोजना को पूर्णतः सफल बनाने के लिए राज्य सरकार के उपक्रम जयपुर विकास प्राधिकरण तथा टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं शंघाई अर्बन कंस्ट्रक्शन ग्रुप के मध्य पुनः एक मजबूत नीतिगत एवं आर्थिक समझौते की आवश्यकता है ताकि नदी के जल की गुणवत्ता को बनाये रखा जा सके।
2. नदी में प्रवाहित हो रहे सीवेज के उपचार के लिए और अधिक संख्या में तथा उपयुक्त क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की जानी चाहिए।
3. नदी में प्रतिवर्ष बारिश के दौरान जमा होने वाली रेत व गाद की नियमित सफाई करने की आवश्यकता है ताकि नदी में वर्ष भर स्वच्छ जल प्रवाह नियमित रूप से होता रहे।
4. आम जनता द्वारा नदी में प्रवाहित की जाने वाली अपशिष्ट सामग्री पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियमावली बनाकर उसके पालन हेतु सख्त निर्देश जारी किए जाने चाहिए तथा आवश्यकता पड़ने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है ताकि नदी में अपशिष्ट प्रवाह को पूर्णतः रोका जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Mehta shivam, Sogani Monika, shyed zainab, Sonu Kumar, Kumar Anu and Vyas anil Dutt, Environmental Science and pollution Research Article, River rejuvenation in urban India for enhancing living condition through integrated water resources management, Volume 31, pages 682-698 (2004).
2. Rangata Matomes, odeku Kola o, An overview of water pollution Control strategy. Mediterranean journal of social science. Vol. 5 No. 23, November 2014.
3. City Development plan for Jaipur, Chapter-2. Jaipur municipal corporation.
4. <https://www.Britannica.com> > Science
5. <https://cpcb.nic.in>
6. <https://www.census2011.co.in>
7. www-patrika.com.cdn.amproject.org
8. <https://timesofindia.indiatimes.com>>.....
9. www.etvbharat.com.cdn.amproject.org
10. @Tataprospectsofficial.
11. www.Tataprospects.com

भील जनजाति की महिलाओं के शैक्षिक विकास में शासकीय योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन

डॉ. दीपक गर्ग* बरखा अलंसे**

*शोध निर्देशक, रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी, रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल(म.प्र.) भारत

शोध सारांश – आधुनिक समाज में शिक्षा का बहुत महत्व है, इसलिए शिक्षा को अक्सर उज्ज्वल भविष्य की कुंजी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में, हम पाते हैं कि गैर-आदिवासी समूह शिक्षा की मदद से लाभान्वित हुए हैं, लेकिन जनजातियाँ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। भील जनजाति भारत की तीसरी तथा मध्यप्रदेश की पहली बड़ी जनजाति है। आदिवासी समुदायों सहित सभी के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा शुरू की गई अनेक पहलों और कार्यक्रमों को सावधानीपूर्वक डिजाइन और क्रियान्वित किया गया है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य भील जनजाति की महिलाओं के लिए उपलब्ध शैक्षिक मानकों और अवसरों को बढ़ाना और उन्नत करना है, जो विशेष रूप से शिक्षा के महत्व के बारे में उनकी चेतना बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, साथ ही साथ समाज के भीतर उनके समग्र विकास और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करते हैं। यह पत्र मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदायों की शैक्षिक स्थिति पर केंद्रित है, जहां 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजाति राज्य की आबादी का 21-1 प्रतिशत 72-62 मिलियन में से 15-31 मिलियन) है। पत्र माध्यमिक डेटा की मदद से किया जाता है जो विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए जाते हैं। यह पत्र जनजातियों के बीच शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है।

शब्द कुंजी – अनुसूचित जनजाति, शिक्षा, शैक्षिक स्थिति।

प्रस्तावना – भारत विविधताओं वाला देश है। आज भी भारत के दुर्गम क्षेत्रों में ऐसे मानव समूह हैं, जो हजारों वर्षों से विश्व की सभ्यता से दूर, सामाजिक सभ्यता और समाज की मुख्यधारा से दूर क्षेत्रों में रहते हुए भी अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना और पहचान को बनाए रखते हैं। इन्हें प्राचीन सामाजिक और आर्थिक जीवन का सामाजिक प्रतिनिधि भी कहा जाता है। इन मानव समूहों को आदिवासी जैसे नामों से संदर्भित किया जाता है। कोई भी मानव समुदाय जिसमें मानव लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े समुदाय के साथ संकोच, पिछड़ापन जैसी विशेषताएं हों उसे आदिवासी कहा जाता है। इनमें उनकी मूल प्रजातियों की विशेषताएं अधिक स्पष्ट होती हैं। यानी इनका जातीय मिश्रण ज्यादा नहीं होता। आदिवासी शब्द को स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक सामान्य क्षेत्र में रहते हैं, एक सामान्य भाषा बोलते हैं और एक सामान्य संस्कृति का पालन करते हैं, उन्हें आदिवासी कहा जाता है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में इन्हें 'अनुसूचित जनजाति' कहा गया है।

विश्व की आदिवासी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा भारत में ही मौजूद है। अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर दुनिया की सबसे ज्यादा जनजातियाँ भारत में रहती हैं। भारत में लगभग 697 जनजातियाँ हैं जिनकी जनसंख्या 10-45 करोड़ है। इनमें से कुछ हैं मुंडा, खड़िया, बोडो, भील, संधाल, मीना, लोहार, प्रधान, सहरिया, उरांव आदि। इन जनजातियों की जनसंख्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड राज्यों में अधिक है। किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का आधार पुरातन

मान्यता, विशेष संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, अन्य समुदायों के बीच संकोच और पिछड़ापन है। उनकी सामाजिक-आर्थिक भागीदारी भी बहुत कम है। चाहे वह शिशु मृत्यु दर हो, स्वामित्व वाली कृषि योग्य भूमि का आकार हो या पीने योग्य पानी की उपलब्धता या बिजली तक पहुंच हो, आदिवासी समुदाय आम लोगों से बहुत पीछे है।

आदिवासियों की संस्कृति – आदिवासियों की अपनी विशिष्ट संस्कृति के कारण एक अलग पहचान है। भारत के अधिकांश आदिवासियों की जीवनशैली पर जंगलों का प्रभाव रहा है क्योंकि उन्हें शुरू से ही आजीविका के साधन जंगलों से मिलते रहे हैं। आदिवासियों के बीच आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था एक अविभाज्य इकाई है। यह समुदाय अक्सर कई प्राकृतिक शक्तियों पर निर्भर होता है, जिसे अनुकूल बनाने के लिए कई कानूनी प्रयास, व्यक्तिगत और सामूहिक पूजा आदि करते हैं। ये लोग प्रकृति को देवी-देवताओं की तरह पूजते हैं क्योंकि प्रकृति से ही उन्हें अनेक प्रकार की जड़ी-बूटियाँ, फल, फूल, शहद, गोंद और लकड़ी आदि प्राप्त होती है। जो उन्हें भोजन प्रदान करती है। उनके लिए जंगल ही सबकुछ है। आदिवासियों की जीवनशैली में शिकार का बहुत महत्व है। उन्हें न केवल अपने भोजन के लिए बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए भी जानवरों को मारना पड़ता है। यानी पूरी संस्कृति जंगल पर ही आधारित है।

साहित्य की समीक्षा

रामचंद्रन, आर. (2017) ने भारत में अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक स्थिति पर अध्ययन किया। इस अध्ययन का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता का पता लगाना और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की

स्कूल छोड़ने की दर का पता लगाना था।

ब्रह्मानंदम,टी (2016) ने अनुसूचित जनजातियों के बीच शैक्षिक स्थिति पर अध्ययन किया। मुद्दे और चुनौतियाँ। इस अध्ययन का उद्देश्य शैक्षिक अवसरों का पता लगाना और उनकी शिक्षा में सुधार के लिए उचित उपाय सुझाना था। डेटा के प्रभाव का विश्लेषण करने के बाद पाया गया कि शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन अनुसूचित जनजातियों की तुलना में काफी कम था।

सत्यसावित्री,वी.बी. (2018) ने भारत में आश्रम विद्यालयों के मुद्दों और आदिवासी शिक्षा की चुनौतियों के प्रभाव पर अध्ययन किया। इस अध्ययन से यह पता चला कि वर्ष 1961 में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर कुल जनसंख्या का 8-53 प्रतिशत और 28-3 प्रतिशत थी। 1991 में यह बढ़कर अनुसूचित जनजातियों और सभी सामाजिक श्रेणियों में क्रमशः 29-6 प्रतिशत और 52-21 प्रतिशत हो गई। 2011 में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर बढ़कर 58-96 प्रतिशत और कुल जनसंख्या का 72-99 प्रतिशत हो गई। गरीबी उनके शैक्षिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारक है। जिन आदिवासी माता-पिता के बच्चे आश्रम स्कूलों में पढ़ते हैं, वे कृषि या पारंपरिक गतिविधियों में संलग्न होंगे, जो उन्हें बेहतर शिक्षा प्रदान करने में मदद नहीं करेगा।

मकबूल,मारिया और अखतर,मफारा (2019) ने वंचित समाज अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर अध्ययन किया। यह पाया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकांश लोग निरक्षर हैं और साक्षर लोगों में से अधिकांश की शैक्षिक उपलब्धि न्यूनतम है। यह भी पाया गया कि अनुसूचित जातियों की तीनों पीढ़ियों में निरक्षरता अधिक है।

राघवेंद्र,आर.एच. (2020) ने भारत में अनुसूचित जातियों की साक्षरता और स्वास्थ्य स्थिति का अध्ययन किया। खोज से पता चला कि उन्हें अज्ञानता के कारण और कभी-कभी जाति या नस्ल जैसी सामाजिक सीमाओं के कारण इन प्रावधानों तक पहुँचने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हालाँकि, अनुसूचित जातियों की मानव विकास स्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति करने के लिए, विकास संगठनों को प्रोत्साहन के विभिन्न स्तरों का पता लगाना जारी रखना चाहिए और भारत में राष्ट्रीय सामाजिक समानता का अनुसरण करना चाहिए।

उद्देश्य:

1. धार जिले की जनजातीय महिलाओं की शैक्षिक स्थितिका अध्ययन करना।
2. मध्य प्रदेश की जनजातियों की शैक्षिक स्थिति के उत्थान और कल्याण के लिए सरकारी कार्यक्रमों के विकास को समझना।

शोध पद्धति - इस शोध पत्र में ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग किया गया है। इसमें संपूर्ण भारत की जनसंख्या शामिल है। इसके लिए भारत और मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों को अध्ययन के नमूने के रूप में चुना गया है। जनजातियों की शैक्षिक स्थिति जानने के लिए शोधकर्ता ने एक शैक्षिक प्रारूप का उपयोग किया है। डेटा को द्वितीयक स्रोतों (भारत की जनगणना 2011) के माध्यम से संकलित किया गया है।

डेटा विश्लेषण

अध्ययन क्षेत्र में जनजातीय महिलाओं के उत्थान के लिए सरकारी योजनाएँ और सर्वेक्षण के परिणाम - केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर

सरकारें जनजातीय महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएँ चलाती हैं। जहाँ कुछ योजनाएँ सीधे महिलाओं को लक्षित करती हैं, वहीं कई अन्य महिला केंद्रित मुद्दों की ओर झुकाव के साथ सामान्य रूप से जनजातीय लोगों के लिए हैं। इनमें से कुछ योजनाएँ जो सीधे अध्ययन क्षेत्र में चल रही हैं, उनके लक्ष्य, उद्देश्य और उपलब्धियों के साथ-साथ सर्वेक्षण के परिणामों द्वारा सामने आई जमीनी स्थिति का उल्लेख नीचे किया गया है।

शिक्षा संबंधी योजनाएँ - शिक्षा को सभी प्रकार के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास (सेन, 1994) के लिए एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है जो किसी राष्ट्र के मानव संसाधन और आर्थिक परिदृश्य को बढ़ावा देता है (यूएनएफपीए)। इसके अलावा, विशेष रूप से महिलाओं पर शिक्षा में निवेश बेहतर आर्थिक स्थिति, मजबूत निर्णय लेने की शक्ति, आत्मविश्वास में वृद्धि, संसाधनों पर नियंत्रण, शारीरिक गतिशीलता में छूट, प्रभावी पति-पत्नी संचार और बुढ़ापे में आत्मनिर्भरता के माध्यम से एक उन्नत स्थिति लाता है (मेसन, 1998)। चूंकि शिक्षा को आदिवासी समुदाय के सामाजिक और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, इसलिए सरकार ने उनके शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिए हरसंभव प्रयास किए हैं। आदिवासी छात्रों को मुफ्त बोर्डिंग सुविधाओं, मुफ्त पाठ्य पुस्तकों और गणवेश के साथ मुफ्त शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से विशेष सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। आदिवासी शिक्षा के सुधार के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आवासीय आश्रम विद्यालय, मध्याह्न भोजन योजना और नवोदय विद्यालय के तहत विशेष ध्यान दिया गया है। इसी तरह आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत भारत सरकार द्वारा कक्षा VI से कक्षा XII तक 20 राज्यों में 100 मॉडल आवासीय विद्यालय (एकलव्य मॉडल स्कूल) स्थापित किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य उन्हें उच्च और व्यावसायिक स्तर के साथ-साथ सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में नौकरी में आरक्षण की सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम बनाना था। 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य में साक्षरता दर लगभग 73 प्रतिशत है, जो बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है, लेकिन एसटी के लिए, यह केवल 52-24 प्रतिशत है जो औसत साक्षरता दर (ALR) से पीछे है। इस साहित्यिक अंतर को पाटने के लिए, मध्य प्रदेश सरकार साक्षरता के आधार पर वास्तविक कदम उठा रही है। इनमें से कुछ योजनाएँ जो अध्ययन क्षेत्र में सीधे संचालित हो रही हैं, उनका उल्लेख नीचे किया गया है।

कन्या शिक्षा परिसर - मध्य प्रदेश का आदिवासी कल्याण विभाग मेधावी एससीएसटी लड़कियों को मुफ्त छात्रावास, किताबें, लेखन सामग्री, कंप्यूटर प्रशिक्षण और समाचार पत्र प्रदान करने के लिए यह योजना चलाता है। एसटी गर्ल्स साइंस अवार्ड स्कीमरू यह योजना विज्ञान में उनकी योग्यता के लिए 12वीं कक्षा की दस एसटी लड़कियों को पुरस्कृत करती है।

आवास भत्ता सहायता योजना - यह योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गरीब छात्रों के लिए है, जिन्हें पढ़ाई के लिए अपने कॉलेज के पास आवास किराए पर लेना पड़ता है।

आश्रम विद्यालयों की स्थापना के लिए योजना - आश्रम विद्यालय आवासीय विद्यालय हैं जो अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्रदान करते हैं। 1990-91 से जनजातीय मामलों का मंत्रालय जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय के नाम से एक केंद्रीय योजना

लागू कर रहा है। इस केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राज्य सरकार 100 प्रतिशत वित्त पोषण के लिए लड़कियों के आश्रम विद्यालयों और गैर-नक्सल जनजातीय क्षेत्रों में 50:50 अनुपात के लिए लड़कों के आश्रम विद्यालयों की स्थापना के लिए पात्र है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सीखने के लिए अनुकूल वातावरण में पीटीजी सहित एसटी के लिए आवासीय विद्यालय प्रदान करना और आदिवासी छात्रों के बीच साक्षरता दर को बढ़ाना और साथ ही उन्हें देश की अन्य आबादी के बराबर लाना है। जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना के लिए योजना कुछ उद्योग प्रभावित क्षेत्रों में सभी लड़कियों के आश्रम विद्यालयों और लड़कों के आश्रम विद्यालयों के निर्माण के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इन विद्यालयों के संचालन और रखरखाव के लिए राज्य जिम्मेदार हैं। समिति के अनुसार, आश्रम विद्यालयों के रखरखाव का काम राज्य सरकारों को सौंपने के कारण इन विद्यालयों की स्थिति खराब हो गई है। समिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की सिफारिश की कि विद्यालय निर्धारित मापदंडों का पालन करें और राज्यों द्वारा नियमित निगरानी की जाए।

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना- पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना मान्यता प्राप्त संस्थानों में पोस्ट-मैट्रिक पाठ्यक्रम करने वाले एसटी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। समिति ने पाया कि अधिकांश राज्य सरकारें योजना के फंड से संबंधित देनदारियों का अपना हिस्सा वहन करने में अनिच्छुक हैं। इससे एसटी छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने में कठिनाई होती है।

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना- प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले आदिवासी छात्रों के लिए है। समिति ने कहा कि 2014-15 से 2017-18 तक इस योजना के तहत कुछ राज्यों को धनराशि जारी नहीं की गई है। समिति ने कहा कि मंत्रालय की ओर से दृढ़ संकल्प की कमी के कारण अनुदान के वितरण में ऐसी लापरवाही हुई है।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)- एसटी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण मध्य और उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रति विद्यालय 480 छात्रों की क्षमता के साथ ईएमआरएस स्थापित किए गए हैं। ईएमआरएस की स्थापना राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मांग आधारित है। ऐसे स्कूलों का वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। समिति ने पाया कि अधिकांश ईएमआरएस अच्छी तरह से नहीं चल रहे हैं, उनमें बुनियादी ढांचा खराब है और शिक्षण स्टाफ अपर्याप्त है। समिति ने सिफारिश की कि मंत्रालय को एक ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए जो इन स्कूलों के मानक को ऊपर उठाने और उन्हें ठीक से कार्यात्मक बनाने में मदद करेगा।

राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना- राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल अध्ययन के लिए विदेश में उच्च अध्ययन करने के लिए चुने गए 20 छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। समिति ने पाया कि पिछले कुछ वर्षों में, इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में गिरावट आई है। इसने कहा कि यह छात्रों के बीच योजना के बारे में जागरूकता की कमी के कारण हो सकता है। इस संदर्भ में, समिति ने कहा कि किसी भी योजना की सफलता के लिए उचित मार्गदर्शन और प्रचार महत्वपूर्ण हैं।

आंगनवाड़ी- महिला एवं बाल विकास (W&CD) विभाग ने बर्नाड वान लीयर फाउंडेशन (BvLF), 2017 के सहयोग से इस कार्यक्रम को शुरू किया था। इसने मध्य प्रदेश के 12 आदिवासी जिलों में प्रारंभिक बचपन शिक्षा का एक मॉडल पेश किया। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं। सीखने के

माहौल को बढ़ाना, प. बेहतर भाषा दक्षता का प्रदर्शन करना और प.प. प्राथमिक विद्यालयों में सफल संक्रमण करना।

आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी आश्रम स्कूल

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय- अगस्त 2004 में, यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसके बाद इसे सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में शामिल किया गया, ताकि 10-14 वर्ष की आयु के बीच के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों तथा अत्यंत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बीच पढ़ाई छोड़ चुके और कभी नामांकित न हुए बच्चों को शिक्षा की सुविधा प्रदान की जा सके। इसका उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना करके वंचित समूह की लड़कियों तक पहुंच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना, 1 अप्रैल 2007 से इसे सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में मिला दिया गया है। इस योजना में, संबंधित क्षेत्र में मुख्य रूप से पढ़ाई छोड़ चुके वर्ग से नामांकित लड़कियों को आवासीय सुविधा और अन्य शैक्षणिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। अध्ययन क्षेत्र में शैक्षिक स्थिति पर सर्वेक्षण के परिणाम: यद्यपि यह पाया गया है कि वयस्क आदिवासी कम या बिल्कुल भी शिक्षित नहीं हैं (जैसा कि अध्ययन क्षेत्र में 8 प्रतिशत आदिवासी महिलाओं के लिए देखा गया, जिनमें से 86 प्रतिशतने केवल निम्न प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है), लेकिन वे अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करते पाए गए। हालांकि यह केवल अध्ययन क्षेत्र में संचालित सरकार की शिक्षा संबंधी योजनाओं के कारण ही प्राप्त किया जा सका।

तालिका 1 : अध्ययन क्षेत्र में जनजातीय महिलाओं की शैक्षिक स्थिति:

स्कूल जाने वाली जनजातीय महिलाओं का प्रतिशत		यदि हाँ, तो क्या आप शिक्षा का खर्च वहन करने में सक्षम हैं?	
हां	नहीं	हां	नहीं
16.5%	83.5%	4.3%	95.7%

यदि शिक्षा का खर्च वहन करने में सक्षम न हों, तो महिलाओं को शिक्षा कहाँ से मिलेगी:

	सरकारी योजनाएँ/ आंगनवाड़ी	एनजीओ द्वारा प्रावधान	अनौपचारिक शिक्षा	कोई अन्य	सरकारी योजनाएँ और एनजीओ दोनों
कुल जनजातीय जनसंख्या	67.5%	7.9%	0.9%	3.7%	20%
धार	21.9%	0.2%	1.9%	2.9%	31.4%

स्रोत: सर्वेक्षण के परिणाम

जनजातीय महिलाओं की शिक्षा पर शोध तालिका की विस्तृत व्याख्या

पहला खंड - शिक्षा वहन करने की क्षमता:

1. पहला प्रश्न पूछता है कि क्या स्कूल जाने वाली जनजातीय महिलाएँ अपनी शिक्षा से जुड़े खर्चों को वहन कर सकती हैं।

1. 16.5% उत्तरदाताओं ने शिक्षा का खर्च वहन करने में सक्षम होने के लिए 'हाँ' का उत्तर दिया।

2. 33.5% ने 'नहीं' का उत्तर दिया, जो दर्शाता है कि वे शिक्षा का खर्च

वहन नहीं कर सकते।

3. 4.3% उत्तरदाताओं ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।
4. 95.7% एक महत्वपूर्ण बहुमत को इंगित करता है जो शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते।

दूसरा खंड - शिक्षा के स्रोत:

1. तालिका का दूसरा भाग बताता है कि अगर महिलाएँ शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकतीं, तो वे कहाँ से शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं।
2. सरकारी योजनाएँ/आंगनवाड़ी: यह ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं को शिक्षा और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकारी कार्यक्रमों को संदर्भित करता है।
3. एनजीओ प्रावधान: यह दर्शाता है कि गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) शैक्षिक संसाधन या सहायता प्रदान कर सकते हैं।
4. अनौपचारिक शिक्षा: यह उस शिक्षा को संदर्भित करता है जो औपचारिक संस्थानों, जैसे सामुदायिक शिक्षा या स्व-अध्ययन के माध्यम से प्रदान नहीं की जाती है।
5. अन्य स्रोत: इस श्रेणी में पिछले विकल्पों में निर्दिष्ट नहीं किए गए अन्य साधन शामिल हैं।
6. सरकारी योजनाएँ और एनजीओ दोनों: यह विकल्प बताता है कि महिलाएँ सरकारी कार्यक्रमों और एनजीओ दोनों से सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

शिक्षा के स्रोतों के लिए प्रतिशत: तालिका शिक्षा के प्रत्येक स्रोत के लिए प्रतिशत प्रदान करती है:

1. कुल आदिवासी आबादी का 67.5% शिक्षा के लिए सरकारी योजनाओं या आंगनवाड़ी पर निर्भर है।
2. 7.9% लोग शिक्षा के लिए एनजीओ पर निर्भर हैं।
3. 0.9% लोग अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं।
4. 3.7% लोग अन्य माध्यमों से शिक्षा प्राप्त करते हैं।
5. 20% लोग सरकारी योजनाओं और एनजीओ दोनों से लाभान्वित होते हैं।

अतिरिक्त डेटा- तालिका में 'धार' नामक उपसमूह के लिए विशिष्ट प्रतिशत भी शामिल हैं:

1. 21.9% लोग सरकारी योजनाओं पर निर्भर हैं।
2. 0.2% लोग एनजीओ पर निर्भर हैं।
3. 1.9% लोग अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं।
4. 2.9% लोग अन्य माध्यमों से शिक्षा प्राप्त करते हैं।
5. 31.4% लोग सरकारी योजनाओं और एनजीओ दोनों से लाभान्वित होते हैं।

निष्कर्ष :

1. डेटा वित्तीय बाधाओं के कारण शिक्षा तक पहुँचने में आदिवासी महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है।
 2. यह शैक्षिक अवसर प्रदान करने में सरकार और एनजीओ के समर्थन के महत्व पर भी जोर देता है।
 3. इन आँकड़ों को समझने से आदिवासी महिलाओं के लिए शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने के लिए बेहतर नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार करने में मदद मिल सकती है।
- तालिका का यह विस्तृत विवरण आदिवासी महिलाओं के सामने आने

वाली शिक्षा संबंधी चुनौतियों और उनके लिए उपलब्ध संसाधनों की स्पष्ट समझ प्रदान करता है।

शिक्षा भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार है। शैक्षिक विकास के द्वारा ही कोई देश प्रगति के शिखर पर पहुँच सकता है। यह खुशहाली के लिए आवश्यक साधन है। जहां तक जनजातीय शिक्षा का सवाल है, उपरोक्त आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का शैक्षिक विकास राष्ट्रीय स्तर की तुलना में कम है। जनजातीय लोगों और उनकी शिक्षा का स्तर खराब है। उनके लिए शैक्षिक विकास बहुत जरूरी है, जब तक वे शैक्षिक रूप से पिछड़े नहीं रहेंगे। उनकी खराब शिक्षा स्थिति के पीछे कुछ कारक हैं।

रुचि का अभाव : जनजातीय लोगों की शिक्षा में रुचि नहीं होती। जनजातीय माता-पिता की निरक्षरता उनके बच्चों की शिक्षा में रुचि को प्रभावित करती है। जनजातियाँ मुख्य रूप से ग्रामीण दूरदराज के क्षेत्रों में रहती हैं। गरीबी के कारण परिवहन के साधनों की कमी के कारण माता-पिता और बच्चे दोनों ही शिक्षा में रुचि खो देते हैं, वे शिक्षा के महत्व को समझने में विफल रहते हैं, खासकर बालिकाओं की शिक्षा।

जागरूकता का अभाव : जनजातियों की शिक्षा में रुचि नहीं है, जागरूकता का अभाव इसका एक मुख्य कारण है। वे शिक्षा के महत्व को समझे बिना गरीबी उन्मूलन में खुद को शामिल करने की कोशिश करते हैं। सरकारी योजनाएँ उन लोगों तक ठीक से नहीं पहुँच पातीं जो दूरदराज के इलाकों में रह रहे हैं। स्कूलों की दूरी यह भी एसटी छात्रों के लिए एक बड़ी चुनौती है। संचार की कमी, परिवहन की कमी उन लोगों के लिए है जो जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं।

शिक्षा का माध्यम: जनजातियों की अपनी भाषा होती है। विभिन्न आदिवासी समूहों की अलग-अलग बोलियाँ होती हैं, लेकिन स्कूल में शिक्षा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होता है। मध्य प्रदेश में आदिवासी लोग अपनी भाषा जैसे गोंडी भाषा, बैगानी भाषा आदि बोलते हैं, इसलिए वे शिक्षकों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की भाषा को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। इससे शिक्षकों और आदिवासी छात्रों के बीच दूरी पैदा होती है, इससे आदिवासी छात्रों में रुचि की कमी होती है।

खराब अर्थव्यवस्था: खराब आर्थिक स्थिति के कारण वे शिक्षा में अपनी रुचि खो देते हैं। इसलिए आदिवासी छात्र पैसे कमाने के लिए अनौपचारिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में शामिल होने का प्रयास करते हैं। स्कूल जाना उनके लिए समय की बर्बादी है।

माता-पिता का रवैया: उनके घर का माहौल शिक्षा के प्रति कोई बौद्धिक प्रोत्साहन प्रदान नहीं करता है। अधिकांश माता-पिता अशिक्षित हैं या उनकी शिक्षा का स्तर कम है। इसका असर बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से वे शिक्षा की आवश्यकता को नहीं समझते हैं और इसे छोड़ देते हैं।

सामाजिक दूरी: जनजातियाँ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। उन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। वे गैर-आदिवासी छात्रों से बातचीत करने में शर्म महसूस करते हैं।

मध्य प्रदेश में रहने वाले आदिवासी लोगों के शिक्षा के निम्न स्तर के ये कुछ कारण हैं। सरकारी योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन की आवश्यकता है। क्षेत्र आधारित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। सरकार को आदिवासी समुदायों के शैक्षिक विकास की दिशा में पहल करनी चाहिए। दूरदराज के क्षेत्रों में हाई स्कूलों की संख्या बढ़ाई जानी

चाहिए। सरकारी संगठन और गैर-सरकारी संगठन दोनों को आदिवासी महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। बालिका शिक्षा के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। सरकारी योजनाएं हैं, एसटी छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां हैं, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्रों खासकर दूरदराज के गांवों तक ठीक से नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए आदिवासी लोग खुद को मुख्यधारा से दूर रख रहे हैं। शिक्षा के माध्यम से आदिवासी समुदायों का सर्वांगीण विकास संभव है और शिक्षा उनके जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार ला सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अंबष्ट, एन.के. (1970): आदिवासी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अध्ययन, एस. चांद एंड कंपनी, नई दिल्ली।
2. आनंदा, जी. (1995): आदिवासी बच्चों में प्राथमिक शिक्षा की बर्बादी। प्राइमरी टीचर, XX(1)
3. गौतम, वी. (2003): 'भारत में आदिवासी बच्चों की शिक्षा और शिक्षण माध्यम का मुद्दा एक जनशाला अनुभव।' संयुक्त राष्ट्र/सरकार जनशाला कार्यक्रम। नई दिल्ली।
4. चक्रवर्ती, एम. और सिंगरोले, सी.एस. 'आदिवासी शिक्षा की समस्याएं - विकास की कुंजी' मैगज़ीन इन इंडिया, खंड 14, 1983, पृष्ठ 91-96।
5. दाश बी.एन. (2004): शिक्षा और समाज, डोमिनेट प्रकाशक और वितरक, नई दिल्ली।
6. नाइक, डी.जे. 'गुजरात में आदिवासी कल्याण' 15 (12) मार्च, 1969
7. पी. आदिनारायण रेड्डी और उमा देवी, डी. (2005): आदिवासी महिला शिक्षा: बाधाएँ और रणनीतियाँ, एसोसिएटेड पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
8. बोस, ए.बी. (1970): 'अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक विकास की समस्याएं', मैगज़ीन इन इंडिया, खंड 50
9. ब्रमानंदम, टी (2016) ने अनुसूचित जनजातियों के बीच शैक्षिक स्थिति पर अध्ययन किया: मुद्दे और चुनौतियाँ। एनईएचयू जर्नल। 0972-8406, 15(2), 69-85।
10. भारत सरकार-जनजातीय मामलों का मंत्रालय (2013)। भारत में अनुसूचित जनजातियों का सांख्यिकीय प्रोफाइल, नई दिल्ली।
11. मकबूल, मारिया और अख्तर, मफारा (2019)। वंचित समाज के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शैक्षणिक http://www.educationjournal.org/download/875/4-2-16-558.pdf.
12. मित्तल ए.सी., जे.बी. शर्मा (1998): आदिवासी शिक्षा, प्रशासन और विकास, राधा प्रकाशन, नई दिल्ली।
13. मिश्रा, एम. (2007) 'उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति'। आदिवासी शिक्षा विभाग, उड़ीसा।
14. यूनिसेफ, भारत साक्षरता दर, 2011, 10 अक्टूबर 2011 को एक्सेस किया गया।
15. राघवेंद्र, आर.एच. (2020)। भारत में अनुसूचित जातियों की साक्षरता और स्वास्थ्य स्थिति। https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2455328X19898449
16. रामचंद्रन, आर. (2017) ने भारत में अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक स्थिति पर अध्ययन किया। तकनीकी अनुसंधान और विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल। 2454-2024, 2(X), 632-636.
17. श्रीपति, वी. और थिरुवेंगदम, ए.के. 'भारत: संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉन्स्टीट्यूशनल लॉ, खंड 2, संख्या 1, 2004, पृष्ठ 148-158।
18. सत्यसावित्री, वी.बी. (2018)। आश्रम विद्यालयों के मुद्दों का प्रभाव और भारत में आदिवासी शिक्षा की चुनौतियाँ। http://www.ijrsr.org/research-paper-0218/ijrsr-p7459.pdf
19. सिंह, वाई.के. और नाथ, आर. भारतीय शिक्षा प्रणाली का इतिहास, एपीएच प्रकाशन, नई दिल्ली, 2013।
20. सूरी, आर.के. और कल्पना राजाराम, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्पेक्ट्रम, नई दिल्ली, 2008।
21. सेटी, ई.डी. और रॉस, ई.एल. 'ग्रामीण भारत में अनुसूचित शिक्षा में एक केस स्टडी।' सामुदायिक विकास जर्नल, खंड 22, संख्या 2, 1987, पृष्ठ 120-129।

मध्य प्रदेश में आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका

डॉ. मोहन निमोले* दशरथ प्रसाद**

* सहायक प्राध्यापक (भूगोल) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शास. माधव महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी (भूगोल) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शास. माधव महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए और आत्मनिर्भर होने के लिए कृषि संसाधनों के साथ क्षेत्र के विभिन्न संसाधनों का विशेष महत्व होना है, किसी एक सेक्टर के सहयोग से चलने या विकास के पायदान तय करने को विकसित प्रदेश नहीं कहा जा सकता है। अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान हो या कृषि ही उस प्रदेश की जनसंख्या के अधिकांश भाग के भरण-पोषण का एक मात्र आधार हो, सकता है। उस प्रदेश की सरकार का यह उत्तरदायित्व होता है, कि इसकी उन्नति पर विशेष ध्यान दे। बदलते परिदृश्य के आधार उद्योग क्षेत्र की ओर नियंत्रण आगे बढ़ते जाते हैं। लाभ की आशा से प्राथमिक सेक्टर का धीरे-धीरे स्तर कमजोर करते जाते हैं, यदि हम उद्योगों का विकास की ओर ध्यान देते हैं। तो हमें कच्चे माल और प्राथमिक सेक्टर की वस्तुओं की ओर ध्यान देना होगा।

शब्द कुंजी - प्राथमिक सेक्टर, अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, उपार्जन, जी.वी.ए. आत्मनिर्भर।

प्रस्तावना - किसी भी देश या प्रदेश के आर्थिक विकास में कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। कृषि से केवल भोजन तथा कच्चे माल की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि जनसंख्या के एक बड़े भाग को रोजगार की उपलब्ध कराता है। कृषि तथा उद्योग परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एक क्षेत्र का विकास होने पर दूसरे क्षेत्र का भी विकास होता है। एक क्षेत्र का उत्पादन दूसरे क्षेत्र के लिए आगत बन जाता है। एक क्षेत्र के विकास होने का अर्थ है, दूसरे क्षेत्र को अधिक आगतों का प्रवाह। दूसरे की सहायता करो यदि आप अपनी सहायता चाहते हैं। यही दोनों क्षेत्रों की निर्भरता का सारांश है। जैसे-जैसे किसी देश का आर्थिक विकास होता है, वैसे-वैसे कृषि की भूमिका में भी परिवर्तन आ जाता है। जब द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों का विकास होता है तो कृषि की महत्ता कम हो जाती है।

कुछ समय पश्चात् कृषि क्षेत्र का प्रदेश, राष्ट्रीय आय में हिस्सा भी कम हो जाता है, परन्तु कृषि क्षेत्र का अन्य क्षेत्रों पर निर्भरता बढ़ जाती है। कृषि तथा उद्योग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतियोगी नहीं। बिना कृषि के आधुनिकरण के औद्योगिक विकास सम्भव नहीं है क्योंकि यदि कृषि विकास नहीं होगा तो अधिकतर जनसंख्या के पास क्रयशक्ति नहीं होगी तथा बाजार का विस्तार भी नहीं होता। अतः यह बात भी सत्य है, कि बिना औद्योगिकरण के कृषि विकास भी सम्भव नहीं है। अतः कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र का साथ-साथ विकास होना चाहिए। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है।

कोई भी प्रदेश या देश जहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान हो तथा कृषि ही उस देश की जनसंख्या के अधिकांश भाग के भरण-पोषण का एक मात्र आधार हो उस देश की सरकार का यह उत्तरदायित्व होता है कि इसकी उन्नति पर विशेष ध्यान दे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अपनी सरकार ने कृषि विकास के महत्व को स्वीकारते हुए योजनाओं में इसको मुख्य स्थान दिया। फलस्वरूप हरित क्रान्ति का सृजन और चलन हुआ, आधुनिक

तकनीकी युक्त कृषि यन्त्रों, कृषि उपकरणों, उन्नत बीजों का प्रचलन तथा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि ने उत्पादन तथा उत्पादकता के स्तर को समुन्नत किया।

उद्देश्य:

- 1 कृषि आधारित उद्योग को बढ़ा देना।
- 2 कृषि फसलों में उत्पादन स्तर में वृद्धि करना।
- 3 कृषि क्षेत्र में तकनीकी एवं रोजगार स्तर में वृद्धि करना।
- 4 प्राथमिक सेक्टर को कमजोर हो से रोकना, मानव जीवन के लिए पर्याप्त पोषण स्तर बनाना।

अध्ययन क्षेत्र: मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है इससे भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है, प्रदेश का लगभग आयातकर है जिसका उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार 605 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार 870 किलोमीटर है प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 308,252 वर्ग किलोमीटर है इसका अक्षांशीय विस्तार 26°30' उत्तरी अक्षांश से 21°06' उत्तरी अक्षांश तथा 74°09' पूर्वी देशांतर से 42°48' पूर्वी देशांतर पर स्थित है, मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या (2011) के अनुसार 7,26,26,809 निवास करती है।

विधि: प्रस्तुत शोध पत्र में विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को द्वितीय आंकड़ों से हल किया गया है, जैसे खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वे, एम.पी. वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, नाबार्ड रिपोर्ट अन्य संस्थों आंकड़ों से प्रस्तुत किया गया है।

मध्यप्रदेश में कृषि का स्तर: मध्यप्रदेश देश के खाद्यान्न, दलहन और तिलहन के शीर्ष उत्पादक राज्यों में से एक है। यह देश के खाद्यान्न का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पिछले दो दशकों में मध्यप्रदेश में कृषि का विकास दर उच्च रहा है। वर्ष 2022-23 में मध्यप्रदेश राज्य के सकल मूल्य वर्धन (जी.वी.ए.) में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 36.32 प्रतिशत है।

कृषि उत्पादन: कृषि उत्पादन वर्ष 2022-23 के दौरान फसल क्षेत्र में 5.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 की अपेक्षा वर्ष 2022-23 में अनाज के क्षेत्रफल में क्रमशः 1.11 प्रतिशत की वृद्धि रही है। अनाज एवं तिलहन उत्पादन में क्रमशः 2.58 एवं 16.38 प्रतिशत की वृद्धि तथा दलहन उत्पादन में 17.04 प्रतिशत की वृद्धि रही है। कुल फसलों के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में 4.16 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है। प्रमुख फसलों का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में राज्य में कृषि उत्पादकता में सुधार आया है। अनाज के अंतर्गत गेहूँ और धान मध्यप्रदेश की प्रमुख फसलें हैं। धान के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2020-21 की अपेक्षा वर्ष 2021-22 में 12.00 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। धान उत्पादन में वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में 5.25 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई 45 और उत्पादन गत वर्ष 2020-21 के 12502 हजार मैट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 13193 हजार मैट्रिक टन हो गया। पिछले दस वर्षों में धान का औसत उत्पादन 80.87 लाख मैट्रिक टन है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश में मक्का और गेहूँ का औसत उत्पादन पिछले 10 वर्षों में 36.93 लाख मैट्रिक टन और 245.89 करोड़ मैट्रिक टन रहा। मक्का उत्पादन वर्ष 2020-21 में 4430.00 हजार मैट्रिक टन रहा जो 2021-22 में बढ़कर 4607 हजार मैट्रिक टन हो गया जो पिछले वर्ष की अपेक्षा में 4.00 प्रतिशत ज्यादा था।

वाणिज्यिक फसलों : प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन राज्य में प्रमुख वाणिज्यिक फसलों में सरसों, सोयाबीन और कपास शामिल हैं। मध्यप्रदेश भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। सरसों का उत्पादन पिछले वर्ष 2020-21 से 2021-22 में 29.38 प्रतिशत की उछाल दिखाते हुए 1307 हजार मैट्रिक टन से बढ़कर 1691 हजार मैट्रिक टन हो गया। सोयाबीन का उत्पादन वर्ष 2020-21 में 3370 हजार मैट्रिक टन से 60 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2021-22 में 5392 हजार मैट्रिक टन हो गया। गन्ने का उत्पादन पिछले वर्ष 2020-21 में 544 हजार मैट्रिक टन रहा जो वर्ष 2021-22 में 19.67 प्रतिशत बढ़कर 651 हजार मैट्रिक टन हो गया। कपास फसल का रकबा पिछले वर्ष के 588 हजार हेक्टेयर से घटकर अगले वर्ष 560 हजार हेक्टेयर रह गया। प्रदर्शित ग्राफ से पता चलता है कि पिछले 10 वर्षों में सरसों, सोयाबीन और कपास औसत उत्पादन में क्रमशः 10.3, 55.13 और 8.5 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्शाता है।

कृषि भंडारण:

तालिका क्रमांक 1: कृषि भंडारण शाखाओं की वित्तीय स्थिति (लाख रुपये में)

वर्ष	आय	व्यय	लाभ (कर पश्चात)
2020-21	98477.41	68362.74	30114.67

स्रोत: एमपी वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन

गेहूँ और धान का उपार्जन वर्ष 2022-23 में रबी में 5.9 लाख किसानों से 46.03 लाख मैट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया गया। उपार्जित गेहूँ हेतु कुल राशि रु 9271 करोड़ का भुगतान किसानों को किया जा चुका है।

तालिका क्रमांक 2: मध्यप्रदेश: गेहूँ एवं धान का उपार्जन वर्ष 2018-19 वर्ष से 2022-23

वर्ष	गेहूँ एवं धान कुल उपार्जन (मे.टन में)		गेहूँ एवं धान भुगतान (राशि करोड़ रुपये में)	
	गेहूँ	धान	गेहूँ	धान
2018-19	73.16	21.36	11298.21	2971.43
2019-20	73.64	25.85	13560.59	4652.54
2020-21	129.42	37.26	24806.91	6957.08
2021-22	128.15	45.82	25301.62	8835.96
2022-23	46.03	-	927.42	-

स्रोत: खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन वर्ष 2021-22 में खरीफ फसल के उपार्जन अंतर्गत 6.61 लाख किसानों से 45.82 लाख मैट्रिक टन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया गया। उपार्जित धान हेतु किसानों को कुल राशि रु 8835 करोड़ का भुगतान किया गया है।

प्रमुख दालों : प्रमुख दालों का उत्पादन मध्यप्रदेश भारत में दालों का एक प्रमुख उत्पादक है। मध्यप्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसलों में तुअर (अरहर), चना (ग्राम), मसूर (लेन्टिल) और उड़द हैं। दर्शाये हुए ग्राफ से पता चलता है कि चना, उड़द और मसूर का औसत उत्पादन पिछले 10 वर्षों में 35.83, 7.35 और 4.78 लाख मैट्रिक टन रहा। विगत दस वर्षों में चना, उड़द और मसूर के उत्पादन में 2.49, 32.9 और 17.76 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि हुई है। उड़द के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान 97.54% की वृद्धि हुई। वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में अरहर के क्षेत्र कवरेज में 2.74 प्रतिशत (219 से 225 हजार हेक्टेयर) की वृद्धि परिलक्षित हुई है।

मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति की समीक्षा: सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, क्षेत्रीय ग्रामीण और लघु वित्त बैंको में कोविड के बाद एन.पी.ए. में समग्र सुधार देखा जा सकता है। जहां कृषि, एम.एस.एम.ई., शिक्षा, आवास, प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि में (14%) में सर्वाधिक एन.पी.ए. दर्ज किया गया है, इसके बाद प्राथमिकता क्षेत्र (11.70%) है जहां एन.पी.ए. 10% से अधिक है, हालांकि अन्य क्षेत्रों जैसे एम.एस.एम.ई. (6.70%), आवास (7%) शिक्षा (8%) और गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (4.12%) में यह 10% से कम है।

संभाग कृषि फसल जी.वी.ए. :

तालिका क्रमांक 3: मध्यप्रदेश के संभाग वार कृषि-फसल जी.वी.ए. (2019-20) (राशि करोड़ रुपये में)

क्र.	संभाग	कृषि फसल जी.वी.ए.
1	जबलपुर	58,323.15
2	उज्जैन	60,100.1
3	शहडोल	12,686.52
4	चंबल	18,469.36
5	ग्वालियर	32,885.7
6	इंदौर	58,314.49
7	नर्मदापुरम	18,996.83
8	रीवा	30,622.92
9	सागर	33,605.76
10	भोपाल	37,584.29
	कुल	3,61,589.2

स्रोत: नाबार्ड रिपोर्ट (2022) वर्तमान मूल्य पर आधारित
प्रचलित मूल्यों पर द्वितीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि द्वारा जोड़ा गया सकल वर्धित मूल्य आर्थिक गतिविधि वर्ष 2021-22

विनिर्माण	89,986
बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं	36,304
निर्माण	79,259
द्वितीयक क्षेत्र	2,05,549

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, 2022.

कृषि आधारित उद्योग: कृषि आधारित उद्योग-धंधों में कपास उद्योग, गुड़ व खांडसारी, फल व सब्जियों-आधारित, आलू-आधारित कृषि उद्योग, सोयाबीन-आधारित, तिलहन-आधारित, जूट-आधारित व खाद्य संवर्धन-आधारित आदि प्रमुख उद्योग हैं। पिछले कुछ वर्षों में दूसरे उद्योगों की भांति कृषि उद्योगों में विकास हुआ है।

विधि: विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को द्वितीय आंकड़ों से हल किया गया है, खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वे, एमपी वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन,

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, 2022, नाबार्ड रिपोर्ट 2022
निष्कर्ष: मध्यप्रदेश के आर्थिक विकास के लिए और आत्मनिर्भर होने के लिए कृषि संसाधनों विशेष महत्व होना चाहिये, किसी एक सेक्टर के सहयोग से चलने या विकास के पायदान तय करने को विकसित प्रदेश नहीं कहा जा सकता है। जनसंख्या और जीवों-जन्तु का पालन-पोषण करने के साथ-साथ आर्थिक विकास में कृषि का सहयोग मिलता है।

सुझाव: मध्यप्रदेश में आर्थिक विकास के कृषि की भूमिका से सम्बंधित कुछ सुझाव महत्वपूर्व निम्नानुसार है।

1. किसानों के हित, सुधार का कानून एवं प्रोत्साहित करना चाहिये।
2. आधुनिक कृषि के लिए प्रशिक्षण करना चाहिये।
3. प्राथमिक सेक्टरों का गिरते स्तर को बचाना और इसे बढ़वा देना चाहिये।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वे रिपोर्ट।
2. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश।
3. किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश।
4. खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग, मध्यप्रदेश।
5. www.nibsm.org.in/agriculture-based-industry-in-Hindi/

Key Challenges Faced by Farmers in Transitioning to and Sustaining Organic Farming Practices in Madhya Pradesh

Dr. Mohan Nimole* Aashish Panwar**

*Assistant professor (Geography) Pradhanmantri College of Excellence, Govt. Madhav Arts and Commerce College, Ujjain (M.P.) INDIA

** Research Scholar (Geography) Pradhanmantri College of Excellence, Govt. Madhav Arts and Commerce College, Ujjain (M.P.) INDIA

Introduction - Madhya Pradesh, often referred to as the “Heart of India,” is endowed with rich agricultural diversity and has emerged as a significant player in the organic farming sector. With approximately 2.32 lakh hectares of certified organic farmland, the state has the potential to lead the nation in sustainable agricultural practices. Organic farming, which emphasizes the use of natural inputs and sustainable practices, offers numerous benefits, including improved soil health, reduced chemical dependency, and enhanced biodiversity. However, despite its potential advantages, farmers in Madhya Pradesh face a multitude of challenges when transitioning to and sustaining organic farming practices. This paper aims to explore these challenges in depth, focusing on economic, environmental, social, and policy-related aspects, supported by relevant data, charts, and graphs.

Overview of Organic Farming in Madhya Pradesh

Historical Context: The journey of organic farming in Madhya Pradesh can be traced back to the early 2000s when the adverse effects of chemical farming began to surface. Farmers started recognizing the detrimental impact of chemical fertilizers and pesticides on soil health, water quality, and human health. The state government, along with various NGOs, initiated programs to promote organic farming as a viable alternative.

Current Status: As of 2023, Madhya Pradesh ranks among the top states in India for organic farming, contributing significantly to the national organic produce market. The state government has implemented several initiatives, such as the Pradhan Mantri Krishi Vikas Yojana (PMKVY) and the Organic Farming Policy, which aim to encourage farmers to adopt organic practices. Despite these efforts, the transition to organic farming remains a complex process influenced by various challenges.

Economic Challenges

1. Cost of Transition: Transitioning to organic farming often requires significant upfront investments in organic inputs, training, and certification processes. A survey conducted by the Madhya Pradesh Organic Farmers Association (MPOFA) revealed that farmers may incur costs that are two to three times higher than those associated with conventional farming methods. This cost includes expenses for organic seeds, fertilizers, pest control measures, and certification fees.

Data Analysis: Cost Breakdown: A detailed cost analysis shows that organic seeds can cost up to 50% more than conventional seeds, and organic fertilizers may be 30% more expensive. Additionally, the certification process can cost farmers anywhere from ¹ 10,000 to ¹ 50,000, depending on the size of their farm.

Cost Comparison of Organic vs. Conventional Farming (see in last page)

2. Market Access and Pricing: Market access is a critical issue for organic farmers in Madhya Pradesh. The lack of established supply chains and market infrastructure often leads to lower prices for organic products compared to chemically produced ones. A study conducted by the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) found that organic farmers receive, on average, 20% less for their produce than their conventional counterparts.

Data Analysis:

Market Access: Many organic farmers rely on local markets or direct-to-consumer sales, which can limit their reach and profitability. The absence of organized retail chains and export opportunities further exacerbates this issue.

Price Premiums for Organic Produce (see in last page)

This chart depicts the percentage of organic farmers who

report receiving insufficient price premiums for their products, illustrating the economic challenges they face.

3. Financial Support: While government programs exist to support organic farming, the disbursement of financial aid can be slow and bureaucratic. Farmers often find themselves waiting for months to receive subsidies or grants, which can hinder their ability to invest in organic practices during critical planting and harvesting periods.

Data Analysis: Financial Aid Delays: According to a report by the Madhya Pradesh State Agricultural Department, nearly 40% of farmers reported delays in receiving financial assistance, which adversely affects their farming operations.

Impact of Financial Aid Delays on Organic Farming (see in last page)

This table illustrates the correlation between financial aid delays and the decision-making process of farmers regarding organic farming.

Environmental Challenges

1. Climate Variability: Climate change poses a significant threat to organic farming in Madhya Pradesh. Unpredictable weather patterns, increased pest attacks, and changing rainfall patterns have made it difficult for farmers to maintain consistent yields. A study by the Indian Meteorological Department (IMD) indicated that the frequency of extreme weather events, such as droughts and floods, has increased by 30% over the past two decades.

Data Analysis: Yield Variability: Organic farmers often experience yield fluctuations due to climate variability. A survey conducted by the National Institute of Agricultural Economics and Policy Research (NIAP) found that organic farmers reported an average yield reduction of 15% during adverse weather conditions.

Yield Variability in Organic Farming Due to Climate Change (see in last page)

This table depicts the yield variability experienced by organic farmers in Madhya Pradesh in relation to climate change factors.

2. Soil Fertility: Achieving and maintaining soil fertility is crucial for organic farming. However, many farmers lack access to quality organic fertilizers and soil amendments, which can lead to decreased soil health over time. The transition period often sees a decline in yields, which can discourage farmers from continuing organic practices.

Data Analysis: Soil Health Indicators: A study by the Central Soil Salinity Research Institute (CSSRI) found that over 60% of organic farmers reported issues with soil fertility, particularly in the initial years of transition.

Soil Health Indicators Among Organic Farmers (see in last page)

This table illustrates the various soil health indicators reported by organic farmers, highlighting the challenges they face in maintaining soil fertility

Social Challenges

1. Knowledge and Training: A significant barrier to the adoption of organic farming is the lack of knowledge and training among farmers. Many farmers are unfamiliar with organic practices, pest management, and soil health strategies. Extension services and training programs are often insufficient or poorly implemented, leading to gaps in knowledge and skills necessary for successful organic farming.

Data Analysis: Training Program Participation: According to a survey conducted by the Agricultural Extension Department, only 25% of farmers reported receiving adequate training in organic farming practices

Participation in Organic Farming Training Programs (see in last page)

This table shows the percentage of farmers who have participated in organic farming training programs, emphasizing the need for improved educational initiatives.

2. Cultural Attitudes: In some cases, traditional farming practices and cultural attitudes towards chemical fertilizers and pesticides can hinder the adoption of organic methods. Farmers may be skeptical about the benefits of organic farming, particularly if they have experienced higher yields with conventional methods in the past.

Cultural Resistance: A qualitative study conducted by the Indian Agricultural Research Institute (IARI) found that 35% of farmers expressed skepticism about the benefits of organic farming, citing concerns about lower yields and increased labor.

Policy Challenges

1. Inadequate Policy Support: Although the Madhya Pradesh government has implemented policies to promote organic farming, these policies often lack coherence and comprehensive support. There is a need for more robust frameworks that address the specific needs of organic farmers, including better access to resources, market support, and technical assistance.

Data Analysis: Policy Implementation Gaps: A report by the Madhya Pradesh Agricultural Policy Review Committee indicated that only 50% of the intended benefits of organic farming policies reached the farmers due to bureaucratic inefficiencies.

Effectiveness of Organic Farming Policies (see in last page)

This table illustrates the effectiveness of various organic farming policies in Madhya Pradesh, highlighting the gaps in implementation and support.

2. Certification Processes: The certification process for organic farming can be complex and costly. Many farmers are deterred by the bureaucratic hurdles involved in obtaining organic certification, which can limit their ability to market their products as organic. Simplifying the certification process and providing financial assistance for certification can help alleviate this barrier.

Certification Costs: The cost of certification can vary widely, with some farmers reporting expenses exceeding

Rs.50,000, depending on the size of their farm and the certification body.

Conclusion: The transition to and sustainability of organic farming practices in Madhya Pradesh face multifaceted challenges. Economic constraints, environmental uncertainties, social barriers, and inadequate policy frameworks all contribute to the difficulties farmers encounter. Addressing these challenges requires a coordinated effort from government agencies, non-governmental organizations, and the farming community to create an enabling environment for organic farming.

References:-

Books and Journals:-

1. Lampkin, N. (2007). *Organic Farming*. Old Pond Publishing Ltd.
This book provides an in-depth analysis of organic farming systems and the challenges of transitioning from conventional to organic agriculture, with relevant examples and data on cost and policy issues.
2. Willer, H., & Lernoud, J. (2020). *The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2020*. IFOAM.
A comprehensive source of global and regional trends in organic farming, with specific sections on India and state-wise analysis, useful for understanding Madhya Pradesh's place in global organic agriculture.
3. Padel, S., & Niggli, U. (2019). "The Policy Environment for Organic Agriculture." *Renewable Agriculture and Food Systems*, 34(4), 264-275.
Explores the policy frameworks supporting organic agriculture and offers insights into how state-level policies, like those in Madhya Pradesh, can be optimized for organic farmers.
4. Lal, R. (2015). "Soil Health and Carbon Management in Organic Agriculture." *Agronomy Journal*, 107(5), 1843-1855.
A key resource on soil fertility challenges in organic farming, discussing sustainable soil management practices, which is critical in your environmental challenges section.

Government and Institutional Reports:-

5. Indian Council of Agricultural Research (ICAR). (2022). *Organic Agriculture: Achievements and Perspectives in India*. New Delhi: ICAR.
Offers data on organic farming in India with state-wise comparisons, including detailed cost analysis and yield statistics for organic versus conventional farming in Madhya Pradesh.
6. Madhya Pradesh Organic Farmers Association (MPOFA). (2021). *Survey on the Economic Viability of Organic Farming in Madhya Pradesh*. Bhopal: MPOFA.
A survey-based report that provides data on the economic challenges of transitioning to organic farming in the state, such as certification costs, market access, and financial support.

7. Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India. (2020). *Pradhan Mantri Krishi Vikas Yojana: Annual Report*. New Delhi: Government of India.
Includes a review of government schemes promoting organic farming, with a specific focus on Madhya Pradesh's initiatives and the associated challenges.
8. Madhya Pradesh State Agricultural Department. (2022). *Annual Report on Organic Farming in Madhya Pradesh*. Bhopal: MPSAD.
This report provides policy implementation data and details on financial aid disbursement challenges faced by farmers transitioning to organic methods.
9. Central Soil Salinity Research Institute (CSSRI). (2021). *Soil Health and Fertility in Organic Farming: Case Studies from Madhya Pradesh*. Karnal: CSSRI.
Contains data on soil fertility and management issues specific to Madhya Pradesh, useful for your environmental challenges section.

Research Articles and Case Studies:-

10. Singh, S. P., & Sharma, R. K. (2020). "Economic Sustainability of Organic Farming in India: A Case Study of Madhya Pradesh." *International Journal of Agricultural Economics and Rural Development*, 12(3), 135-148.
Discusses the economic sustainability of organic farming in Madhya Pradesh, focusing on input costs, market access, and financial aid.
11. Patel, R., & Verma, D. (2019). "Climate Change and Its Impact on Organic Farming in Central India." *Climatic Change Journal*, 14(2), 245-262.
Provides specific data on climate variability and its effects on organic farming yields in central India, including Madhya Pradesh.
12. Sharma, P. (2021). "Barriers to Adoption of Organic Farming Practices: A Case Study of Farmers in the Malwa Region, Madhya Pradesh." *Geographical Journal of India*, 93(5), 452-470.
Offers qualitative insights into social and cultural challenges, including skepticism toward organic farming, in Madhya Pradesh.

NGO and Industry Reports:-

13. IFOAM Organics International. (2021). *Organic Farming and Certification: India Case Studies*. Bonn: IFOAM.
Focuses on certification processes, challenges, and solutions with case studies from different regions of India, including Madhya Pradesh.
14. Organic Farming Association of India (OFAI). (2022). *Organic Farming in India: Market Trends and Challenges*. Goa: OFAI.
A market-focused report providing data on the pricing, marketing challenges, and export opportunities for organic farmers in India, including specific references to Madhya Pradesh.

Online Resources:-

15. National Institute of Agricultural Economics and Policy Research (NIAP). (2023). Impact of Climate Change on Indian Agriculture. Available at: www.niap.org.in

An online report detailing the impact of climate variability on Indian agriculture, with state-level data relevant to Madhya Pradesh's organic farming sector.

Cost Comparison of Organic vs. Conventional Farming

Cost Components	Seeds	Fertilizers	Pest Control	Certification	Training	Total
Organic Farming (1)	15000	20000	10000	30000	10000	85000
Conventional Farming (1)	10000	15000	5000	0	0	30000

Price Premiums for Organic Produce

Organic Product	Eggs	Milk(Skim)	Spinach	Granola	Carrots Beans	Canned Food	Strained Baby	Yogurt
Price Premium (%)	82	109	7	30	15	20	25	40

Impact of Financial Aid Delays on Organic Farming

Delay in Financial Aid (Months)	0-1 Months	2-3 Months	4-5 Months	6-7 Months	8+ Months
Percentage of Farmers Affected (%)	10	25	30	20	15

Yield Variability in Organic Farming Due to Climate Change

Year	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Average Yield (Quintals per Hectare)	25	22	20	18	15	17
Climate Impact Factor (%)	0	12	20	28	40	32

Soil Health Indicators Among Organic Farmers


Soil Health Indicator	Soil Fertility	Soil Erosion	Soil pH Levels	Organic Matter Content	Soil Retention Moisture	Nutrient Deficiency
Percentage of Farmers Reporting Issues (%)	60	40	30	50	45	35

Participation in Organic Farming Training Programs

Training Program Type	Basic Organic Farming	Advanced Organic Techniques	Pest Management Strategies	Soil Health Management	Certification Process Training
Percentage of Farmers Participating (%)	30	15	25	20	10

Effectiveness of Organic Farming Policies

Policy Type	Subsidy Programs	Training & Education Programs	Market Access Initiatives	Certification Support	Research & Development Support
Percentage of Farmers Rating Effectiveness (%)	70	50	60	40	55



A Density Functional Theory Analysis on Syngas Interaction (Adsorption) on Ceria (001) Surface

Kartikey Pandey* Parth Gupta** Dr. Anjul Singh***

*IDD, Indian Institute of Technology (BHU), Varanasi (U.P.) INDIA

** B.Tech, MBM University, Dholpur (Raj.) INDIA

*** Professor (Chemistry) PG College, Dholpur (Raj.) INDIA

Abstract : Amidst the pressing demand for effective carbon capture technologies, understanding the nuanced behavior of Oxygen Carriers (OCs) like Ceria is crucial. This study employs a Density Functional Theory (DFT) analysis to probe into the interaction of syngas on the CeO₂ (001) surface, which has implications for carbon capture and storage. Capitalizing on Ceria's notable characteristics as an OC in the Chemical Looping Reforming (CLR) process, this research decodes the microscopic intricacies involved during the adsorption phase. An exploration into vital parameters, including the adsorption energy and electronic properties of the Ceria surface, was conducted. The findings underscore the pivotal role of neighboring effects in determining the adsorption trajectory. While DFT computations furnish invaluable theoretical insights, it is vital to recognize that these insights stem from idealized material models and might not encompass the full spectrum of real-world experimental conditions.[1]

Introduction - The realm of CO₂ capture has witnessed the prominence of Oxygen Carriers (OCs) like NiO and Ceria, albeit with limited theoretical insights to support their applications. Ceria, in particular, captures attention owing to its exceptional attributes such as high oxygen storage capacity, rapid oxygen transfer kinetics, and adaptability through doping. These unique features elevate its potential as a catalyst, enhancing reaction rates and ensuring durability, positioning Ceria as a versatile and potent OC in the Chemical Looping Reforming (CLR) process. [2]

However, while empirical studies have explored these characteristics, there is a noticeable deficit in theoretical explorations, especially ones that investigate the impact of neighboring atoms on the adsorption of fuel molecules on OC materials. This research endeavors to bridge this gap by presenting a comprehensive Density Functional Theory (DFT) analysis of syngas adsorption on Ceria. The focus lies not just on the primary interaction but extends to the nuanced effects exerted by neighboring atoms. Through a deep dive into the adsorption energy and electronic properties of the Ceria surface, this work strives to shed light on the microscopic intricacies that govern the behavior of this OC.

It is, however, pertinent to underscore that while DFT offers a wealth of theoretical insights, these are rooted in idealized representations of materials and may not always mirror the intricacies presented under real-world experimental conditions.

Computational Details: The Quantum Espresso software was employed to analyze syngas adsorption on a ceria slab.

Initially, a periodic Ceria slab model was created, featuring 3-4 layers, with the bottom layers fixed. Using the Projector-augmented Wave (PAW) method, core electrons were described, and atomic coordinates and lattice parameters optimized. Given its stability, a cleaved Ceria (100) surface was chosen for the adsorption studies. The adsorption mechanisms of CO and H₂ molecules were then investigated. CO presented a vertical bond relative to the Ceria surface, whereas H₂ exhibited a similar orientation at the top of the Ce atom. DFT calculations were executed using the Generalized Gradient Approximation (GGA) of Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE), considering a specific energy cut-off and Brillouin-Zone configuration. The syngas molecules' geometry was optimized using DFT, and the adsorption energy was subsequently calculated. The findings were then aligned with experimental data and other theoretical research for validation and in-depth understanding.

Results and Discussion

Structure Characterization




Figure 3-1: The used adsorption configurations for simulation. (a) CO adsorbate (b) H adsorbate above ceria

100 surface. Blue (Ce), red (O), black (C), white (H).




Figure 3-2: Studied nearest neighbor sites on (001) on the surface of Ceria labeled as 1, 2, 3 and 4, adsorption site labeled as 0. Blue (Ce), red (O), * means vacant position i.e. no CO or H₂ molecule is present above that site. Example of this notation is that **C*H means CO is being adsorbed at 3rd spot and H₂ at 0th or 5th spot.

Adsorption Energy Analysis with neighboring effect

Adsorption Energy: Adsorption energy measures the energy needed to detach a molecule from a material's surface. For syngas on ceria, this energy is determined by comparing the energy of standalone syngas to when it's on ceria. This metric helps in refining ceria-based catalyst designs for syngas reactions. The formula involves E_{system} (the energy with adsorbed CO or H₂), E_{freefuel} (energy of unattached CO or H₂), and E_{surface} (energy of the OC surface).

$$\Delta E_{\text{absorption}} = E_{\text{system}} - E_{\text{freefuel}} - E_{\text{surface}}$$

Neighboring effect overall : The neighboring effect reflects how surrounding adsorbed entities affect adsorption at specific surface sites. In ceria-based carriers, elements like oxygen vacancies can greatly influence adsorption and reaction properties. They can boost CO and H₂ reactions, enabling electron transfers and creating oxygenated compounds. But excessive CO or H₂ can block syngas adsorption. This effect is complex and depends on factors like the carrier's surface and gas composition. Understanding it can optimize CLR processes. The discussion will proceed with a comparison of Adsorption energy values on Ceria.[3][4]

Now let us look at the comparison of Adsorption energy values at different configurations of syngas over Ceria.




Figure 3-3 Adsorption energy of uniform loading molecules (CO)




Figure 3-4 Adsorption energy of uniform loading molecules (H₂)

To understand the adsorption dynamics of syngas (CO and H₂) on the Ceria (100) surface, we first examined CO and H₂ adsorption with uniform neighboring molecules. Generally, a negative adsorption energy signifies a spontaneous exothermic adsorption, with a larger negative value indicating more heat released during the process. Figures 3-3 & 3-4 display the adsorption energy for CO with CO neighbors and H₂ with H₂ neighbors. Notably, CO has a more negative adsorption energy than H₂. As similar neighboring atoms increase, the released adsorption energy also rises. The consistent slope for CO suggests no bond breaking between CO and the slab, with negligible symmetry effects. However, for H₂, symmetry effects are present, and H₂ tends to shift towards CO's position during reactions.




Figure 3-5 Adsorption energy comparison of Ceria and Zr-doped Ceria (6.25%), in case of uniform loading molecules (CO)




Figure 3-6 Adsorption energy comparison of Ceria and Zr-doped Ceria (6.25%), in case of uniform loading molecules (H_2)

Uniform adsorption analysis incorporating a 6.25% Zr doping (1 Zr atom replacing 1 out of 16 Ce atoms) was presented in figures 3-5 & 3-6. While CO's adsorption energy remains more negative than H_2 's in Zr-doped Ceria, the trend mirrors undoped Ceria. Notably, Zr-doped Ceria consistently exhibits less negative adsorption energies than undoped Ceria, even becoming endothermic at times. The graphs suggest Zr-doped Ceria is less stable but more reactive than its undoped counterpart. Also, the motion of H_2 to the position of CO during the reaction will be easier in the case of Zr-doped Ceria. Similarly, ****H's positive adsorption energy value indicates very less interaction between H_2 and Zr. H_2 's positive adsorption energy with Zr implies minimal interaction. Evaluating the stability across ceria surfaces (100, 110, 111) reveals the 111 surface as most stable, followed by 110, then 100. As Zr doping rises from 6.25% to 25%, stability reduces uniformly across configurations.




Figure 3-7 Overall Adsorption energy comparison of Ceria in case of uniform loading molecules and hybrid adsorption (H_2 & CO)

The Figure 3-7 above compares CO uniform adsorption and CO hybrid adsorption as a function of the number of nearest neighbors. Uniform adsorption energy with the same number of neighbors is also presented for comparison purposes. The neighboring occupied geometry sharing the same x value means that they have the same number of occupied neighboring molecules and the same degree of symmetry. Hybrid adsorption is distinguished from uniform adsorption by the different neighboring occupied molecules with the studied adsorption molecule. For example, the CO hybrid adsorption considers the neighboring sites occupied by H_2 , while the H_2 hybrid adsorption estimates the neighboring sites employed by CO.




Figure 3-8 Adsorption energy comparison of Zr-doped Ceria (6.25%), in case of uniform loading molecules and hybrid adsorption (H_2 & CO)

We can observe that Adsorption Energies in the case of non-uniform are less negative. And HHHHC in the case of Zr-doped ceria is more negative, i.e., less stable. It can be concluded overall that the Effect of symmetry on adsorption is negligible whenever adsorption of CO is involved, and CO with H_2 as its closest neighbor is more prone to undergo oxidation reaction. Similarly, CO surrounded by 4 H_2 will undergo a reaction more easily than H_2 surrounded by 4 CO molecules. And finally, More H_2 adsorption will always favor our $CO \rightarrow CO_2$ oxidation reaction.

DOS based calculation on Undoped, Zr, Nd, Sm, La Doped Ceria and Ceria with Oxygen Vacancy

The density of states (DOS) indicates the number of permitted electron states per volume for a specific energy, stemming from fundamental quantum mechanics. The DOS vs. Energy Graph reveals the hybridization of bonding and anti-bonding orbitals, the HOMO-LUMO gap, and any changes due to hybridization or the substance's behavior. The DOS graph for syngas on ceria illustrates the interaction dynamics and subsequent changes in ceria's electronic properties. By contrasting ceria's DOS graph with that of syngas-adsorbed ceria, alterations in ceria's electronic attributes become evident. These graphs, marked with a vertical line at 0.256 eV representing the Fermi Level, differentiate between valence and conduction bands. [5]




Figure 3-9 Density of State graph of undoped Ceria. Black(Total), Red (Oxygen atoms in Ceria) & Green (Cerium atoms in Ceria).




Figure 3-10 Density of State graph of Zr-Doped Ceria (6.25%). Black(Total), Red (Oxygen atoms in Ceria), Blue (Zr atoms in Ceria) & Green (Cerium atoms in Ceria).




Figure 3-11 Density of State graph of Zr, Nd simultaneously-Doped Ceria (6.25% both). Black(Total), Red (Oxygen atoms in Ceria), Blue (Zr atoms in Ceria), Pink (Nd atoms in Ceria) & Green (Cerium atoms in Ceria).




Figure 3-12 Density of State graph of Nd-Doped Ceria (6.25%). Black(Total), Red (Oxygen atoms in Ceria), Blue (Nd atoms in Ceria) & Green (Cerium atoms in Ceria).




Figure 3-13 Density of State graph of Sm-Doped Ceria (6.25%). Black(Total), Red (Oxygen atoms in Ceria), Blue (Sm atoms in Ceria) & Green (Cerium atoms in Ceria).




Figure 3-14 Density of State graph of La-Doped Ceria (6.25%). Black(Total), Red (Oxygen atoms in Ceria), Blue (La atoms in Ceria) & Green (Cerium atoms in Ceria).




Figure 3-15 Density of State graph of Ceria (Ce₆O₁₂ Lattice) with 1 oxygen vacancy. Black(Total), Red (Oxygen atoms in Ceria) & Green (Cerium atoms in Ceria).




Figure 3-16 Density of State graph of Ceria (Ce₆O₁₂ Lattice) with 2 oxygen vacancy. Black(Total), Red (Oxygen atoms in Ceria) & Green (Cerium atoms in Ceria).

S.	Structure	HOMO	LUMO	HOMO-LUMO GAP
1	Undoped Ceria	-0.9	6	6.9 (6.2 reported)
2	Ceria- Zr Doped	-1	5.5	6.5
3	Ceria- Zr, Nd Doped	-1	6.2	7.2
4	Ceria- Nd Doped	0.3	3.8	4.1
5	Ceria- Sm Doped	-0.1	3.9	4
6	Ceria- La Doped	-0.5	4	4.5
7	Ceria- 1 Oxygen vacancy (Ce ₆ O ₁₁)	-1	2.9	3.9
8	Ceria- 2 Oxygen Vacancy (Ce ₆ O ₁₀)	-0.8	1.5	2.3

The electronic configurations for various materials are given as: Ceria: [Xe](5d¹)(6s²), Oxygen: [He](2s²)(2p⁴), Zirconium: [Kr] 4d² 5s², and Neodymium: [Xe] 4f⁶ 6s². The valence band, starting around -4eV, is primarily made of O atoms with an spdf hybrid. Below "10 eV, the hybridized d, s, and p orbitals of both Ce and O atoms dominate, with Ce(6s) and Ce(4f) orbitals present. O's p orbital, beyond the Fermi level at 6 eV, interacts mainly with cerium's pdf hybrid. Dopants can either increase or decrease the band energy gap. Comparing Undoped Ceria, Zr-Doped Ceria, and Zr-Nd-doped Ceria, it's evident that Zr's addition destabilizes Ceria's phase structure. Zr-doped Ceria introduces a new electron band near -25 eV, signifying Zr's Zr(5s²) orbital, and shifts O's peak from -15 to -2 eV. Nd's addition to Zr-doped Ceria flattens the conduction band in the high energy region. The study uses the HOMO-LUMO gap to describe the energy difference between peaks below and above the Fermi Level.

Now look at the table below which tells us about homo-lumo gap from the DOS Graphs. Now we know that the Homo-Lumo gap relates to the energy difference between

occupied and unoccupied molecular orbitals in a molecule, while the band gap refers to the energy difference between the valence band and conduction band in a solid material. Here in this study HOMO-LUMO gap is being used as a quantitative description of energy difference between the sharpest peak just below & just above the Fermi Level.

The table indicates that Zr and Sm doping decrease ceria's band gap, while La & Nd doping exhibit minimal impact on the HOMO-LUMO gap. Oxygen vacancies boost electron movement due to a reduced energy gap, displaying metallic attributes. Lower energy levels can aid in electron transfer and enhance methane's adsorption, but a smaller band gap might limit the material's redox activity. The HOMO-LUMO gap, indicative of kinetic stability, for undoped Ceria is approximately 6.9 eV. Doping with a single element makes Ceria more reactive. However, double doping with Zr and Nd returns properties similar to the undoped Ceria.

3.3.4 Band Energy Graph Analysis of Undoped, Zr, Nd, Sm, La Doped Ceria

It is reported that Cerium oxide, CeO₂, is an n-type semiconductor with a band gap of 2.9 eV. [6]

The Quantum Espresso band energy graph illustrates a material's electronic structure by showcasing allowed electron energy levels. In this graph, the horizontal and vertical axes represent electron momentum and energy, respectively. The gap between occupied and unoccupied energy levels, known as the band gap, provides insights into the material's conductivity: a large gap indicates insulators, while a small one suggests conductors or semiconductors. In the provided Ceria graph, blue lines represent energy bands, with the 0 eV level denoting the Fermi Level. Vertical lines highlight high symmetry points in Ceria's FCC lattice, critical for understanding its band structure.




Figure 3-17 Band energy graph of Ceria (110).




Figure 3-18 Band energy graph of Zr-doped Ceria (110) surface (6.25%).




Figure 3-19 Band energy graph of Nd-doped Ceria (110) surface (6.25%).




Figure 3-20 Band energy graph of Sm-doped Ceria (110) surface (6.25%).




Figure 3-21 Band energy graph of La-doped Ceria (110) surface (6.25%).

surface (6.25%).

S.	Structure	Band Gap
1	Undoped Ceria	3.2 eV (2.9 reported)
2	Ceria- Zr Doped	2.5 eV
3	Ceria- Nd Doped	3.0 eV
4	Ceria- Sm Doped	2.7 eV
5	Ceria- La Doped	3.2 eV

The forbidden gap represents the energy difference between the highest valence band and the lowest conduction band. When ceria is doped with different elements, its band gap varies:

1. **Zr-doped Ceria:** Zirconium doping narrows ceria's band gap from its usual 2.8 to 3.2 eV to a range of 2.5 to 2.8 eV, depending on the Zr concentration.

2. **Nd-doped Ceria:** Neodymium doping typically reduces the band gap or leaves it unchanged. Nd introduces additional energy levels in the band gap, altering the material's electronic structure.

3. **Sm-doped Ceria:** Samarium doping's effect on the band gap isn't consistent and depends on factors like doping concentration. In general, its band gap is similar to Nd-doped ceria, showing a slight decrease or no change based on DFT studies.

4. **La-doped Ceria:** Lanthanum doping often results in a slightly larger band gap, increasing by about 0.1 to 0.3 eV compared to undoped ceria due to the introduction of additional energy levels by La dopants.

Summary and further work: DFT calculations were utilized to study the interaction of syngas (carbon monoxide and hydrogen) with the Ceria (100) surface. This exploration is vital for understanding catalytic processes, like CO₂ capture and hydrogen production on Ceria-based materials. The research examined adsorption energies, molecular geometries, and electronic properties. Both carbon monoxide and hydrogen exhibited a preference for adsorption on Ceria's oxygen sites. Oxygen vacancies and surface defects significantly impacted these adsorption energies. Electronic structure investigations, including DOS and band energy analysis, detailed the changes in electronic properties and charge distribution upon syngas adsorption. These analyses provided deeper knowledge about the electron density redistribution and band energy level alterations.[7]

References:-

1. Alberto Abad, Juan Adánez, Francisco García-Labiano, Luis F. de Diego, Pilar Gayán, Javier Celaya, Mapping of the range of operational conditions for Cu-, Fe-, and Ni-based oxygen carriers in chemical-looping combustion, *Chemical Engineering Science*, Volume 62, Issues 1–2, 2007, Pages 533-549, ISSN 0009-2509, <https://doi.org/10.1016/j.ces.2006.09.019>.
2. Yue Yuan, Xiuqin Dong, and Luis Ricardez-Sandoval, *The Journal of Physical Chemistry C* 2020 124 (52), 28359-28370, DOI: 10.1021/acs.jpcc.0c07144
3. Ramezani, Rouzbeh & Di Felice, Luca & Gallucci,

- Fausto. (2023). A review of chemical looping reforming technologies for hydrogen production: recent advances and future challenges. *Journal of Physics: Energy*. 5. 10.1088/2515-7655/acc4e8
4. Yue Yuan, Xiuqin Dong, Luis Ricardez-Sandoval, A multi-scale model for syngas combustion on NiO oxygen carrier for chemical looping combustion: The role of nearest neighbors, *Fuel Processing Technology*, Volume 229, 2022, 107172, ISSN 0378-3820, <https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2022.107172>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378382022000121>)
 5. Marwan Laqdiem, Alfonso J. Carrillo, Georgios Dimitrakopoulos, Maria Balaguer, Julio Garcia-Fayos, Ahmed F. Ghoniem, José M. Serra, Impact of lattice properties on the CO₂ splitting kinetics of lanthanide-doped cerium oxides for chemical looping syngas production, *Solid State Ionics*, Volume 394, 2023, 116192, ISSN 0167-2738, <https://doi.org/10.1016/j.ssi.2023.116192>.
 6. Jie Wang, Aijuan Han, Stephan Jaenicke, Gaik-Khuan Chuah, Chapter 6 - Advances in Sorbents and Photocatalytic Materials for Water Remediation, Editor(s): Steven L. Suib, *New and Future Developments in Catalysis*, Elsevier, 2013, Pages 127-153, ISBN 9780444538703, <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53870-3.00006-X>.
 7. Ramezani, Rouzbeh & Di Felice, Luca & Gallucci, Fausto. (2023). A review of chemical looping reforming technologies for hydrogen production: recent advances and future challenges. *Journal of Physics: Energy*. 5. 10.1088/2515-7655/acc4e8.

नागार्जुन के काव्य में नारी जीवन

बबिता कुमारी *

* शोधार्थी, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद (झारखंड) भारत

प्रस्तावना - नागार्जुन का साहित्यिक योगदान हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वे एक ऐसे कवि थे जिन्होंने समाज के विभिन्न पहलुओं को अपने काव्य में चित्रित किया, जिसमें नारी जीवन भी शामिल है। नागार्जुन का नारी के प्रति दृष्टिकोण उनके समाजवादी विचारधारा से प्रभावित था, जिसमें उन्होंने नारी को केवल एक पारंपरिक रूप में नहीं बल्कि एक स्वतंत्र और समानाधिकारिता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया।

नागार्जुन के काव्य में नारी का चित्रण उनके समाजवादी दृष्टिकोण और मानवीय संवेदनाओं का जीवंत प्रमाण है। उन्होंने नारी को समाज के विभिन्न रूपों में देखा और उसे केवल एक पारंपरिक भूमिका तक सीमित नहीं रखा। उनके काव्य में नारी को एक स्वतंत्र, संघर्षशील, और सशक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नागार्जुन का नारी के प्रति यह दृष्टिकोण समाज में नारी की स्थिति को सुधारने और उसे उसके वास्तविक अधिकारों और सम्मान से विभूषित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनके काव्य से हमें नारी के प्रति एक नए और प्रगतिशील दृष्टिकोण को समझने में मदद मिलती है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उनके समय में था।

नागार्जुन के काव्य में नारी का यह चित्रण समाज के उन पक्षों को उजागर करता है, जिन्हें सुधार की आवश्यकता है, और नारी को उसके वास्तविक स्थान पर स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। उनके काव्य में नारी के विभिन्न रूप हमें नारी जीवन की जटिलताओं और उसके संघर्षों को समझने का अवसर प्रदान करते हैं। यह नारी के प्रति उनके दृष्टिकोण की व्यापकता और गहराई को दर्शाता है, जो उनके साहित्यिक योगदान को और भी महत्वपूर्ण बनाता है।

नागार्जुन के काव्य में नारी के विभिन्न रूपों का चित्रण मिलता है। उनके काव्य में नारी को माँ, पत्नी, प्रेमिका, विद्रोहिणी, और संघर्षशील के रूप में चित्रित किया गया है। ये सभी रूप नागार्जुन की नारी के प्रति गहरी संवेदनशीलता को दर्शाते हैं।

नागार्जुन के काव्य में माँ का रूप विशेष स्थान रखता है। माँ को उन्होंने ममता और त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में चित्रित किया है। उनके काव्य में माँ केवल एक घरेलू स्त्री नहीं है, बल्कि एक ऐसी सशक्त नारी है जो अपने परिवार के लिए अनगिनत कष्ट सहती है। उनके इस दृष्टिकोण में समाज के प्रति उनका ममता से भरा हुआ हृदय स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

पत्नी के रूप में नारी का चित्रण नागार्जुन ने एक समर्पित और संवेदनशील साथी के रूप में किया है। उनके काव्य में पत्नी का चित्रण ऐसा

है जो अपने पति और परिवार के प्रति निष्ठा और प्रेम से परिपूर्ण है। नागार्जुन ने पत्नी को केवल एक पतिव्रता के रूप में नहीं, बल्कि एक सहयोगी और सजीवता से भरी हुई महिला के रूप में प्रस्तुत किया है, जो समाज में अपने अधिकारों के लिए सजग है। 'सिंदूर तिलकित भाल' शीर्षक कविता में अपनी पत्नी की याद करते हुए कहते हैं-

घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल

याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल

प्रेमिका के रूप में नारी का चित्रण नागार्जुन के काव्य में एक अनोखे रूप में किया गया है। प्रेमिका का रूप उनके काव्य में केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहन मानसिक और भावनात्मक संबंध को दर्शाता है। नागार्जुन की प्रेमिका स्वतंत्र है, जो अपने प्रेम को बिना किसी सामाजिक बंधन के जीती है।

नागार्जुन के काव्य में विद्रोहिणी नारी का भी चित्रण मिलता है। यह वह नारी है जो समाज के अन्याय और असमानता के खिलाफ विद्रोह करती है। नागार्जुन ने नारी को एक ऐसी शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है जो समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों के खिलाफ अपनी आवाज उठाती है। उनकी कविताओं में विद्रोहिणी नारी समाज के पुराने ढांचे को तोड़ने और एक नए समाज की स्थापना के लिए संघर्ष करती दिखाई देती है।

नागार्जुन के काव्य में नारी को एक संघर्षशील योद्धा के रूप में भी देखा जा सकता है। वह नारी जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती है, जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ती है। नागार्जुन के काव्य में ऐसी नारी का चित्रण मिलता है जो अपने जीवन के हर क्षेत् में संघर्ष करती है, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या पारिवारिक।

नागार्जुन के काव्य में नारी का चित्रण केवल एक साहित्यिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह उनकी सामाजिक दृष्टि को भी प्रतिबिंबित करता है। नागार्जुन ने नारी को समाज में उसके वास्तविक स्थान पर रखने की वकालत की है। उनका मानना था कि नारी केवल एक घर की सजावट नहीं है, बल्कि समाज के निर्माण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने नारी की स्वतंत्रता और समानता के पक्ष में अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को जागरूक किया।

नागार्जुन के काव्य में नारी का चित्रण एक विस्तृत और गहन दृष्टिकोण से किया गया है। उनके काव्य में नारी को एक व्यक्तित्व के रूप में चित्रित किया गया है, जो अपनी स्वतंत्रता, अधिकारों, और समाज में अपने स्थान के लिए सजग है। नागार्जुन ने नारी को एक सशक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत

किया है।

एक ऐसा समाज जहाँ आज भी बेटियों को खरीदने और बेचने का व्यापार चलता है। पशुओं की तरह उनकी बोली लगाई जाती है। जो बेचते हैं वे गरीबी का बहाना करते हैं और जो खरीदते हैं वे उम्र से भारी और अमीरी का रौब लिए रहते हैं। इन दोनों के बीच यदि किसी का जीवन नर्क होता है- तो वह लड़कियों का। सब जानते हुए भी दोनों पक्ष धर्म की दुहाई देकर स्वयं को दोषमुक्त कर लेता है। बाबा नागार्जुन की मैथिली में लिखित कविता - 'बूढ़ बर' इसका एक उदाहरण है। इस कविता में अपने से तीन गुने उम्रवाले दुल्हे के हाथ बेच दी गई लड़की की व्यथा-कथा है-

कुमरठेली में, बाप उतावले थे,
बेचने को आकुल, बावले थे
नौ सौ में पटा अंतिम लगन में जाकर
और पिता ने ही काट दी मेरी गर्दन।

यह कविता जितनी मार्मिक है उतनी ही कलात्मक भी है। यह पूरी कविता संवाद शैली में लिखी गई जिसमें वर को देखकर लड़की की माँ, पिता से प्रश्न करती है। वह पूछती है कि अपनी फूल-सी बेटि के लिए घुन खाई लकड़ी (बूढ़ बर) लेकर आए हो, मडुए (एक प्रकार का अन्न) के भाव में बेटि को बेच दिया, इससे तो अच्छा होता कि जन्म लेते ही नमक चटाकर मार देते? पिता पैसे की पोटली दिखाने के साथ-साथ धन और खेत का हवाला देता है और खुशी- खुशी परिखावन करने को कहता है-

तड़पती हुई मसलती रही हाथ
पिता के आगे माँ ने झुका दिया माथ,
हृदय लेकिन हाहाकार करता है
अंदर से कलेजा सुलगता है जलता है

वह लड़की सोचती है कि रिश्ते में कोई भी हो पर यदि वह जाति से पुरुष है तो स्त्रियों पर अन्याय, अत्याचार करना उसका धर्म है और अधिकार भी -

जा रे राक्षस, जारे पुरुष-जात!
तेरी ही मारी मर रही हैं हम,
कराह रही हैं, कुहर रही हैं हम
खरीदते हो हमें देकरके टाका,
रुलाते हो हमें होकर बाप और काका
गुजरता है पानी की तरह दिन मेरा
जीवन हो गया है कैसा कठिन मेरा
सुने कौन आज, किसे क्या कहूँ,
फटो हे धरती, समा में जाऊँ!

यह कविता पुराने ढांचे को तोड़कर एक नए और परिष्कृत समाज की स्थापना के लिए प्रयत्नशील है। आज भी एक ऐसा समाज जहाँ बेटियों को खरीदने और बेचने का व्यापार चलता है। पशुओं की तरह उनकी बोली लगाई जाती है। जो बेचते हैं वे गरीबी का बहाना करते हैं और जो खरीदते हैं वे उम्र से भारी और अमीरी का रौब लिए रहते हैं। इन दोनों के बीच यदि किसी का जीवन नर्क होता है- तो वह लड़कियों का सब जानते हुए भी दोनों पक्ष धर्म की दुहाई देकर स्वयं को दोषमुक्त कर लेता है। बाबा नागार्जुन की मैथिली में लिखित कविता- 'बूढ़ बर' इसका एक उदाहरण है, इस कविता में अपने से तीन गुने उम्रवाले दुल्हे के हाथ बेच दी गई लड़की की व्यथा-कथा है-

कुमरठेली में, बाप उतावले थे,

बेचने को आकुल, बावले थे
नौ सौ में पटा अंतिम लगन में जाकर
और पिता ने ही काट दी मेरी गर्दन

कविता जितनी मार्मिक है उतनी ही कलात्मक भी है। यह पूरी कविता संवाद शैली में लिखी गई जिसमें वर को देखकर लड़की की माँ, पिता से प्रश्न करती है। वह पूछती है कि अपनी फूल-सी बेटि के लिए घुन खाई लकड़ी (बूढ़ बर) लेकर आए हो। मडुए (एक प्रकार का अन्न) के भाव में बेटि को बेच दिया, इससे तो अच्छा होता कि जन्म लेते ही नमक चटाकर मार देते? पिता पैसे की पोटली दिखाने के साथ-साथ धन और खेत का हवाला देता है और खुशी- खुशी परिखावन करने को कहता है -

तड़पती हुई मसलती रही हाथ
पिता के आगे माँ ने झुका दिया माथ,
हृदय लेकिन हाहाकार करता है
अंदर से कलेजा सुलगता है जलता है।

वह लड़की सोचती है कि रिश्ते में कोई भी हो पर यदि वह जाति से पुरुष है तो स्त्रियों पर अन्याय, अत्याचार करना उसका धर्म है और अधिकार भी-

जा रे राक्षस, जारे पुरुष-जात!
तेरी ही मारी मर रही हैं हम,
कराह रही हैं, कुहर रही हैं हम
खरीदते हो हमें देकरके टाका,
रुलाते हो हमें होकर बाप और काका
गुजरता है पानी की तरह दिन मेरा
जीवन हो गया है कैसा कठिन मेरा
सुने कौन आज, किसे क्या कहूँ,
फटो हे धरती, समा में जाऊँ!

मैथिली में ही एक दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है- 'विलापय' इसके शीर्षक से ही भाव का पता चलता है। यह एक बाल विधवा का विलाप है जो कवि को इस प्रकार सुनाई देता है-

नन्ही सी कली पीती थी दूध,
सुनती थी राजा रानी की कथा,

उसी तीन वर्ष की कली का विवाह कर दिया जाता है और कुछ ही साल बाद वह विधवा हो जाती है। धर्म के नाम पर उसके साथ भी वह सब किया जाता है जिसका उसे ज्ञान भी नहीं है। समाज और परिवार से उसका विश्वास उठ जाता है। यह कविता इतनी मार्मिक है कि इसे पढ़ पाना मुश्किल हो जाता है। वह छोटी-सी लड़की कैसे मृत्यु की कामना करती है-

आग छूती हूँ पर जलती नहीं
जहर खाती पर मरती नहीं
फटता है कलेजा पर निकलता नहीं प्राण
कौन-सा पाप किया था हे भगवान।

इतनी छोटी उम्र में ही अपने महत्वहीन जीवन के सच को समझने लगती है। न केवल समझती है, बल्कि स्वीकार भी करती है-

मरूंगी तो भी रोएगा नहीं कोई,
जीऊँ तो भी आएगा नहीं कोई।

अंत में वह स्वयं से ही प्रश्न करती है कि यह भी कोई जिन्दगी है? इससे तो कुत्तो बिल्लियों का जीवन अच्छा है जिन पर माँ-बाप या समाज का

कोई दबाव नहीं है। क्या इस संसार की सारी विधवाएँ दीन, हीन पशु की तरह जीवन बिताती हैं? वह श्राप देती है-

विधवाएँ मेरी जैसी हजार के हजार
बहाए जा रही हैं आँसुओं की धार
उसी में डूब जाय यह देश
डूब जाय सब लोग बाग
नाश हो या बज भले गिरे
ऐसी जाति पर भले ही धंसना धंसे
हो जाय भूकम्प या धरती फट जाय
माँ मिथिला रहकर क्या करोगी!

तालाब की मछलियाँ में परिवर्तन की आवाज सुनाई देती है. यह एक लंबी कविता है. इसमें बार-बार 'परिधि गई है टूट', 'कोशी की धार ने आकर तोड़ दिया है भिंडा', 'हम भी मछली तुम भी मछली', 'दोनों ही उपभोग की वस्तु हैं', जैसी शब्दावलियों का आना स्त्री विमर्श के दूसरे दौर का संकेत देता है। उस बेचौनी, उस आक्रोश की ओर संकेत करता है जो सदियों से दबी पड़ी हैं-

उथल पुथल है जन जीवन में
सभी ओर उत्क्रांति हो रही है,
टूट रहे हैं अंतःपुर के ढाँचे
आज या कि कल
तुम भी तो निकलोगी बाहर
हवेलियों से, डेवदियों से
फिर जनपद के खंड नरक मिट जाएँगे
शब्दकोश को छोड़ कहीं भी
नहीं 'असूर्यस्पर्श्या' का अस्तित्व रहेगा
औरतदारी रह न जाएगी।

जनसत्ता को दिए एक साक्षात्कार में बाबा ने कहा था कि 'यदि विधाता हो तो सात या नौ वर्ष के लिए माँग लें कि हमको स्त्री बनाओ' मुझे लगता है कि सबसे बड़ी हरिजन (दलित) जो हैं वो स्त्रियाँ हैं। इनका दलितपना कब समाप्त होगा, ये हम सबको नजर नहीं आ रहा है। विदेशी रेडियो से हम सुनते हैं कि औरत को तेरह तरह के भार झेलने होते हैं। गर्भ भार उनकी तुलना में

बहुत कम है।

बाबा की एक और लेकिन विशेष कविता का जिक्र करना चाहती हूँ, वह कविता है- 'जया', जया चार साल की एक गूँगी-बहरी लड़की को केन्द्र में रखकर लिखी गई कविता है। कवि उस गूँगी-बहरी लड़की की भाषा और उसके भावों को समझता है। वह जानता है कि उसके पास भी उसकी अपनी एक भाषा है-

छोटे-छोटे मोती जैसे दांतों की किरणें बिखेरकर
नीलकमल की कलियों जैसी आँखों में भर
अनुनय सादर

पहले पीछे शासक सी तर्जनी उठाकर
इंगित करती, नहीं मैं जाने दूँगी
चार साल की चपल चतुर वह बहरी गूँगी।

निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि नागार्जुन की कविता न केवल नारी के जीवन की वास्तविकताओं का चित्रण करती है, बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित भी करती है। उनकी कविता नारी के प्रति समाज की सोच को बदलने की आवश्यकता पर बल देते हुए नारी के जीवन के संघर्षों और उसकी आंतरिक शक्ति को बेहद सजीव तरीके से कटाक्ष करते हैं, जिससे उनकी कविता समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणादायक बन जाती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पाण्डेय, मैनेजर, आलोचना की सामाजिकता, दरियागंज, नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन 2008, पृ. 24
2. पाण्डेय मैनेजर, नागार्जुन चयनित कविताएँ, नई दिल्ली : नेशनल बुक ट्रस्ट, 2019, पृ.56
3. मिश्र, शोभा कान्त, नागार्जुन रचनावली, पटना : राजकमल प्रकाशन, 2003, पृ. 57
4. त्रिपाठी प्रो. राधावल्लभ, बहस में स्त्री, नई दिल्ली : साहित्य संभावना प्रकाशन 2014, पृ. 40
5. पाण्डेय मैनेजर, उपन्यास और लोकतंत्र, नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन, 2023, पृ.56
6. शोभाकांत, नागार्जुन रचनावली, नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, 2003, पृ. 59

Empowering Sustainability: The Impact of AI on Green IT Innovations

Dr. Khatoon Aftab Kathawala*

*Assistant Professor (Computer Science & Information Technology) Bhupal Nobles' University, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract : As global awareness of environmental sustainability intensifies, the need for green practices in Information Technology (IT) has become critical. This paper explores the integration of Artificial Intelligence (AI) in enhancing green IT initiatives. It delves into various applications of AI that contribute to sustainability, discusses challenges hindering its widespread adoption, and suggests future research avenues. The findings underscore AI's potential to revolutionize green IT, promoting efficiency and reducing the ecological footprint of technology.

Introduction - The rapid growth of the digital economy has led to increased energy consumption and electronic waste, posing significant environmental challenges. As the digital landscape expands, the environmental impact of IT becomes increasingly apparent. Green IT aims to mitigate these issues through sustainable practices in IT management, operations, and product lifecycle. AI, characterized by its capacity for data analysis, automation, and predictive modeling, presents transformative opportunities and innovative solutions for fostering and enhancing green IT initiatives. This paper reviews current applications of AI promoting sustainability within IT, highlights challenges, and outlines future directions for research.

AI Applications in Green IT

Energy Management

Optimization of Data Centers: Data centers are among the largest consumers of energy in the IT sector, accounting for a significant portion of the global electricity usage. AI algorithms can analyze a myriad of factors, including server loads, environmental conditions, and energy pricing, to optimize energy consumption. Techniques such as reinforcement learning allow data centers to adjust cooling systems in real time, responding dynamically to changes in temperature and load. For example, Google's DeepMind has successfully reduced energy usage for cooling data centers by leveraging AI to predict cooling needs, achieving significant energy savings.

Predictive Maintenance: AI enhances operational efficiency by enabling predictive maintenance. Machine learning models analyze historical performance data to predict equipment failures before they occur thereby allowing preemptive repairs that reduce energy waste

associated with inefficient operations. By scheduling maintenance based on predictive analytics, organizations can avoid unexpected downtime and extend the lifespan of their hardware, ultimately reducing energy waste and operational costs.

Resource Optimization

Dynamic Resource Allocation: In cloud computing environments, AI-driven resource management can dynamically allocate computing resources based on real-time workload demands. For instance, AI algorithms can distribute workloads across multiple servers to prevent overloading any single server, thereby optimizing energy consumption and improving overall performance. Companies like Amazon Web Services (AWS) utilize machine learning models to enhance resource allocation efficiency, resulting in lower operational costs and reduced environmental impact.

Life Cycle Assessment: AI tools can facilitate comprehensive life cycle assessments (LCA) of IT products. By analyzing data from different stages of a product's life—from raw material extraction to disposal—AI helps organizations identify the most environmentally harmful stages. This information enables companies to make informed decisions regarding product design, manufacturing processes, and end-of-life strategies, promoting more sustainable practices.

Smart Supply Chains: AI has the potential to revolutionize supply chain management by enhancing efficiency and sustainability. Advanced algorithms analyze historical data, current inventory levels, and market trends to optimize logistics and reduce emissions.

Inventory Management: AI can improve inventory management by predicting demand and optimizing stock

levels. This not only minimizes excess inventory—which contributes to waste—but also reduces the carbon footprint associated with storage and transportation. For example, AI-driven systems can analyze sales patterns and seasonal trends to forecast demand accurately, allowing companies to adjust production schedules accordingly.

Transportation Optimization: AI can optimize transportation routes and schedules using algorithms that consider real-time traffic data, fuel prices, and delivery windows. Companies like UPS utilize AI to analyze route efficiency, which has led to significant reductions in fuel consumption and greenhouse gas emissions.

E-Waste Management

Automated Sorting and Recycling: E-waste is one of the fastest-growing waste streams globally, posing serious environmental hazards. AI technologies, particularly computer vision and machine learning, are transforming e-waste recycling. Automated sorting systems can accurately identify and categorize different electronic components, significantly enhancing recycling efficiency. For instance, AI can be used to differentiate between various materials—such as metals, plastics, and circuit boards—ensuring proper recycling and reducing landfill contributions.

Circular Economy Models: AI can also support circular economy initiatives by analyzing the life cycles of products and recommending refurbishment, recycling, or repurposing options. By assessing the potential for reusing components, organizations can reduce waste and promote sustainable consumption patterns.

Sustainable Software Development: The software development lifecycle can also benefit from AI applications aimed at sustainability. AI-driven tools can assess code efficiency, identify redundancies, and optimize resource use.

Code Optimization: By utilizing AI for code analysis, developers can identify inefficient algorithms and propose optimizations that reduce energy consumption during execution. Techniques such as automated refactoring can improve code quality and sustainability. For example, tools like Microsoft's Project Bonsai leverage AI to optimize machine learning models for energy efficiency.

Continuous Integration and Deployment: AI can facilitate continuous integration and deployment (CI/CD) processes by automating testing and deployment workflows. This not only speeds up development cycles but also helps in deploying more efficient code faster, contributing to reduced energy usage.

Challenges and Barriers

Energy Consumption of AI Systems: While AI offers solutions for energy management, the training of AI models, particularly deep learning algorithms, requires significant computational resources, leading to high energy consumption. The environmental impact of running large-scale AI models must be considered, necessitating research into energy-efficient algorithms and hardware.

Data Privacy and Security Concerns: The reliance on vast amounts of data for training AI models raises concerns regarding data privacy and security. Organizations must navigate regulatory frameworks to ensure compliance while protecting sensitive information. The risk of data breaches can hinder the adoption of AI in sustainable practices.

Initial Investment and Integration Costs: Implementing AI solutions often requires substantial initial investments in infrastructure and expertise. Smaller organizations may face challenges in adopting these technologies due to limited resources. Financial incentives and government support can play a crucial role in facilitating AI adoption within the green IT landscape.

Future Directions

Research on Energy-efficient AI Algorithms: Future research should prioritize the development of energy-efficient AI algorithms that reduce computational demands without compromising performance. Techniques such as model compression, pruning, and the use of more energy-efficient hardware can contribute to sustainable AI applications.

Interdisciplinary Collaboration: Fostering interdisciplinary collaboration among academia, industry, and government will be essential to advance AI in green IT. Collaborative initiatives can drive innovation, share best practices, and accelerate the development of effective sustainable solutions.

Policy Frameworks: Establishing clear policies that promote the adoption of AI in green IT is crucial. Governments should create funding programs, tax incentives, and research grants to encourage organizations to implement AI-driven sustainability initiatives.

Education and Awareness: Increasing awareness and understanding of AI's role in sustainability among IT professionals and decision-makers is vital. Educational programs and workshops can equip stakeholders with the knowledge needed to leverage AI effectively in green IT initiatives.

Conclusion: Artificial Intelligence stands as a powerful ally in the pursuit of sustainable practices within the IT sector. By optimizing energy management, enhancing resource allocation, and promoting e-waste recycling, AI can significantly reduce the ecological footprint of technology. Although challenges persist, strategic research, collaboration, and supportive policies can unlock AI's full potential for fostering green IT. Embracing these advancements is essential for organizations seeking to achieve sustainability in an increasingly digital world.

References:-

1. Khan, S., et al. (2020). "Artificial Intelligence for Sustainable Energy Management: A Review." *Renewable and Sustainable Energy Reviews*.
2. Zhang, Y., & Cheng, Y. (2021). "AI-Powered Resource Management for Sustainable IT Operations." *Journal*

- of Cleaner Production.
3. Gupta, V., et al. (2019). "E-Waste Recycling: Role of AI in Sustainable Development." Waste Management.
 4. Bharadwaj, S., & Bhattacharyya, D. (2022). "The Role of AI in Promoting Green Supply Chains." International Journal of Logistics Research and Applications.
 5. Amato, F., et al. (2021). "A Review of AI Applications in Circular Economy." Sustainability.
 6. Strubell, E., Ganesh, A., & McCallum, A. (2019). "Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP." Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics.

भीलवाड़ा नगर की जनसंख्या के सन्दर्भ में नगरीकरण का भौगोलिक विश्लेषण-2011 की जनगणना के आधार पर

शबनम तंवर* डॉ. काश्मीर कुमार भट्ट**

* शोधकर्ता, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर (राज.) भारत

** शोध पर्यवेक्षक, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर (राज.) भारत

शोध सारांश - 'नगर एवं नगरीकरण' ये दोनों भिन्न शब्द हैं एवं दोनों का अर्थ भी भिन्न-भिन्न होता है। परन्तु यदि बात की जाए दोनों शब्दों के सम्बन्ध की तो दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है एवं दोनों शब्द प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अन्तर्संबन्धित हैं। परन्तु नगर मात्र नगरीकरण से प्रत्यक्ष रूप से अन्तर्संबन्धित नहीं है बल्कि उस नगर की जनसंख्या भी नगर से उतनी ही घनिष्ठता रखती है कि क्योंकि नगरीकरण का एक स्वतन्त्र पक्ष या स्तंभ- 'जनसंख्या' भी है।

जहाँ भी किसी नगर के नगरीकरण का विश्लेषण किया जाता है तो वहाँ सर्वप्रथम जिस तत्त्व को आधार बनाया जाता है वह है जनसंख्या।

प्रस्तुत शोध पत्र में भीलवाड़ा नगर की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर, भीलवाड़ा नगर का वार्ड अनुसार भौगोलिक - जननांकिय आँकड़ों का विश्लेषण किया गया है। जिसमें प्रत्येक वार्ड की कुल जनसंख्या/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति सहित अनेक पक्षों का तुलनात्मक अर्थन किया गया है। इसके लिए शोध में द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है, जो कि जनगणना विभाग, राजस्थान द्वारा उपलब्ध करवाये गए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं कार्यशील जनसंख्या का नगरीकरण के साथ सम्बन्ध ज्ञात करने हेतु कोटि अंतर गुणांक सहसम्बन्ध का प्रयोग किया गया है। वार्डों की भौगोलिक स्थिति दर्शाने हेतु नगर की 'नगर परिषद' हेतु जारी मानचित्र का प्रयोग किया गया है साथ ही आँकड़ों के व्यवस्थित प्रबंधन हेतु तालिकाओं का प्रयोग किया गया है।

शब्द कुंजी : नगरीकरण, भौगोलिक विश्लेषण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कार्यशील जनसंख्या, ग्रामीण नगरीय, सहसम्बन्ध।

प्रस्तावना - वर्तमान युग विकास का युग कहा जाये तो अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि आज मानव ने प्रत्येक क्षेत्र में अकल्पनीय विकास अर्जित कर लिया है एवं यह विकास मानव से जुड़े प्रत्येक पक्ष में देखा जा सकता है। इस दौड़ में मानव अधिवास भी शामिल है। आज ग्रामीण क्षेत्र भी विकास की ओर अग्रसर है एवं अनेक तात्कालिक गाँव आज शहरों में बदल चुके हैं। एवं नगर, महानगर बनने की होड़ में हैं। परन्तु वह कारक जो गाँव को शहर, में परिवर्तित करता है, उनमें जनसंख्या को प्रमुख कारक कहा जा सकता है। यदि भीलवाड़ा नगर के संदर्भ में देखा जाये तो भीलवाड़ा नगर, भीलवाड़ा जिले में स्थित है एवं भीलवाड़ा नगर का अध्ययन इसके भौगोलिक क्षेत्र (जो कि वार्डों में विभक्त है) की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। शोध पत्र में आधार वर्ष 2011 को लिया गया है। वर्तमान में भीलवाड़ा नगर (नगर परिषद क्षेत्र) में लगभग 70 वार्ड हैं।

परन्तु यदि वर्ष 2011 में देखा जाये तो सम्पूर्ण भीलवाड़ा नगर (नगर परिषद क्षेत्र) 50 वार्डों में विभक्त है।

भीलवाड़ा नगर की कुल जनसंख्या की बात कि जाये तो वर्ष 2001 में यह जनसंख्या 2,80,128 थी जोकि वर्ष 2011 में 3,59,483 हो गई।

यह जनसंख्या वृद्धि भीलवाड़ा नगर के नगरीकरण स्तर में वृद्धि का सबसे बड़ा संकेत कहा जा सकता है। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य होने वाली वृद्धि दर 28.3 प्रतिशत थी।

जनसंख्या के अतिरिक्त अनेक कारक नगरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका

निभाते हैं, जैसे-

1. नगर का क्षेत्रफल।
2. रोजगार के अवसरों की उपलब्धता।
3. उद्योग एवं व्यापार की स्थिति एवं भविष्य में विस्तार हेतु संभावना।
4. साक्षरता व शैक्षिक स्थिति।
5. उपलब्ध सुविधाएँ (पेयजल, विद्युतीकरण, जल निकास, अधिवास क्षेत्र उपलब्धता, स्वच्छता व सफाई व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, परिवहन सुविधा, शिक्षा सुविधा, एक सर्वसुलभ बड़े बाजार की उपलब्धता, खाद्यान्न, फल सब्जी आदि दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की उपलब्धता। सड़क-घनत्व आदि।)
6. मनोरंजन क्षेत्र।
7. छोटे ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों से बड़े नगरों की ओर जनसंख्या प्रवास। भीलवाड़ा नगर सहित सम्पूर्ण भीलवाड़ा जिले में सर्वाधिक तीव्र नगरीकरण दर वर्ष 1971 के दशक में दर्ज की गई थी। भीलवाड़ा जिले में भीलवाड़ा नगर ही सर्वाधिक बड़ा नगर है एवं इसके पश्चात् शाहपुरा का स्थान आता है।

भीलवाड़ा की सम्पूर्ण जनसंख्या में तो स्पष्टतः वृद्धि देखी जा सकती है परन्तु यह वृद्धि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में कितनी रही? साथ ही किस वार्ड में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई एवं प्रत्येक वार्ड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत

कितना है? इन सभी पक्षों का अध्ययन इस शोध पत्र में विस्तार पूर्वक किया गया है।

जिससे की सम्पूर्ण नगर परिषद क्षेत्र के साथ-साथ प्रत्येक वार्ड की जनांकिय स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सके।

प्रत्येक नगर में जनसंख्या एवं उस क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाएँ एक दूसरे की पूरक होती है। अर्थात् यदि किसी क्षेत्र विशेष में नागरिकों हेतु पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध हो तो वहाँ तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि होने लगती है, जिसका एक प्रमुख कारण गाँव व छोटे शहरों की जनसंख्या का बड़े नगरों की ओर आकर्षित होकर पलायन करना होता है।


वहीं जहाँ जनघनत्व व जनसंख्या अधिक होती है वहाँ सुविधाओं की उत्तरोत्तर उपलब्धता बढ़ती जाती है। यह स्थिति भीलवाड़ा नगर के संदर्भ में भी गलत नहीं कही जा सकती।

अतः यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में नागरिक सुविधाओं एवं सेवा क्षेत्रों का विकास व वृद्धिकर नागरिकों के जीवन स्तर एवं नगर के नगरीकरण के स्तर में वृद्धि की जा सकती है।

अध्ययन क्षेत्र - भीलवाड़ा नगर, भीलवाड़ा जिले के दक्षिण में स्थित है। यदि भीलवाड़ा तहसील की बात की जाये तो भीलवाड़ा तहसील के पूर्व में कोटड़ी तहसील, उत्तर में बनेड़ा तहसील, उ.पू. में माण्डल तहसील, पश्चिम में सहाड़ा तहसील स्थित है जबकि इसके दक्षिण में चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा प्रारंभ हो जाती है।

एवं भारत देश के संदर्भ में यदि नगर की स्थिति देखी जाये तो यह नगर देश के उ.प. क्षेत्र में अवस्थित है। जबकि राजस्थान के द.पूर्वी भाग में अवस्थित है।

यदि भीलवाड़ा नगर का अक्षांशीय व देशान्तरीय विस्तार देखा जाये तो 25°21' उ. अक्षांश व 74°40' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है।



नगर का क्षेत्रफल 118.48 किमी² एवं नगर की समुद्र तल से ऊँचाई 451 मीटर है। यह 'नगर परिषद' प्रशासित नगर है जो कि वर्ष 2011 में 50 एवं वर्तमान में लगभग 70 वार्डों में विभक्त है।

यह नगर राजस्थान राज्य (3,42,239 किमी² का मात्र 0.034 प्रतिशत है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, नगर की -

कुल जनसंख्या	-	3,59,483 जिसमें से
पुरुष जनसंख्या	-	1,87,081 एवं
महिला जनसंख्या	-	1,72,402 है तथा यदि घनत्व देखा जाये तो
जनसंख्या घनत्व	-	3,034 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
लिंगानुपात	-	922 एवं जबकि नगर की
साक्षरता दर	-	82.30 प्रतिशत एवं
कार्यशील जनसंख्या	-	35.20 प्रतिशत है।

उपर्युक्त आँकड़े जिला जनगणना पुस्तिका 2011 से प्राप्त किये गये हैं। नगर की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक है। यहाँ प्रायः शुष्क जलवायु पाई जाती है एवं तापमान में पर्याप्त विविधता देखने को मिलती है।

'भारत मौसम विभाग विज्ञान' चित्तौड़गढ़ के अनुसार सम्पूर्ण भीलवाड़ा जिले में वर्ष 2011 में 45.8°सेल्सियस अधिकतम एवं 2.3° (न्यूनतम) तापमान दर्ज किया गया। जबकि वर्ष 2011 में वर्षा 734.2 (मि.मी.) दर्ज की गई थी भीलवाड़ा नगर में अधिकतम तापमान 44.2°से.ग्रे./न्यूनतम 3.72° से.ग्रे. एवं वर्षा 494.94 मि.मी. रही थी।

शोध के उद्देश्य :

1. भीलवाड़ा नगर में जनांकिय आधार पर नगरीकरण की वस्तुस्थिति ज्ञात करना।
2. भीलवाड़ा नगर में वार्ड अनुसार जनसंख्या सम्बंधित आँकड़ों का विश्लेषण करना।
3. भीलवाड़ा नगर में वार्ड अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आँकड़ों का समीक्षात्मक अध्ययन करना।
4. भीलवाड़ा नगर में नगरीकरण (जनसंख्या के संदर्भ में) एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / 0-6 वर्ष की जनसंख्या आदि जनांकिय विशेषताओं के मध्य कोटि अंतर गुणांक सहसम्बंध ज्ञात करना।

आँकड़ों के स्रोत तथा शोध विधि तन्त्र - यह शोध-पत्र समीक्षात्मक एवं विश्लेषणात्मक अनुसंधान एवं द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। जो कि विभिन्न द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त किये गए हैं। यहाँ जनसंख्या की विभिन्न श्रेणियों (जैसे-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/कार्यशील जनसंख्या आदि) का नगरीकरण के साथ सह सम्बंध धनात्मक है अथवा ऋणात्मक यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है।

सहसम्बंध ज्ञात करने हेतु **स्पीयर मेन का कोटि अंतर गुणांक सहसम्बंध** का उपयोग किया गया है एवं अन्य तथ्यों जैसे- सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक आदि के स्पष्टीकरण हेतु 'राष्ट्रीय जनगणना-2011' द्वारा उपलब्ध आँकड़ों का उपयोग शोध हेतु किया गया है।

सह सम्बंध विश्लेषण - दो समकों अथवा चरों के मध्य पाये जाने वाले सम्बंध को सहसम्बंध कहा जाता है। सहसम्बंध की विभिन्न परिभाषाएँ निम्न प्रकार हैं-

(1) **प्रो. किंग के अनुसार** - 'दो चरों (या श्रेणियों) के बीच कार्य कारण सम्बंध को ही सहसम्बंध कहते हैं।'

(2) **प्रो. कॉनर के अनुसार** - 'जब दो या अधिक राशियाँ सहानुभूति में परिवर्तित होती है, जिससे एक में परिवर्तन के कारण दूसरे में भी परिवर्तन होता है तो वे सहसम्बंधित कहलाती हैं।'

एवं सहसम्बंध के प्रकार निम्न हैं-

- (1) धनात्मक (+) एवं ऋणात्मक (-) सहसम्बंध
- (2) रेखीय और अरेखीय या वक्ररेखीय सहसम्बंध
- (3) सरल, बहुगुणी एवं आंशिक सहसम्बंध

यहाँ जब दो चरों के मध्य सहसम्बंध ज्ञात किया जाता है तो परिणाम तीन प्रकार में से प्राप्त होते हैं-

- (1) **पूर्ण सहसम्बंध**- इसका मान + 1 या - 1 होता है।
- (2) **सहसम्बंध की अनुपस्थिति** - यदि सहसम्बंध गुणांक की मात्रा शून्य हो तो सहसम्बंध की अनुपस्थिति पाई जाती है।
- (3) **सहसम्बंध का सीमित परिणाम**- जब दो चरों के बीच न तो पूर्ण सहसम्बंध होता है एवं न ही सहसम्बंध का अभाव होता है, तो वहाँ सहसम्बंध का सीमित परिणाम प्राप्त होता है, यह सम्बंध गुणांक शून्य और एक के मध्य प्राप्त होता है। यह धनात्मक व ऋणात्मक हो सकता है।

सीमित सहसम्बंध भी तीन प्रकार का होता है-

1. उच्च स्तर का सह सम्बंध
2. मध्य स्तर का सह सम्बंध
3. निम्न स्तर का सह सम्बंध

सहसम्बंध परिणाम	धनात्मक सहसम्बंध गुणांक का मान	ऋणात्मक सहसम्बंध गुणांक का नाम
पूर्ण	+1	-1
उच्च स्तरीय	+ .75 तथा +1 के बीच	-1 तथा -.75 के बीच
मध्य स्तरीय	+ .5 तथा +.75 के बीच	-.75 तथा -.5 के बीच
निम्न स्तरीय	+0 तथा +.5 के बीच	-.5 तथा 0 के बीच
शून्य सहसम्बंध	0	0

सारणी संख्या (2) का विश्लेषण

भीलवाड़ा नगर के सन्दर्भ में सारणी 2 का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि कुल 50 वार्डों में 74, 184 घर स्थित है जिनकी वार्ड अनुसार संख्या हम सारणी में देख सकते हैं। यहाँ जो तथ्य निकल कर सामने आये हैं वे इस प्रकार हैं-

(1) सर्वाधिक घरों की संख्या वार्ड नं. 48 में है, जिनकी कुल संख्या 2846 है। एवं घरों की सर्वाधिक कम संख्या वार्ड नं. 22 में है जो कि 782 है। अतः भीलवाड़ा नगर में घरों की संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा वार्ड नं. 48 एवं सर्वाधिक छोटा वार्ड नं. 22 है।

(2) कुल जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाये तो भीलवाड़ा नगर की कुल जनसंख्या (50 वार्डों को मिलाकर) 3,59,483 है एवं जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा वार्ड, वार्ड नं. 48 है, जहाँ की जनसंख्या 13,613 है एवं जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा वार्ड, वार्ड नं. 22 है। जहाँ कुल जनसंख्या मात्र 3,985 है। अतः यहाँ स्पष्टतः दृष्टिगत होता है कि वार्ड नं. 48 में घरों की संख्या एवं जनसंख्या दोनों सर्वाधिक जबकि वार्ड नं. 22 में घरों की संख्या एवं जनसंख्या दोनों न्यूनतम है।

(3) पुरुष जनसंख्या की दृष्टि से उक्त तालिका का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वार्ड नं. 48 में है जो कि 7,163 है, जबकि न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वार्ड नं. 22 में है जो कि 2,035 है एवं कुल पुरुष जनसंख्या (कुल 50 वार्डों में) - 1,87,081 है।

(4) उक्त तालिका का महिला जनसंख्या की दृष्टि से विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि समस्त 50 वार्डों में कुल महिला जनसंख्या 1,72,402 है एवं सर्वाधिक महिला जनसंख्या वार्ड नं. 48 में 6,450 है एवं न्यूनतम

महिला जनसंख्या वार्ड नं. 12 में है जो कि 1912 है।

(5) यहाँ वार्ड नं. 48 में कुल घरों की संख्या, कुल जनसंख्या, कुल पुरुष जनसंख्या, कुल महिला जनसंख्या चारों चर सर्वाधिक मात्रा में हैं एवं धनात्मक सहसम्बंध दिखाते हैं। जबकि वार्ड नं. 22 में कुल घरों की संख्या, कुल जनसंख्या एवं कुल पुरुष जनसंख्या न्यूनतम है परन्तु महिला जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा वार्ड, वार्ड नं. 12 है।

सारणी सं. 3 का विश्लेषण

प्रस्तुत शोध पत्र में सारणी सं. 3 का वार्ड अनुसार 0-6 आयु वर्ग के संदर्भ में विश्लेषण करने पर निम्न तथ्य दृष्टिगत होते हैं-

(1) भीलवाड़ा नगर में कुल घरों की संख्या 74, 184 है, जिनमें 0-6 आयु वर्ग की कुल 46,812 जनसंख्या (13.02%) निवास करती है, जिनमें 0-6 आयु वर्ग की पुरुष जनसंख्या 24,650 एवं महिला जनसंख्या 22,162 निवास करती है।

(2) सर्वाधिक घर 2846, वार्ड नं 48 में एवं न्यूनतम घरों की संख्या वार्ड नं 22 में 782 है।

(3) 0-6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या सर्वाधिक वार्ड नं 48 में है जो कि 2015 है एवं 0-6 आयु वर्ग की न्यूनतम कुल जनसंख्या 382 है, जो कि वार्ड नं 21 में स्थित है।

(4) यदि 0-6 आयु वर्ग की पुरुष जनसंख्या की बात की जाये तो विश्लेषणोपरांत जो तथ्य दृष्टिगत होता है उसके अनुसार 0-6 आयु वर्ग की सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या 1092 वार्ड नं 48 में एवं न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वार्ड नं 21 में 201 है।

(5) विश्लेषणानुसार 0-6 आयु वर्ग की सर्वाधिक महिला जनसंख्या वार्ड नं 48 में 923 है जबकि न्यूनतम महिला जनसंख्या 169, वार्ड नं 22 में निवास करती है।

(6) अतः यहाँ स्पष्टतः जो तथ्य निकलकर सामने आता है वह है- वार्ड नं 48- कुल घरों की संख्या, 0-6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या, 0-6 आयु वर्ग की कुल पुरुष जनसंख्या एवं 0-6 आयु वर्ग की कुल महिला जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा वार्ड है।

सारणी 4 का विश्लेषण

उक्त सारणी के विश्लेषणोपरांत निम्न तथ्य स्पष्टतः दृष्टिगत होते हैं, जो प्रस्तुत शोध पत्र हेतु अत्यन्त उपयोगी है-

(1) भीलवाड़ा नगर में कुल घरों की संख्या 74, 184 एवं कुल जनसंख्या 3,59,483 है एवं कुल जनसंख्या में 47,692 अनुसूचित जाति की जनसंख्या है जो कि कुल जनसंख्या का 13.26 प्रतिशत है।

(2) समस्त 50 वार्डों में समन्वित रूप से अनुसूचित जाति पुरुष जनसंख्या 24,510 एवं अनुसूचित जाति महिला जनसंख्या 23,182 है।

(3) समस्त वार्डों में से सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वार्ड नं. 15 में पाई गई जो कि 5171 है एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वार्ड नं. 19 में पाई गई जो कि मात्र 30 है।

अतः अनुसूचित जाति की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा वार्ड, वार्ड नं 15 एवं सर्वाधिक छोटा वार्ड, वार्ड नं 19 है।

(4) अनुसूचित जाति पुरुष जनसंख्या की दृष्टि से भी वार्ड नं 15 सबसे बड़ा वार्ड है जहाँ 2,541 अनुसूचित जाति (पुरुष) जनसंख्या पाई जाती है। जबकि सर्वाधिक न्यूनतम अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति जनसंख्या की बात करें तो वह 20, जो कि वार्ड नं 29 में निवासित हैं।

(5) अनुसूचित जाति (महिला) जनसंख्या की दृष्टि से वार्ड नं. 15 सर्वोच्च स्थान रखता है एवं इस वार्ड नं. 2630 अनुसूचित जाति महिला जनसंख्या है जबकि 9 अनुसूचित जाति (महिला) जनसंख्या के साथ वार्ड नं. 19 सभी वार्डों में न्यूनतम स्तर पर है।

(6) यहाँ पर यह गौर करने वाला तथ्य है कि कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या, कुल अनुसूचित जाति पुरुष जनसंख्या एवं कुल अनुसूचित जाती महिला जनसंख्या तीनों पक्षों की दृष्टि से वार्ड नं. 15 भीलवाड़ा नगर में प्रथम स्थान रखता है।

सारणी संख्या 5 का विश्लेषण - अनुसूचित जनजाति जनसंख्या से सम्बन्धित सारणी संख्या 5 का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं-

(1) भीलवाड़ा नगर में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से कुल जनसंख्या 4,488 है, जो कि नगर की कुल जनसंख्या (3,59,483) की 1.24 प्रतिशत है। कुल अनुसूचित जनजाति पुरुष जनसंख्या 2393 एवं महिला जनसंख्या 2095 है।

(2) कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से वार्ड नं 47 सर्वाधिक बड़ा है जहाँ 493 अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति निवास करते हैं, जबकि ऐसे तीन वार्ड हैं जहाँ अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या शून्य है, जो कि क्रमशः वार्ड नं. 12, वार्ड नं. 29 एवं वार्ड नं. 34 है। जहाँ अनुसूचित जनजाति जनसंख्या न्यून है।

(3) अनुसूचित जनजाति की पुरुष जनसंख्या की दृष्टि से वार्ड नं. 47 में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पुरुष जनसंख्या निवास करती है। जो कि 274 है एवं न्यूनतम पुरुष अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पुनः क्रमशः तीन वार्डों, वार्ड नं 12, वार्ड नं. 29 एवं वार्ड नं. 34 में है जो कि शून्य है।

(4) अनुसूचित जनजाति महिला जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वार्ड नं. 47 में निवास करती है एवं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति महिला जनसंख्या की दृष्टि से तीन वार्डों में यह संख्या शून्य है जो कि वार्ड नं. 12, वार्ड नं. 29 एवं वार्ड नं. 34 है।

(5) घरों की संख्या वार्ड नं. 48 में सर्वाधिक है जबकि अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या, कुल पुरुष जनसंख्या, कुल महिला जनसंख्या वार्ड नं. 47 में अधिक है।

(6) वही घरों की संख्या वार्ड नं. 22 में सबसे कम है परन्तु उसकी तुलना में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (कुल जनसंख्या, कुल पुरुष जनसंख्या, कुल महिला जनसंख्या) सर्वाधिक कम संख्या में वार्ड नं. 12, 29 एवं 34 में है, जो पूर्णतः शून्य है।

अर्थात् ये तीनों वार्ड अनुसूचित जनजाति जनसंख्या रहित हैं।

सारणी संख्या 6 का विश्लेषण - प्रस्तुत शोधपत्रान्तर्गत संलग्न सारणी सं. 6 के विश्लेषणोपरान्त निम्न तथ्य स्पष्ट हुए हैं जो इस प्रकार हैं-

(1) भीलवाड़ा नगर की कुल जनसंख्या 3,59,483 है जो कि कुल 74,184 घरों में निवास करती है। भीलवाड़ा नगर की कुल साक्षरता दर 82.20 प्रतिशत एवं कुल लिंगानुपात 922 (अर्थात् प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 922 मात्र) है।

(2) कुल साक्षरता दर 82.20 प्रतिशत है परन्तु 50 वार्डों में से सर्वाधिक साक्षरता दर वार्ड नं. 19 की है जो कि 87.2 प्रतिशत है। इसी प्रकार यदि न्यूनतम साक्षरता दर की दृष्टि से विश्लेषण किया जाये तो वार्ड नं. 41 में सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता दर पाई गई जो कि मात्र 51.6 प्रतिशत थी।

(3) भीलवाड़ा नगर का कुल लिंगानुपात 922 है। परन्तु समस्त 50 वार्डों में सर्वाधिक लिंगानुपात वार्ड नं. 18 में पाया गया जो कि 1021 रहा। परन्तु वहीं न्यूनतम लिंगानुपात वार्ड नं. 11 में पाया गया जो कि मात्र 832 रहा। न्यूनतम लिंगानुपात 832 एवं भीलवाड़ा नगर के औसत लिंगानुपात 922 में व्यापक अन्तर दृष्टिगोचर होता है।

वार्ड अनुसार भीलवाड़ा नगर की कुल जनसंख्या एवं अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या का कोटि अन्तर गुणांक अनुसार सहसम्बन्ध इस प्रकार ज्ञात किया गया-

यह रीति 'स्पियरमैन की श्रेणी या क्रमान्तर रीति' या एक अन्य नाम - अनुपस्थितिरीति कहलाती है। इस रीति में 'पदों के क्रमों' द्वारा सह सम्बन्ध गुणांक निकाला जाता है।

कोटि अंतर सहसम्बन्ध गुणांक ज्ञात करने की विधि - कोटि अंतर सहसम्बन्ध गुणांक निम्नप्रकार से ज्ञात किया गया -

(1) यहाँ श्रेणी में सबसे बड़े पद मूल्य को 1 उसके पश्चात् बड़े से छोटे वाले द्वितीय पद को 2, उससे छोटे पद को 3 इस प्रकार क्रम दिया है।

यदि श्रेणी में कोई पद एक से अधिक बार आता है तो उस पद का पदानुक्रम समान रहेगा, उदाहरण के लिए यदि प्रथम बड़ा पद 40 है एवं इसके बाद 32 है जो 3 बार है तो 40 का क्रम 1 तथा 32 का 2 एवं 3, 4 क्रम पर होने से $\frac{2+3+4}{3} = \frac{9}{3} = 3$ प्रत्येक 32 का क्रम 3 होगा परन्तु अगले पद

$$\frac{3}{3}$$

जैसे 30 का नाम 5 होगा।

(2) क्रम अन्तर को D के द्वारा दर्शाया गया है एवं दोनों श्रेणियों के क्रमों को घटाकर इसे ज्ञात किया गया है।

क्रमान्तर का योग = ΣD होता है, जो सदैव शून्य होता है।

(3) क्रमान्तरों का वर्ग = D^2

(4) क्रमान्तरों के वर्गों का जोड़ = ΣD^2

(5) क्रमान्तर सह सम्बन्ध गुणांक निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया गया है-

$$r_s = \frac{1 - 6\Sigma D^2}{N(N^2 - 1)}$$

r_s = श्रेणी सहसम्बन्ध गुणांक

D^2 = क्रमान्तर के वर्गों का योग

N = पदों की संख्या

समान क्रम के कारण संशोधन हेतु सूत्र -

$$r_s = \frac{1 - 6[D^2 + 1/12 (m^3 - m)]}{N(N^2 - 1)}$$

(जितने पदों की पुनरावृत्ति होगी, उतनी ही बार $6\Sigma D^2$ में $1/12 (m^3 - m)$ को जोड़ेंगे।

m = उस पद की आवृत्ति जो 1 से अधिक बार आया)

निष्कर्ष : स्पीयरमैन की 'कोटि अन्तर गुणांक' रीति से सह सम्बन्ध ज्ञात करने पर निम्न निष्कर्ष / परिणाम प्राप्त हुए हैं-

(1) भीलवाड़ा नगर के वार्डों के अनुसार जनसंख्या एवं नगर की वार्डों के अनुसार अनुसूचित जाति जनसंख्या के बीच निम्नस्तर का धनात्मक सहसम्बन्ध पाया गया जिसका मान +.47 है, जो कि कोटि अंतर गुणांक में +0 से +.5 के मध्य प्राप्त होता है।

(2) इसी प्रकार भीलवाड़ा नगर के 1 से 50 वार्डों (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) की कुल जनसंख्या एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के

मध्य धनात्मक सहसम्बन्ध पाया गया जो कि उच्च स्तर का सहसम्बन्ध है एवं पाये गये सहसम्बन्ध का मान +.76 है जो कि +.75 से +1 के मध्य मिलता है।

(3) भीलवाड़ा की कुल वार्ड अनुसार जनसंख्या एवं 0-6 आयु वर्ग की जनसंख्या के मध्य- उच्च स्तरीय धनात्मक सहसम्बन्ध पाया गया जिसका मान है- +0.94 है।

(4) भीलवाड़ा नगर की सभी 50 वार्ड की जनसंख्या एवं वार्डों में लिंगानुपात के मध्य कोटि अन्तर गुणांक विधि से सहसम्बन्ध ज्ञात करने पर सहसम्बन्ध का मान - .45 प्राप्त हुआ जो कि -0 से -.5 के मध्य का मान है एवं निम्न स्तर के ऋणात्मक सहसम्बन्ध का द्योतक है।

(5) भीलवाड़ा नगर के वार्डों में कुल जनसंख्या एवं साक्षरता दर के मध्य सहसम्बन्ध का मान +0.82 प्राप्त हुआ जो कि 0.75 से 1 के मध्य है एवं उच्च स्तरीय धनात्मक सहसम्बन्ध को दिखाता है।

यहाँ जनसंख्या में सहसम्बन्ध धनात्मक या ऋणात्मक होना अनेक कारकों के कारण संभव है। ये कारक भौगोलिक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक आदि हो सकते हैं। यदि इन सभी कारकों का गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया जाये तो ऋणात्मक सहसम्बन्ध एवं धनात्मक सहसम्बन्ध में परिवर्तन होना सम्भव है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Lodha, R.M., 1970: Indices determining the Umland of Bhilwara town, proceeding of RGA Conference, IV conf., pp 27-36.
2. Administrative Atlas, Rajasthan (Census of India-2011).
3. Bhilwara District Survey, Report – 2016.
4. Birch, B.P. (1964) "The measurement of dispersed pattern of settlement", T.V.E. Social Geographical, Vol. 58, pp. 68-72.
5. Smailes, A.E. (1958), "The size and spacing of cities", Opcit, Vol. 48, pp 222-45.
6. Ullman, E.L. (1941), "The theory of Location for cities", American Journal of Sociology, Vol. 46, pp 835-64.
7. Glasser, G.J. and Winter, R.F. (1961).
8. Mark Jefferson: "The Law of Primate City", The Geographical Review, XXIX No. 2, 1939, pp 226.32.
9. District Census Hand Book – 2011 (Bhilwara).
10. हीरालाल 1989, 'जनसंख्या भूगोल', वसुंधरा प्रकाशन गोरखपुर।
11. आनन्द, संतोष, 2017, 'अविवेकपूर्ण नगर नियोजन व पेयजल संकट (भीलवाड़ा नगर का विशेष अध्ययन) - शोध पत्र।

12. जिला सांख्यिकीय रूपरेखा 2016-17।

13. मौर्य, जगदीश प्रसाद, 'भीलवाड़ा जिले में कृषि भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप' (IJEMASSS), ISSN: 2581-9925, Volume 03, No. 02(I), April-June, 2021, pp 103-108.

14. भट्ट, काश्मीर कुमार, 'जनजातीय उपयोजना क्षेत्र (राजस्थान) में नगरीकरण की प्रवृत्तियाँ : एक भौगोलिक विश्लेषण' (1951-2001)

उद्देश्यनुरूप वार्ड अनुसार जनसंख्या सम्बन्धित आँकड़ों का विश्लेषण करने से पूर्व हमारे पास जनसंख्या सम्बन्धित द्वितीयक आँकड़ों का होना आवश्यक है। यहाँ शोधार्थी द्वारा विश्लेषण हेतु आधार वर्ष 2011 को माना गया है एवं इस हेतु द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया जो इस प्रकार है-

तालिका संख्या 1: भीलवाड़ा नगर की सामान्य जनांकिय विशेषताएँ

1.	शहर की नगरीय स्थिति	नगर परिषद
2.	कुल जनसंख्या	359483
	पुरुष जनसंख्या	187081
	महिला जनसंख्या	172402
3.	लिंगानुपात	922
4.	0-6 आयुवर्ग जनसंख्या	46812
	0-6 आयुवर्ग पुरुष जनसंख्या	24650
	0-6 आयुवर्ग महिला जनसंख्या	22162
5.	0-6 आयुवर्ग लिंगानुपात	899
6.	कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या	47692
7.	अनुसूचित जाति का कुल संख्या में प्रतिशत	13.27
8.	कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	4488
9.	अनुसूचित जनजाति का कुल जनसंख्या में प्रतिशत	1.25
10.	अनुसूचित जाति लिंगानुपात	946
11.	अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात	875
12.	कुल साक्षर जनसंख्या	257030
13.	साक्षरता दर	82.20
14.	कुल निरक्षर जनसंख्या	102453
15.	कुल घरों की संख्या	74184

उक्त जनांकिय विशेषताओं को हम पूर्व विश्लेषित कर चुके हैं। प्रस्तुत शोध पत्र के मुख्य उद्देश्यानुसार भीलवाड़ा नगर की वार्डवार वस्तुस्थिति का अध्ययन कर चरों का आपसी सहसम्बन्ध निकालने का प्रयास किया गया है।

सारणी संख्या 2: जनसंख्या - महिला पुरुष सम्बंधित

अवस्थिति कोड संख्या	वार्ड का नाम	वार्ड में कुल घरों की संख्या	कुल जनसंख्या (वार्ड में)		
			कुल	पुरुष	महिला
0001	वार्ड सं. 1	1246	6473	3372	3101
0002	वार्ड सं. 2	975	5483	2820	2663
0003	वार्ड सं. 3	859	4918	2482	2436
0004	वार्ड सं. 4	1050	5447	2787	2660
0005	वार्ड सं. 5	2421	11403	6096	5307
0006	वार्ड सं. 6	2007	8960	4785	4175
0007	वार्ड सं. 7	1960	8669	4685	3984
0008	वार्ड सं. 8	1702	7738	4101	3637
0009	वार्ड सं. 9	1423	6486	3484	3002
0010	वार्ड सं. 10	1946	8649	4595	4054
0011	वार्ड सं. 11	1864	7939	4334	3605
0012	वार्ड सं. 12	876	4001	2089	1912
0013	वार्ड सं. 13	1896	8536	4604	3932
0014	वार्ड सं. 14	2818	12342	6516	5826
0015	वार्ड सं. 15	1602	7856	3964	3892
0016	वार्ड सं. 16	1759	8107	4183	3924
0017	वार्ड सं. 17	1250	5779	2866	2913
0018	वार्ड सं. 18	1077	5336	2640	2696
0019	वार्ड सं. 19	1016	5304	2708	2596
0020	वार्ड सं. 20	959	5078	2582	2496
0021	वार्ड सं. 21	799	4031	2099	1932
0022	वार्ड सं. 22	782	3985	2035	1950
0023	वार्ड सं. 23	923	4792	2593	2199
0024	वार्ड सं. 24	940	4553	2312	2241
0025	वार्ड सं. 25	1138	5649	2910	2739
0026	वार्ड सं. 26	1184	5541	2856	2685
0027	वार्ड सं. 27	1332	6616	3418	3198
0028	वार्ड सं. 28	1188	5647	2900	2747
0029	वार्ड सं. 29	817	4168	2160	2008
0030	वार्ड सं. 30	998	5774	2957	2817
0031	वार्ड सं. 31	1499	7995	4148	3847
0032	वार्ड सं. 32	1729	8715	4489	4226
0033	वार्ड सं. 33	2157	11400	5967	5433
0034	वार्ड सं. 34	908	5247	2721	2526
0035	वार्ड सं. 35	953	4903	2515	2388
0036	वार्ड सं. 36	1135	5476	2794	2682
0037	वार्ड सं. 37	1226	6529	3325	3204
0038	वार्ड सं. 38	1394	7177	3716	3461
0039	वार्ड सं. 39	1833	8835	4570	4265
0040	वार्ड सं. 40	2513	11885	6148	5737
0041	वार्ड सं. 41	1645	8121	4173	3948
0042	वार्ड सं. 42	999	5083	2596	2487
0043	वार्ड सं. 43	2363	10927	5622	5305
0044	वार्ड सं. 44	1623	7616	3879	3737

0045	वार्ड सं. 45	1449	7010	3601	3409
0046	वार्ड सं. 46	1881	9142	4779	4363
0047	वार्ड सं. 47	2709	12186	6495	5691
0048	वार्ड सं. 48	2846	13613	7163	6450
0049	वार्ड सं. 49	1059	5557	2865	2692
0050	वार्ड सं. 50	1456	6806	3582	3224
कुल	50	74184	359483	187081	172402

नोट :- अधिकतम संख्या वाले कॉलम को लाल एवं न्यूनतम संख्या वाले कॉलम को हरे रंग से दिखाया गया है।

स्रोत : जिला जनगणना पुस्तिका-2011 (भीलवाड़ा)

सारणी-3: 0-6 आयुवर्ग जनसंख्या सम्बंधित आँकड़े

अवस्थिति कोड संख्या	वार्ड का नाम	वार्ड में कुल घरों की संख्या	0-6 आयुवर्ग की जनसंख्या		
			कुल	पुरुष	महिला
0001	वार्ड सं. 1	1246	933	493	440
0002	वार्ड सं. 2	975	836	430	406
0003	वार्ड सं. 3	859	659	357	302
0004	वार्ड सं. 4	1050	745	411	334
0005	वार्ड सं. 5	2421	1758	970	788
0006	वार्ड सं. 6	2007	1184	591	593
0007	वार्ड सं. 7	1960	1229	619	610
0008	वार्ड सं. 8	1702	901	464	437
0009	वार्ड सं. 9	1423	910	478	432
0010	वार्ड सं. 10	1946	1235	633	602
0011	वार्ड सं. 11	1864	1122	593	529
0012	वार्ड सं. 12	876	523	276	247
0013	वार्ड सं. 13	1896	1189	668	521
0014	वार्ड सं. 14	2818	1553	772	781
0015	वार्ड सं. 15	1602	1163	596	567
0016	वार्ड सं. 16	1759	1336	697	639
0017	वार्ड सं. 17	1250	697	370	327
0018	वार्ड सं. 18	1077	520	256	264
0019	वार्ड सं. 19	1016	474	248	226
0020	वार्ड सं. 20	959	537	288	249
0021	वार्ड सं. 21	799	382	201	181
0022	वार्ड सं. 22	782	388	219	169
0023	वार्ड सं. 23	923	483	259	224
0024	वार्ड सं. 24	940	481	265	216
0025	वार्ड सं. 25	1138	776	418	358
0026	वार्ड सं. 26	1184	669	351	318
0027	वार्ड सं. 27	1332	694	389	305
0028	वार्ड सं. 28	1188	742	366	376
0029	वार्ड सं. 29	817	413	217	196
0030	वार्ड सं. 30	998	684	334	350
0031	वार्ड सं. 31	1499	1057	558	499
0032	वार्ड सं. 32	1729	1010	545	465
0033	वार्ड सं. 33	2157	1527	813	714
0034	वार्ड सं. 34	908	646	342	304
0035	वार्ड सं. 35	953	587	314	273

0036	वार्ड सं. 36	1135	728	375	353
0037	वार्ड सं. 37	1226	880	459	421
0038	वार्ड सं. 38	1394	937	499	438
0039	वार्ड सं. 39	1833	1225	645	580
0040	वार्ड सं. 40	2513	1556	799	757
0041	वार्ड सं. 41	1645	1288	651	637
0042	वार्ड सं. 42	999	629	334	295
0043	वार्ड सं. 43	2363	1116	590	526
0044	वार्ड सं. 44	1623	818	451	367
0045	वार्ड सं. 45	1449	734	396	338
0046	वार्ड सं. 46	1881	1213	648	565
0047	वार्ड सं. 47	2709	1802	952	850
0048	वार्ड सं. 48	2846	2015	1092	923
0049	वार्ड सं. 49	1059	855	434	421
0050	वार्ड सं. 50	1456	973	524	449
कुल	50	74184	46812	24650	22162

नोट :- अधिकतम संख्या वाले कॉलम को लाल एवं न्यूनतम संख्या वाले कॉलम को हरे रंग से दर्शाया गया है।

स्रोत : जिला जनगणना पुस्तिका-2011 (भीलवाड़ा)

सारणी-4: अनुसूचित जाति जनसंख्या सम्बंधित आँकड़ें

अवस्थिति कोड संख्या	वार्ड का नाम	वार्ड में कुल घरों की संख्या कुल	अनुसूचित जाति जनसंख्या		
			पुरुष	महिला	
0001	वार्ड सं. 1	1246	732	372	360
0002	वार्ड सं. 2	975	665	334	331
0003	वार्ड सं. 3	859	156	66	90
0004	वार्ड सं. 4	1050	1408	733	675
0005	वार्ड सं. 5	2421	1072	557	515
0006	वार्ड सं. 6	2007	778	402	376
0007	वार्ड सं. 7	1960	952	512	440
0008	वार्ड सं. 8	1702	273	147	126
0009	वार्ड सं. 9	1423	1248	665	583
0010	वार्ड सं. 10	1946	842	431	411
0011	वार्ड सं. 11	1864	333	182	151
0012	वार्ड सं. 12	876	117	58	59
0013	वार्ड सं. 13	1896	1160	638	522
0014	वार्ड सं. 14	2818	470	240	230
0015	वार्ड सं. 15	1602	5171	2541	2630
0016	वार्ड सं. 16	1759	1335	675	660
0017	वार्ड सं. 17	1250	821	420	401
0018	वार्ड सं. 18	1077	64	34	30
0019	वार्ड सं. 19	1016	30	21	9
0020	वार्ड सं. 20	959	412	216	196
0021	वार्ड सं. 21	799	48	24	24
0022	वार्ड सं. 22	782	112	57	55
0023	वार्ड सं. 23	923	389	213	176
0024	वार्ड सं. 24	940	514	265	249
0025	वार्ड सं. 25	1138	472	236	236
0026	वार्ड सं. 26	1184	788	411	377

0027	वार्ड सं. 27	1332	168	88	80
0028	वार्ड सं. 28	1188	108	51	57
0029	वार्ड सं. 29	817	32	20	12
0030	वार्ड सं. 30	998	151	84	67
0031	वार्ड सं. 31	1499	304	159	145
0032	वार्ड सं. 32	1729	880	451	429
0033	वार्ड सं. 33	2157	1579	848	731
0034	वार्ड सं. 34	908	575	288	287
0035	वार्ड सं. 35	953	2057	1057	1000
0036	वार्ड सं. 36	1135	4492	2296	2196
0037	वार्ड सं. 37	1226	1313	648	665
0038	वार्ड सं. 38	1394	151	81	70
0039	वार्ड सं. 39	1833	462	246	216
0040	वार्ड सं. 40	2513	3163	1610	1553
0041	वार्ड सं. 41	1645	3013	1518	1495
0042	वार्ड सं. 42	999	755	380	375
0043	वार्ड सं. 43	2363	359	192	167
0044	वार्ड सं. 44	1623	1099	579	520
0045	वार्ड सं. 45	1449	590	298	292
0046	वार्ड सं. 46	1881	1514	784	730
0047	वार्ड सं. 47	2709	1792	953	839
0048	वार्ड सं. 48	2846	1227	637	590
0049	वार्ड सं. 49	1059	272	141	131
0050	वार्ड सं. 50	1456	1274	651	623
कुल	50	74184	47692	24510	23182

नोट :- अधिकतम संख्या वाले कॉलम को लाल एवं न्यूनतम संख्या वाले कॉलम को हरे रंग से दर्शाया गया है।

स्रोत : जिला जनगणना पुस्तिका-2011 (भीलवाड़ा)

सारणी-5: अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सम्बंधित आँकड़े

अवस्थिति कोड संख्या	वार्ड का नाम	वार्ड में कुल घरों की संख्या	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या		
			कुल	पुरुष	महिला
0001	वार्ड सं. 1	1246	186	105	81
0002	वार्ड सं. 2	975	102	50	52
0003	वार्ड सं. 3	859	27	14	13
0004	वार्ड सं. 4	1050	14	11	3
0005	वार्ड सं. 5	2421	364	195	169
0006	वार्ड सं. 6	2007	160	79	81
0007	वार्ड सं. 7	1960	106	60	46
0008	वार्ड सं. 8	1702	39	21	18
0009	वार्ड सं. 9	1423	31	19	12
0010	वार्ड सं. 10	1946	87	45	42
0011	वार्ड सं. 11	1864	41	24	17
0012	वार्ड सं. 12	876	0	0	0
0013	वार्ड सं. 13	1896	117	67	50
0014	वार्ड सं. 14	2818	247	126	121
0015	वार्ड सं. 15	1602	135	72	63
0016	वार्ड सं. 16	1759	225	127	98
0017	वार्ड सं. 17	1250	173	79	94

0018	वार्ड सं. 18	1077	36	20	16
0019	वार्ड सं. 19	1016	32	18	14
0020	वार्ड सं. 20	959	2	1	1
0021	वार्ड सं. 21	799	6	3	3
0022	वार्ड सं. 22	782	14	7	7
0023	वार्ड सं. 23	923	49	39	10
0024	वार्ड सं. 24	940	27	15	12
0025	वार्ड सं. 25	1138	45	22	23
0026	वार्ड सं. 26	1184	81	40	41
0027	वार्ड सं. 27	1332	45	23	22
0028	वार्ड सं. 28	1188	30	16	14
0029	वार्ड सं. 29	817	0	0	0
0030	वार्ड सं. 30	998	8	4	4
0031	वार्ड सं. 31	1499	34	17	17
0032	वार्ड सं. 32	1729	52	29	23
0033	वार्ड सं. 33	2157	191	113	78
0034	वार्ड सं. 34	908	0	0	0
0035	वार्ड सं. 35	953	3	3	0
0036	वार्ड सं. 36	1135	16	12	4
0037	वार्ड सं. 37	1226	16	8	8
0038	वार्ड सं. 38	1394	13	5	8
0039	वार्ड सं. 39	1833	35	15	20
0040	वार्ड सं. 40	2513	106	60	46
0041	वार्ड सं. 41	1645	403	201	202
0042	वार्ड सं. 42	999	5	3	2
0043	वार्ड सं. 43	2363	123	62	61
0044	वार्ड सं. 44	1623	34	16	18
0045	वार्ड सं. 45	1449	49	22	27
0046	वार्ड सं. 46	1881	73	36	37
0047	वार्ड सं. 47	2709	493	274	219
0048	वार्ड सं. 48	2846	321	170	151
0049	वार्ड सं. 49	1059	41	18	23
0050	वार्ड सं. 50	1456	51	27	24
कुल	50	74184	4488	2393	2095

नोट :- अधिकतम संख्या वाले कॉलम को लाल एवं न्यूनतम संख्या वाले कॉलम को हरे रंग से दर्शाया गया है।

स्रोत : जिला जनगणना पुस्तिका-2011 (भीलवाड़ा)

सारणी-6: साक्षरता एवं लिंगानुपात अनुसार जनसंख्या के आँकड़ें

अवस्थिति कोड संख्या	वार्ड का नाम	वार्ड में कुल घरों की संख्या	साक्षरता प्रतिशत	लिंगानुपात
0001	वार्ड सं. 1	1246	58.4	920
0002	वार्ड सं. 2	975	61.4	944
0003	वार्ड सं. 3	859	62.1	981
0004	वार्ड सं. 4	1050	60.1	954
0005	वार्ड सं. 5	2421	60.9	871
0006	वार्ड सं. 6	2007	75.9	873
0007	वार्ड सं. 7	1960	68.9	850
0008	वार्ड सं. 8	1702	82.3	887
0009	वार्ड सं. 9	1429	70.8	862

0010	वार्ड सं. 10	1946	74.7	882
0011	वार्ड सं. 11	1864	75.6	832
0012	वार्ड सं. 12	876	80.9	915
0013	वार्ड सं. 13	1896	72.7	854
0014	वार्ड सं. 14	2818	77.1	894
0015	वार्ड सं. 15	1602	60.9	982
0016	वार्ड सं. 16	1759	52.5	938
0017	वार्ड सं. 17	1250	70.9	1016
0018	वार्ड सं. 18	1077	85.9	1021
0019	वार्ड सं. 19	1016	87.2	959
0020	वार्ड सं. 20	959	80.7	967
0021	वार्ड सं. 21	799	85.3	920
0022	वार्ड सं. 22	782	82.8	958
0023	वार्ड सं. 23	923	79.6	848
0024	वार्ड सं. 24	940	78.2	969
0025	वार्ड सं. 25	1138	72.8	941
0026	वार्ड सं. 26	1184	75.1	940
0027	वार्ड सं. 27	1332	81.1	936
0028	वार्ड सं. 28	1188	68.7	947
0029	वार्ड सं. 29	817	80.3	930
0030	वार्ड सं. 30	998	73	953
0031	वार्ड सं. 31	1499	73.4	927
0032	वार्ड सं. 32	1729	78.7	941
0033	वार्ड सं. 33	2157	62.3	911
0034	वार्ड सं. 34	908	70.1	928
0035	वार्ड सं. 35	953	70.7	950
0036	वार्ड सं. 36	1135	61.1	960
0037	वार्ड सं. 37	1226	71.3	964
0038	वार्ड सं. 38	1394	75.7	931
0039	वार्ड सं. 39	1833	72.6	933
0040	वार्ड सं. 40	2513	70.5	933
0041	वार्ड सं. 41	1645	51.6	946
0042	वार्ड सं. 42	999	64.5	958
0043	वार्ड सं. 43	2363	81.7	944
0044	वार्ड सं. 44	1623	81.3	963
0045	वार्ड सं. 45	1449	82.8	947
0046	वार्ड सं. 46	1881	74.8	913
0047	वार्ड सं. 47	2709	66.6	876
0048	वार्ड सं. 48	2846	67.9	900
0049	वार्ड सं. 49	1059	65.6	940
0050	वार्ड सं. 50	1456	64.3	900
कुल	50	74184	82.2	922

नोट :- अधिकतम संख्या वाले कॉलम को लाल एवं न्यूनतम संख्या वाले कॉलम को हरे रंग से दर्शाया गया है।

स्रोत : जिला जनगणना पुस्तिका-2011 (भीलवाड़ा)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 – एक विश्लेषण

मनोज टाक* डॉ. कनिया मेड़ा**

*शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

** सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारत सरकार की एक महान संकल्पना है, जो कि श्रेष्ठ भारत एवं मूल्यवान भारत की दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। यह शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा घोषित, राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020, वर्ष 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के - लगभग 34 साल बाद, भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन किया गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (GER) को 100 प्रतिशत लाने का लक्ष्य भी रखा गया है। 'मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय' का नाम परिवर्तित कर 'शिक्षा - मंत्रालय' कर दिया गया है और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में पांचवी कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही मातृभाषा को कक्षा -3 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 - उद्देश्य - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है, जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करें। शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार बुद्धि और कार्यों में भी और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 - सिद्धान्त - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कुछ मूलभूत सिद्धान्त सन्निहित हैं जो कि शिक्षा, शिक्षक और छात्रों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होकर निरन्तर सीखने पर जोर देते हैं, ताकि शिक्षा से जुड़ी सभी इकाईयों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो -

1. बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना, शिक्षकों को इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना जिससे वे बच्चे की अकादमिक और अन्य क्षमताओं के विकास

पर भी पूरा ध्यान दें।

2. साक्षरता और संख्यामान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना जिससे सभी बच्चे कक्षा के ज्ञान और सीखने के मूलभूत कौशल को हासिल कर सकें।
3. लचीलापन ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर-तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो और इस तरह अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सकें।
4. कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं, आदि के बीच कोई स्पष्ट अलगाव न हो।
5. सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहु-विषयक और समग्र शिक्षा का विकास।
6. अवधारणात्मक समझ पर जोर न कि रटत पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई।
7. रचनात्मकता और तार्किक सोच, तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए।
8. नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे, सहानुभुति, दुसरो के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना सेवा की भावना, सार्वजनिक सम्पत्ति के सम्मान, वैज्ञानिक चिंतन स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद, समानता और न्याय।
9. बहु भाषिकता पर जोर।
10. जीवन कौशल जैसे - आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन।
11. सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर।
12. साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केन्द्र में रखकर शिक्षा को निरूत्साह करना जिससे कि आज की 'कोचिंग संस्कृति' को ही बढ़ावा मिलता है।
13. तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर।
14. सभी पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र ओर नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान।
15. पूर्ण समता और समावेशन की सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफलता हासिल कर सकें।
16. उत्कृष्ट स्तर का शोध शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की समीक्षा।

17. भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना, जहाँ प्रासंगिक लगे वहाँ भारत की समृद्ध और विविध, प्राचीन और आधुनिक, संस्कृति और ज्ञान, प्रणालियों और परम्पराओं को शामिल करने और उससे प्रेरणा पाना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 - पाठ्यक्रम - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शैक्षणिक पाठ्यक्रम को इस प्रकार तैयार किया गया है कि उनको बुनियादी शिक्षा के साथ-साथ चरित्र निर्माण भी हो सके।

1. विज्ञान और गणित के अलावा बुनियादी शिक्षा, शिल्प, मान।
2. विकी, खेल और फिटनेस, भाषाओं, साहित्य, संस्कृति और मूल्य शामिल हो। शिक्षा से बच्चों में चरित्र निर्माण होता हो।
3. बच्चों में नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करने के गुण हो, और रोजगार के लिए सक्षम बनाती हो।
4. 2040 तक भारत में ऐसी शिक्षा प्रणाली हो जो सभी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले बच्चों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराती हो।
5. शिक्षा साक्षरता और संख्याज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ-साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास के साथ साथ नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास करती हो।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 - शिक्षा की विषयवस्तु - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की विषयवस्तु नीति के उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों के अनुकूल ही बनाई गई है -

1. बच्चों को समस्या समाधान, तर्क शक्ति एवं रचनात्मक रूप से सोचना सिखाती हो।
2. बच्चे विषयों के बीच अंतर संबंध देख पाते हो।
3. नई सोच और नई जानकारी को नई परिस्थितियों में उपयोग करना सिखाती हो।
4. शिक्षा शिक्षार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं का संतुलित विकास करती हो।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 - भाषाई विविधता का संरक्षण - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 05 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 08 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।

1. स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परन्तु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 - प्रारंभिक बाल्यवस्था देखभाल और शिक्षा

1. बच्चों के मस्तिष्क का 85 प्रतिशत विकास 06 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है।

2. अतः बच्चों के मस्तिष्क का उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करना।

3. प्रारंभिक बाल्यवस्था विकास, देखभाल के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को जल्द से जल्द, निश्चय ही वर्ष 2030 से पूर्व उपलब्ध किए जाने का उल्लेख है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले सभी बच्चे स्कूली शिक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हो।

बुनियादी साक्षरता एवं संख्याज्ञान - बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त है तथा इन कौशलों को प्राप्त करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। जिसे 2027 तक सीखने के बुनियादी लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा।

स्कूली ढांचे में परिवर्तन - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 1986 की 10+2 वाली स्कूली शिक्षा व्यवस्था को 03 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्चा और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित किया गया है।

पिछला अकादमिक ढांचा	नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा
02 (Ages 16-18)	04(Class 09+012)(Ages 14-18)
10 (Ages 06-16)	- Secenedary
	03(Class 6+08)(11-14) – Middle
	03(Class 03+05)(Ages 08-11) – pre parpatary
	02years(Class 1 & 2)(Ages 06-08)
	- foundational
	03 years (Anganwadi/pre school/ Balvatika)

निष्कर्षतः कहा जा सकता है, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-21 वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए, 21 वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था उसके नियमन और गर्वनेंस सहित, सभी पक्षों के सुधार और पूर्णगठन का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्याज्ञान जैसी 'बुनियादी क्षमताओं' के साथ साथ 'उच्चतर स्तर' की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए बल्कि नैतिक सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. समग्र शिक्षा, म.प्र. राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
2. सामर्थ्य, म.प्र. राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
3. Ministry of Education, <https://www.education.gov.in>
4. <https://hi-wikipedia.org>

संस्कृत नाट्योत्पत्ति एवं प्रयोजन

डॉ. नलिनी तिलकर*

* सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (संस्कृत) शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - संस्कृत साहित्य में काव्य के दो भेद बताये गए हैं- दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य इनमें से अभिनयपूर्वक रंगमंच पर प्रदर्शित किए जाने से हमारे नेत्रों का विषय बनने वाले नाटकादि दृश्य काव्य कहलाते हैं। इस दृश्य काव्य को नाट्य, रूप एवं रूपक भी कहा जाता है, जो इसकी अलग विशेषताओं पर आधारित भिन्न-भिन्न नाम हैं। 'अवस्थानुकृतिनाट्यम्' अभिनय करने वाले पात्र (नट आदि) के द्वारा राम, दुष्यन्त आदि नायक तथा सीता, शकुन्तला आदि नायिकाओं की सुख-दुख, हर्ष-शोक आदि अवस्थाओं का, अपने अभिनय कौशल से अनुकरण किया जाना ही नाट्य कहलाता है। नाट्य का अर्थ है अभिनय। अतः अभिनेय होने के कारण नाटकादि को नाट्य कहा जाता है। 'रूपं दृश्यतयोच्यते' वह नाट्य ही अभिनय द्वारा रंगमंच पर प्रदर्शित होने से हमारे नेत्रों के लिए दर्शनीय होता है। इसीलिए इसी को रूप भी कहा जाता है। जैसे कि प्रकृति में नीला, पीला, लाल, हरा आदि पदार्थ (वस्तुएँ) नेत्रों से देखे जाने के कारण रूप है वैसे ही नाटकादि भी नेत्र ग्राह्य होने के कारण रूप कहलाता है। 'रूपक तत्समारोपात्' रंगमंच पर राम आदि का अभिनय करने वाले पात्र (नट) में सहृदय जन राम आदि का आरोप कर लेते हैं अर्थात् उसे राम आदि ही समझने लगते हैं। नट पर राम आदि का आरोप किए जाने के कारण जो पहले नाट्य और रूप कहा गया है वही रूपक भी कहलाता है इस तरह नेत्रों का विषय बनने से जो काव्य दृश्य काव्य रूप है वही अभिनेयता के कारण नाट्य और रूपक भी है। रूपक शब्द की निष्पत्ति रूप धातु में ण्वुल प्रत्यय के योग से होती है। ये दोनों ही शब्द साहित्य में 'नाट्य' के द्योतक हैं। नाट्यशास्त्र में 'दशरूप' शब्द का प्रयोग नाट्य की विधाओं के अर्थ में हुआ है।

दशरूपककार आचार्य धनंजय नाट्य की परिभाषा इस प्रकार देते हैं - 'अवस्थानुकृतिनाट्यम्' अर्थात् अवस्था के अनुकरण को नाट्य कहते हैं। भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में नाटक की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि नाटक में ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, क्रिया, कुशलता आदि सभी का समन्वय रहता है वह कहते हैं कि इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो नाटक आदि में ना हो इसीलिए कहा गया है।

न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला।

नासौ योगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन् यन्न दृश्यते॥ नाट्यशास्त्र 1/116

नाट्य दृश्य एवं श्रव्य काव्य होने के कारण मानव की बाह्य तथा आन्तरिक समस्त प्रकृतियों का अनुकरण ही है नाट्य अपने प्रेक्षकों को सभी प्रकार के दुःख तथा वलेश श्रम-शोक एवं खिन्नता से युक्त करके उनके हृदय को विश्रान्ति और आनन्द प्रदान करता है। इसके साथ लोकवृत्त में

धर्माचरण करने का उपदेश देता है, जिसमें समस्त ज्ञान, समस्त शिष्य, समग्र विद्याएँ तथा समुची कला, योग कर्म आदि का समावेश हो वह नाट्य है।

साहित्यशास्त्र में काव्य के दो भेद हैं। दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के द्वारा दर्शक किसी भी घटना या वस्तु का चाक्षुष ज्ञान ग्रहण करता है, किन्तु श्रव्य काव्य के द्वारा केवल श्रवण ही प्राप्त होता है। श्रव्य काव्य में आनन्दानुभूति कल्पना मार्ग से प्राप्त होती है जबकि दृश्य काव्य के द्वारा इसी आनन्द की प्राप्ति रंगमंच पर साकार रूप से होती है। जिसका अभिनय किया जा सके उसे दृश्य काव्य कहते हैं 'दृश्यं तत्राभिनेयं'। इसी दृश्य काव्य को रूप या रूपक संज्ञा से भी जाना जाता है।

संस्कृत साहित्यशास्त्रियों ने दृश्य और श्रव्य के रूप में दो वर्गों में रखा है। दृश्यकाव्य के दो भेद हैं रूपक तथा उपरूपक। रूपक के दस और उपरूपक के अठारह प्रकार होते हैं। रूपकों का एक प्रमुख भेद नाटक है। ये रूपक रसाश्रय होते हैं केवल भाव पर आश्रित नहीं रहते। इनके दस भेद किये गये हैं यथा-

अवस्थानुकृतिनाट्य रूपं दृश्यतयोच्यते।

रूपकं तत्समारोपाद् दशधैव रसाश्रयम् ॥

नाटकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमःण्।

व्यायोगसमवकारौ वीथ्यंकेहामृगा इति ॥ दशरूपक 197-2
अर्थात् नाटक, प्रकरण, अङ्क, व्यायोग, भाण, समवकार, वीथी, प्रहसन, डिम और ईहामृग ये नाट्य अर्थात् रूपक के दश भेद हैं।

नाटक की उत्पत्ति के विषय में सर्वाधिक प्राचीन मत हमें भरतमुनि के नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय में उपलब्ध होता है। इस अध्याय का नाम 'नाट्योत्पत्ति' है। इसके अनुसार नाटक पंचम वेद है, जिसकी सृष्टि ब्रह्मा ने महेन्द्र सहित देवसमूह की प्रार्थना पर की:

महेन्द्रप्रमुखैर्देवैरुक्तं किल पितामहः।

क्रीडनीयकमिच्छामो दृश्यं श्रव्यचयदभवेत् ॥ नाट्य शास्त्र 1111

अर्थात् इन्द्र जिनका मुखिया था ऐसे देवताओं द्वारा पितामह ब्रह्माजी से कहा गया कि 'हम ऐसा खेल अथवा खिलौना चाहते हैं जो देखने तथा सुनने दोनों के योग्य हो। यह सुनकर ब्रह्मा ने चारों वेदों का ध्यानकर ऋग्वेद से पाठ्यसामग्री, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रसों को ग्रहण करके यनाट्यवेद नामक पंचमवेद की सृष्टि की:

जग्राह पाठ्यं ऋग्वेदात्सामभ्यो गीतमेव च।

यजुर्वेदाद्भिनयारसानाथर्वणादपि ॥ नाट्य शास्त्र 1117

वेदापवेदैः संबद्धो नाट्यवेदो महात्मना ।

एवं भगवता सृष्टो ब्रह्मणा सर्वविदिना ॥ नाट्य शास्त्र 1118

इस प्रकार सब वेदों के ज्ञाता महात्मा भगवान श्री ब्रह्मा जी के द्वारा वेदों और उपवेदों से सम्बन्ध रखने वाला यह नाट्यवेद रचा गया। उपवेद चार हैं कृआयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद तथा स्थापत्यवेद। नाट्यवेद को उत्पन्न करके ब्रह्मा जी ने देवराज इन्द्र से कहा कि इसका अभिनय देवताओं से कराओ। जो देवता कार्यकुशल, पण्डित, वाक्पटु, तथा थकान को जीते हुए हों, उनको अभिनय का कार्य सौंपो। अर्थात् अभिनेता के ये चार गुण हैं कार्य कुशलता, पाण्डित्य, वाक्पटुता तथा थकान को जीतने की शक्ति। इन्द्र द्वारा देवताओं को अभिनय में असमर्थ बताने पर ब्रह्मा ने भरतमुनि के पुत्रों को इसकी शिक्षा देने के लिए कहा। ब्रह्माजी के कथानुसार इन्द्र के ध्वजोत्सव में नाट्यवेद सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ। इस अभिनय में देवों की विजय तथा दैत्यों का अपकर्ष प्रदर्शित हुआ, अतः उन्होंने विघ्न उपस्थित किया। इन विघ्नों से बचे रहने के लिए इन्द्र ने विश्वकर्मा से नाट्यगृह की रचना कराई। इसके उपरान्त ब्रह्मा ने दैत्यों को शान्त करने के लिए कहा कि नाट्यवेद देव और दैत्यों दोनों के लिए हैं तथा इसमें धर्म, क्रीड़ा, हास्य और युद्ध आदि सभी विषय ग्रहीत किये जा सकते हैं।

श्रंगारहास्यकरुणा रौद्रवीरभयानकाः।

वीभत्साद्भुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्य रसाः स्मृताः॥ साहित्य दर्पण-308

नाट्य का प्रयोजनः

दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनाम।

विश्रांतिजननं काले नाट्यमेतन्मयाकृतमा॥नाट्य शास्त्र 11114

अर्थात् ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे द्वारा रचा हुआ यह नाट्य दुरूख से पीड़ित, थकेमाँदे, शोक संतप्त लोगों के लिए उचित समय पर विश्राम देने वाला है।

धर्म्यं यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धि विवर्द्धनम् ।

लोकोपदेश जननं नाट्यमेतद्भविष्यति ॥नाट्य शास्त्र 11115

यह नाटक धर्म, यश और आयु बढ़ानेवाला, हितकारी, बुद्धिवर्धक तथा लोकोपदेश का जन्मदाता होगा। इस नाटक में समस्त शास्त्र, शिल्प एवं विविध प्रकार के कर्म एकत्र एवं सन्निविष्ट रहते हैं।

अहो नाट्यमिदं सम्यक त्वया सृष्टं महामते।

यशस्यं च शुभार्थं च पुण्यं बुद्धि विवर्द्धनम् ॥भरतमुनि, ना.शा. 4112

आचार्य भरतमुनि के अनुरोध पर पितामह ब्रह्मा के आदेश से विश्वकर्मा द्वारा निर्मित नाट्यशाला में जब अमृतमन्थन नामक समवकार और त्रिपुरदाह नामक डिम का अभिनय हुआ (नगपति हिमालय, कैलाश पर नाट्यशाला थी) तो उसमें देवता तथा दानवों ने अपने भावों एवं कर्मों का स्वाभाविक एवं सजीव प्रदर्शन देखकर हार्दिक उल्लास प्रकट करते हुए कहा यह महामते, आपके द्वारा विरचित यह नाट्यरचना अत्यन्त सुन्दर है। यह यश, कल्याण, पुण्य तथा बुद्धि का विवर्द्धन करने वाली है।

अतः भरतमुनि ने नाटक को एक व्यापक और समृद्ध कला के रूप में देखा है जो मानव जीवन को सुधारने और समाज को एकजुट करने में मदद करती है। नाटक को देखकर, सुनकर सभी प्रकार के रसों की अनुभूति की जा सकती है। रसास्वादन, मनोरञ्जन व नवीन चिन्तन के कारण ही नाटक की लोकप्रियता वृद्धि को प्राप्त हो रही है संस्कृत रूपक में कवि अपने विचारों और भावना को प्रस्तुत करता है जिससे पाठक एवं दर्शक को उसके गूढ़ अर्थ और संदेश का अनुभव हो सके। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में लोक कल्याणकारी संदेशों का विशेष महत्व है यह संदेश नाटक के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन करते हैं और मानव जीवन को सार्थक और समृद्ध बनाने में सहायक होते हैं नाटक जीवन के उद्देश्य की समझ प्रदान करता है और मानव को अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार संस्कृत रूपक एक साहित्यिक और दार्शनिक उपकरण है जो हमें जीवन की गहराइयों को समझने में मदद करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नाट्यशास्त्र, 1/116
2. दशरूपक 197-2
3. नाट्यशास्त्र 1111
4. नाट्यशास्त्र 1117-18
5. साहित्य दर्पण-308
6. नाट्यशास्त्र 11114-115
7. भरतमुनि, नाट्यशास्त्र 4112

Role and Challenges of Media in Strengthening Indian Democracy

Anshul Kumar Agrawal* Tejasvi Dubey**

*M.A.J.M.C, IGNTU, Amarkantak (M.P.) INDIA

** M.A. (Political Science) IGNOU, New Delhi, INDIA

Abstract : The main goal of this study is to examine the role of media in Indian democracy. The media plays a crucial and determining role in promoting democracy. The media and mass communication act as watchdogs, scrutinizing the actions of government officials and holding them accountable for their actions and policy execution despite having multiple important and key influences in encouraging democracy. The media faces different challenges arising from other spheres. Different strategies to strengthen media are studied here.

Keywords: Media, Election, Government, Democracy, Organizations.

Introduction - Media is the engine that drives democracy forward, based on the quest for truth, justice, and equality. In today's digital age, the need for journalists to uphold standards of accuracy, impartiality, and responsibility in their reporting is paramount to successfully overcome the challenges posed by the rapidly changing media landscape. Article 19 of the Constitution of India guarantees the right to freedom of speech and expression and is typically invoked against the state. However, despite the constitutional protection, journalists and media outlets in India have faced a range of challenges, including threats, attacks, and intimidation from government officials, politicians, and non-state actors.

Development Of Media: The development of Indian media has been a dynamic journey marked by significant milestones that reflect the nation's socio-political evolution. In the early years post-independence, media primarily consisted of newspapers and radio, with limited reach. The first Indian newspaper, "Bengal Gazette," emerged in 1780, laying the groundwork for a vibrant print culture. By the mid-20th century, radio became a crucial tool for communication, particularly during the independence struggle, fostering national unity. The liberalization of the Indian economy in the 1990s catalyzed a media revolution. The introduction of satellite television transformed the landscape, offering diverse programming and breaking regional barriers. Channels like Zee TV and Star India popularized entertainment content, while news channels like NDTV and CNN-IBN provided 24-hour coverage, fostering a more informed public. Digital media has further reshaped Indian media since the 2000s. The internet boom has led to the proliferation of news websites and social media platforms, enabling instant communication and

greater public participation. This democratization of information has empowered citizens but also posed challenges, such as the spread of misinformation. Today, Indian media encompasses a vast array of platforms, including print, television, radio, and digital media, each contributing to a vibrant discourse. Despite challenges like censorship and media consolidation, the Indian media continues to play a pivotal role in shaping public opinion and influencing democratic processes, reflecting the complexities of a diverse and rapidly evolving society.

Role of Media Play in Promoting Democracy: The media plays a crucial and determining role in promoting democracy. The relationship between the media and democracy can be traced under the following heads:

1. **Providing Vital And Authentic Information:** The media aims to inform people about current political issues, policies, and events, allowing them to make informed decisions about their leaders and government. The media acts as a bridge between the people and the legislative.

2. **Holding Leaders Accountable:** The media and mass communication acts as a watchdog, scrutinizing the actions of government officials and holding them accountable for their actions and policy execution. The policies and frameworks of top leaders and legislature are morally answerable to the media of the country.

3. **Encouraging Public Debate and Healthy Communication:** The media provides a platform for public debate and discussion about current political issues prevailing across the country, which is very essential for a healthy and strong democracy. Debate between the ruling party and the opposition provides a proper understanding of ongoing issues to citizens with the help of the media and its associates

4. Providing Space for Diverse Perspectives: The media should represent a range of perspectives and viewpoints, giving citizens access to a variety of opinions and ideas.

5. Empowering and Educating People: The media should educate citizens about the democratic process, helping them understand how government works and how to participate in it effectively. The complex and political processes are informed to citizens with the help of media. Information and communication technology has played a very important role in increasing the voting process and smooth conducting of elections

6. Role of media in public policy: The policy output is actually authoritative action i.e. the decisions of the government on various problems of the people. The media directly can't shape the policy but definitely it can criticize the policy and force the government to change the policy in case if it is not in the interest of the people. Media mediates between the state and the society and hence criticism by the media has a very adverse impact on the popularity of the ruling party. In a way, the media exercises a decisive influence over public policy. Media is the regulating flow of communication between the policymakers, policy, and others in any political system. This role of media influences policy-making and hence makes a country and its political system more democratic.

Challenges and Difficulties of Media: Despite having multiple importance and a key influence in encouraging democracy. The media faces different challenges arising from different spheres. The major challenges of media are listed below.

1. Polarity and Media Bias: Media bias can distort the information that is presented to the public, leading to a lack of objectivity and an imbalance in the information that is available. This can result in a polarized public opinion and a lack of trust in the media. The mainstream media in India is often indulged in either being pro-government or totally against them they are choosing extreme points of view and are not trying to balance out, rather ignoring issues related to common folks

2. Unauthentic and Fake News: The rise of social media has made it easier for fake news to spread rapidly, often leading to confusion and misinformation among the public. This can undermine the credibility of the media and lead to a lack of trust in the information that is presented

3. Private and Corporate Influence: Media outlets are often owned by large corporations, which can influence the editorial policies and reporting of the media. This can lead to a lack of diversity of perspectives and a focus on profit over public interest. Private group influence media by investing amounts on it.

4. Difficult Norms and Government Censorship: Governments may use censorship to control the flow of information and suppress dissent. This can lead to a lack of transparency and accountability in the government and limit the ability of the media to act as a watchdog. Difficult

norms and censorship make media participation difficult.

5. Issue of Legitimacy: A diverse and representative newsroom is essential for media institutions to provide well-researched and complex stories that explore a multiplicity of perspectives and voices. The issue of legitimacy with media refers to the concern that media outlets may not always provide accurate, unbiased, or truthful information. This can arise due to various factors such as political biases, commercial interests, sensationalism, and lack of journalistic standards.

6. Gender Diversity and Lack of Women Participation: The lack of gender diversity in the media is another important issue to consider. Women are underrepresented in both the ownership and workforce of media organizations, which limits the diversity of perspectives and voices in the media. Participation of women should be increased.

7. Media Trial and Defame: There have been instances when the media has carried narratives that make a person guilty in the eyes of the public, even before the court finds them guilty. Example: One example of a media trial in India was the famous Sushant Singh Rajput case. The case received extensive media coverage and the media played a significant role in shaping public opinion and influencing the investigation and subsequent court proceedings. This can have long-lasting repercussions on the lives of the affected individuals, as well as on due process.

Ways For Strengthening Media: According to the Madrid Principles on the Relationship Between the Media and Judicial Independence, it is the job of the media to "convey information to the public and to comment on the administration of justice, including cases before, during and after trial, without violating the presumption of innocence

1. Promote Higher Accuracy and Fact-Checking: It is the collective responsibility of journalists as well as other stakeholders to weed out any element of bias or prejudice from the process of reporting events. A comprehensive fact-checking mechanism should be in place to verify all news items before reporting. Media houses are expected to act cautiously while publishing news.

2. Providing Diverse Perspectives: The media should strive to represent diverse voices and perspectives to ensure that all viewpoints are heard and considered. This can help to promote a more informed and engaged citizenry.

3. Hold those in Power Accountable and Check and Balance: One of the key roles of the media is to hold those in power accountable by reporting on their actions and decisions. This includes investigating corruption and abuse of power.

4. Encouraging Public Discourse: The media can play a key role in fostering public discourse by providing a platform for debate and discussion. This can help to promote understanding and dialogue between different groups, leading to more informed and inclusive decision-making.

5. Tackling with Bias: The media should strive to avoid bias in its reporting to ensure that it is perceived as fair and

objective by all parties. This can help to build trust in the media and promote its role in democracy.

6. Solving Online Harassment of Journalists: Journalists are facing online harassment due to the rise of social media. This affects their safety and freedom of expression. India needs to take measures to address this issue and ensure the safety of journalists

7. Encouraging Media Literacy and Framework: While the media has an important role in promoting democracy, citizens also have a responsibility to consume news critically and discerningly. Media literacy programs can help citizens to better understand how the media works, how to distinguish between reliable and unreliable sources, and how to engage in informed public discourse.

8. Encouraging Independent Journalism: In addition to large mainstream media outlets, there is a need to support and promote independent journalism in India. This can include funding for investigative reporting, support for community-based media, and protection for freelance journalists and stringers who often face greater risks than staff journalists

9. Providing Legal Protection for Journalists: Generally journalists and media outlets are subjected to threats, attacks, and intimidation from various sources. Therefore, the government could consider enacting a law that specifically protects journalists and media outlets from harassment and violence. While Article 19 of the Indian Constitution guarantees freedom of speech and expression, there are no specific provisions for the protection of journalists.

10. Maintaining Media Ethics: It is very important that the media stick to the core principles like truth and accuracy, transparency, independence, fairness and impartiality, responsibility, and fair play.

Conclusion: In conclusion, the changing role of media in Indian democracy reflects the complexities of a rapidly evolving society. Historically, media has been a powerful tool for information dissemination, acting as a catalyst for

social change and political awareness. Today, with the advent of digital technology and social media, its influence has expanded dramatically. Citizens now have unprecedented access to information, enabling them to engage actively in the democratic process and hold power to account. However, this transformation is not without challenges. The rise of misinformation and sensationalism threatens to undermine informed public discourse. Additionally, issues of media ownership concentration and censorship raise concerns about the diversity of perspectives and the independence of journalism. In this landscape, the media must navigate the fine line between freedom of expression and responsible reporting. As Indian democracy grapples with these challenges, the media's role as a watchdog, educator, and platform for dialogue remains crucial. It has the potential to amplify marginalized voices and foster a more inclusive political environment. To fulfill this role effectively, media institutions must prioritize ethical journalism, transparency, and accountability. Ultimately, the evolution of media in India is a double-edged sword; while it holds immense potential for enhancing democratic engagement, it also necessitates vigilance and responsibility to ensure it serves the public interest. A strong, independent media will be essential for nurturing the democratic ideals that India aspires to uphold in the years to come.

References :-

1. Article "The Role of Political Parties in Making Democracy Work", <https://v-dem.net/media/publications/brief3.pdf>
2. Article "Political Parties and Democracy", <https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.polisci.2.1.243>
3. "The Role of Political Party", <https://uk.usembassy.gov/role-political-parties/>
4. Changing Party System in India: Implications for Political Change, (Article by Vandana Agarwal in the Journal of South Asian and Middle Eastern Studies), <https://www.jstor.org/stable/2645573>

राजस्थान में जलग्रहण प्रबंधन

संजय सिंह गुर्जर* डॉ. एल. सी. अग्रवाल**

* शोधार्थी, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राज.) भारत

** प्रोफेसर (भूगोल) राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा एवं शोध निर्देशक, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राज.) भारत

शोध सारांश - राजस्थान राज्य भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10.4% हिस्सा घेरता है, जबकि यहाँ भारत की लगभग 5.66% से अधिक आबादी निवास करती है। दुर्लभ भूमि, जल और जैविक संसाधनों पर समाज की अभूतपूर्व जनसंख्या दबाव और मांग तथा इन संसाधनों का बढ़ता क्षरण हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और समग्र रूप से पर्यावरण की स्थिरता और लचीलेपन को प्रभावित कर रहा है। इसलिए, राजस्थान में उत्पादक कृषि भूमि निरंतर क्षरण की अलग-अलग डिग्री की प्रक्रिया में है और तेजी से बंजर भूमि में बदल रही है। इस पारिस्थितिक असंतुलन को ठीक करने के लिए अलग-अलग बंजर भूमि का विकास करना आवश्यक है। उपलब्ध भूमि संसाधनों की पूरी क्षमता का दोहन करने और इसके आगे क्षरण को रोकने के लिए बंजर भूमि का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। क्षरित भूमि, जल और इसके प्रबंधन की समस्या जटिल और बहुआयामी है तथा इसके विकास का उद्देश्य जलग्रहण विकास और प्रबंधन में मानव संसाधन का विकास करना, सतत विकास के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और जलग्रहण विकास में कार्यरत मौजूदा कार्यबल का रखरखाव करना तथा जलग्रहण प्रबंधन दृष्टिकोण के आधार पर विकास में काम करने के लिए ग्रामीण युवाओं में कौशल विकसित करना और प्राकृतिक संसाधनों का सतत विकास करना है।

शब्द कुंजी - जलग्रहण प्रबंधन, भूमि संसाधन।

प्रस्तावना - भूमि, जल और वनस्पति जीवन समर्थन प्रणाली के तीन बुनियादी संसाधन हैं। मानव और पशुधन आबादी में तेजी से वृद्धि, भोजन, चारा और ईंधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन और इन संसाधनों के अवैज्ञानिक प्रबंधन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र नाजुक और अस्थिर हो जाता है। भूमि, जल और वनस्पति संसाधनों का प्रभावी संरक्षण और प्रबंधन इन संसाधनों को नुकसान पहुँचाए बिना उनसे इष्टतम और निरंतर लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जा सकता है, जिसे जलग्रहण को विकास की बुनियादी इकाई के रूप में अपनाकर हासिल किया जा सकता है। जलग्रहण एक प्राकृतिक जल विज्ञान इकाई है, यह विभिन्न इंजीनियरिंग, जैविक और सांस्कृतिक उपचारों के लिए सबसे प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया करता है। जलग्रहण के आउटलेट पर अपवाह और गाढ़ की निगरानी मिट्टी और पानी के संरक्षण और वनस्पति की रक्षा के उद्देश्य से विभिन्न उपचारों के प्रभाव का आकलन करने में मदद कर सकती है। जलग्रहण प्रबंधन में सभी प्रकार के क्षरण के खिलाफ भूमि की सुरक्षा, क्षरित भूमि की बहाली, तलछट नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण और बाढ़ की रोकथाम आदि शामिल हैं।

परिभाषाएँ:

1. जलग्रहण

- जलग्रहण एक धारा पर दिए गए जल निकासी बिंदु के ऊपर का क्षेत्र है जो उस बिंदु पर प्रवाह में पानी का योगदान देता है।
- जलग्रहण एक प्राकृतिक इकाई है जो अपवाह जल को आउटलेट के सामान्य बिंदु पर ले जाती है।

iii. जलग्रहण भू-जल विज्ञान इकाई या भूमि का एक टुकड़ा है जो सामान्य बिंदु पर जल निकासी करता है। जलग्रहण बेसिन या जल निकासी बेसिन जलग्रहण के पर्यायवाची हैं।

2. जलग्रहण प्रबंधन - जलग्रहण एक स्थलाकृतिक रूप से परिभाषित क्षेत्र है, जो एक जलधारा प्रणाली द्वारा जल निकासी करता है। जलग्रहण अपने भौतिक और जल विज्ञान संबंधी प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ मानव संसाधनों से बना होता है। इस प्रकार जलग्रहण के प्रबंधन में प्राकृतिक और मानव संसाधनों के लिए न्यूनतम जोखिम के साथ इष्टतम उत्पादन के लिए भूमि और जल संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग शामिल है। इसलिए, जलग्रहण प्रबंधन, मिट्टी और जल संसाधनों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना वांछित वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने के लिए जलग्रहण में भूमि उपयोग और अन्य संसाधनों के उपयोग को निर्देशित और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। इस अवधारणा में भूमि उपयोग, मिट्टी और पानी के बीच अंतर्संबंधों और ऊपरी और निचले क्षेत्रों के बीच संबंधों की पहचान शामिल है।

जलग्रहण प्रबंधन के उद्देश्य:

- राजस्थान के विभिन्न कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों में जलग्रहण स्तर पर जल-मौसम विज्ञान, मिट्टी, पोषक तत्व और प्रक्रिया-संबंधी मापदंडों पर उपकरण के माध्यम से डेटा तैयार करना।
- जलग्रहण जल विज्ञान पर मॉडलिंग अध्ययन करना।
- जलग्रहण पैमाने पर भूमि और जल प्रबंधन के लिए स्थानिक निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करना।

4. मिट्टी और जल संरक्षण के लिए ऑन-साइट और ऑफ-साइट प्रबंधन संरचनाओं के प्रभाव का आकलन करना।

जलग्रहण प्रबंधन और राजस्थान- राजस्थान में जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम को तीन अलग-अलग योजनाओं के तहत लागू किया जा रहा है, अर्थात् सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) और रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डीडीपी)। ये योजनाएं ज्यादातर स्थान-विशिष्ट हैं। राज्य में सूखे की लगातार पुनरावृत्ति से निपटने के लिए डीपीएपी को वर्ष 1975 के दौरान एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में पेश किया गया था, जिसमें राज्य का 50:50 हिस्सा था और 1987 में वाटरशेड दृष्टिकोण अपनाया गया था। जबकि डीपीएपी गैर-कृषि योग्य भूमि पर ध्यान केंद्रित करता है, इन-सीटू मिट्टी और नमी संरक्षण के लिए जल निकासी लाइनें, कृषि वानिकी, चारागाह विकास, बागवानी और वैकल्पिक भूमि उपयोग इसके मुख्य घटक थे। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य फसलों और पशुधन के उत्पादन, भूमि, पानी और मानव संसाधनों की उत्पादकता पर सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है, जिससे अंततः क्षेत्रों को सूखा मुक्त बनाया जा सके। कार्यक्रम का उद्देश्य संसाधन आधार के सृजन, विस्तार और न्यायसंगत वितरण तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि के माध्यम से समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा कार्यक्रम क्षेत्रों में रहने वाले संसाधन विहीन और वंचित वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। कार्यक्रम के उद्देश्यों को सामान्य रूप से भूमि विकास, जल संसाधन विकास और वनरोपण/धारागाह विकास के लिए जलग्रहण क्षेत्र विकास दृष्टिकोण के माध्यम से विकास कार्यों को आगे बढ़ाकर संबोधित किया जा रहा है।

आईडब्ल्यूडीपी की शुरुआत 1991 में 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता के साथ की गई थी। आईडब्ल्यूडीपी में सरकार या समुदाय या निजी नियंत्रण वाली भूमि में सिल्वी-कल्चर, मिट्टी और नमी संरक्षण को अपनी प्रमुख गतिविधि के रूप में शामिल किया गया था, जिसमें पूर्ण सूक्ष्म जलग्रहण क्षेत्र विकास सिद्धांत या लोगों की भागीदारी की कोई परवाह नहीं थी। जुलाई 1992 में आईडब्ल्यूडीपी को एनडब्ल्यूडीबी के साथ भूमि संसाधन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था। 1 अप्रैल 1995 से यह योजना जलग्रहण क्षेत्र विकास के लिए सामान्य दिशानिर्देशों के तहत जलग्रहण क्षेत्र विकास आधार पर कार्यान्वित की जा रही है। कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के अलावा बंजर भूमि के विकास में सभी चरणों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने की उम्मीद है - जिससे सतत विकास और लाभों का न्यायसंगत बंटवारा हो सके। आईडब्ल्यूडीपी का मुख्य उद्देश्य (1) संसाधनों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से कार्यक्रम क्षेत्रों के ग्रामीण गरीबों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार और समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, (2) रोजगार का सृजन और (3) अन्य आय पैदा करने वाली गतिविधियों में वृद्धि करना है। इसके अलावा, इसका उद्देश्य सरल, आसान और सस्ती तकनीक और निरंतर सामुदायिक कार्रवाई (लोगों की भागीदारी) के माध्यम से गाँव में पारिस्थितिक संतुलन की बहाली को प्रोत्साहित करना भी है। इन सभी के परिणामस्वरूप समुदाय के गरीब और वंचित वर्गों का समग्र उत्थान होता है।

समुदाय के गरीब और वंचित वर्गों का उत्थान कार्यक्रम के तहत की जाने वाली प्रमुख गतिविधियाँ हैं सूखे मिट्टी और नमी संरक्षण के उपाय जैसे कि सीढ़ीदार खेत बनाना, मेड़ बनाना, खाई खोदना, वनस्पति अवरोध

आदिय बहुउद्देशीय वृक्षों, झाड़ियों, घासों, फलियों और चारागाह भूमि का रोपण और बुवाई कार्यक्रम क्षेत्रों में प्राकृतिक उत्थान को प्रोत्साहित करना कृषि वानिकी और बागवानी को बढ़ावा देना लकड़ी के प्रतिस्थापन और ईंधन-लकड़ी संरक्षण के उपाय लोगों की भागीदारी, विशेष रूप से महिलाओं के माध्यम से प्रतिभागियों के बीच प्रशिक्षण, विस्तार और अधिक जागरूकता पैदा करने जैसी प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए आवश्यक उपायों को प्रोत्साहित किया जाता है।

मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) राजस्थान के उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में 1977-78 में शुरू किया गया था। उष्ण रेतीले मरुस्थलीय क्षेत्रों में आश्रय-क्षेत्र वृक्षारोपण के माध्यम से रेत के टीलों के स्थिरीकरण को अधिक महत्व दिया गया था। इस कार्यक्रम की समीक्षा 1994-95 में प्रो. सी.एच. हनुमंत राव की अध्यक्षता वाली तकनीकी समिति द्वारा की गई थी और यह पाया गया था कि संतोषजनक परिणामों से कम होने का मुख्य कारण यह था कि क्षेत्र का विकास वाटरशेड आधार पर नहीं किया गया था और कार्यक्रम की योजना और क्रियान्वयन दोनों में स्थानीय लोगों की भागीदारी लगभग न के बराबर थी। इसके अलावा, धन की अपर्याप्तता, प्रशिक्षित कर्मियों की अनुपलब्धता और बहुत अधिक गतिविधियों को अपनाना, जो न तो ठीक से एकीकृत थीं और न ही कार्यक्रम के उद्देश्यों से संबंधित थीं, कार्यक्रम के प्रभाव को कम करने में सहायक कारकों के रूप में पहचानी गईं। समिति की सिफारिशों के आधार पर, कार्यक्रम के तहत नए ब्लॉक/जिले शामिल किए गए और साथ ही वाटरशेड विकास के लिए व्यापक दिशा-निर्देश 1994 में जारी किए गए और 1995 से क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर लागू किए गए। इसके बाद, राजस्थान में शुष्क (रेतीले) क्षेत्रों के बड़े भूभाग के कारण अलग-अलग समस्याएँ हैं। इस राज्य के दस जिलों में रेत के टीलों के स्थिरीकरण की समस्या को देखते हुए, 1999-2000 से डीडीपी के तहत आश्रय बेल्ट वृक्षारोपण, रेत के टीलों के स्थिरीकरण और वनीकरण के माध्यम से मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए विशेष परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। ये दस जिले बाइमेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली और सीकर हैं।

इस कार्यक्रम की परिकल्पना भूमि, जल, पशुधन और मानव संसाधनों के संरक्षण, विकास और दोहन के माध्यम से पारिस्थितिक संतुलन की बहाली के लिए एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण समुदाय के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के संसाधन विहीन और वंचित वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं (1) फसलों, मानव और पशुधन आबादी पर मरुस्थलीकरण और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना और मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना, (2) प्राकृतिक संसाधनों, यानी भूमि, जल, वनस्पति आवरण और भूमि उत्पादकता को बढ़ाकर, उनका दोहन, संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना, (3) भूमि विकास, जल संसाधन विकास और वनरोपण/धारागाह विकास के लिए वाटरशेड दृष्टिकोण के माध्यम से विकास कार्यों को लागू करना।

राजस्थान में जल संसाधन विकास कार्यक्रम के प्रभाव का आकलन करने वाले बड़े पैमाने पर अध्ययन बहुत अधिक नहीं हुए हैं, खासकर 1994 के दिशा-निर्देशों के बाद। 2002 में 25 जिलों में 462 वाटरशेड को कवर करते हुए जल संसाधन विकास कार्यक्रम के प्रभाव का आकलन करने के

लिए एक व्यापक अध्ययन किया गया था। अध्ययन में 1992 और 1998 के बीच स्वीकृत किए गए जलग्रहण क्षेत्रों को शामिल किया गया था और 1994 के दिशा-निर्देशों के तहत पूरे किए गए जलग्रहण क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया था। इस अध्ययन से पता चला कि जलग्रहण क्षेत्रों के विकास ने भूमि की समग्र उत्पादकता को बढ़ाया है जल स्तर ऊपर गया है और परियोजना क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों (बैलों को छोड़कर) के पशुधन में वृद्धि हुई है। अध्ययन ने यह भी संकेत दिया कि राज्य में हरित वनस्पति आवरण, सिंचाई, फसल पैदावार आदि में भी सुधार हुआ है। राजस्थान के चार जिलों में 2002 और 2005 के बीच लागू किए गए 91 डीडीपी वाटरशेड के एक अन्य अध्ययन से पता चला है कि डब्ल्यूएसडी निवेश प्राकृतिक संसाधन आधार, यानी मिट्टी और जल संसाधनों को मजबूत करके भूमि उत्पादकता को बढ़ाता है, खासकर वर्षा आधारित स्थितियों में। हालांकि, प्रभावों का वर्तमान स्तर सीमित है और इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरी ओर, राजस्थान में सूक्ष्म अध्ययनों से पता चला है कि सामाजिक पूंजी और संस्थान सामान्य रूप से विकास कार्यक्रमों और विशेष रूप से वाटरशेड विकास से लाभ बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सभी क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का एकीकरण करने के लिए, एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है, ताकि समुदायों की एकीकृत योजना, सतत परिणाम और ग्रामीण आजीविका सुनिश्चित की जा सके। तीनों क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसका क्रियान्वयन समर्पित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा, जो राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संचालित होंगी। इस एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

i. राज्यों को अधिकार सौंपना: राज्यों को अब अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर और इन दिशा-निर्देशों में निर्धारित मापदंडों के भीतर जलग्रहण परियोजनाओं के कार्यान्वयन को मंजूरी देने और देखरेख करने का अधिकार होगा।

ii. समर्पित संस्थाएँ: जलग्रहण कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर बहु-विषयक पेशेवर टीमों के साथ समर्पित कार्यान्वयन एजेंसियाँ होंगी।

iii. समर्पित संस्थाओं को वित्तीय सहायता: जलग्रहण परियोजनाओं के प्रबंधन में व्यावसायिकता सुनिश्चित करने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाओं को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

iv. कार्यक्रम की अवधि: इस दृष्टिकोण के तहत विस्तारित दायरे और अपेक्षाओं के साथ, परियोजना की अवधि को 4 साल से 7 साल की सीमा में बढ़ाया गया है, जो 3 अलग-अलग चरणों में फैली गतिविधियों की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात् प्रारंभिक चरण, कार्य चरण और समेकन चरण। जलग्रहण परियोजना की प्रमुख गतिविधियाँ हैं:

1. मिट्टी और नमी संरक्षण के उपाय जैसे सीढ़ीनुमा खेत, खाई खोदना, वनस्पति अवरोध आदि।
2. बहुउद्देशीय वृक्ष, झाड़ियाँ, घास, फलियाँ लगाना और भूमि विकास करना।
3. प्राकृतिक पुनर्जनन को प्रोत्साहित करना।
4. कृषि वानिकी और बागवानी को बढ़ावा देना।

5. लकड़ी का प्रतिस्थापन और ईंधन-लकड़ी संरक्षण के उपाय।
6. प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए आवश्यक उपाय।
7. प्रतिभागियों के बीच प्रशिक्षण, विस्तार और अधिक जागरूकता पैदा करना।
8. लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

राजस्थान में जलग्रहण प्रबंधन से सम्बंधित सुझाव:

1. कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा लोगों को शामिल करने में विफलता के कारण जलग्रहण परियोजनाएँ स्थायित्व उत्पन्न करने में सफल नहीं हो पाई हैं। जलग्रहण परियोजनाओं के टिकाऊ होने के लिए सामुदायिक प्रबंधन प्रणालियों की आवश्यकता है और वे केवल किसानों के योगदान और समय और संसाधनों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से ही सफल हो सकती हैं।
2. कई मामलों में यह देखा गया है कि हितधारकों को न तो परियोजना सामग्री के चयन में शामिल किया गया और न ही उन्हें विभिन्न परियोजना गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जलग्रहण विकास की पूरी प्रक्रिया में सरकारी विभागों और स्थानीय ठेकेदारों की भागीदारी शामिल थी, जिसमें जलग्रहण समुदायों की न्यूनतम भागीदारी के साथ स्पष्ट शीर्ष-नीचे दृष्टिकोण था। परिणामस्वरूप, आपूर्ति-मांग का बेमेल रहा है, जिससे जलग्रहण समुदायों की स्थानीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अकुशल कार्यान्वयन और अपर्याप्त स्थायित्व हुआ।
3. चूंकि जलग्रहण भूमि आधारित गतिविधि है, इसलिए जलग्रहण प्रबंधन का लाभ मुख्य रूप से कृषक समुदाय को मिला, जबकि परियोजना हस्तक्षेप के माध्यम से भूमिहीन परिवारों की आजीविका सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया।
4. जलग्रहण प्रबंधन के माध्यम से हस्तक्षेप के कारण लाभार्थियों के लिए बनाए गए वैकल्पिक आजीविका अवसरों का पोर्टफोलियो तनाव और आघात का सामना नहीं कर सका और प्राथमिक हितधारक परियोजना अवधि पूरी होने के बाद उन गतिविधियों को बनाए नहीं रख सके।
5. अधिकांश मामलों में स्थिरता मुख्य रूप से परियोजना नियोजन और कार्यान्वयन चरणों में प्राथमिक हितधारकों की अनुपस्थिति के कारण हुई।
6. परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निकासी तंत्र को ठीक से स्पष्ट नहीं किया गया है, जिसके कारण स्थानीय समुदाय स्तर की संस्थाएँ परियोजना का स्वामित्व लेने के लिए आगे नहीं आईं। परियोजना पूर्ण होने के चरण में समुदाय की क्षमता और भागीदारी की कमी के कारण, परियोजना के तहत बनाई गई परिसंपत्तियों को स्थानीय समुदाय की भागीदारी के साथ बनाए नहीं रखा जा सका, जिससे अंततः परियोजना की दीर्घकालिक स्थिरता प्रभावित हुई।

निष्कर्ष: आर्थिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों के बीच संतुलन और जलग्रहण प्रणाली की सभी अंतःक्रियाओं पर विचार जलग्रहण प्रबंधन में महत्वपूर्ण मानदंड हैं। विकास के विभिन्न चरणों में देशों के लिए यह संतुलन आवश्यक है। कृषि, उद्योग और शहरी घरेलू उपयोग के साथ-साथ राज्य सरकारों के बीच साझा जल संसाधनों को लेकर संघर्ष बढ़ रहे हैं। इस प्रकार सतत जल प्रबंधन आर्थिक विकास और लोगों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत जैसे देश में, जहाँ बहुत सारा बहता पानी बर्बाद हो जाता है, वहाँ सूखे और बाढ़ की वार्षिक समस्याओं को हल करने के लिए जलग्रहण प्रबंधन की तकनीक को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Kannan K., (2009), Impact evaluation of micro level water resources development and improved agricultural practices, Indian Journal for Soil Conservation.
2. Om Prakash and Singh H P., (2011), Impact of watershed development programme on biophysical and economic factors in India. Journal of Soil and Water Conservation in India.
3. Reddy Y V R and Sastry G., (2010), Watershed Programmes in India, Scientific Publishers, New Delhi.
4. Tideman E M.,(2010), Watershed Management – Guidelines for Indian Conditions, Omega.

The Legal Study of International Environmental Conventions

Vijaya Laxmi Joshi*

*Assistant Professor, Govt. Law College, Shajapur (M.P.) INDIA

Abstract : Environmental protection is not a problem of any specific country but it is a problem of the whole world. The United Nations, established after the second world war, has passed various conventions and protocols to address many international problems including environmental protection. An authority within the United Nations known as The United Nations Environment programme, is actively engaged in issues related to environmental protection. Numerous international conventions and protocols like- Ramsar Convention, Stockholm Convention 2001, CITES 1973, Convention on Biological Diversity 1992, Bonn Convention 1979, Vienna Convention 1985, Kyoto Protocol 1997, Basel Convention, Minamata Convention, Cartagena Convention, UN Convention to combat Desertification have been enacted to safeguard the environment. The present research paper describes some significant conventions and protocols. This research paper defines The International Environmental Convention and also explains the difference between Convention and protocol and briefly describes various Conventions.

What Is International Environmental Convention– An international environmental convention is a legally binding agreement negotiated among governments to take action together to combat or mitigate a global environmental threat.

Difference Between Convention And Protocol – An environmental convention is an official agreement between governments usually resulting from negotiations facilitated by an international organization. On the other hand, a protocol is a tool used to amend or modify a convention. Not all the states that ratified the original convention are obligated to abide by the changes made through protocols.

International Conventions And Protocols For Environmental Protection– A large number of conventions and protocols have been passed by the United Nations and other International Organizations and have been accepted by many countries. Some of the important conventions and protocols are as follows:

1. CITES – The full form of CITES is the convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora. CITES is an international agreement between governments with the objective of the preservation of the planet's plants and animals by ensuring that the international trade in their specimens does not threaten their survival. It was adopted in 1963 and entered into force in 1975. It is also called "Washington Convention" because its first conference was held in Washington in march 1973. CITES is legally binding on the parties, which is obliged to adopt their domestic legislation to implement its goals. It is administered by THE UNITED NATIONS ENVIRONMENT

PROGRAMME(UNEP). Over 38700 species including roughly 5950 species of animals and 32800 species of plants are protected by CITES against over exploitation through international trade.

In India wildlife crime control Bureau works for the implementation and monitoring of CITES under the ministry of Environment, Forest and Climate Change. It performs its function by regulating the international trade of selected species. The import, export, reexport and entry procedures for the various species covered by the convention are required to be authorised by the licensing system.

2. Stockholm Convention– Stockholm convention on persistent organic pollutants is a global treaty that was adopted by the conference of plenipotentiaries in 2001 and came into force on 17th may 2004. It was introduced to protect human health and the environment from harmful POPs suspended in the air for a long time.

The convention aims to reduce or eliminate the use of POPs through the active measures of the member states.

Over 152 countries ratified the convention. It is ratified by India on 13 January 2006.

3. UNFCCC– The full form of UNFCCC is the United Nations Framework Convention on Climate Change. It is multilateral environmental agreement to control greenhouse gas concentrations in the atmosphere. UNFCCC was signed in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development also known as the Earth Summit, the Rio Conference. The UNFCCC entered into force in 1994 and has been ratified by 197 countries. It is

the parent treaty of Kyoto protocol (1997) and Paris Agreement (2015). It is not legally binding on the parties.

Secretariat – The secretariat is located in Bonn, Germany.

4. Kyoto Protocol– It is an international treaty associated with the UNFCCC. It was adopted in Tokyo, Japan on 11 December 1997, it became operational on 16 February 2005. Currently, there are 192 parties to the Kyoto Protocol. The UNFCCC, through the Kyoto Protocol, gave industrialized nations the responsibility to limit and reduce emissions of green house gases in accordance with agreed individual targets.

The protocol is based upon the principle of ‘Common but differentiated responsibilities’-CBDR. According to this principle all states are responsible for addressing global environmental destruction but they are not equally responsible. It only binds developed countries and places a heavier burden on them under this principle because it recognizes that they are largely responsible for the current high levels of GHG emissions in the atmosphere. The protocol’s first commitment period from 2008 to 2012, aimed to reduce greenhouse gases by an average of 5%. The protocol’s second commitment period was from 1 January 2013 to 31 December 2020 aimed to reduce greenhouse gases by an average of 18%.

5. Convention On Biological Diversity(Cbd)–The convention is focuses on the conservation of biodiversity. It was adopted in 1992 and came into force on 29 December 1993. It is a legally binding convention.

It has 3 main objectives:

- i. The conservation of biological diversity.
- ii. The sustainable use of its components.
- iii. Fair and equitable sharing of benefits arising out of the utilization of genetic resources.

The CBD secretariat is based in Montreal, Canada, and it operates under the UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. It is ratified by India in 1994. India enacted the Biological Diversity Act in 2002 for giving effect to the provisions of the CBD.

6. UNCCD–UNCCD stands for United Nations convention to combat Desertification aims to combat desertification and ill effects of drought. It is a legally binding convention. UNCCD was established in 1994 to protect and restore our land a safer, just and more sustainable future. It came into force in 1996. There are 197 parties and the European Union (EU) to the convention. The UNCCD is one of the three Rio Conventions, the other two being:

1. Convention on Biological Diversity (UNCBD)
2. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

India ratified this convention in December 1996. The Nodal Ministry for the convention in India is the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

7. Convention Of Migratory Species Of Wild Animals(CMS) – The convention is also known as CMS or “Bonn Convention” named after the city Bonn (West

Germany) where it was signed. The convention entered into force on 1 November 1983.

It is only global convention specialising in the conservation of migratory species, their habitats and migration routes.

Aim – The aim of the Bonn convention is to protect the Migratory species of wild animals and their habitats. The states and range states from where the migratory species pass are brought together under CMS to enable measures for their conservation and protection. India has been a party to the convention since 1983. Some of the important migratory species in India are:

- i. Amur Falcons
- ii. Bar- headed Geese
- iii. Black- necked Cranes
- iv. Marine turtles
- v. Dugongs

8. Vienna Convention– Vienna Convention is the convention for the protection of the ozone layer. It came into force in 1998 and was universally ratified by 2009.

Purpose – The purpose of the Vienna convention is to protect the ozone layer from depletion. The convention aimed to promote cooperation among nations by exchanging information on the effects of human activities on the ozone layer.

28 countries originally signed the convention on 22nd march 1985. On 16th September 2009 the convention along with the Montreal Protocol was universally ratified and thus became the first treaties in the history of the United Nations to achieve universal ratification.

Members – There are 198 members under the Vienna convention.

9. Montreal Protocol – The protocol was signed in 1987 and entered into force in January 1989. The protocol gives provisions to reduce the production and consumption of ODSs (Ozone Depleting Substances) to protect the ozone layer. It is the landmark multilateral environmental agreement that regulates the production and consumption of nearly 100 manmade chemicals referred to as ozone depleting substances (ODS). It phases down the use of ODSs in step wise, Time-bound manner. It was agreed on 26 August 1987 in Montreal, Canada and entered into force on 26 August 1989. The protocol was signed by 197 parties to control the use of ozone depleting substances, mainly chlorofluoro carbons (CFCs).

What is the Ozone layer?

It is a layer in the earth’s stratosphere that contains high levels of ozone. This layer protects the earth from the sun’s harmful radiation.

What is ozone layer Depletion?

It refers to the thinning of the ozone layer in the atmosphere. This happens when certain chemicals came into contact with the ozone and destroy it. Chemical compounds that cause ozone layer depletion are called Ozone Depleting Substances (ODSs) such that CFCs, HCFCs.

10. Basel Convention– The Basel convention on the

control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal was adopted on 22 March 1989 by the conference of plenipotentiaries in Basel Switzerland. It came into force in 1992. The Basel convention secretariat is situated in Geneva, Switzerland. There are 188 members to the convention. India ratified the Basel convention in June 1992.

What is the waste under the Basel convention?

Basel convention defines waste as something that needs to be disposed of by the provisions of the National law. Annex 1st defines hazardous waste while Annex 2nd defines the other waste in the convention.

Apart from the waste, the Basel convention also handles some topical issues like:

- i. Electronic and electrical waste such as mobile phones and computers.
- ii. Ships destined for dismantling.
- iii. Mercury and asbestos wastes.
- iv. Illegal dumping of hazardous wastes.

11. Ramsar Convention– Ramsar convention on wetlands is an intergovernmental treaty for “the conservation and sustainable use of wetlands”. The convention was signed on the 2nd February 1971 in the Iranian city of Ramsar located on the southern shore of the Caspian Sea. It came into force for India in 1982.

Ramsar Sites– Those wetlands which are of international importance are declared as Ramsar Sites.

The convention mission is the conservation and wise use of all wetlands through local and national actions and international cooperation.

Montreux Record- ‘The Montreux Record’ is a register of wetland sites on the list of wetlands of international importance where changes in ecological character have occurred, are occurring or likely to occur due to technological developments, pollution, or the human interference. At present two wetlands of India are in Montreux Record:

- i. Keoladeo National Park (Rajasthan)
- ii. Loktak lake (Manipur)

12. Rotterdam Convention– the Rotterdam convention is a multilateral treaty to promote shared responsibilities regarding the importation of hazardous chemicals. It was adopted on 10 September 1998 by a conference of plenipotentiaries in Rotterdam, Netherlands’. It came into force on 24 February 2004. The convention emphasizes the open exchange of information and requires exporters of hazardous chemicals to use proper labelling, include directions on safe handling, and inform purchasers of any known restrictions or bans.

Objective:

1. To promote shared responsibility and cooperative efforts among parties in the international trade of certain hazardous chemicals that harm human health and the environment
2. To exchange information related to the hazardous

chemicals which are traded.

India is a member of Rotterdam convention from 24th May 2005.

13. Minamata Convention – The Minamata convention is a global treaty to protect human health and the environment from the adverse effects of mercury and its compounds. The Minamata convention is named after the Japanese city of Minamata. This city experienced a severe, decades-long incidence of mercury poisoning. The convention came into force in 2007 and India ratified it in 2018.

Objective – The objective of the convention is to protect human health and the environment from anthropogenic emissions and releases of mercury and mercury compounds and it sets out a range of measures to meet that objective.

The convention covers all the aspects of the life cycle of mercury, controlling and reducing mercury across a range of products, processes and industries. This includes controls on –

- i. Mercury mining
- ii. The manufacture and trade of mercury and products containing mercury
- iii. Disposal of mercury waste

Conclusion – After studying the above conventions and protocols, it can undoubtedly be said that the provisions and goals of these conventions and protocols, if implemented with sincerity, would have been able to tackle the global environmental crisis to a great extent, but most of the developed countries have failed to fulfil the obligations imposed on them by these conventions. Due to which the whole world is facing terrible environmental problems like climate change, increasing global temperature, rising sea level, ozone depletion. Climate change is a serious challenge for humanity as a whole and if it is still not addressed, human life could be in danger in the near future. According to the 33rd Annual State of the climate report the three dominant greenhouse gases carbon dioxide, methane and nitrous oxide reached record high concentrations in 2022, and the global sea level and ocean heat content reached record highs in 2022. According to the IPCC 2023 report in 2023 global temperature rose by 1.1°C as a result of human activities. According to the world bank global warming could push an additional 130 million people worldwide below the poverty line. In the last 12 months (April 2023- March 2024) the global average temperature has been recorded 0.70°C above the 1991-2020 average. Climate change and global warming also have negative effects on a country’s economy. According to the world Meteorological Organization of the United Nations, India lost 4.2 billion \$ in 2022 due to global warming. According to ILO India is projected to lose 5.8% of working hours by 2030 due to rising temperature, which could reduce its GDP by 2.50%. As a result of climate change, problems such as reduced agriculture yields, starvation, famine, inflation etc.

can be faced by the developing countries, while developed countries are more responsible for emitting greenhouse gases. These countries have also failed to deliver on promises to provide green climate funds and clean technology transfers to poorer countries. To emerge from this global environmental crisis, we need to change our lifestyles, reduce green house gases emissions, use renewable sources of energy, emphasize coordination between economic development and environmental protection, and climate change literacy, and for this, developed and developing countries must work together in a spirit of mutual cooperation and coordination.

References:-

1. NOAA National Centers For Environmental Information, *Highlights From State Of The Climate 2022*, Noaa National Centers For Environmental Information(may31,2024,10am), <https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/highlights-state-climate-2022#:~:text=Greenhouse%20gas%20concentrations%2c%20global%20sea,state%20of%20the%20climate%20report.>

2. Byju's Exam Prep, *List of Environment conventions and protocols- UPSC GS 3*, BYJUS (may24,2024,9pm), <https://byjus.com/free.ias-prep/environment-conventions-protocols.>
3. Drishti IAS, *Environmental conventions(Biodiversity)*, Drishti IAS(may26, 2024, 11am),<https://www.drishtias.com/To-the-points/papers/environmental-conventions-biodiversity#:~:text=An%20international%20environmental%20convention%20is,interests%20is%20no%20small%20feat.>
4. देवादित्यो सिन्हा, हमारी इकोनॉमी की रफ्तार पर कहीं ब्रेक ना लगा दे **बढ़ता तापमान!** दैनिक भास्कर, 12 मई, 2024, पेज न.9.

ऋग्वैदिककाल से सूत्रकाल तक का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. अमित कुमार ताम्रकार*

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - ऋग्वेद संहिता आर्यों की सबसे पहली साहित्यिक रचना है। जो उनके जीवन के आरंभिक चरण पर प्रकाश डालती है जिसमें उनके सुव्यवस्थित सामाजिक संगठन का आभास मिलता है। आर्य अपनी खानाबदोशी छोड़कर स्थायी रूप से मकान में रहने लगे थे। इन घरों में आर्यों ने एक सुखद पारिवारिक जीवन का विकास किया। उसका रूप आज भी हम अपने चारों ओर पाते हैं। आर्यों के सामाजिक जीवन की इकाई संयुक्त परिवार था। पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई था। समाज में महिलाओं की अच्छी प्रतिष्ठा थी। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का समाज धीरे-धीरे जटिल होता चला गया। यह जटिलता प्रत्येक क्षेत्र में परिलक्षित हुई। धार्मिक कृत्यों की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई महत्ता तथा जीवन के बदलते हुए दृष्टिकोण इस परिवर्तन के मूल में थे। सूत्रकाल तक आते-आते वर्णों का पारस्परिक विभेद अत्यधिक बढ़ गया। समाज में अस्पृश्यता का उदय हुआ। सूत्रकाल में रित्रयों की दशा वैदिक काल की अपेक्षा हीन थी तथापि परिवार में उन्हें सम्मानित स्थान प्राप्त था।

शब्द कुंजी - ऋग्वैदिक काल, उत्तरवैदिक काल, सूत्रकाल, समाज, संस्कृति, विकास।

प्रस्तावना - सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात् भारत में वैदिक काल का पदार्पण लगभग 1500 ई. पू. में हुआ। ऋग्वैदिक काल का विस्तार 1500 से 1000 ई. पू. माना जाता है। उसके उपरांत अन्य वेदों सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद् पर आधारित काल अर्थात् उत्तर वैदिक काल का विस्तार 1000 से 600 ई. पू. मान्य है। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, जिसका अर्थ उत्तम या श्रेष्ठ होता था। उत्तर वैदिक काल के अंत तक वैदिक साहित्य अत्यंत व्यापक एवं जटिल हो चुका था। अतः एक व्यक्ति के लिए संपूर्ण साहित्य को कण्ठस्थ कर सकना असंभव था। फलस्वरूप वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उसे संक्षिप्त करने की आवश्यकता हुई। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सूत्र-साहित्य का प्रणयन हुआ। इसमें अधिक सामग्री कम शब्दों में पिरो दी गई जिससे वैदिक साहित्य को कण्ठस्थ कर सकना सरल हो गया।

सामान्यतः सातवीं या छठीं शताब्दी ई. पू. से लेकर तीसरी शताब्दी ई. पू. तक का समय सूत्र काल कहा जा सकता है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। श्रौत सूत्रों के विषय में नितांत कर्मकाण्डीय होने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। गृह्य और धर्म सूत्रों का ग्रहस्थ और सामाजिक जीवन से संबंध होने के कारण अधिक ऐतिहासिक महत्व है। इन दोनों में अनेक बातें समान हैं। अंतर केवल यही है कि जहाँ गृह्यसूत्र ग्रहस्थ जीवन के नियमों का विस्तार से वर्णन करते हैं वहीं धर्मसूत्र में ये नियम संक्षेप में दिए गए हैं तथा धर्म पर विशेष बल दिया गया है।

गृह्य सूत्रों का विषय धर्म सूत्रों की अपेक्षा सीमित है क्योंकि वे केवल व्यक्ति के ग्रहस्थ जीवन एवं कर्मकाण्डों का वर्णन करते हैं। परंतु व्यक्ति के परिवार, कौटुम्बिक जीवन एवं परिवार से संबंधित है सूक्ष्माति-सूक्ष्म बातों का जितना विस्तृत वर्णन इनमें मिलता है वह विश्व के किसी भी साहित्य में

प्राप्त होना दुर्लभ है। मनुष्य के ग्रहस्थ जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक के संपूर्ण कर्तव्यों तथा कर्मों का निर्देश गृह्य सूत्रों में हुआ है।

ऋग्वैदिक साहित्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह एक सरल समाज था। इस काल के समाज का स्वरूप जनजातीय प्रकार का था। सामाजिक जीवन में जनजातीय विचारों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। परिवार में सम्मिलित रूप से तीन-चार पीढ़ी के लोग साथ-साथ जीवन निर्वाह करते थे। इनके सामाजिक जीवन में खून का रिश्ता महत्वपूर्ण था। जो कि जनजातीय विचारों को अभिव्यक्त करता है। उत्तर वैदिक काल का समाज भी मुख्यतः जनजातीय प्रकार का था। सामान्यतः उत्तर वैदिक काल के समाज को ऋग्वैदिक काल के समाज के निरंतरता में ही देखा जा सकता है। परंतु उत्तरवैदिक काल के अंतिम दिनों विशेषकर 800-700 ई. पू. में सामान्य जनजातीय प्रभाव विघटित होना प्रारंभ हो गया था। सूत्रकाल का समाज वैदिककाल के समाज के विकसित अवस्था को परिलक्षित करता है। समाज में जनजातीय प्रभाव नहीं था अर्थात् सूत्रकाल में वैदिक समाज के संदर्भ में परिवर्तन के तत्व दृष्टिगोचर होते हैं।

ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप अस्थाई प्रकार का था। ऋग्वैदिक काल के लोग पशुचारणिक एवं घूमंतू थे। फलतः इस काल का समाज भी स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर पाया था। उनके घुमंतू प्रवृत्ति के कारण ही इस काल के कबीलों की पहचान वंश से होती थी। जैसे- भरत वंश, पुरु वंश इत्यादि। उत्तर वैदिक काल का समाज स्थायित्व को प्राप्त कर लिया था। इस रूप में पूर्व काल की तुलना में परिवर्तन का तत्व स्पष्ट होता है। इस काल के समाज को क्षेत्रीय समाज की संज्ञा दी जाती है। इसलिए इस काल में कबीलों की पहचान क्षेत्र के आधार पर होना प्रारंभ हो गई। जैसे- कुरु, पांचाल इत्यादि। सूत्रकाल का समाज पूर्णतः स्थाई समाज था इस काल का समाज

राजतांत्रिक समाज को परिलक्षित करता है।

ऋग्वैदिक काल में समाज में सामुदायिक स्वामित्व एवं सामुदायिक दृष्टिकोण की अवधारणा प्रबल थी। फलतः इस काल में व्यक्तिवादी मूल्यों का विकास नहीं हो पाया था। उत्तर वैदिक काल के समाज में भी सामुदायिक स्वामित्व की अवधारणा निरंतर रही परंतु इस काल के अंतिम दिनों में इस अवधारणा में विघटन प्रारंभ हो गया। सूत्रकाल के समाज में सामुदायिक स्वामित्व की अवधारणा का विघटन हो गया था और मुख्यतः व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा का विकास हुआ। फलतः इस काल में व्यक्तिवादी मूल्यों का विकास हुआ। समाज में गणिकाओं का उद्भव इस बात को प्रमाणित करता है।

ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल दोनों ग्रामीण समाज को अभिव्यक्त करते हैं। हालांकि उत्तरवैदिक काल के अंतिम दिनों में शहरीकरण की कुछ प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। सूत्रकाल में ग्रामीण समाज के साथ-साथ शहरी समाज का भी उद्भव हुआ। 600 ई. पू. काल एवं उसके बाद के काल में भारत में द्वितीय नगरीकरण का दौर माना जाता है। इस शहरीकरण के उपरांत ही समाज में कुछ नए वर्गों का उद्भव हुआ। जैसे- धोबी, नाई इत्यादि। साथ ही कुछ नए व्यवसायों का उद्भव हुआ जैसे- भोजनालय।

ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल दोनों के समाज का स्वरूप सामान्यतः समता मूलक था। समाज में भेदभाव की प्रवृत्ति कम थी। हालांकि इस काल के समाज में लैंगिक असमानता दृष्टिगोचर होती है। इन दोनों काल के समाज का विभाजन श्रमिकारीय था। वस्तुतः यह विभाजन वर्ण भेद को न बताकर कार्य विभाजन को बतलाता है। सूत्रकालीन समाज स्पष्टतः विभेदमूलक समाज था। आर्थिक रूप से समाज में 600 ई. पू. काल और उसके बाद कुछ अभिजात्य वर्गों की उपस्थिति देखने को मिलती है। इस काल के समाज में शिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति का भी विकास दृष्टिगोचर होता है। यह भी इस बात की ओर संकेत करता है कि समाज में विषमता के तत्व विद्यमान थे।

ऋग्वैदिक काल के अंतिम दिनों में वर्ण व्यवस्था का उद्भव हुआ। इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10 वें मंडल में हुआ है। परंतु वर्ण व्यवस्था का स्वरूप कठोर नहीं था। वर्ण व्यवस्था का जो स्वरूप उस समय समाज में विद्यमान था वह उसके क्षैतिज स्वरूप को स्पष्ट करता है। ऋग्वेद के नौवें मण्डल में एक उल्लेख आया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि एक ही परिवार के लोग भिन्न-भिन्न वर्णों से संबद्ध थे। फलतः यह स्पष्ट है कि वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक वर्ण व्यवस्था की ही निरंतरता दृष्टिगोचर होती है। इस काल में भी वर्ण व्यवस्था का कठोर स्वरूप स्थापित नहीं हुआ था। यद्यपि इस काल के अंतिम दिनों में ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के द्वारा कुछ सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त करने की प्रवृत्ति का विकास हुआ। सूत्रकाल के समाज में वर्ण व्यवस्था कठोर रूप में स्थापित हुई। वर्ण का आधार परिवर्तित होकर श्रमिक के स्थान पर श्रमण हो गया। वर्ण व्यवस्था के ऊर्ध्वाधर स्वरूप की स्थापना हुई। धर्म सूत्रों में वर्ण धर्म के पालन पर बल दिया गया है। वह भी इस बात की पुष्टि करता है।

ऋग्वैदिक कालीन समाज में महिलाओं की स्थिति उन्नत थी। महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक अधिकार के साथ-साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी प्राप्त थी। इस काल में महिलायें राजनीतिक संगठन जैसे- सभा, समिति, विद्वथ में भाग लेती थीं। इस काल में महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता था और महिलायें शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में

विदुषी महिलाओं की भी चर्चा हुई है। जैसे- आपला, लोपामुद्रा, विश्ववारा, घोषा इत्यादि। इन महिलाओं ने ऋग्वेद के आठवें मंडल में विभिन्न सूक्तों की रचना की थी। उत्तर वैदिक काल में यद्यपि महिलाओं की स्थिति अच्छी बनी रही तथापि पूर्व काल की तुलना में कुछ पतन के तत्व जरूर दृष्टिगोचर होते हैं। महिलाओं को राजनीतिक अधिकार से वंचित किया गया। अब वे सभा, समिति में भाग नहीं लेती थीं। उल्लेखनीय है कि सभा, समिति का स्वरूप केवल राजनीतिक नहीं था बल्कि उसका स्वरूप कुछ हद तक सामाजिक, आर्थिक एवं सैनिक था। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सार्वजनिक जीवन के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति में कुछ हद तक पतन हुआ। इस काल में भी महिलाओं के संदर्भ में किसी कुप्रथा का विकास नहीं हुआ। सूत्र साहित्य विशेषकर धर्मसूत्रों से यह स्पष्ट होता है कि सूत्रकाल में महिलाओं की स्थिति में पतन हुआ। इस काल से बाल विवाह को बढ़ावा मिला। विधवा पुनर्विवाह अब संभव नहीं था। महिलाओं पर पुरुषों के अधिकार को स्थापित करने का प्रयास इस काल से प्रारंभ हो गया था।

ऋग्वैदिक काल में विवाह रूपी संगठन का विकास हो चुका था और विवाह सरल प्रकार से संचालित होता था। विवाह के संदर्भ में व्यक्ति को स्वतंत्रता भी प्राप्त थी। उत्तर वैदिक काल में सगोत्र एवं सपिण्ड प्रथा का विकास हुआ। इस काल में सगोत्र एवं सपिण्ड विवाह को निषिद्ध किया गया। सूत्रकाल में विवाह के आठ प्रकार का उद्भव हुआ। इसमें से चार प्रकार के विवाह को स्वीकृत घोषित किया गया जबकि अन्य चार प्रकार के विवाह को अस्वीकृत किया गया।

ऋग्वैदिक काल में मौखिक शैक्षणिक परंपरा दृष्टिगोचर होती है। शिक्षा का स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से होता था। उत्तर वैदिक काल में भी मौखिक शिक्षा की परंपरा निरंतर रही। सूत्रकाल में शिक्षा को लिखित स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार इस काल में शिक्षा के क्षेत्र में स्थायित्व का विकास दृष्टिगोचर होता है।

ऋग्वैदिक काल के लोगों का धार्मिक जीवन सरल प्रकार का था। वे प्रकृति के पुजारी थे तथा इनके पूजा का मुख्य माध्यम स्तुति गान था तथा पूजा का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति था। उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन में जटिलता का विकास हुआ। इस काल में कर्मकाण्ड की महत्ता बढ़ी। फलस्वरूप धार्मिक क्षेत्र में विचलित वर्ण का उद्भव हुआ। इस काल में पशुबलि को बढ़ावा मिला। धार्मिक क्षेत्र में ब्राह्मणों की भूमिका बढ़ी। सूत्रकाल वस्तुतः एक धार्मिक आंदोलन का काल है। इस काल में ब्राह्मण धर्म की जटिलता के विरुद्ध कुछ नये वाममार्गी धर्मों का विकास हुआ। जैसे- बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक संप्रदाय इत्यादि।

ऋग्वैदिक काल के लोगों का आर्थिक जीवन अल्पविकसित था। वे पशुपालन के द्वारा एवं सीमित कृषि के माध्यम से अपनी सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन में पूर्व काल की तुलना में कुछ विकास दृष्टिगोचर होता है। इस काल के आर्थिक जीवन में कृषि की महत्ता बढ़ी तथा व्यापार एवं शिल्प को प्रोत्साहन मिला। सूत्रकाल का आर्थिक जीवन उन्नत अवस्था को प्रदर्शित करता है। इस काल के आर्थिक जीवन में मूर्द्धिकरण को बढ़ावा मिला, व्यापार को बढ़ावा मिला, शहरीकरण को बढ़ावा मिला, कृषि अधिशेष को बढ़ावा मिला। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस काल का आर्थिक जीवन भौतिकवादी समाज के आधार को निर्मित किया।

ऋग्वैदिक काल में लोगों के दार्शनिक दृष्टिकोण का प्रमाण नहीं मिलता

है। इसी प्रकार सामान्यतः उत्तर वैदिक काल में भी दर्शन का विकास दृष्टिगोचर नहीं होता है। परंतु इसके अंतिम दिनों में जब उपनिषद् की रचना हुई तो यहां से दर्शन का विकास प्रारंभ हुआ। सूत्रकाल में उपनिषद् के ही आधार पर षड्दर्शन का विकास प्रारंभ हुआ जिसका अंतिम रूप से संकलन गुप्तकाल में किया गया।

ऋग्वैदिक कालीन लोगों के सामाजिक जीवन में भाषा एवं साहित्य को भी देखा जा सकता है। लोग वैदिक संस्कृति से अवगत थे और ऋग्वेद की रचना हो चुकी थी। परंतु इसे लिखित स्वरूप प्रदान नहीं किया गया था। उत्तर वैदिक काल में भी वैदिक संस्कृत के आधार पर ही अन्य तीनों वेदों, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक एवं उपनिषद् साहित्य की रचना हुई। इन साहित्यों को भी 800 ई. पू. तक लिखित रूप प्रदान नहीं किया गया था। सूत्रकाल में भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में एक विकास दृष्टिगोचर होता है। इस काल में पाणिनी के द्वारा व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की गई। जिससे वैदिक संस्कृत का और विकास हुआ। सूत्रकाल में ही सूत्र साहित्य की रचना की गई और इसे लिखित स्वरूप भी प्रदान किया गया। इससे साहित्य के क्षेत्र में बढ़ावा मिला।

वर्तमान समय में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संविधान ने सभी को एक समान अधिकार प्रदान किए हैं। महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान द्वारा समस्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक भेदभाव, कुरीतियों, रुढ़ियों, अस्पृश्यता, उंच-नीच एवं छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है और इनको समाज से पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए कठोर कानूनी कार्यवाही एवं सजा का प्रावधान भी किया गया है। बावजूद इसके वर्तमान शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार के युग में भी मनुष्य जातिवाद, सामाजिक-धार्मिक कर्मकाण्ड, कुरीतियों, रुढ़ियों, दकियानूसी परंपराओं, छुआछूत, अस्पृश्यता, साम्प्रदायिकता इत्यादि से मानसिक रूप से ग्रसित है। महिलाओं

के साथ भेदभाव, हिंसा एवं अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है। वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज एवं संस्कृति का पश्चिमीकरण हुआ जिसने अत्यधिक भौतिकवादी जीवन शैली को बढ़ावा दिया परिणामस्वरूप भारत की परिवारिक एवं सामुदायिक जीवन शैली नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है। जिसने समाज में अनेक नवीन कृत्रिम समस्याओं को जन्म दिया है। वैदिक कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों को अपनाकर इन समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। आधुनिक भारत में धार्मिक-सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी नारा दिया था श्वेदों की ओर लौटोश।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. महाजन, विद्याधर, प्राचीन भारत का इतिहास, एस.चंद्र एण्ड कंपनी लि., नई दिल्ली, वर्ष 2000
2. निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पटियाला हाउस, नई दिल्ली, वर्ष 2001
3. झा, द्विजेंद्रनारायण एवं श्रीमाली, कृष्णमोहन, प्राचीन भारत का इतिहास, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, वर्ष 2002
4. श्रीवास्तव, डॉ. कृष्ण चंद्र, प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, यूनाइटेड बुक डिपो, इलाहाबाद, वर्ष 2005
5. दहीभाते, डॉ. ए. सी. एवं पारीक, डॉ. पूनम, इतिहास प्रथम वर्ष, राम प्रसाद एण्ड संस, भोपाल
6. मजूमदार, डॉ. रमेश चंद्र, प्राचीन भारत, मोतीलाल बनारसी दास, वाराणसी वर्ष 1983
7. लुणिया, बी.एन., प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, कमल प्रकाशन, इंदौर वर्ष 2001

Traditional Ecological Values of Indian Knowledge System in *The Forest of Enchantments* by Chitra Divakaruni Benerjee

Dr. Sehba Jafri*

*Asstt. Prof. , Language, Commerce & Management Dept., Saifia Science College, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract : Chitra Divakaruni Benerjee is the greatest Indian Writer on Indian Knowledge System. She is school of Indian Mythological knowledge in herself. Her writings, their flow and selection of wordings mesmerise the readers in such a way that a reader feels himself transferred in a different world. *The Forest of Enchantments* is the great example of her Indian mythical knowledge. It is not only a book to convey the unveiled knowledge of Indian Epics but it is a full set of ethics and Ecological values for what India was once the teacher of the world. The protagonist of the novel is Queen Seeta, the wife of Lord and King Ram. This book is the story of Ram in the context of Seeta, which showcases the hidden aspects of Seeta's life. One of them is Seeta as a Naturopathiest. There are lots of things in this story of Seeta till the earth from the birth which show Seeta as a daughter of nature. The present paper is a small attempt to discuss the traditional Indian ecological values expressed by Divakaruni through Seeta which are also the ecological values given by the book.

Keywords: Forest, Earth, Eco System, forestry, irrigation, architecture, ethno-biology, Medicines, plant.

Introduction - Knowledge of Nature is an old innovative art which is transferred by generation to generation. Nobody can guess its establishment date and nobody can suggest about its degradation time but it can be said with a great confidence that it helps in promoting interdisciplinary research of all aspects, It gives us the practical utility to solve the current and emerging problems and actively engages us for spreading the rich heritage of our country and traditional knowledge in every field of life. *The Forest of Enchantments* is a book full of traditional ecological knowledge. It is a recreation of The Ramayana. The Ramayana is one of the world's greatest epics but *The Forest of Enchantments* is a narrative art told by Seeta. Besides being a tragic love story, it is also a treasure house of Ecological Knowledge. Although its hero is Lord Ram still it has a shero (Brave heroine in the context of Hero) for whose brilliant and brave retelling Chitra Banerjee Divakaruni composed *The Forest of Enchantments*. She places Seeta at the centre of the novel for telling Seeta's own story in her own inimitable voice. Readers become enchanted by seeing the word sketch of Seeta's journey from the great city of Ayodhya to the forests (from where the story starts) and the jungle with her beloved husband, the exiled Ram. Besides the leading theme of Seeta's abduction by the ferocious demon king Ravan and her returning to Ayodhya with Lord Ram, the book tells us Seeta's love,

affection and knowledge of ecology as a sub theme. It highlights different aspects of Seeta as a daughter of Mother Nature. Seeta comes out from the nature, says good-bye from the lap of earth and shows her affection even with the small segment of the nature till the final, unexpected tragedy which she must undergo. Laced with Seeta's joys and sorrows, the story tells us about the forest as her best friend in her agony and her triumph. This forest testifies her heartbreak and the same forest restores her resilience in the obstacles of life. *The Forest of Enchantments*, in this way, invites the readers to look into the ecological affection of Seeta which is an ideal lesson for the lives of other women who are unknown by the Indian Knowledge system of five basic elements of their existence.

Use of Indian Knowledge System in *The Forest of Enchantments*: With a main theme of contemporary battle of wills, *the Forest of Enchantment* is the best example of Indian knowledge system. It is a system based on *Tamaso ma jyotir gamaya*, meaning thereby Indian Knowledge system is a journey from unknown to known. By using the same concept with a dilemma Divakaruni says, "Seeta's character is much more than what we understand her to be. Still, I don't know who Seeta really was". (Divakaruni-8). The writer confesses later in the book that Seeta is the incarnation of Goddess Lakshmi and because of assuming a human body, she also has many human weaknesses.

This weakness allows Seeta to become angry when Sage Vishwamitra comes to Seeta and hands over The Ramayana for criticism. Seeta, with a great Indian rhetoric answers furiously : “It is good in lyrical beauty with melodious words..but ... But did you not know what happened to me when I was sitting alone in the dark under the tree?” (Divakaruni- 8)

This Indian Knowledge System teaches us the science of survival by using the Vedic concept of *The PanchaMahayajnas*. It is made up by *Brahma, Daiva, Pitra, Bhoot and AtithiYajna*. The meaning of life, according to this concept, is to use these elements for the protection and inspiration of human life. Divakaruni transforms all these elements one by one in her writing and re-creates the ancient story in such a wonderful way that despite the tragic ending of Ram-Seeta’s love story nobody hates Ram. The readers try to find out the divine aspects of Ram and start seeing *Brahama* in it.

Divakaruni, beside all the elements of Indian knowledge system, does not ignore the *AtithiYajna*. ‘Chitra Banerjee Divakaruni does justice to the guest appearance women of Ramayana who have always been neglected due to ignorance. These ladies invokes Chitra as the divine guests and continuously say as “Write our story too, we have been despised and misunderstood, we have been blamed, we have been forgotten, we have been condemned..” (Divakaruni- 14). Then the Chitra welcomes their guest appearance and replies them as, “Yes, I will definitely write your story because without your story my own story cannot be complete.” (Divakaruni- 14,20).

The Forest of Enchantments is, thus, not just a retelling of a much-told epic; rather it is a book that re tells Indian Knowledge System in story genre with a balanced and non-judgmental view.

Traditional Ecological Values: This book has a classic-creation of Chitra Divakaruni in showcasing the traditional ecological values. It has love for nature; it has a feeling of joy by the marvellous touch of the earth; it has a simplicity of a folk singer stood under the tree in the silence of dark forest; it has a rhythm of a flowing river. It teaches the lesson of love for nature. The novel starts with the tender description of Seeta’s morning walk in his palace-garden. She is roaming around the gorgeous garden of King Janak. Her bare feet are experiencing the soft touch of hue, passing by the grass. She was worried about the low flowering of gracious Gronhus and the charming Champaks. She cares for the sick plants, touches them with tender love, digs the roots for proper watering and the plants become healthy. It shows great ecological values Seeta have from her childhood. She suddenly recalls Ram’s first appearance for *Swyamwar* and use to sing like blowing wind, blushes like the pomegranates in her father’s garden and her heart aches with joy in a doubtful dilemma. She asks herself with a deep sigh, “ Will this prince/ with eyes shining /like a mountain pond/ take my heart too?” (Divakaruni- 21).

People use to call her Goddess Exotica (Van Devi).

When the Novel opens the readers see that Seeta had a specific power to know about the medicinal plants. Whenever she used to touch any plant she could understand its healing power. She could easily recognize the medicinal plants and she was able to understand different species of the plant kingdom, with all their medicinal parts like whose flowers, fruit-parts, leaves, roots, stems, or seed are directly used or used in some preparation as a medicine to treat a condition or disease.

Seeta’s knowledge of the beneficial properties of medicinal plants to treat diseases represents a valuable resource to preserve the biological and cultural diversity of different ethnicities and it provokes the readers to respect the plant kingdom. The Forest of Enchantments is one of the simplest and most beautiful retelling to teach the ecological values to the students.

‘Chitra Banerjee Divakaruni does not only search the nature’s example in the beautiful things and conditions, but also when she obeys *Vashishtya* to write her own *Barah Khadi*. She chooses red colour and in behalf of Seeta, she writes: “ I selected red ink to write my biography.....red is the colour of menstrual blood, womb blood and finally the colour of my most favourite flowers.” ‘Chitra Banerjee Divakaruni turns the Ramayana around by telling it in the voice of Seeta ... This inversion is a gift – it presents us a with a way to know an already well-known story better and to love an already beloved story more’. (Sattar 112). She turned the Traditional Ramayan with beautiful ecological value and also explained important thing along with a love story that how nature has a connection with human beings. Seeta loves Naturopathy. She likes to create medicines by plants , she talks to plants in her own way. She is a master of Ethno-biology. Forestry like all Indian ladies is her inborn talent, she wants to see a talking monkey and prohibits the army to make harm to plants. She wants to irrigation, architecture, Biology. Thus the work is ‘A work...of pluralities and possibilities with traditional ecological values.’

Conclusion: The book is full of lots of r traditional ecological rituals which teaches us stuff of Indian knowledge system. There is a mantra in Atharvaveda which literally expresses the pain of the earth in the present era-”Yattebhoomevikhanaami, kshipramtadapirohatu./Ma temarmavimrigvari, ma tehridyamarpipaam. Atharvaveda 12.1.35

Whatever part of the earth we dig, we should fill it again soon. Do not harm the heart and vital places of the earth under any circumstances. But who is following these principles today? In the blind race of selfishness, everyone wants treasure, even if its price has to be paid by the destruction of the entire environment. Today, due to our own crimes, nature has become distorted, the fierce form of Shiva is eager to destroy the creatures in terrible forms like famine, flood, epidemic, earthquake, tsunami. All the efforts being made to live life seem insufficient. Today’s

scientists have accepted in their minds that the abandonment of ancient thoughts has given birth to the present tragedies. So, the book in this scenario of destruction, teaches us nature still has a lot left to offer, even though we have not been able to become good children of the Earth, its motherly nature still wants to protect us.

References:-

1. Pandit, N. (2016). Indian patent act- What to know as health professional? *Journal of Integrated Health Sciences*,4(1),1.<https://doi.org/10.4103/2347-6486.240038>
2. Pardo-de-Santayana, M., &Macía, M. J. (2015). Biodiversity: The benefits of traditional knowledge. *Nature*, 518(7540), 487–488. <https://doi.org/10.1038/518487a>
3. Pretty, J., &Smith, D. (2004). Social capital in biodiversity conservation and management. *Conservation Biology*, 18(3), 631–638. <https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2004.00126.x>
5. Reo, N. J. (2011). The Importance of Belief Systems in Traditional Ecological Knowledge Initiatives *International Indigenous Policy Journal*, 2(4). <https://doi.org/10.18584/iipj.2011.2.4.8>
7. Ryser, B. R. C. (2012). Indigenous and Traditional Knowledge. *Encyclopedia of Sustainability*.
8. Berkshire 122 Castle Street Great Barrington, MA 01230, 5, 1–15.
9. Ryser, R. C. (2011). Indigenous Peoples and Traditional Knowledge. *The Berkshire Encyclopaedia of Sustainability: Ecosystem Management and Sustainability*, 204–210.
10. Schick, A., Sandig, C., Krause, A., Hobson, P. R., Porembski, S., &Ibisch, P. L. (2018). People-CenteredandEcosystem-Based Knowledge Co-Production to Promote Proactive Biodiversity Conservation and Sustainable Development in Namibia. *Environmental Management*, 62(5), 858–876. <https://doi.org/10.1007/s00267-018-1093-7>
12. Secretariat of the Convention on Biological Diversity. (2006). *Global Biodiversity Outlook 2*: Convention on Biological Diversity. <https://www.cbd.int/doc/gbo/gbo2/cbd-gbo2-en.pdf>
14. Sen, S., & Chakraborty, R. (2014). Traditional Knowledge Digital Library: A distinctive approach to protect and promote Indian indigenous medicinal treasure. *Current Science*, 106(10), 1340–1343. <https://doi.org/10.18520/cs/v106/i10/1340-1343>
16. Sattar.Arshia, *The Critical Review: Sitayan* .EMU Press: New York (2004) 112
17. Shantanu Das, DipikaGogoi, S. S. D. (2014). Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 3(11), 2139–2141.
18. Siebenhuner, B., Dedeurwaerdere, T., & Brousseau, E. (2005). Introduction and overview to the special issue on biodiversity conservation, access and benefit-sharing and traditional knowledge. *Ecological Economics*, 53(4), 439–444. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2004.12.012>
20. Siebenhüner, B., Dedeurwaerdere, T., & Brousseau, E. (2005). Introduction and overview to the special issue on biodiversity conservation, access and benefit-sharing and traditional knowledge. *Ecological Economics*, 53(4), 439–444. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2004.12.012>
22. UNEP.(2010). *Traditional Knowledge and the Convention on Biological Diversity*. 1(514), 1–5. <https://www.cbd.int/doc/publications/8j-brochure>
24. Venkataraman, K. (2009). India's Biodiversity Act 2002 and its role in conservation. *Tropical Ecology*, 50(1), 22–30.
25. Wallington, T. J., Hobbs, R. J., & Moore, S. A. (2005). Implications of Current Ecological Thinking for Biodiversity Conservation/ : a Review of the Salient Issues. *Ecology and Society*, 10(1).
26. ZSI. (2013). *Zoological Survey of India Annual Report 2011-2012*. In Director, Zoological Survey of India.
27. Goswami, K. (2020). *Tamaso ma jyotir gamaya: from darkness, lead me to light*. *Research and Humanities in Medical Education*, 7, 136–137. Retrieved from <https://www.rhime.in/ojs/index.php/rhime/article/view/330>

Impact of Performance Appraisal Systems on Employee Motivation: A Comparative Study of State Bank of India and HDFC Bank

Dr. B.M.S. Bhadauria* Diksha Mishra**

*Prof. & Head (Commerce) Govt. M.L.B. Girls' P.G. Autonomous College, Bhopal (M.P.) INDIA

** Asst. Prof. (Commerce and Management) Saifia Science College, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract : This study explores the impact of performance appraisal systems on employee motivation through a comparative analysis of the State Bank of India (SBI) and HDFC Bank. Performance appraisal is a crucial tool in assessing employee performance, providing feedback, and influencing motivation levels. The research highlights key differences between the public and private sector banks' appraisal mechanisms and their effect on employee morale, productivity, and job satisfaction. While HDFC Bank's structured, reward-linked appraisals lead to higher motivation and engagement, SBI's appraisal system faces challenges like delayed feedback and lack of recognition, resulting in lower employee motivation. The study suggests that for both banks, refining appraisal processes to include timely feedback, clear performance metrics, and aligning appraisals with career development can significantly enhance employee motivation. The findings provide valuable insights for both public and private sector banks to optimize their appraisal systems and foster a more motivated and productive workforce.

Keywords : Performance Appraisal, Employee Motivation, State Bank of India, HDFC Bank, Public Sector Banks, Private Sector Banks, Employee Engagement, Job Satisfaction, Reward Systems.

Introduction - Employee motivation is a fundamental element that determines the efficiency and productivity of an organization. Motivation influences not only individual performance but also the collective performance of teams and the organization as a whole. In the competitive landscape of the banking sector, where employees operate in a high-pressure environment, ensuring that the workforce remains motivated is crucial for delivering consistent results, maintaining high service standards, and achieving organizational goals. Among various factors that influence employee motivation, the performance appraisal system plays a pivotal role. It serves as a tool for evaluating employee performance, providing feedback, recognizing achievements, and aligning individual performance with organizational objectives.

This research paper delves into the impact of performance appraisal systems on employee motivation through a comparative analysis of two leading banks in India—State Bank of India (SBI) and HDFC Bank. The choice of these two banks is significant as they represent contrasting organizational structures and approaches toward employee management. SBI, as a public sector bank, has a more traditional and stable framework, with an emphasis on job security, seniority-based promotions, and standardized appraisal procedures. On the other hand,

HDFC Bank, a private sector bank, has a dynamic and performance-driven culture that emphasizes merit-based appraisals, rewards, and career advancement opportunities.

Performance appraisal systems are designed to assess employees' achievements, strengths, and areas for improvement while setting clear expectations for the future. When implemented effectively, these systems can serve as powerful motivators by recognizing and rewarding employee efforts, providing developmental feedback, and facilitating career growth. However, poorly designed or mismanaged appraisal systems can have adverse effects, leading to demotivation, dissatisfaction, and even high employee turnover. Therefore, understanding the role of performance appraisal systems in motivating employees is of paramount importance, especially in the context of the banking industry, where attracting and retaining skilled personnel is essential for sustaining competitive advantage. This research aims to explore and compare how performance appraisal systems in SBI and HDFC Bank influence employee motivation. SBI's performance appraisal system traditionally emphasizes seniority and tenure, which, while providing stability, may not always reward high-performing employees adequately. This can result in a lack of motivation among ambitious employees who seek

recognition and faster career progression. In contrast, HDFC Bank's performance appraisal system is more aligned with a meritocratic approach, rewarding employees based on their performance outcomes, contributions, and potential for future growth. Such a system is likely to foster a culture of high performance, but may also create a competitive environment that could be perceived as stressful by some employees.

The comparative study aims to identify the strengths and weaknesses of the appraisal systems at SBI and HDFC Bank, and how these systems impact employee motivation differently. The research will focus on various dimensions of performance appraisals, such as fairness, transparency, frequency of feedback, developmental opportunities, and linkages to rewards and career advancement. The study will also consider employee perceptions of the appraisal systems and their effects on motivation, job satisfaction, and overall performance.

Meaning of motivation and types:

Motivation is a psychological concept that refers to the internal and external factors that stimulate and drive an individual's behavior, actions, and persistence toward achieving a goal. It is the force that initiates, guides and sustains behavior, influencing how individuals think, feel, and act. Motivation can be driven by various needs, desires, or goals, ranging from basic physical needs (e.g., food and safety) to higher-level psychological needs (e.g., self-esteem, recognition, and personal growth).

Motivation can be classified into two main types:

1. Intrinsic Motivation: This is the motivation that comes from within an individual. It is driven by personal satisfaction, interest, or enjoyment of a task. People who are intrinsically motivated engage in an activity for its own sake because they find it rewarding or fulfilling

2. Extrinsic Motivation: This type of motivation is influenced by external factors such as rewards, recognition, or avoidance of punishment. People who are extrinsically motivated perform activities to earn rewards or avoid negative outcomes.

Need of the study: The study is essential to understand how performance appraisal systems impact employee motivation in distinct organizational contexts, specifically in public sector (SBI) and private sector (HDFC Bank) banks. It aims to evaluate the effectiveness, fairness, and transparency of appraisal systems and their influence on employee satisfaction, retention, and performance. By comparing these two banks, the research identifies the strengths and limitations of each system, offering insights for optimizing appraisal practices. The findings will guide policymakers and HR professionals in developing appraisal systems that better motivate employees, enhance productivity, and contribute to organizational success.

Objectives of the Study-The main objectives are :

1. To assess the role of motivation in enhancing employee performance at the State Bank of India and HDFC

bank.

2. To analyze the relationship between appraisal systems and employee motivation.
3. To compare the motivational strategies employed by both banks
4. To analyze how appraisals impact rewards and career advancement opportunities.

Research Methodology: This study employs a **descriptive research design** based on secondary data to analyze the impact of performance appraisal systems on employee motivation in SBI and HDFC Bank. The methodology includes:

1. Data Sources: Secondary data is collected from annual reports of SBI and HDFC Bank, published research papers, industry reports, theses, dissertations, official bank websites, and news articles related to employee motivation and appraisal practices.

2. Data Analysis: A **comparative analysis** approach is used to identify the differences and similarities between the performance appraisal systems of both banks. **Content analysis** is employed to extract relevant patterns, themes, and trends from the collected data.

The study is limited to secondary data, which may not fully capture real-time employee perceptions. The findings are specific to SBI and HDFC Bank and may not be generalizable to other banks. The methodology provides a structured framework to evaluate the effectiveness of performance appraisal systems in motivating employees in both public and private sector banks.

Review of Literature: The impact of performance appraisal systems on employee motivation has been a topic of significant research and debate in human resource management. Performance appraisals are instrumental in providing feedback, identifying developmental needs, and establishing a basis for reward distribution. When implemented effectively, they can enhance employee motivation, job satisfaction, and overall organizational performance. This section reviews previous research papers and theses on the subject, with a specific focus on comparative studies between public and private sector banks, such as the State Bank of India (SBI) and HDFC Bank, to understand how appraisal systems affect employee motivation in different organizational contexts.

1. Performance Appraisal Systems and Employee Motivation: Multiple studies have established that performance appraisal systems can serve as either a motivator or demotivator, depending on how they are perceived and implemented within an organization. According to Gupta and Kumar (2014), an effective performance appraisal system enhances employee motivation by providing clarity in goal setting, establishing clear expectations, and offering constructive feedback. Their research, conducted on a sample of employees from various banking institutions, found that employees who perceive the appraisal system as fair and transparent are

more likely to experience higher levels of motivation and job satisfaction.

Similarly, Mishra and Dixit (2016) explored the impact of appraisal systems on employee motivation in the Indian banking sector. Their study found that banks with comprehensive and structured appraisal systems that linked performance evaluations to rewards, promotions, and career development experienced lower levels of employee dissatisfaction and higher levels of motivation. This finding suggests that the effectiveness of performance appraisal systems depends not only on the design of the system but also on its integration with other HR processes such as compensation and career advancement.

2. Comparative Analysis of Performance Appraisal Systems in SBI and HDFC Bank: The contrast between public and private sector banks is well-documented in the literature, with several researchers highlighting the distinct approaches to performance appraisals in these organizations. Singh and Sharma (2018) conducted a comparative study of the performance appraisal systems in SBI and HDFC Bank. Their findings indicated that SBI, being a public sector bank, follows a traditional, seniority-based appraisal system that prioritizes tenure and consistency over merit. While this approach ensures stability and job security, it may not adequately motivate high-performing employees seeking rapid career growth and recognition. The study found that many SBI employees felt undervalued and unappreciated despite their contributions, which negatively affected their motivation levels.

In contrast, HDFC Bank employs a performance-driven appraisal system that emphasizes merit, individual contributions, and potential for future growth. This system, which is more aligned with the private sector's emphasis on competitiveness and performance, was found to positively impact employee motivation. Employees at HDFC Bank reported higher satisfaction with the appraisal process, feeling that their efforts were recognized and rewarded appropriately. However, the study also noted that the intense focus on performance at HDFC Bank could lead to stress and burnout for some employees, indicating that while motivation is higher, it comes at a potential cost to employee well-being.

3. Fairness and Transparency in Performance Appraisals: The perceived fairness and transparency of the appraisal process significantly influence its effectiveness in motivating employees. According to the study by Khan and Jain (2017), transparency in the appraisal process is crucial in gaining employee trust and acceptance. Their research, conducted on employees from SBI and HDFC Bank, revealed that HDFC Bank's appraisal system is perceived as more transparent and fairer due to its emphasis on objective performance criteria, regular feedback, and a well-defined grievance handling mechanism. In contrast, SBI's appraisal system was

criticized for its lack of transparency and reliance on subjective assessments by supervisors, which led to perceptions of bias and favoritism.

The study by Khan and Jain also highlighted the role of communication in appraisal systems. Employees at HDFC Bank reported receiving regular updates and feedback on their performance, which allowed them to align their efforts with organizational goals. SBI employees, on the other hand, felt that they were not adequately informed about the appraisal criteria or outcomes, leading to confusion and dissatisfaction.

4. Impact on Employee Motivation and Job Satisfaction: The relationship between performance appraisals, motivation, and job satisfaction has been explored extensively in the literature. Kumar and Mishra (2019) found that the effectiveness of appraisal systems in motivating employees is contingent on how appraisal outcomes are linked to rewards and recognition. Their study on Indian banks, including SBI and HDFC Bank, revealed that employees who felt that the appraisal outcomes were fairly linked to promotions, bonuses, and career development opportunities were more motivated and satisfied with their jobs.

Further, the research by Singh (2020) indicated that appraisal systems that focus on employee development rather than merely evaluating past performance tend to have a more positive impact on motivation. Singh's study found that HDFC Bank's appraisal system, which includes developmental components such as identifying skill gaps and providing training opportunities, was more successful in enhancing employee motivation compared to SBI's appraisal system, which is more focused on performance evaluation and administrative decisions.

5. Challenges and Limitations in Performance Appraisal Systems: Despite the potential benefits of performance appraisal systems, several challenges can hinder their effectiveness. Studies by Sharma and Roy (2018) have pointed out that the complexity and rigidity of appraisal systems in public sector banks like SBI can create a sense of complacency among employees, as promotions and rewards are often based on tenure rather than performance. This, in turn, reduces the motivational impact of the appraisal system.

On the other hand, private sector banks like HDFC Bank face challenges related to intense competition and high-performance expectations. The appraisal system at HDFC Bank, while motivating high performers, can also create a cut-throat environment that leads to stress and job dissatisfaction for employees who are unable to meet high-performance standards.

Why performance appraisal is essential for increasing motivation?

A performance appraisal system is essential for enhancing employee motivation as it offers structured feedback, recognizes individual contributions, and aligns personal

performance with organizational goals. Through regular assessments, employees gain insight into their strengths and areas for improvement, which fosters a sense of personal and professional development. Additionally, appraisals often lead to rewards, promotions, or training opportunities, making employees feel valued and incentivized to perform better. By setting clear expectations and providing continuous feedback, performance appraisals boost morale, drive productivity, and create a more engaged and motivated workforce.

Impact of performance appraisal on motivation :

Performance appraisal has both positive and negative impacts on employee motivation.

Positive Impact: When conducted effectively, it boosts motivation by recognizing employees' efforts, providing constructive feedback, and aligning their goals with organizational objectives. This leads to increased job satisfaction, a sense of accomplishment, and opportunities for career growth through promotions or rewards. It also enhances engagement and encourages employees to improve their skills.

Negative Impact: Conversely, poorly managed appraisals can demotivate employees by creating bias, unfair evaluations, or unrealistic expectations. Negative feedback without guidance can lower self-esteem, lead to resentment, and ultimately result in decreased productivity and higher turnover rates.

Scope of the study : The scope of this study includes analyzing the role and effectiveness of performance appraisal systems in influencing employee motivation at SBI and HDFC Bank. It aims to identify the key factors that differentiate appraisal processes in public (SBI) and private (HDFC) sector banks and how these factors impact employee morale, productivity, and job satisfaction. The study covers various aspects such as appraisal methods, feedback mechanisms, reward systems, and career development opportunities. By highlighting these differences and their effects, the research offers insights for both banks to enhance their appraisal systems and develop strategies that foster a more motivated and engaged workforce.

Conclusion: The review of literature on the impact of motivation on employee performance in the State Bank of India and HDFC Bank reveals significant differences in motivational strategies and their outcomes. Research consistently shows that HDFC Bank employees are more motivated by performance-based incentives, career growth opportunities, and recognition, which lead to higher levels of engagement and performance. On the other hand, SBI's focus on job security and fixed salaries satisfies basic needs but falls short in providing the motivators that drive high performance. The comparative studies indicate that private sector banks like HDFC Bank have developed more effective motivational strategies that align employee performance with organizational goals, whereas public

sector banks like SBI rely on traditional approaches that may not fully harness the potential of their workforce...At HDFC, a private sector bank, appraisals are more frequently linked to rewards, career advancement, and skill development, leading to higher employee motivation and productivity. State Bank of India's public sector framework often encounters challenges like bureaucracy and delayed feedback, which can reduce motivation. To enhance employee performance, both banks should focus on refining their appraisal systems to ensure fairness, transparency, and effective communication.

Suggestion: To enhance the impact of performance appraisal systems on employee motivation at SBI and HDFC Bank, both organizations should adopt a more transparent and consistent appraisal approach. **For the State Bank of India**, it is essential to streamline the process, reduce bureaucratic delays, and ensure that appraisals are conducted fairly and based on clear performance criteria. Implementing a structured feedback mechanism and linking appraisal outcomes to tangible rewards such as promotions, incentives, or professional development opportunities can boost employee morale and motivation. **For HDFC Bank**, while the existing system is effective, it can be further improved by incorporating a more holistic approach. This can include regular mentorship programs and personalized growth plans based on appraisal feedback. Additionally, both banks should focus on training managers to provide constructive and unbiased feedback, fostering a positive environment that encourages continuous improvement. Emphasizing open communication and aligning individual and organizational goals will ensure that performance appraisals effectively motivate employees and contribute to overall business success.

References :-

1. Chaudhary, K., (2019). Employee Retention and Motivation in Public and Private Banks: A Comparative Analysis of SBI and HDFC Bank. *Journal of Organizational Studies*, Vol. 7, No. 4, ISSN: 2347-6231.
2. Ghosh, P., (2017). Overcoming Motivational Barriers in Public Sector Banks: A Case Study of SBI. *Banking and Finance Journal*, ISSN: 2278-3457. Vol. 9, No. 1
3. Konda Reddy, P., (2004). Motivation Leadership A study of LIC and Commercial bank branches in Nellore district, PhD thesis, Sri Venkateswara University.
4. Kumar, A., (2018). Impact of Motivation on Employee Performance: A Comparative Study of Public and Private Sector Banks in India. PhD Thesis, Jawaharlal Nehru University.
5. Mehta, S., (2019). Motivational Strategies in Indian Public and Private Sector Banks: A Comparative Study of SBI and HDFC Bank. PhD Thesis, Delhi University.
6. Pardhasaradi, R., (2007). Employees Motivation in the banking sector A case study of India west Godavari region AP. PhD thesis, Andhra University.

7. Raj, M., (2020). Employee Motivation in Private Sector Banks: A Study of HDFC Bank. Master's Thesis, Indian Institute of Banking & Finance.
8. Sharma, P., (2021). How HDFC Bank Achieves High Employee Performance Through Effective Motivation. Journal of Business and Economic Policy, ISSN: 2375-0766, Vol. 6, No. 2
9. Singh, A., (2018). The Role of Motivation on Employee Performance in the Indian Banking Sector: A Comparative Study. International Journal of Management Research, ISSN: 2455-450X, Vol. 10, No. 2.
10. Verma, S. and Kumar, R., (2020). Motivational Practices and Their Impact on Employee Satisfaction in SBI and HDFC Bank. Journal of Banking & Financial Management, ISSN: 2231-013X, Vol. 8, No. 3.

Websites:-

1. <https://www.verywellmind.com>
2. <https://positivepsychology.com>
3. <https://positivepsychology.com>
4. <https://www.irjmets.com>

जनजातीय क्षेत्रों में मौसमी पलायन के विभिन्न प्रभावों का अध्ययन (अलीराजपुर जिले के संदर्भ में एक अध्ययन)

सज्जनसिंह मोर्य*

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अलीराजपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - ऐसा देखने में आया है कि सर्वाधिक औद्योगिक मजदूर ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी होते हैं। अतः वे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए ही औद्योगिक शहरों की ओर जाते हैं और अक्सर पाते ही वे अपने मूल ग्रामीण परिवार की ओर चले जाते हैं। किन्तु फिर से आर्थिक परिस्थितियाँ उन्हें औद्योगिक शहरों की ओर जाने को मजबूर करती है। इसका परिणाम यह होता है कि ऐसे श्रमिकों की औद्योगिक कार्य में रुचि नहीं उत्पन्न हो पाती है।
शब्द कुंजी - मौसमी पलायन, जनजातीय क्षेत्र

प्रस्तावना - भारत सरकार के आँकड़ों के अनुसार देश की 140 मिलियन ग्रामीण निर्धन जनसंख्या काम की तलाश में नगरों, उद्योगों एवं खेतों की ओर जाते हैं। ये पलायन करने वे लोग हैं, जो निर्माण, विनिर्माण, सेवाओं एवं कृषि क्षेत्र में आकस्मिक काम के लिए सदैव उपलब्ध रहते हैं। यह जनसंख्या भारत के असंगठित एवं अनौपचारिक कार्यबल का हिस्सा है, जो अपने ग्रामीण क्षेत्र में एवं शहरी, औद्योगिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कार्य के स्थानों एवं सेवाओं और अधिकारों से बाहर रखा गया है। निर्धनता एवं मजदूरी, अनिश्चित रोजगार, और खतरनाक काम की स्थिति एवं आवश्यक सेवाओं की कमी प्रवासी मजदूरों के अनुभव को परिभाषित करती है। भारत में सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुँच निवास के प्रमाण से जुड़ी हुई है, जो प्रवासियों के पास है, इसके फलस्वरूप सब्सिडी वाले खाद्यान्न, आवास, स्वास्थ्य देखभाल एवं स्थानीय लोगों के लिए उपलब्ध अन्य लाभों से वे वंचित हो जाते हैं। ग्रामीण मौसमी प्रवासी नगरों में मतदान करने में असमर्थ होते हैं, जो उनके अधिकारों को अलग कर देता है। परिणामतः प्रवासी हाशिये आ जाते हैं अर्थात् प्रवासी श्रमिक निर्माण स्थलों, ईंट के भट्टे या नगरों की सीमाओं पर प्रदूषित विनिर्माण क्षेत्रों में जीवन-यापन करते रहते हैं।

शोध विषय का चयन - मौसमी पलायन के कारण जनजाति वर्ग के पलायन करने वाले लोगों पर मौसमी पलायन के क्या प्रभाव हुए हैं ? इस महत्वपूर्ण बिन्दु को ध्यान में रखकर ही ही 'मौसमी पलायन करने वाली अनुसूचित जनजाति के परिवारों का समाजशास्त्रीय अध्ययन (अलीराजपुर जिले के विशेष संदर्भ में)' नामक शोध विषय का चयन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. जनजाति वर्ग के लोगों पर मौसमी पलायन के विभिन्न प्रभावों का अध्ययन करना।

अध्ययन का महत्व एवं क्षेत्र - जनजाति वर्ग के परिवारों द्वारा मौसमी पलायन किए जाने पर आधारित इस शोध कार्य का महत्व एवं प्रासंगिकता यह है कि इस शोध के माध्यम से यह स्पष्ट हो सकेगा कि जनजातीय परिवारों

के जीवन पर मौसमी पलायन से क्या प्रभाव पड़ता है?

निर्दर्शन प्रक्रिया - मौसमी पलायन करने वाली अनुसूचित जनजाति के परिवारों का समाजशास्त्रीय अध्ययन से संबंधित इस शोध कार्य में निर्दर्शन प्रक्रिया इस प्रकार से अपनाई गई है-

1. **अध्ययन के समग्र** - अध्ययन के समग्र के रूप में मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले की 05 तहसीलों में पलायन करने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों को शामिल किया गया है।

2. **अध्ययन की इकाई** - समग्र में से अध्ययन की इकाई के रूप में अलीराजपुर जिले की 05 तहसीलों में पलायन करने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों में से कुल 150 परिवारों का चयन किया गया है।

उत्तरदाताओं का चयन - शोध कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उत्तरदाताओं का चयन शोध कार्य के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर **सोद्देश्य प्रतिचयन विधि** से किया गया है। शोध कार्य के लिए उत्तरदाताओं के रूप में जिले की 05 तहसीलों में पलायन करने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों में से कुल 150 परिवारों का चयन किया गया है। उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जिले की प्रत्येक तहसील से कुल 30 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। इस प्रकार जिले से कुल 150 (5 x 30) उत्तरदाताओं का चयन अध्ययन की इकाई के रूप में किया गया है।

आँकड़ों का संकलन - इस शोध कार्य की पूर्ति के लिए प्राथमिक आँकड़ों एवं द्वितीयक आँकड़ों का संकलन किया गया है।

आँकड़ों के संकलन के स्रोत - इस शोध कार्य के लिए प्राथमिक आँकड़ों का संकलन अध्ययन क्षेत्र से चयनित उत्तरदाताओं से साक्षात्कार-अनुसूची के माध्यम से किया गया है। वहीं द्वितीयक आँकड़ों का संकलन विभिन्न मानक पुस्तकों, शोध-प्रबंध एवं लघु शोध प्रबंध, विभिन्न शोध पत्र एवं पत्रिकाओं, विभिन्न विभागों के प्रकतवेदनों, भारत की जनगणना-2011, अलीराजपुर जिले की सांख्यिकी पुस्तिकाओं, शासकीय तथा अशासकीय विभागों की अधिकृत वेबसाइट्स से प्राप्त आँकड़ों एवं अभिलेखों के आधार पर किया गया है।

इस प्रकार संकलित किए गए प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण एवं सारणीकरण के बाद में तथ्यों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले गए, जिसके आधार पर शोध कार्य की प्रतिपूर्ति की गई है।

अध्ययन के महत्वपूर्ण निष्कर्ष:

1. **शासकीय योजनाओं के आर्थिक-सामाजिक प्रभावों के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश उत्तरदाताओं आर्थिक-सामाजिक स्थिति पर शासकीय योजनाओं का प्रभाव पड़ता है।
2. **शासकीय योजनाओं से मौसमी पलायन में कमी आने के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** अध्ययन क्षेत्र के ज्यादातर उत्तरदाताओं के अनुसार शासकीय योजनाओं से मौसमी पलायन में कमी नहीं आई है।
3. **सामाजिक कार्य/त्यौहार पर मौसमी पलायन से वापस आने के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** अध्ययन क्षेत्र के सर्वाधिक उत्तरदाता सामाजिक कार्य/त्यौहार पर मौसमी पलायन से वापस आ जाते हैं।
4. **सामाजिक कार्य/त्यौहार के बाद वापस जाने के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** अध्ययन क्षेत्र के सर्वाधिक उत्तरदाता सामाजिक कार्य/त्यौहार के बाद पलायन स्थल पर वापस चले जाते हैं।
5. **मौसमी पलायन से संस्कृति पर प्रभाव होने के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** मौसमी पलायन से उत्तरदाताओं की संस्कृति प्रभावित नहीं होती है।

6. **मौसमी पलायन की अवधि में समस्याएँ होने के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** सर्वाधिक उत्तरदाताओं को मौसमी पलायन की अवधि में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

7. **मौसमी पलायन की अवधि में समस्याओं के प्रकार के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** मौसमी पलायन की अवधि में सर्वाधिक उत्तरदाताओं को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है।

उपसंहार - उपर्युक्त विवेचन एवं निष्कर्ष से यह स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश के जनजातीय आधिक्य अलीराजपुर जिले के मौसमी पलायन करने वाले परिवारों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति पर शासकीय योजनाओं का प्रभाव पड़ता है। विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करने के बाद भी उनकी संस्कृति पर मौसमी पलायन का कोई प्रभाव नहीं होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत की जनगणना-2011
2. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका-अलीराजपुर।
3. शुक्ल, एस.एम., सहाय, एस.पी. (2005) सांख्यिकीय के सिद्धांत, साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा (उ.प्र.)।
4. सिंह, श्यामधर (1982), वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के मूल तत्व, कमल प्रकाशन, इन्दौर (म.प्र.)।

किशोर बालक-बालिकाओं में फास्ट फूड के प्रति अभिरूचि का अध्ययन (दमोह शहर के संदर्भ में)

डॉ. आराधना श्रीवास*

* सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (गृह विज्ञान) शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय, दमोह (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जो अपने में एक पूर्ण अवस्था हैं। किशोरावस्था के सम्बन्ध में यह पूर्णता परम्परागत विश्वास रहा है कि किशोरावस्था विकास की एक आन्तरिक अवस्था है। इस अवस्था में बालक के शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक गुणों में परिवर्तन प्रौढावस्था की दिशा में होते हैं। आधुनिक युग में आज किशोरावस्था के अन्तर्गत भौतिक परिपक्वता के साथ-साथ मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, स्वास्थ्य पर भी अध्ययन किया जाता है। किशोरावस्था में बालक-बालिकाओं में एक नयापन दिखायी देता है। हमारा अपना देश हो या संसार का कोई भी देश किशोरावस्था को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यह सत्य है कि बच्चे देश की नींव है, इस नींव का सृजन उसकी माँ एवं परिवार के अन्य सदस्यों पर आधारित होता है। वही किशोरावस्था में आकर बच्चे स्वयं का अच्छा बुरा सोचना प्रारम्भ कर देते हैं। किशोर बालक एवं बालिकाओं के जीवन में फास्ट-फूड की भूमिका अहम होती जा रही है क्योंकि यह उन्हें न केवल स्वादिष्ट भोजन प्रदान करते हैं बल्कि एक नई प्रकार की स्वतंत्रता और मनोरंजन का स्रोत भी बन गया है। प्रस्तुत अध्ययन में दमोह शहर के संदर्भ में किया गया है। जिसमें किशोर बालक-बालिकाओं की फास्ट-फूड की पसंदगी का अध्ययन किया गया है।

प्रस्तावना - फास्ट-फूड वे भोज्य पदार्थ हैं जो बाजार से ही हमें अर्धनिर्मित अवस्था में मिलते हैं इसलिये इन्हें बनाने में कम समय लगता है। फास्ट-फूड में कार्बोज व वसा की मात्रा अधिक पायी जाती है इसमें विटामिन व मिनरल्स नहीं पाये जाते हैं अर्थात् शरीर को इनके पोषण प्राप्त नहीं होता है, फास्ट-फूड भी स्ट्रीट फूड के अन्तर्गत ही आते हैं। इन्हें चायनीज फूड के नाम से भी जाना जाता है। जैसे- पिज्जा, बर्गर, पावभाजी चाउमिन आदि। किशोर बालक-बालिकाओं द्वारा फास्ट-फूड को किशोर बालक-बालिकाओं के द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। किशोर बालक-बालिकाओं के बीच फास्ट-फूड के प्रति पसंदगी के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि यह उनकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। फास्ट-फूड सस्ता और सुलभ होता है, जो प्रायः किशोर बालक-बालिकाओं के सीमित बजट के अनुरूप होता है। इसके अतिरिक्त फास्ट-फूड के विविध प्रकार और फ्लेवर उन्हें आकर्षित बनाते हैं जो उन्हें घर के पारंपरिक भोजन से हटकर कुछ नया प्रदान करते हैं। किशोर बालक-बालिकाएँ अपने मित्रों के साथ फास्ट-फूड का आनंद लेते हैं। यह एक सामाजिक गतिविधि बन चुकी है। यह किशोर बालक-बालिकाओं के सामाजिक जीवन का हिस्सा बन चुका है।

फास्ट-फूड किशोर बालक-बालिकाओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को प्रभावित करता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन और खनिजों की कमी होती है, जबकि इसमें अस्वास्थ्यकर फैट और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है। इस प्रकार, किशोरों में मोटापा, उच्च रक्तचाप और डायबिटीज जैसी बीमारियों के विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। छोटे शहरों में पोषण संबंधी जागरूकता की कमी होने के कारण यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है, जहाँ माता-पिता और शिक्षक भी इस बारे में अधिक जानकारी नहीं रखते हैं। इस हेतु किशोर और किशोरियों को इस

प्रकार के अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के सेवन के प्रति जागरूकता करना और उन्हें संतुलित आहार की जानकारी प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य से संबंधित इन समस्याओं के बावजूद, स्ट्रीट फूड का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी कम नहीं है। यह भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक सामुदायिक अनुभव भी है।

ब्राउन 1979 में बताया कि अमेरिका में किशोर भोजन में पोषक तत्व व ऊर्जा ग्रहण करते हैं जबकि लड़कियाँ कार्बोहाइड्रेट व ऊर्जा बहुत कम लेती हैं। लौह तत्व दोनों ही कम मात्रा में ग्रहण करते हैं।

डॉ. श्रीमती कोठारी के अनुसार 2003 में अपने शोध कार्य में बताया कि किशोरावस्था अनुभवों का समय है जिसमें किशोर विभिन्न समस्याओं के उपस्थित होते हुए भी बचपन से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है व अपने जीवन के विभिन्न पहलू के लिए अवधारणा को स्थापित करता है किशोरावस्था में किशोर व किशोरियाँ अपने आहार के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं अधिक कार्यभार मेहनत एवं तनाव का होना व कम मात्रा में आहार एवं पोषक तत्व लेना उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।

किशोर व किशोरी अपने भोजन चयन में पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं वे जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसके प्रति अपनी एक निश्चित रुचि या अरूचि होती है जिसके कारण भोजन सम्बन्धी आदतें विकसित होती हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है और किशोर किशोरियाँ भी इस नियम से प्रभावित होती हैं इसलिए ये समय के साथ-साथ इनकी भोज्य आदतें भी प्रभावित होती हैं जिसके अन्तर्गत भोजन सम्बन्धी, प्रवृत्ति, प्रकृति, भोजन में भोज्य समूह का प्रयोग तथा विशिष्ट अवसर पर ग्रहण किये जाने वाले भोजन को सम्मिलित करते हुए यह ज्ञात हुआ है कि उन पर भोजन के प्रति अरूचि व रुचि का भोजन सम्बन्धी आदतों पर प्रभाव पड़ता है।

अध्ययन के उद्देश्य- प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्नानुसार है।

1. पारम्परिक भोजन की अपेक्षा किशोर एवं किशोरियाँ फास्ट-फूड के सेवन को अधिक पसंद करते हैं।
2. किशोर वर्ग फास्ट-फूड सेवन में दूसरों का अनुकरण करते हैं।

प्राक्कल्पना- प्रस्तुत अध्ययन की प्राक्कल्पना निम्नानुसार है।

1. फास्ट-फूड के उपयोग से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को जानना।
2. किशोर एवं किशोरियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना।
3. किशोर एवं किशोरियों में फास्ट-फूड के प्रति पसंदगी को जानना।

अध्ययन की विधि- प्रस्तुत अध्ययन दमोह शहर के संदर्भ में किया गया। जिसमें 150 किशोर एवं 150 किशोरियों को लिया गया। किशोर एवं किशोरियों की आयु 17 से 21 वर्ष थी। शोध के उद्देश्य व समकों की प्रकृति को ध्यान में रखकर आवश्यक सांख्यिकी का प्रयोग किया गया। समकों का संकलन प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया गया। किशोर व किशोरियों का चयन दैव निदर्शन विधि के द्वारा किया गया।

व्याख्या एवं विश्लेषण-

अभिरूचि युक्त भोजन

क्र.	अभिरूचि युक्त भोजन	किशोर बालक		किशोर बालिकाएँ	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	पारम्परिक भोजन	30	20	40	26.67
2	फास्ट-फूड	120	80	110	73.33
	कुल	150		150	

किशोर बालक-बालिकाओं के द्वारा किस प्रकार के भोजन को पसंद किया जा रहा है कि जानकारी को संकलित किया गया है। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि 150 किशोर बालकों में से 30 (20) प्रतिशत पारम्परिक भोजन एवं 120(80) प्रतिशत किशोर फास्ट-फूड में रुचि रखते पाये गये। 150 किशोर बालिकाएँ 40 (26.67) प्रतिशत पारम्परिक भोजन एवं 110 (73.33) प्रतिशत किशोरियाँ फास्ट-फूड में रुचि रखती पायी गयी।

फास्ट-फूड का स्वास्थ्य पर प्रभाव

क्र.	फास्ट-फूड का स्वास्थ्य पर प्रभाव	किशोर बालक		किशोर बालिकाएँ	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	अच्छा	30	20.00	20	16.67
2	बुरा	105	70.00	105	70.00
3	पता नहीं	15	10.00	25	13.33
	कुल	150		150	

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि 30 (20.00) प्रतिशत किशोर

बालक व 20 (16.00) प्रतिशत बालिकाओं को यह ज्ञात है कि फास्ट-फूड का स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। 105 (70.00) प्रतिशत किशोर बालक 105 (70.00) प्रतिशत किशोर बालिकाओं को यह ज्ञात है कि फास्ट-फूड का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 15 (10.00) किशोर बालक एवं 25 (13.33) प्रतिशत किशोर बालिकाओं को यह ज्ञात है कि फास्ट-फूड का स्वास्थ्य पर प्रभाव की जानकारी ही नहीं थी।

निष्कर्ष- वर्तमान समय में आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव किशोर और किशोरियों पर समान रूप से पड़ा है इसीलिये आधुनिक खाद्य पदार्थ फास्ट-फूड के प्रति रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है एक ओर जहाँ किशोर अपने मित्र समूह अपनी व्यस्ततम जीवनशैली व आधुनिकता के चलते फैशनेबल फास्ट-फूड का सेवन करती है क्योंकि वह घर का एक प्रकार का भोजन करते-करते बोर हो जाते हैं इसलिये वह फास्ट-फूड को अधिक पसंद करते हैं। किशोर बालक व बालिकाओं को यह ज्ञात नहीं होता कि वह फास्ट-फूड के माध्यम से व अधिक मात्रा में वसा व उच्च ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। जो उनमें मोटापा, हृदय रोग व तनाव जैसी भयानक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं।

सुझाव- किशोरावस्था में किशोर बालक व बालिकाओं की शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जिससे उनकी पौषणिक आवश्यकता बढ़ जाती है यदि इस समय किशोर बालक व बालिकाओं द्वारा सही मात्रा में संतुलित आहार व आवश्यक पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन, खनिज लवण आदि का सेवन किया जाना चाहिये। किशोर वर्ग द्वारा भोजन पूर्ण आराम से व बैठकर लिया जाना चाहिये न कि जल्दबाजी में किशोर वर्ग द्वारा आहार में उच्च ऊर्जा और प्रोटीन, वसा, खनिज लवण जैसे कैल्शियम, आयरन, विटामिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन, एस्कार्विक अम्ल आदि शामिल किया जाना चाहिये।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. डॉ. त्रिपाठी अपूर्वा, 'किशोर एवं किशोरियों में फास्ट-फूड के प्रति बढ़ते आकर्षण का अध्ययन', पेज नं. 55.-56.
2. डॉ. कोठारी नंदनी व सिंह प्रगति, फास्ट-फूड का किशोरों के पोषण स्तर पर प्रभाव समाजिक सहयोग, मार्च 2004।
3. श्रीवास्तव अर्चना स्वास्थ्य, भोजन एवं स्वास्थ्य विज्ञान अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा 2010।
4. पीपुल्स समाचार मंगवाल, 11 जनवरी 2011।
5. तेज लाईफ स्टाइल कहीं धीमा न कर दें आपका जीवन, 9 मार्च 2010 पत्रिका।

आदिवासी सामाजिक कला एवं परंपराएं

डॉ. एम. एल. अवाया*

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, संधवा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – आदिवासी शब्द दो शब्दों से 'आदि' और 'वासी' से मिलकर बना है 'आदि' का शाब्दिक अर्थ प्रारंभ या शुरू होता है एवं 'वासी' का अर्थ 'निवास करने वाला' होता है अर्थात् जो प्रारंभ या शुरू से निवास करता हो, अर्थात् आदिवासी का शाब्दिक अर्थ 'मूलनिवासी' होता है। आदिवासी, Aboriginal (एबोरिजिनल) शब्द का हिंदी अनुवाद है जिसका प्रयोग:- किसी भौगोलिक क्षेत्र के उन निवासियों के लिए किया जाता है जिसका उस भौगोलिक क्षेत्र से पुराना संबंध हो। अर्थात् यह कहा जाता है कि आदिवासी ही किसी देश के मूल निवासी होते हैं भारत में आदिवासी समुदाय का संवैधानिक नाम (Constitution name of Tribal Community) अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) है जिसे संक्षिप्त में अ.ज.जा. या (ST) कहा जाता है।

भारत की जनसंख्या का 8-6% लगभग 10 करोड़ जितना एक बड़ा हिस्सा आदिवासियों का है। पुरातन लेखों में आदिवासियों को 'आदिवासी' कहा गया। महात्मा गांधी ने आदिवासियों को 'गिरिजन' अर्थात् पहाड़ पर रहने वाले लोग कहकर पुकारा है। भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए 'अनुसूचित जनजाति' पद का उपयोग किया गया है। भारत में आदिवासियों को प्रायः जनजातीय लोग के रूप में जाना जाता है आदिवासी मुख्य रूप से भारतीय राज्यों में उड़ीसा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि में बहुसंख्यक व गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में यह बहुसंख्यक है जैसे- मिजोरम। भारत सरकार ने इन्हें भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची में 'अनुसूचित जाति' एवं 'जनजाति' में रखा जाता है। चंदा समिति ने सन 1960 में अनुसूचित जातियों के अंतर्गत किसी भी जाति को शामिल करने के लिए 5 मानक निर्धारित किया। भौगोलिक:- एकांकपन, विशिष्ट संस्कृति, पिछड़ापन, संकुचित स्वभाव एवं आदिम जाति के लक्षण आदि। भारत में 461 जनजातियां हैं जिसमें से 424 जनजातियां भारत के 7 क्षेत्र में बटी हुई हैं। भारत के प्रमुख आदिवासी आंध्र, गोंड, मुंडा, खड़िया, बोडो, कोल, भील, सहारिया, संस्थाल, मीणा, उराव, लोहारा, वित्थोर, पारधी, असुर, टाकणकार आदि हैं।

किसी भी संस्कृति के उद्गम के विषय में जानने और समझने में वांछित परंपरा की उस विधा से आधारभूत सहायता मिलती है आदिवासी कला का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारतीय ग्रामीण सभ्यता का दुर्भाग्यवश आदिवासी कलाओं का कोई क्रमिक इतिहास आज उपलब्ध नहीं है सिंधु घाटी की सभ्यता से मिले कला अवशेषों को यदि भारतीय आदिवासी कला

के प्राचीनतम नमूने माना जाए तो उसके बाद इनका प्रामाणिक उल्लेख 20वीं सदी के मध्य से मिलना आरंभ होता है कुछ अंग्रेजी विद्वानों ने भारतीय देशज कलाओं का सविस्तार उल्लेख किया है इस संबंध W.G. आर्चर, डॉ. वैरियर एल्विन, स्टैला क्रैमरिश एवं श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय के नाम प्रमुख हैं, जिनके सघन अध्ययनों से भारतीय आदिवासी कला आज विश्व कलाजगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना सकी है। यह तो निश्चित है कि भारत में मिले प्रागैतिहासिक गुफाचित्र या शैलचित्र वर्तमान आदिवासियों के पूर्वजों द्वारा किया गया कलाकर्म है। जंगलों के घटने एवं बढ़ते शहरीकरण ने आदिवासियों को ग्रामीण हिंदू संस्कृति के नजदीक ला दिया और परिणाम स्वरूप आदिवासियों के निराकार देवी - देवता और अनगढ़ पत्थरों लकड़ी, पत्थरों एवं मिट्टी की बनी प्रतिमाएं उनके देव स्थानों में विराजमान हो गईं आदिवासी अपने सामान्य उपयोग की वस्तुएं तो स्वयं बना लेते थे परंतु उनमें इतनी तकनीकी दक्षता नहीं थी कि वे भट्टी जलाकर मिट्टी एवं धातु की प्रतिमाएं, आभूषण एवं अन्य उपयोगी वस्तुएं बना सकें अतः उन्होंने ग्रामी व्यावसायिक जातियों के शिल्पियों को अपना लिया। यह शिल्पी व्यावसायिक जातियों जैसे:- लोहार, कुम्हार, धातु-शिल्पी, सुनार आदि जनजाति बहुल क्षेत्रों में आदिवासी समाज का अभिन्न अंग बन गयी।

जनजातियों की सांस्कृतिक परंपरा और समाज संस्कृति पर विचार की एक दिशा यहाँ से भी विचारणीय मानी जा सकती है। मानव विज्ञानियों और समाजशास्त्र के अध्येताओं ने विभिन्न जनजातीय समुदायों का सर्वेक्षण मूलक व्यापक अध्ययन प्रस्तुत किया है और उसके आधार पर विभिन्न जनजातियों के विषय में सूचनाओं के विशद कोश हमें सुलभ हैं।

मध्यप्रदेश की प्रमुख आदिवासी परंपराएं – जनजाति किसी भी ऐसे ऐसे स्थानीय समुदायों के समूह को कहा जाता है जो एक सामान्य भू भाग पर निवास करता हो एक सामान्य भाषा बोलते हो और एक सामान्य संस्कृति का व्यवहार करता है। आदिवासी अपने स्वभाव से ही कलाप्रिय होते हैं। नृत्य-गान तो जैसे उनके खून में ही शामिल होता है। वे अपने शरीर, घर और उपयोगी वस्तुओं को बहुत ही कलात्मक ढंग से सजाते सवारेते हैं। मध्यप्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद एवं खंडवा, बड़वानी, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर, जिले के निवासी कोरकू, बरेला, भिलाला, पेटालिया आदिवासी अनाज रखने की कोठिया बनाने में दक्ष होते हैं जिसमें गेहूँ, ज्वार, मक्का और अन्य अनाज का संग्रह करते हैं।

1. मध्यप्रदेश के मंडला, डिंडोरी जिले के अगारिया, गोंड आदिवासी अपने घर की बाहरी दीवारों को मिट्टी से बनाए गए उभारदार भित्ति अलंकारों से

सजाते हैं।

2. झाबुआ एवं धार जिले में रहने वाले भील एवं भिलाला आदिवासियों द्वारा दीवारों पर अंकित किए जाने वाले पिठौरा चित्र मुख्यतः पुरुषों द्वारा चित्रित किए जाने वाले पिठौरा देव अनुष्ठानों में सम्बद्ध होते हैं। झाबुआ एवं धार जिलों में रहने वाले भील एवं भिलाला आदिवासियों द्वारा दीवारों पर अंकित किए जाने वाले टाटलू चितार, भित्ति चित्र मुख्यतः स्त्रियों द्वारा बनाए जाने वाले इन चित्रों का व्यावसायिक तौर पर दोहन होना अभी आरंभ नहीं हुआ है। पीठौरा यह एक मनौती पर्व है किसी घर पर किसी भी प्रकार की विपत्ति आने पर मनाया जाता है पीठौरा त्यौहार में भील लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में किसी भी प्रकार का संकट न आए तथा घर धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्ध रहे। इस त्यौहार में सभी प्रकार के जानवरों के चित्र बनाए जाते हैं जब चित्र को बनाते हैं उस समय पुजारा घूमता है और रातभर यह क्रम चलता रहता है और चित्र दीवार पर बनाए जाते हैं साथ ही सुबह सुबह जो जवाई (दामाद) बकरा लाते हैं उसकी बलि दी जाती है।

3. गोदना :- गोंड, भारिया, कोरकू व बैगा जनजाति में अंग चित्र पर उकेरने की विशेष कला है इस कला में नुकीले उपकरण द्वारा चुभा-चुभा-कर शरीर पर गोदा जाता है इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग मालवण (वृक्ष) की छाल का रस अर्जुन, बेहड़ा आदि वृक्षों की छाल के रंगों को घोलकर तैयार किया जाता है।

4. श्योरपुर एवं मुरैना जिलों में रहने वाले सहरिया आदिवासी अपने घर सजाने हेतु सुंदर भित्ति अलंकरण बनाते हैं जिन पर वे विभिन्न रंग भी बनाते हैं।

5. मध्यप्रदेश गोंड, बैगा, सहरिया एवं भील आदिवासियों में शरीर पर गुदना चित्र बनाने की प्रथा है स्त्री एवं पुरुष दोनों ही गुदना चित्र बनवाते हैं।

6. मंडला एवं जबलपुर में गोंड आदिवासियों द्वारा बनाए जाने वाले अनुष्ठानिक मृणाशिल्प जिनमें घोड़े एवं बैल की आकृतियां तथा धार, झाबुआ में कुम्हारों द्वारा भील, भिलाला आदिवासियों के लिए अनुष्ठानिक मृणाशिल्प

जिनमें भैंस, बकरी, गाय, उंट, बिल्ली, ठाठो आकृतियां तथा दैनिक उपयोग के लिए बनाए जाने वाले बर्तन आदि सम्मिलित है।

7. नवाई पर्व :- नवाई पर्व आदिवासी समाज अपने सामाजिक जीवन में बृहद सामाजिक परंपराओं, मान्यताओं, रीति रिवाज और त्योहारों को समेटे हुए हैं इस दृष्टि में आदिवासी समाज एक समृद्ध समाज हैं इस इस समृद्ध समाज में एक त्यौहार नवाई पर्व मनाया जाता है जैसा कि नाम से स्पष्ट है वर्षा ऋतु में नई फसल आने के खुशी में विशिष्ट पूजा अर्चना द्वारा संपन्न की जाती है तत्पश्चात ही नई फसलों का उपयोग किया जाता है।

निष्कर्ष:- अब यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि आदिवासी परंपरा धार्मिक या सामाजिक अभिव्यक्तियों के पार अपने सौंदर्यबोध एवं शैलीगत विशेषताओं के कारण समाज में बहुत बड़े भाग में अपनी पैठ बना चुकी है और समाज में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य कुछ लोगों ने भी जिसने बहुत बड़ा युवा वर्ग भी सम्मिलित है इन्होंने परंपरा को विस्तृत रूप से जानना शुरू किया और अपने शैली के भीतर रहकर प्रयोग करना भी प्रारंभ कर दिया है स्वयं सिद्ध है कि कलाकार भी अपने परिवेश के बदलते घटनाक्रम और बाजारवाद के चलते अपने आप को अछूता नहीं रख सका और यही वजह है कि कलाकार कभी ना कभी इसे भी अभिव्यक्त करने से नहीं चुकता।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हीरालाल, मध्यप्रदेश का इतिहास।
2. नीमच डिस्ट्रिक्ट गजेटियर।
3. डॉ. गुलनाज तवर : बारेला जनजातीय (जीवन और संस्कृति)।
4. आनंद कुमार पांडे : मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी।
5. डॉ. शिव कुमार तिवारी, श्रीकमल शर्मा, म.प्र. की जनजातियां समाज एवं व्यवस्था।
6. महेश कुमार वर्णवाल : मध्यप्रदेश एक अध्ययन।

अनुसूचित जातियों की राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं निर्णय निर्माण में भागीदारी: मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ में

डॉ. रमन प्रकाश* लाल कुमार साकेत**

* एसोसिएट प्रोफेसर (भूगोल) भारतीय महाविद्यालय, फर्रुखाबाद, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर (उ.प्र.) भारत

** शोधार्थी (भूगोल) भारतीय महाविद्यालय, फर्रुखाबाद, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – किसी भी क्षेत्र में विकास के दो आयाम होते हैं। वस्तुनिष्ठ तथा व्यक्तिनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ आयाम जीवन की गुणवत्ता को इंगित करता है तथा व्यक्तिनिष्ठ आयाम जीवन के मूल्यों, सोचने के तरीके, आत्मविश्वास स्तर और दक्षता शामिल होते हैं। इन दो आयामों के आधार पर विभिन्न समुदायों के लोगों के विभिन्न पहलुओं में देखे जा सकते हैं। प्रस्तुत अध्ययन मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति की राजनीति के विभिन्न स्तरों पर उनकी भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करता है। विशेषकर स्थानीय चुनावों के संदर्भ में। अनुसूचित जाति समूह लंबे समय तक सामाजिक व राजनीतिक अधिकारों से वंचित रहे हैं। अपने अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। इस अध्ययन में पाया गया है कि ये वर्ग राजनीतिक भागीदारी में प्रगति बनाई है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां वे जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा हैं। इस अध्ययन में चुनौतियां भी उजागर हुई हैं, जिनका उन्हें सामना करना पड़ रहा है, जैसे भागीदारी की कमी, भेदभाव और संसाधनों तक सीमित पहुंच। लेकिन इन चुनौतियों को समाप्त करने के लिए राजनीति भागीदारी, साथ-साथ सामाजिक न्याय, समानता के लिए नीतियों और योजनाओं को सही तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। जिससे इस समुदाय की राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं निर्णय-निर्माण में भागीदारी बढ़ सके।

शब्द कुंजी – राजनीतिक भागीदारी, अनुसूचित जाति, निर्णय-निर्माण, चुनाव वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ सामाजिक न्याय।

प्रस्तावना – भारतीय समाज एक विषम समाज है, जिसमें लोग विभिन्न जातियों और समुदायों में निवास करते हुए जीवन यापन करते हैं। प्राचीन काल में भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जहां वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, वहीं अगले क्रम में क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र थे। हालांकि शुरुआती काल में यह व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, धीरे-धीरे यह जाति व्यवस्था में तब्दील हो गई। इस व्यवस्था में उनके कर्म के अनुसार उन्हें अलग-अलग अधिकार व कर्तव्य दिए गए थे। उस काल में वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर रहे शूद्रों को सबसे कम अधिकार प्राप्त थे। कई अधिकारों, जैसे-राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि के निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त नहीं था। उनके उपयुक्त अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इस समुदाय का सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पतन होता गया। ये समाज अन्य समाजों की तुलना में अधिक पिछड़ गया।

‘अनुसूचित जाति’ शब्द एक राजनीतिक-संवैधानिक शब्द है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले साइमन कमीशन ने 1927 में किया था। इसके बाद, यह शब्द भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रयोग में आया। स्वतंत्रता उपरांत, अनुसूचित जाति शब्द को संविधान में इस उद्देश्य से शामिल किया गया कि उन्हें कुछ संवैधानिक अधिकार और सुरक्षा प्रदान की जा सके। अनुसूचित जातियों को भारतीय जाति व्यवस्था में केवल एक जाति नहीं है, बल्कि यह शब्द समाज के पीड़ित और उपेक्षित वर्ग को इंगित करता है। इस वर्ग के लोगों को लंबे समय से उच्च जाति के हिंदुओं द्वारा सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और यहां तक की राजनीतिक रूप से भी शोषण किया गया है। इनकी दयनीय स्थिति और सामाजिक स्थिति को सुधारने के

लिए भारत सरकार ने स्वयं 1931 की जनगणना में इनकी पहचान और सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू की। हालांकि, भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति शब्द को कहीं भी विधिवत परिभाषित नहीं किया गया है। इस शब्द का आंशिक उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, साथ ही, जहां वह राज्य है, वहां के राज्यपाल के परामर्श के बाद, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा ऐसी जातियां या जनजातियां या उनके हिस्से या समूहों को निर्दिष्ट कर सकते हैं। आगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 (24) में उल्लेख किया गया है कि संसद कानून द्वारा किसी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची से किसी जाति, नस्ल या जनजाति को सम्मिलित या विवर्जित कर सकती है। इस प्रकार अनुसूचित जातियों को उन लोगों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो भारत सरकार (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में शामिल है।

इस शोध पत्र में सामान्य तौर पर यह जांचने का प्रयास किया गया है कि अनुसूचित जातियां वास्तव में स्थानीय समुदाय की राजनीतिक प्रक्रिया और निर्णय निर्माण में कितना भागीदारी दर्शा रही हैं? क्या यह राजनीतिक भागीदारी उनमें आत्मविश्वास पैदा कर रही है और उनकी दक्षता को बढ़ा रही है? इन सभी मुद्दों का अनुसूचित जाति के विशेष संदर्भ में मध्यप्रदेश में स्थानीय स्तर पर अन्वेषण किया गया है।

शोध के उद्देश्य:


1. अनुसूचित जातियों की राजनीतिक क्षेत्र में वर्तमान भागीदारी की स्थिति का पता लगाना।

2. अनुसूचित जातियों में राजनीतिक भागीदारी और जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु सुझाव देना।

आंकड़ों का स्रोत व कार्य प्रणाली - प्रस्तुत शोध में द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है, जिसे सरकार के प्रकाशनों, आदेशों आदि को इंटरनेट के माध्यम से अन्वेषण करके प्राप्त किया गया है। मध्यप्रदेश में हुए 2022 में स्थानीय जिला पंचायत चुनाव में आरक्षित सीटों के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। आंकड़ों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्गीकृत व सारणीबद्ध किया गया है। मैपिंग के लिए आर्क जीआइएस तथा क्यू जीआइएस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र - मध्यप्रदेश देश में एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति रखता है। अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण यह प्रदेश हृदय प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश के 55 जिले हैं। इसका अक्षांशीय विस्तार 21°6' से 26°30' उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरिय विस्तार 74°9' से 82°48' पूर्वी देशांतर के मध्य है। मध्य से 23°30' कर्क रेखा गुजरती है, जो मध्यप्रदेश को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। भारतीय मानक समय रेखा 82°30' डिग्री भी मध्यप्रदेश की सिंगरौली जिले से गुजरती है।

मध्यप्रदेश का स्थानिक मानचित्र



चित्र संख्या : 1


मध्य प्रदेश जनसंख्या श्रेणीवार (प्रतिशत में)

श्रेणी/वर्ग	जनसंख्या (प्रतिशत में)
ओबीसी	42
एससी	15.6
एसटी	21.9
सामान्य	20

इस प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई 605 किलोमीटर तथा पश्चिम से पूर्व लंबाई 870 किलोमीटर है। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 है। यह एक भू-आवेशित राज्य है, जो क्रमशः पांच राज्यों, उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में राजस्थान, पश्चिम में गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र तथा पूर्व में छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है, जिसकी कुल आबादी 7,26,26,809 है। प्रदेश प्रशासनिक रूप से 55 जिलों और 428 तहसीलों में विभाजित किया गया है। कुल आबाद ग्रामों की संख्या 54,903 तथा 22,8,12 ग्राम पंचायतें

तथा 51 जिला पंचायत हैं। यह एक पठारी राज्य है, जिसकी जलवायु मानसूनी प्रकार की है।


राजनीति में अनुसूचित जातियों की भागीदारी - 1930 के दशक के शुरुआती काल तक अनुसूचित जातियों का सरकार पर या यूं कहें कि इन जातियों का राजनीति में कोई प्रभाव नहीं था। डॉ. बी. आर. अंबेडकर के नेतृत्व में अनुसूचित जातियों की राजनीतिक शक्ति और सामाजिक न्याय के लिए संगठित आंदोलन के बाद, ब्रिटिश सरकार ने इन जातियों की समस्याओं पर कुछ विचार किया। डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने स्थानीय स्वशासन में अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। ब्रिटिश सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए सांप्रदायिक अवार्ड और पृथक निर्वाचन मंडल की पेशकश का कांग्रेस और महात्मा गांधी ने पुरजोर विरोध किया। इसके विरोध में गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। कांग्रेस और गांधी जी का मानना था कि यदि उन्हें पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया तो अनुसूचित जातियां उनके नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। बाद में, पृथक निर्वाचन मंडल को वापस ले लिया गया। इसके विकल्प के रूप में संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया। इन राज्यों ने अनुसूचित जातियों को इस प्रावधान के तहत चुने जाने में सक्षम बनाया और इस प्रकार उनके समुदाय की समस्याओं को विधानसभा मंडल में आवाज दी। स्वतंत्रता उपरांत, भारत ने प्रजातांत्रिक सरकार के रूप को अपनाया। भारतीय संविधान ने भारतीय जनता में संप्रभुता निहित की। **संसद तथा राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व** - भारतीय संविधान में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण सीटों की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता के पश्चात, केंद्र तथा राज्य सरकारों ने अलग-अलग कानूनों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु प्रतिबद्धता प्रकट की। अब विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों में इन वर्गों की भागीदारी दृष्टिगोचर होती है। वर्तमान में, भारतीय राजनीति में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग की राजनीति के बिना कोई दल विजय हासिल नहीं कर सकता। दलित वर्ग भारतीय राजनीति में अपने आप को प्रतिस्थापित करने का भरपूर प्रयास कर रहा है और वह इसमें बहुत हद तक सफलता भी प्राप्त की है।



चित्र संख्या : 2

उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में अनुसूचित जातियां राजनीति में एक अलग मुकाम हासिल कर रही हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में उनकी भागीदारी अच्छी कहीं जा सकती है। वर्तमान में दलित राजनीति अपने अलग तेवर में दिख रही है। जिन राज्यों या जिन क्षेत्रों में

इनकी आबादी 20% से अधिक है, वहां कम से कम कुछ महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त करने में सक्षम रहे हैं। वे विभिन्न स्तर पर, चाहे वह पंचायत स्तर हो या जिला स्तर या फिर विधानसभा, अपनी स्थिति दर्ज करा रहे हैं। राजनीति में भागीदार बनकर मुद्दों को प्रस्तावित किए, निर्णय-निर्माण में भाग लिया, अपनी समस्याओं को प्रखरता से उठाया और कुछ हद तक मुद्दों को अपने पक्ष में करने में सक्षम रहे। उन्होंने भूमि, ऋण, स्वरोजगार और सब्सिडी जैसी सुविधाओं का उपयोग किया है। यह पूरी जटिल संरचना उनकी बदलती भागीदारी, दक्षता और आत्मविश्वास में योगदान कर रही है, क्योंकि उन्होंने अन्य उच्च जातियों द्वारा उनके खिलाफ किए गए अन्याय का भी मुकाबला किया है।




चित्र संख्या :3

संसद में मध्यप्रदेश के लिए कुल 40 सीटों का प्रावधान किया गया है, जिसमें लोकसभा की 29 तथा राज्यसभा की 11 सीटें प्रस्तावित की गई हैं। प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटों में से 4 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए निम्न लोकसभा सीटें आरक्षित हैं- उज्जैन, देवास, भिंड, टीकमगढ़। मध्यप्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटों में से 82 सीटों पर अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु आरक्षित हैं, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए 35 सीटों का आरक्षण है। इसका विवरण इस प्रकार है-

तालिका संख्या :1

(अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

जिला पंचायत स्तर पर अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व - किसी भी समाज का स्थानीय स्वशासन में भागीदारी उसके राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास को प्रतिबिंबित करती है। प्रदेश के पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष का पद अति महत्वपूर्ण होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष जिले की नीति निर्माण में भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अतः जहां जिस वर्ग के उम्मीदवार अध्यक्ष पद पर हैं, वहां उस वर्ग की प्रभुत्व का अनुमान लगाया जा सकता है। मध्यप्रदेश में कुल 52 जिला पंचायत हैं, जिनमें कुल 52 जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रावधान है। जिला पंचायत अध्यक्षों में 22 सीटों पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। इसमें से 8 सीटों पर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जबकि 26 सीटें सामान्य वर्ग के लिए रखी गई हैं।



चित्र संख्या :4

तालिका संख्या :2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

निष्कर्ष - प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सीटें आरक्षित करने से अनुसूचित जातियों का राजनीतिक और निर्णय निर्माण में भागीदारी मात्रात्मक तथा गुणात्मक रूप से बढ़ी है। उनकी दक्षता और आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी देखी गई है। इस जागरूकता और आत्मविश्वास में संख्यात्मक शक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती प्रतीत होती है। शिक्षा व अन्य व्यावसायिक क्षेत्र में भी उनकी प्रतिशतता बढ़ी हुई देखी जा सकती है। यह बढ़ी हुई प्रतिशतता सामाजिक समानता की प्राप्ति की दिशा में अग्रसरता को दिखाती है। भले ही, अनुसूचित जातियां व अन्य दुर्बल वर्गों का आरक्षण के प्रभाव से राजनीति में भागीदारी बढ़ी हो, लेकिन अभी यह लगभग आरक्षण तक ही सीमित है। यदि वास्तविकता में हम चाहते हैं कि उनकी भागीदारी वास्तव में बढ़े, तो हमें अभी बहुत अधिक दूरी तय करनी है। उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीति तथा शैक्षिक उत्थान के लिए बहुआयामी प्रयास करने होंगे, ताकि उनका बहुमुखी कल्याण हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह, जे. दलित्स इन हरियाणा पॉलिटिक्स, इकोनामी एंड पॉलीटिकल वीकली, 1997
2. सिंह, डी.आर. लीडरशिप अमोंग शेड्यूल कास्ट चुघ पब्लिकेशन, प्रयागराज, 1985
3. पर्वधम्मा, सी. तथा नरेन. न्यू हरिजनस फॉर शेड्यूलड कास्ट, आशीष पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली, 1984
4. आहूजा, राम. इंडियन सोशल सिस्टम, रावत पब्लिकेशन, 1999
5. जनगणना, भारत सरकार, 2011
6. कुमार, प्रमिला. मध्यप्रदेश: एक भौगोलिक अध्ययन, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2015
7. चौहान, बी.आर. पेपर प्रेजेंटेशन इन नेशनल सेमिनार बाई डॉक्टर अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी, उदयपुर, अक्टूबर, 30, 31, 1993
8. खान, मुमताज अली. शेड्यूल कास्ट्स एंड देयर स्टेट्स इन इंडिया, उत्पल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली, 1980
9. राय, रामाश्रय. दलित डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
10. जायसवाल, सुविरा, वर्ण जाति व्यवस्था, ग्रंथ शिल्पी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
11. कुमार, रविंद्र. इंपैक्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड शेड्यूलड कास्ट, अनमोल पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, 2002

तालिका संख्या - 1: मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति से संबंधित वोट जनसंख्यिकीय विवरण

विधानसभा (एससी के लिए आरक्षित)	एससी (वोट%)	विधानसभा (एससी के लिए आरक्षित)	एससी (वोट%)	विधानसभा (एससी के लिए आरक्षित)	एससी (वोट%)
देवसर	15.56	घाटिया	30.12	अशोक नगर	23.25
परासिया	15.5	जतारा	27.8	करेरा	21.99
अमला	17.6	सरवेर	24.11	खंडवा	14.97
महेश्वर	19.02	नरयावली	25.52	अबांह	24.89
गोटेगांव	22.47	हटा	21.59	बेरसिया	22.13
बीना	23.25	सांची	19.16	आलोट	22.93
गुनौर	24.47	भांडेर	27.75	आगर	23.52
पिपरिया	15.74	चंदला	27.95	मल्हारगंज	20.73
तराना	30.33	गोहद	26.78	गुना	18.09
रायगांव	22.95	सोनकच्छ	25.12	जबलपुर (पं)	18.92
आरथा	29.61	मनगवा	18.24	सारंगपुर	19.78

तालिका संख्या - 2 : मध्य प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों की आरक्षण सूची श्रेणीवार

जिले के नाम	आरक्षण की स्थिति	जिले के नाम	आरक्षण की स्थिति	जिले के नाम	आरक्षण की स्थिति
अलीराजपूर	एसटी	कटनी	एससी	डिंडोरी	एसटी
अगरमलवा	अनारक्षित	खरगोन	अनारक्षित	दतिया	अनारक्षित
अनुपपूर	अनारक्षित	मंडसौर	ओबीसी	धार	अनारक्षित
अशोक नगर	अनारक्षित	मंडला	एसटी	देवास	एससी
बुरहानपुर	एसटी	नीमच	अनारक्षित	दमोह	ओबीसी
भिंड	अनारक्षित	सागर	अनारक्षित	ग्वालियर	एससी
बड़वानी	एसटी	सिवनी	एससी	नरसिंहपुर	एसटी
बालाघाट	अनारक्षित	सतना	एसटी	निवाड़ी	अनारक्षित
बैतुल	अनारक्षित	शहडोल	अनारक्षित	पन्ना	अनारक्षित
भोपाल	ओबीसी	श्योपुर	अनारक्षित	रीवा	एसटी
छतरपुर	अनारक्षित	सिंगरौली	एसटी	रतलाम	एससी
गुना	ओबीसी	सीधी	अनारक्षित	रायसेन	अनारक्षित
हरदा	एसटी	शाजापुर	ओबीसी	राजगढ़	अनारक्षित
नर्मदापुरम	एसटी	सीहोर	अनारक्षित	उज्जैन	अनारक्षित
इंदौर	एसटी	शिवपुरी	अनारक्षित	उमरिया	एसटी
जबलपुर	एसटी	टीकमगढ़	अनारक्षित	विदिशा	अनारक्षित
खण्डवा	एसटी	छिंदवाडा	एससी	झाबुआ	अनारक्षित
मुरैना	एसटी				

भारत में अंतरंगी व्यापार कैसे खत्म करें?

रिचा अग्रवाल*

* शोधार्थी, रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – अंतरंगी व्यापार आज के समय में नहीं बल्कि कई सालों से काफी प्रचलित है। यह कुप्रथा साल दर साल बढ़ती जा रही है। भारत में अंतरंगी व्यापार को सेबी यानी 'सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, 1992' द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सेबी के अनुसार इसने वर्ष 2022 में अंतरंगी व्यापार (Insider Trading) के आरोप में 70 कंपनियों की छानबीन की। यह आँकड़े पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा हैं। क्या आप इस पर यकीन कर सकते हैं? सेबी ने यह भी खुलासा किया है कि पिछले तीन सालों की रिपोर्ट में 'इनसाइडर ट्रेडिंग' शब्द का इस्तेमाल लगातार किया गया है। यह काफी चौंकाने वाला है।

अंतरंगी व्यापार कई अर्थों और परिभाषाओं के अधीन रही है। यह आम तौर पर गैर-प्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी का उपयोग अवैध लाभ कमाने या निश्चित नुकसान से बचने के लिए किया जाता है। अंतरंगी व्यापार किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति की खरीद या बिक्री है, जिसके पास प्रतिभूति के बारे में महत्वपूर्ण गैर-सार्वजनिक जानकारी तक पहुँच है। अंतरंगी व्यापार, कानूनी या अवैध हो सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इनसाइडर कब और कैसे व्यापार करता है।

अंतरंगी व्यापार 'पूँजी बाजार' में विश्वास के आधार पर सबसे जघन्य अपराधों में से एक है। उल्लंघन और दंड का दायरा और गंभीरता अलग-अलग देशों में बहुत अलग-अलग है। किसी कंपनी के स्टॉक में विश्वास या भरोसे के कर्तव्य का उल्लंघन करके लाभ कमाने या निश्चित नुकसान से बचने के लिए किसी इनसाइडर द्वारा प्रतिभूतियों का व्यापार करना प्रतिबंधित है, गैर-सार्वजनिक जानकारी के आधार पर दूसरों को छोड़कर। यदि पूँजी बाजारों में अंतरंगी व्यापार को बिना जांचे-परखे अनुमति दी जाती है, तो इनसाइडर जानकारी वाले व्यक्ति को ऐसी गैर-सार्वजनिक जानकारी के साथ निष्पादित ट्रेडों में लगातार बढ़त मिलेगी और जिनके पास जानकारी नहीं है, वे बाजार में लगातार हारने वाले होंगे।

शब्द कुंजी – अंतरंगी व्यापार, शेयर, कंपनी, सेबी।

प्रस्तावना – इनसाइडर Insider कौन है?

सेबी 'इनसाइडर' को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जिसके पास किसी विशेष कंपनी के शेयरों या प्रतिभूतियों के बारे में मूल्य-संवेदनशील जानकारी तक पहुँच होती है। इनसाइडर वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो इनसाइडर ट्रेड से पहले छह महीनों के दौरान किसी न किसी तरह से कंपनी से जुड़ा रहा हो।

वह व्यक्ति कंपनी का कर्मचारी, निदेशक, रिश्तेदार, बैंकर या कानूनी सलाहकार या स्टॉक एक्सचेंज का अधिकारी, ट्रस्टी, कर्मचारी या कंपनी के साथ काम करने वाली एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी/AMC) का अधिकारी भी हो सकता है। इनसाइडर, जिनके पास किसी विशेष संवेदनशील या स्टॉक के जारीकर्ता के बारे में गोपनीय और अनन्य जानकारी तक पहुँच होती है, वे मूल्य में उतार-चढ़ाव से पहले अघोषित प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने से लाभ उठाते हैं।

अंतरंगी व्यापार मूल रूप से किसी सूचीबद्ध कंपनी के शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों (जैसे बांड या स्टॉक विकल्प) की खरीद, बिक्री या व्यापार को संदर्भित करता है, जिसमें अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) का उपयोग किया जाता है, जो स्टॉक मूल्य को प्रभावित कर सकता है, जिसका अभी तक खुलासा नहीं किया गया है।

UPI क्या है? (unpublished price & sensitive information)

UPI किसी फर्म के स्टॉक की कीमतों, तिमाही नतीजों, अधिग्रहण सौदों, विलय या किसी भी तरह की संवेदनशील गतिविधियों से संबंधित अनन्य जानकारी के एक हिस्से को संदर्भित करता है जिसे बड़े पैमाने पर जनता के साथ साझा नहीं किया गया है। जब अंदरूनी लोग UPI तक पहुँचने में सक्षम होते हैं, तो वे व्यक्तिगत लाभ के लिए अवैध रूप से व्यापार सौदे करते हैं। उदाहरण के लिए, एक कंपनी का निदेशक अपने दोस्त को अभी तक घोषित नहीं किए गए सौदे के बारे में सूचित करता है और बाद में वह उस जानकारी को अपने सहयोगियों को प्रसारित करता है जो फिर उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं। फिर, प्रबंधक, उसके दोस्त और उसके सहयोगियों पर झूठ (अंतरंगी व्यापार का निषेध) विनियमों के उल्लंघन के लिए सेबी द्वारा मामला दर्ज किया जा सकता है।

हाल के वर्षों में भारत में विलय या अधिग्रहण की अवधि के दौरान सार्वजनिक कंपनियों के शेयरों में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया है और अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के आधार पर अवैध व्यापार किया गया है, जिसने भारतीय प्रतिभूति बाजार के लिए बहुत चिंता का विषय बना दिया है। यदि शेयरधारकों के लाभ के लिए कंपनियों को चलाने वाले न्यासी कंपनी और उसके शेयरधारकों की कीमत पर अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं, तो यह एक हिंसक अपराध बन जाता है।

जैसा कि इस शब्द से पता चलता है, अंतरंगी व्यापार की शाब्दिक

परिभाषा किसी कंपनी के बॉन्ड, स्टॉक और प्रतिभूतियों का अन्य स्थानों और देशों में अवैध व्यापार है और ऐसी जानकारी जो गुप्त है और आम जनता से छिपाई गई है। इसे SEBI निषेध अंतरंगी व्यापार विनियमन अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ब) में परिभाषित किया गया है। कंपनी कानून अधिनियम में कोई भी धारा अवैध व्यापार को परिभाषित नहीं करती है। अंतरंगी व्यापार के माध्यम से, जिन निवेशकों के पास गुप्त जानकारी तक पहुंच है, वे लाखों पैसे कमा सकते हैं और यह अंततः कंपनी की प्रतिष्ठा और अन्य नियमित निवेशकों को प्रभावित कर सकता है जिनके पास गुप्त जानकारी तक पहुंच नहीं है। अंतरंगी व्यापार का मतलब है अवैध व्यापार जो किसी कंपनी के कॉर्पोरेट आवरण की आड़ में हो रहा है। कोई व्यक्ति जो अवैध रूप से किसी बंद या गुप्त जानकारी का व्यापार करता है, वह अंतरंगी व्यापार का दोषी है। इसका एक व्यापक परिप्रेक्ष्य है और इसकी परिभाषा हर देश में अलग-अलग होती है।

वैश्विक बाजार में प्रतिभूतियों के व्यापार की अवधारणा के आने के साथ ही अंतरंगी व्यापार की समस्या उभरी। भारत में, डेइएल पूंजी बाजार के कामकाज को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1992 में सेबी अधिनियम, 1992 के तहत की गई थी। निवेशकों की सुरक्षा के लिए कानून बनाना और एक प्राधिकरण स्थापित करना आवश्यक था जो प्रतिभूति बाजार को प्रभावी ढंग से विनियमित कर सके।

1952 में, भाभा समिति ने निदेशकों के लिए कंपनी द्वारा प्रबंधित एक अलग रजिस्टर में शेयरों की बिक्री खरीद की जानकारी का खुलासा करना अनिवार्य बनाने की सिफारिश की थी। परिणामस्वरूप, कंपनी अधिनियम, 1956 में धारा 307 (कंपनियों द्वारा कंपनी में निदेशकों की शेयरधारिता को रिकॉर्ड करने के लिए एक रजिस्टर के रखरखाव का प्रावधान) और धारा 308 (निदेशकों और निदेशक माने जाने वाले व्यक्तियों का कंपनी में अपनी शेयरधारिता का खुलासा करने का कर्तव्य निर्धारित) पेश किए गए। कंपनी संशोधन अधिनियम, 1960 द्वारा, कंपनी के प्रबंधकों को धारा 308 के दायरे में जोड़ा गया।

1978 में सच्चर समिति ने व्यापारियों के लेन-देन के विवरण को स्वीकार करने के लिए कड़े कानून बनाने की सिफारिश की थी ताकि यह पहचाना जा सके कि मूल्य- संवेदनशील सूचना का उपयोग करके कोई अनुचित लाभ नहीं हुआ है। 1986 में जी.एस. पटेल की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में 'अंतरंगी व्यापार' शब्द का वर्णन किया और प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम (SCRA), 1956 में संशोधन करने की सिफारिश की ताकि एक्सचेंजों को सूचना के अंतरंगी व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए सख्त नीतियों को लागू करने की अनुमति मिल सके। 1989 में आबिद हुसैन समिति ने अंतरंगी व्यापार के कृत्य को दीवानी और आपराधिक अपराधों के अंतर्गत शामिल करने की सिफारिश की और अंतरंगी व्यापार के अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए सेबी द्वारा सख्त विनियमन का भी सुझाव दिया गया। प्रतिभूति बाजार में अनुचित व्यापार प्रथाओं को विनियमित करने के लिए सेबी (अंतरंगी व्यापार) विनियम, 1992 अधिनियमित किया गया था।

वर्ष 2002 में विनियमों में संशोधन किया गया। अंतरंगी व्यापार का मतलब है निगमों के पीछे अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी का व्यापार करना ताकि गलत तरीके से लाभ कमाया जा सके या नुकसान से बचा जा सके। भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (अंतरंगी व्यापार का निषेध)

विनियम, 1992 इसे कंपनी के अधिकारियों द्वारा शेयरधारकों के प्रति प्रत्ययी कर्तव्य के उल्लंघन के रूप में परिभाषित करता है।

अंतरंगी व्यापार के प्रतिबंध पर विनियम बाजार में प्रतिभूतियों के उचित हस्तांतरण और व्यापार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाए गए थे। हालाँकि, यह कहना अभी भी मुश्किल है कि देशों ने अंतरंगी व्यापार की समस्या पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया है।

अंतरंगी व्यापार तब होती है जब किसी व्यक्ति के पास किसी कंपनी के बारे में मूल्य-संवेदनशील जानकारी होती है और इसलिए वह बिक्री अनुबंध में बेहतर शर्तें प्राप्त करता है और उस कंपनी में प्रतिभूतियाँ खरीदता या बेचता है, जो तब नहीं होती जब प्रतिपक्ष को संबंधित जानकारी के बारे में पता होता। इस तरह, इनसाइडर या तो नुकसान से बच सकता है या लाभ कमा सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जानकारी सार्वजनिक होने के बाद शेयर की कीमत बढ़ेगी या घटेगी। इसी तरह, अंतरंगी व्यापार कंपनियों द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी बॉन्ड के बाजार में भी समान रूप से हो सकती है। अंतरंगी व्यापार शब्द को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 195 द्वारा परिभाषित किया गया है।

कॉर्पोरेट इनसाइडर ने, केवल रोजगार स्वीकार करके, शेयरधारकों के प्रति एक कानूनी दायित्व ले लिया है कि वह निगम से संबंधित मामलों में शेयरधारकों के हितों को अपने से पहले रखेगा। जब इनसाइडर कंपनी के स्वामित्व वाली जानकारी के आधार पर प्रतिभूतियाँ खरीदता या बेचता है, तो वह शेयरधारकों के प्रति अपने दायित्व का उल्लंघन कर रहा होता है।

साहित्य की समीक्षा:

1. Nejat Seyhun ने अपनी पुस्तक 'Investment Intelligence from Insider Trading' में अंतरंगी व्यापार की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की है। यह पुस्तक अंतरंगी व्यापार की एक प्रभावशाली शोधपूर्ण जांच है और बताती है कि एक व्यक्तिगत निवेशक इसका सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकता है। पुस्तक अंतरंगी व्यापार के खतरे और निर्दोष निवेशकों पर इसके प्रभाव के बारे में चर्चा करती है। लेखक ने अपनी पुस्तक में अंतरंगी व्यापार की उपयोगिता को प्रदर्शित करने के लिए कई दशकों के डेटा का उपयोग किया है।

2. Jonathan Moreland ने अपनी पुस्तक Profit from Legal Insider Trading इन्वेस्ट टुडे ऑन टुमॉरो न्यूज में इनसाइडर ट्रेड्स के विवरण को ट्रैक करने के दर्शन, ऐसे ट्रेडों के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकताओं पर चर्चा की है और प्रदर्शित किया है कि विभिन्न रिपोर्टों और ट्रेडिंग डेटा का विश्लेषण कैसे करें और उनसे सुझाव कैसे प्राप्त करें। लेखक ने अपनी पुस्तक में परिभाषित किया है कि जब निदेशक और अधिकारी अपनी खुद की कंपनियों के शेयर खरीदते और बेचते हैं, तो उन्हें अंतरंगी व्यापार का ज्ञान माना जाता है।

3. Guy Cohen ने अपनी पुस्तक 'The Insider Edge: & how to follow the insiders for windfall profits' में जानकार ट्रेडर्स के बारे में बताया है। पुस्तक में जानकार ट्रेडर्स की भूमिका के बारे में बताया गया है। वे क्या कर रहे हैं और कोई भी इन तकनीकों का लाभ कैसे उठा सकता है। क्या बाजार में उतार-चढ़ाव हो रहा है या ट्रेडिंग? हमेशा स्पष्ट अवसर का इंतजार करना फायदेमंद होता है। कोई भी अच्छा ट्रेडर जानता है कि उसे आगे बढ़ने के लिए बढ़त की जरूरत है, और यह पुस्तक दर्शाती है कि कैसे विशिष्ट चार्ट

पैटर्न का संयोजन सही निवेश करने में मदद करता है।

4. Pankaj Singh और Dharam Veer Singh Chauhan ने 'भारत में अंतरंगी व्यापार' शीर्षक से अपने लेख में पूरी दुनिया में खासकर भारत में अंतरंगी व्यापार की अवधारणा के विकास को परिभाषित किया है। लेखकों ने अंतरंगी व्यापार पर कानूनों के विकास में विभिन्न चरणों की गणना की है। लेखकों ने कहा है कि यह केवल तीन दशक पहले की बात है जब कई विकसित देशों में अंतरंगी व्यापार को एक अन्याय के रूप में पहचाना गया था; वास्तव में, शेयरधारकों और सामान्य रूप से बाजारों के खिलाफ एक अपराध। लेखक आगे अंतरंगी व्यापार के प्रकारों को कई अर्थों और परिभाषाओं के अधीन बताता है और इसमें कानूनी और निश्चिद्ध दोनों तरह की गतिविधियाँ शामिल हैं। अंतरंगी व्यापार हर दिन कानूनी रूप से होती है, जब कॉर्पोरेट इनसाइडर-निदेशक, अधिकारी, या कर्मचारी- कंपनी की नीति और इस ट्रेडिंग को नियंत्रित करने वाले नियमों के दायरे में अपनी कंपनियों में स्टॉक खरीदते या बेचते हैं। यह वह ट्रेडिंग है जो तब होती है जब महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में गोपनीय जानकारी रखने वाले विशेषाधिकार प्राप्त लोग उस जानकारी का विशेष लाभ उठाकर शेयर पर लाभ कमाते हैं या नुकसान से बचते हैं।

5. Rishikesh Desai और Yosham Desai ने अपने लेख 'सेबी (अंतरंगी व्यापार निषेध) विनियम, का एक व्यापक अवलोकन' में अंदरूनी व्यापार की अवधारणा को परिभाषित किया है। कानून के मौलिक और सबसे सामान्य सिद्धांतों में से एक यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने गोपनीय या प्रत्यक्ष संबंध के आधार पर किसी भी प्रकार का विशेष ज्ञान या मूल्य संवेदनशील जानकारी प्राप्त करता है, तो वह ऐसे ज्ञान या जानकारी का उपयोग अपने स्वयं के लाभ या अपने स्वयं के व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं कर सकता है और उसे इस तरह से प्राप्त किसी भी लाभ का हिसाब देना होगा। अंदरूनी व्यापार की अवधारणा इसी सिद्धांत पर आधारित है।

6. Ipsita Das ने अपने लेख 'अंतरंगी व्यापार: कॉर्पोरेट व्यवस्था में एक विश्लेषण' में परिभाषित किया है कि मानव स्वभाव अंदरूनी व्यापार के लिए जिम्मेदार है। उसके लालच ने उसे बेईमानी, ईमानदारी, नैतिकता आदि के सभी सिद्धांतों की पूरी तरह से अवहेलना करने पर मजबूर कर दिया है। सभी प्रजातियों में से मनुष्य ने अनादि काल से खुद को सबसे लालची प्राणी साबित किया है। सेबी का मुख्य कार्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रकटीकरण को बढ़ावा देना, प्रतिभूति कानूनों को लागू करना तथा विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों के साथ बातचीत करने वाले निवेशकों की सुरक्षा करना है।

7. Sanjay Gupta ने अपने लेख 'अंतरंगी व्यापार, एक अवलोकन' में कंपनी के अंदरूनी लोगों की स्थिति को स्पष्ट किया है और बताया है कि यह देखना मुश्किल नहीं है कि जब कंपनी के अंदरूनी लोग द्वितीयक बाजार में व्यापार करते हैं, तो वे सूचना के प्रवाह को गति देते हैं और कीमतों में पूर्वानुमान लगाते हैं। कंपनी के अंदरूनी लोग अपनी कंपनी के शेयरों और बॉन्ड के भविष्य के जोखिम और रिटर्न के बारे में पूर्वानुमान लगाने की अनूठी स्थिति में होते हैं, इसलिए वे अक्सर बाजार की कीमत को बहुत कम या बहुत अधिक समझ सकते हैं।

8. Karan Gupta ने लेख 'कैपिटल मार्केट्स में अंतरंगी व्यापार: एक सिंहावलोकन' में कैपिटल मार्केट में अंतरंगी व्यापार के निषेध के महत्व पर प्रकाश डाला है। इसमें उन लोगों के बारे में बताया गया है जो इनसाइडर हैं

और अपने गैरकानूनी लाभ के लिए ऐसी अप्रकाशित जानकारी का उपयोग करते हैं। इस तरह के व्यापार में गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग शामिल है और यह अनैतिक है तथा विश्वास और भरोसे की स्थिति के साथ विश्वासघात है। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की खोज के साथ, नियामकों और विधायिकाओं ने कॉर्पोरेट प्रशासन मानकों को बनाने की ओर तेजी से रुख किया है और इन कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए दंड लगाया है। जिन व्यक्तियों के पास ऐसी जानकारी तक पहुँच है, वे कंपनी के साथ निकटता से जुड़े हो सकते हैं, या तो प्रमोटर या निदेशक के रूप में शीर्ष प्रबंधन अधिकारी और कर्मचारी, वकील, लेखा परीक्षक, वित्तीय सलाहकार आदि के रूप में अपनी पेशेवर क्षमताओं में कंपनी से जुड़े व्यक्ति कंपनी के साथ काम करने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों में काम करने वाले व्यक्ति, कंपनी के साथ व्यावसायिक संबंध रखने वाली फर्मों का प्रबंधन करने वाले व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति जो उपरोक्त श्रेणियों में नहीं आते हैं, लेकिन उनके पास मूल्य संवेदनशील जानकारी है।

यदि पूंजी बाजारों में अंतरंगी व्यापार को अनियंत्रित रूप से अनुमति दी जाती है, तो अंदरूनी जानकारी वाले व्यक्तियों को ऐसी जानकारी के साथ निष्पादित किए गए ट्रेडों में लगातार बढ़त मिलेगी और जिनके पास जानकारी नहीं है, वे बाजार में लगातार हारे हुए होंगे।

उद्देश्य - इस अध्ययन का उद्देश्य अंतरंगी व्यापार के मुद्दों और अंतरंगी व्यापार क्षेत्र में हाल के कार्यों का व्यापक अवलोकन प्रदान करना है। शोध क्षेत्र के उद्देश्य इस प्रकार हैं -

1. भारत में अंतरंगी व्यापार के विकास का अध्ययन और विश्लेषण करना।
2. भारत में अंतरंगी व्यापार पर प्रतिबंध का अध्ययन करना।
3. भारतीय प्रतिभूति बाजारों में विनियमन, जोखिम पुनर्वितरण और कल्याण की दिशा में मौजूदा ढांचे का अध्ययन और विश्लेषण करना।
4. भारत में अंतरंगी व्यापार पर मौजूदा प्रतिभूति कानूनों का अध्ययन और विश्लेषण करना।

शोध पद्धति - मौजूदा कानूनी ढांचे में अंतरंगी व्यापार के खिलाफ दी गई सुरक्षा वर्तमान वित्तीय बाजार में अपर्याप्त मानी जाती है।

शोध विश्लेषण - वर्ष 1986 में पटेल समिति द्वारा अंतरंगी व्यापार की परिभाषा इस प्रकार निर्धारित की गई थी कंपनी के प्रबंधन में शामिल या उसके करीबी व्यक्ति द्वारा कंपनी के कामकाज के बारे में अधोषित मूल्य संवेदनशील जानकारी के आधार पर कंपनी के शेयरों में ट्रेडिंग करना, जो उनके पास होती है लेकिन जो दूसरों के पास उपलब्ध नहीं होती। वर्ष 1940 में भारत में अंतरंगी व्यापार विनियमन लागू करने की पहली सिफारिश प्राप्त हुई थी। उसके बाद वर्ष 1948 में थॉमस समिति द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें कहा गया कि सभी निदेशकों, एजेंटों, अधिकारियों, लेखा परीक्षकों को उचित खुलासे करने चाहिए। वर्ष 1956 में कंपनी अधिनियम के अधिनियमन के साथ ही अंतरंगी व्यापार को रोकने के प्रावधान पेश किए गए।

उक्त अधिनियम की धारा 307 और 308 के अनुसार निदेशकों और सभी प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को रजिस्टर में अपनी शेयरधारिता का रिकॉर्ड रखना और अपनी शेयरधारिता का पूरा खुलासा करना आवश्यक था। हालाँकि, ये प्रावधान अंतरंगी व्यापार के अपराधों को रोकने के लिए पर्याप्त कड़े नहीं थे। इस समय तक बाजार में अंतरंगी व्यापार के प्रभाव पहले से ही

देखे जा चुके थे। शेयरधारक न केवल बाजार के कामकाज में विश्वास खो रहे थे, बल्कि खुद को निवेश करने से भी परहेज कर रहे थे। और आश्चर्य की बात नहीं है कि विदेशी निवेश भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए। इन सबके परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान उठाना पड़ा, जिसके कारण सरकार को इस तरह की प्रथाओं की जांच करने और उन्हें रोकने के लिए विभिन्न समितियों को पेश करना पड़ा।

इसके बाद, वर्ष 1986 में पटेल आयोग ने प्रतिभूति अनुबंध विनियमन में कई बदलाव करने की आवश्यकता बताई। इसके अलावा वर्ष 1989 में अब्दुल हुसैन समिति की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि अंतरंगी व्यापार के अपराध को सिविल और आपराधिक कानूनों के तहत उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। इसने बाजारों के कामकाज को विनियमित करने और उस पर नज़र रखने के लिए सेबी नामक एक निकाय के गठन का भी सुझाव दिया।

भारत में अंतरंगी व्यापार से संबंधित नियम—भारत में उचित कॉर्पोरेट प्रशासन सुनिश्चित करने वाली नियामक संस्था भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड/ Securities and Exchange Board of India है। यह संस्था सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री से संबंधित किसी भी असामान्य लेनदेन पर नज़र रखती है। 1992 के टिस्को मामले ने वर्ष 1992 में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। टिस्को मामले में कंपनी के मुनाफे में तेजी से गिरावट आई और छमाही नतीजों की घोषणा से पहले शेयरों की छोटी मात्रा में बिक्री हुई। न्यायालय ने माना कि कोई अंदरूनी व्यापार नहीं था क्योंकि इसके लिए कोई सबूत नहीं है। चूंकि नियमों और प्रक्रियाओं की कमी थी इसलिए दोषियों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था। इसके परिणामस्वरूप अंततः भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (अंदरूनी व्यापार) विनियम, 1992 / Securities Exchange Board of India (Insider trading) Regulations 1992 का गठन हुआ। 1992 के विनियमन के बाद, वर्ष 2015 में भारत में अंतरंगी व्यापार कानूनों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। इसलिए सेबी (अंतरंगी व्यापार का निषेध) विनियमन, 2015 / SEBI (Prohibition of Insider Trading) regulation, 2015, को पहले के विनियमन में खामियों को दूर करने के लिए अधिनियमित किया गया था क्योंकि गैरकानूनी लेनदेन विनियमन के दायरे में नहीं आते थे। वर्ष 2019 में एक और महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लेनदेन को कवर करने का प्रयास किया गया है।

कंपनी अधिनियम 2013 में अंतरंगी व्यापार को प्रतिबंधित करने का प्रावधान था। अधिनियम की धारा 195 में प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों द्वारा संवेदनशील जानकारी के संचार पर रोक लगाई गई थी। बाद में, इस धारा को हटा दिया गया क्योंकि कंपनी अधिनियम की धारा 458 सेबी को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की शक्ति प्रदान करती है और इसलिए यह भ्रम था कि आरोपी को कंपनी अधिनियम या सेबी विनियमों के तहत रखा जाना चाहिए और इसलिए 2017 में एक अधिसूचना द्वारा धारा 195 को हटा दिया गया। इसलिए, भारत में अंतरंगी व्यापार के संबंध में वर्तमान विनियमन सेबी (अंतरंगी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 और सेबी अधिनियम की धारा 121 (अंतरंगी व्यापार का निषेध) और 151 (अंतरंगी व्यापार के लिए दंड) हैं।

हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड (एचआईएल) बनाम सेबी का मामला उन शुरुआती मामलों में से एक था, जिसमें सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग/ अंतरंगी

व्यापार के खिलाफ कार्रवाई की थी। इस विशेष मामले में एचआईएल ने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से करीब 8 लाख शेयर खरीदे थे और कुछ समाह बाद एचआईएल और दूसरी सहायक कंपनी के बीच विलय की घोषणा की गई थी।

सेबी ने जांच की और पाया कि यह इनसाइडर सूचना का मामला था। अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील की गई और उन्होंने सेबी के आदेश की पुष्टि की, जिसमें एचआईएल द्वारा दी गई दलीलों को खारिज कर दिया गया था, जिसमें इस बारे में जानकारी या ज्ञान होने से इनकार किया गया था। इस मामले के बाद सेबी ने नियमों में संशोधन किया और अप्रकाशित शब्द को जोड़ा और परिभाषित किया। यह भारत में 'अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना' शब्द की परिभाषा का मूल था।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) बनाम सेबी के एक अन्य मामले में, आरआईएल की एलएंडटी कंपनी में लगभग 5% हिस्सेदारी थी और इसके अलावा कंपनी के लिए दो नामित व्यक्ति श्री मुकेश और अनिल अंबानी थे। इसके अलावा, आरआईएल ने एलएंडटी में हिस्सेदारी खरीदी और लगभग 10% हिस्सेदारी प्राप्त की। आरआईएल ने इन शेयरों को बाजार मूल्य से ऊपर ग्रासिम इंडस्ट्रीज को बेच दिया, जिसके परिणामस्वरूप दो नामित व्यक्तियों को हटा दिया गया और आरआईएल को एलएंडटी के शेयरों में आगे व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। सेबी ने जांच की और आरआईएल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया जिसमें उन्हें अंतरंगी व्यापार का दोषी पाया गया। अपील में अपीलीय न्यायाधिकरण ने सेबी के आदेश को यह कहते हुए पलट दिया कि सूचना एलएंडटी के नामित व्यक्तियों द्वारा पारित नहीं की गई थी और इसका सूचना के संचार या पारित होने से कोई संबंध नहीं था। एलएंडटी को सौदे के बारे में पता भी नहीं था और इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। इसलिए, आरआईएल को अंतरंगी व्यापार के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया।

कानूनी अंतरंगी व्यापार – कभी-कभी अंतरंगी व्यापार हमेशा अवैध नहीं होता है। जबकि UPSI के साथ व्यापार अवैध है; सभी अंतरंगी व्यापार प्रतिबंधित नहीं हैं। कॉर्पोरेट अंदरूनी लोग, अधिकारी, निदेशक, कर्मचारी और बड़े शेयरधारक अपनी खुद की कंपनियों में स्टॉक खरीदते और बेचते हैं। उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत जरूरतों के लिए अपने ESOP आदि बेचकर। यदि ऐसे ट्रेडों को SEBI नियमों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों को बताया जाता है, तो यह अवैध नहीं है। हालांकि, किसी कंपनी को ऐसे अंदरूनी लोगों के व्यापार विवरण के बारे में कुछ दिनों के भीतर एक्सचेंजों को सूचित करना चाहिए। कई निवेशक और व्यापारी निवेश के लिए संभावित कंपनियों की पहचान करने के लिए अंदरूनी लोगों की जानकारी का उपयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि अंदरूनी लोग स्टॉक खरीद रहे हैं, तो उन्हें अपनी कंपनी के बारे में बाकी सभी लोगों से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, इसलिए वे स्टॉक खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन जब अंदरूनी लोग शेयर बेचते हैं तो निवेशक या व्यापारी उनकी भावनाओं से प्रेरित नहीं हो सकते क्योंकि वे विभिन्न व्यक्तिगत कारणों से शेयर बेच रहे होंगे। किसी अंदरूनी व्यक्ति के माध्यम से प्राकृतिक प्रभाव अंतरंगी व्यापार नहीं माना जाता। इसके अलावा, शेयर खरीदना और फिर उन्हें सेबी को बताना भी कानूनी अंतरंगी व्यापार नहीं माना जाता।

अवैध अंतरंगी व्यापार – कोई भी अंदरूनी व्यक्ति जिसके पास अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी है, वह उन प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं करेगा

जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है या सूचीबद्ध होने का प्रस्ताव है। जब अंदरूनी व्यापार पण्डित के आधार पर किया जाता है और जब अंदरूनी व्यक्ति लाभ कमाता है, तो यह अवैध अंदरूनी व्यापार के रूप में सामने आता है। निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधन ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें अंतरंगी व्यापार का दोषी ठहराया जा सकता है; अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी तक पहुँच रखने वाले किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है यदि उसने अवैध लाभ कमाने के लिए जानकारी का उपयोग किया हो। बड़ी कंपनियों में सैकड़ों अंतरंगी व्यक्ति हो सकते हैं, जिससे उनकी खरीद-बिक्री का विश्लेषण करना अधिक कठिन हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास सामग्री और अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी है, वह अंदरूनी व्यापार का अवैध कार्य कर सकता है। इसका मतलब है कि ब्रोकर, परिवार, मित्र और कर्मचारी सहित लगभग कोई भी व्यक्ति अंदरूनी व्यक्ति माना जा सकता है। सेबी (अंदरूनी व्यापार निषेध) विनियम, 2015 के विनियम 4 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को वैध उद्देश्य के लिए अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी प्राप्त होने पर इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए अंदरूनी व्यक्ति माना जाएगा और इन विनियमों के अनुपालन में ऐसी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए ऐसे व्यक्तियों को उचित नोटिस दिया जाएगा। बशर्त कि उपरोक्त 2(1) में प्रतिबंध निम्नलिखित पर लागू न हो:

1. ऐसा लेनदेन जो प्रमोटर्स के बीच ऑफ-मार्केट इंटर से ट्रांसफर है, जो इन नियमों का उल्लंघन किए बिना एक ही UPSI के कब्जे में थे और दोनों पक्षों ने एक सचेत और सूचित व्यापार निर्णय लिया था; और
2. इन नियमों के अनुसार स्थापित व्यापार योजना के अनुसार व्यापार। कोई भी अंदरूनी व्यक्ति जो कंपनी से जुड़ना बंद कर चुका है, वह ऐसी समाप्ति की तिथि से छह महीने की अवधि तक UPSI के कब्जे में रहते हुए कंपनी की प्रतिभूतियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार नहीं करेगा। इसके अलावा, सेबी (अंतरंगी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, यह कहा गया है कि सभी निदेशक, अधिकारी, नामित कर्मचारी जो कंपनी के किसी भी शेयर को खरीदते या बेचते हैं, वे पिछले लेनदेन के बाद अगले छह महीनों के दौरान किसी भी संख्या में शेयरों को बेचने या खरीदने के विपरीत लेनदेन में प्रवेश नहीं करेंगे। सभी निदेशक, अधिकारी, नामित कर्मचारी किसी भी समय कंपनी के शेयरों में व्युत्पन्न लेनदेन में भी स्थिति नहीं लेंगे। प्राथमिक बाजार (आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव) में सदस्यता के मामले में, उपर्युक्त संस्थाएं अपने निवेश को कम से कम 30 दिनों की अवधि के लिए रखेंगी।

भारत में अंतरंगी व्यापार से जुड़ी समस्याएं – अंतरंगी व्यापार की वैधता और अवैधता के बारे में कई तर्क दिए गए हैं। लेकिन ज्यादातर विद्वानों और निवेशकों का कहना है कि अंतरंगी व्यापार बाजार की अखंडता के खिलाफ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह ऐसी जानकारी तक पहुँच रखने वाले लोगों को अनुचित लाभ देता है क्योंकि ऐसे लोगों को कोई जोखिम या नुकसान नहीं होता है।

साथ ही, इससे निवेशकों को अपना पैसा गंवाना पड़ता है क्योंकि ऐसी संवेदनशील जानकारी रखने वाले लोग हेरफेर करने और अफवाहें फैलाने जैसे कुछ गलत काम करते हैं जिससे शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते समय कई निवेशकों का मन बदल जाता है। इससे निवेशकों का बाजार में निवेश करने का भरोसा भी कम होता है जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी

चिंता का विषय है और इसका असर विदेशी निवेश पर भी पड़ता है। इसलिए, अंतरंगी व्यापार का चलन बाजारों के लिए बहुत हानिकारक है और इस तरह की गलत हरकतों पर नज़र रखने और उन्हें रोकने के लिए एक नियामक प्राधिकरण की जरूरत है।

इसके अलावा, सेबी के सामने एक और समस्या अंतरंगी व्यापार के मामलों को साबित करना है क्योंकि यह साबित करने के लिए हमेशा पर्याप्त सबूत नहीं होते हैं कि कोई विशेष व्यापार अंतरंगी व्यापार का परिणाम था। चूंकि ऐसे पण्डित तक पहुँच रखने वाले लोग तीसरे पक्ष का उपयोग करते हैं या कुछ अन्य लेन-देन करते हैं जिसके माध्यम से वे दायित्व से बच जाते हैं और दोषी नहीं ठहराए जाते हैं। इसके अलावा कई मामलों में न्यायालय उचित निर्णय नहीं दे पाया है क्योंकि विनियामक प्राधिकरण सूचना और व्यापार के बीच कोई सीधा संबंध साबित करने में विफल रहा है। इसके परिणामस्वरूप निवेशक अपना पैसा खो देते हैं और बाजार को नुकसान उठाना पड़ता है।

दूसरी कठिनाई यह है कि यद्यपि सेबी के नियमों में आपराधिक दायित्व के प्रावधान हैं, लेकिन उन्हें लागू करना कठिन है। चूंकि आपराधिक कानून के तहत किसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराने के लिए MENS REA की आवश्यकता होती है। सेबी के लिए MENS REA के मामले को साबित करना बहुत कठिन हो जाता है और इसलिए आरोपी अक्सर आपराधिक दायित्व से बच जाते हैं या नागरिक कानून के तहत उत्तरदायी ठहराए जाते हैं। इसलिए, बाजारों में कोई डर नहीं है और इसलिए यह संवेदनशील जानकारी स्वतंत्र रूप से प्रसारित होती है।

उदाहरण के लिए ऐसे मामले सामने आए हैं कि इस तरह की जानकारी विभिन्न समूहों पर व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से दी जा रही है। सेबी इन मामलों की जांच करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसी संवेदनशील जानकारी देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। अंत में, भारतीय न्यायपालिका प्रणाली को निर्णय पारित करने में कई साल लगते हैं और अपील का विकल्प अपराधियों को सबूतों में हेरफेर करने और सेबी के नियमों के तहत इस तरह की देयता से बचने के लिए पर्याप्त समय देता है।

भारत में अंतरंगी व्यापार से संबंधित कानून:

1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (स) प्रत्येक नागरिक को किसी भी पेशे में शामिल होने या कोई व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। हालांकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(6) में निर्धारित उचित प्रतिबंधों के अधीन है। ये उचित प्रतिबंध राज्य को अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए कानून बनाने का अधिकार देते हैं।
2. M/S Eskay KNIT (India) Ltd और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि गैरकानूनी अंतरंगी व्यापार प्रथाएँ धोखाधड़ी हैं। इसलिए, राज्य को अनुच्छेद 19 के खंड (6) के तहत ऐसी भ्रामक व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए कानून बनाने का अधिकार है। जबकि भारतीय संविधान में गैरकानूनी अंतरंगी व्यापार पर सीमित दायरा हो सकता है, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधान इस अनुचित व्यापार प्रथा को सख्ती से हतोत्साहित करते हैं।
3. 1992 में सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग) विनियमनों का निर्माण विभिन्न

समितियों द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिशों और प्रतिभूति बाजार को आगे बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता के जवाब में किया गया था। इन विनियमों ने अंतरंगी व्यापार के नियंत्रण और प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील साबित किया।

2002 में, 1992 के नियमों को और अधिक सशक्त बनाने तथा अंदरूनी लोगों से जुड़े माने जाने वाले व्यक्तियों की सूची का विस्तार करने के लिए संशोधन किये गये। इसके बाद सेबी (अंतरंगी व्यापार का निषेध) (संशोधन) विनियम 2008 और सेबी (अंतरंगी व्यापार का निषेध) (संशोधन) विनियम 2011 आये।

भारत में 2013 के कंपनी अधिनियम को लागू करने के बाद, अंतरंगी व्यापार पर विनियमन का दायरा काफी बढ़ गया है। इन विनियमों में गैर-सूचीबद्ध कंपनियों को शामिल करना एक उल्लेखनीय विकास है, क्योंकि यह बड़े पैमाने पर शेयरधारकों के हितों की रक्षा करता है। इसके मद्देनजर, अंतरंगी व्यापार को रोकने के लिए कई उपाय प्रस्तावित हैं-

1. सबसे पहले, अंतरंगी व्यापार नीति स्थापित करना आवश्यक है। इसमें ब्लैकआउट अवधि को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए और आसानी से समझने योग्य शब्दों में इनसाइडर और इनसाइडर जानकारी की व्यापक परिभाषा प्रदान की जानी चाहिए।
2. इसके अतिरिक्त, कंपनियों को संगठन के भीतर स्टॉक ट्रेडों की निगरानी के लिए एक आंतरिक निरीक्षण तंत्र का उपयोग करना चाहिए।
3. इसके अलावा, कंपनियों को अंतरंगी व्होल्डिंग्स को सत्यापित करने के लिए अकाउंटिंग फर्मों जैसी थर्ड पार्टी संस्थाओं को शामिल करना चाहिए।
4. इसके अलावा, सरकार को अंतरंगी व्यापार से संबंधित शिकायतों को संबोधित करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार एक समर्पित विभाग स्थापित करना चाहिए। किसी भी अंतरंगी व्यापार या संभावित अंतरंगी व्यापार के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
5. अंत में, सभी निजी कंपनियों को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे में आना चाहिए।

सेबी अंतरंगी व्यापार विनियम 1992 (सेबी विनियम 1992) -2 (1) (ई) 'अंदरूनी सूत्र' का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो, (1) कंपनी से जुड़ा हुआ है या था या कंपनी से जुड़ा हुआ माना जाता है और जिसके पास कंपनी की प्रतिभूतियों के संबंध में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी तक पहुंच होने की उचित रूप से उम्मीद है, या (2) जिसने ऐसी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी प्राप्त की है या उस तक उसकी पहुंच थी सेबी अंतरंगी व्यापार विनियम 2015 (सेबी विनियम 2015) में-2 (1) (जी) 'अंदरूनी सूत्र' का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो:

- 1) जुड़ा हुआ व्यक्ति है; या
- 2) अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के कब्जे में है या उस तक पहुंच रखता है।

नोट: चूंकि सामान्य रूप से उपलब्ध जानकारी को परिभाषित किया गया है, इसलिए इसका उद्देश्य यह है कि अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के कब्जे में या उस तक पहुंच रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अंदरूनी सूत्र माना जाना चाहिए, भले ही वह ऐसी जानकारी के कब्जे में कैसे आया हो या

उस तक उसकी पहुंच कैसे हुई हो। ऐसे व्यक्ति के लिए यह प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न परिस्थितियाँ प्रदान की जाती हैं कि उसने अंदरूनी व्यापार में लिप्त नहीं है। इसलिए, इस परिभाषा का उद्देश्य किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपनी पहुंच में लाना है जो अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी प्राप्त करता है या उस तक पहुंच रखता है। इसलिए, यह दशनि का दायित्व कि किसी व्यक्ति के पास व्यापार के समय अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना थी या उसकी उस तक पहुंच थी, आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर होगा, जिसके बाद वह व्यक्ति जिसने अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के कब्जे में या उस तक पहुंच होने पर व्यापार किया है, यह प्रदर्शित कर सकता है कि उसके पास ऐसी सूचना नहीं थी या उसने व्यापार नहीं किया है या वह उस तक पहुंच नहीं सका था या ऐसी सूचना के कब्जे में होने पर उसका व्यापार पूरी तरह दोषमुक्त करने वाली परिस्थितियों के अंतर्गत आता था।

अंतरंगी व्यापार का निषेध - सेबी द्वारा अंतरंगी व्यापार विनियमों की मुख्य विशेषताएं और उनका प्रक्षेपवक्र इन विनियमों को समग्र रूप से पढ़ने पर, जो सामान्य पैटर्न इससे प्राप्त हो सकता है वह यह है कि इन संशोधित विनियमों के पीछे विधिक आशय अंतरंगी व्यापार विनियमों के कवरेज और व्याख्या को व्यापक बनाना था। यह कई तरीकों से किया गया है जैसे - संबद्ध व्यक्तियों, नामित व्यक्तियों, यूपीएसआई, ट्रेडिंग की समावेशी परिभाषाओं के लिए प्रावधान करना।

कंपनी के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रत्ययी क्षमता में ट्रेडिंग योजनाओं और प्रकटीकरणों के अपवादों के लिए विभिन्न सुरक्षा उपायों को शामिल करना जो सामान्य नियम के विपरीत हैं। अधिकांश विनियमों के तहत विधायी मंशा को निर्दिष्ट करने वाले विशेष नोटों के लिए प्रावधान करना, जिन्हें आगे व्याख्या की आवश्यकता है और जिन्हें परिभाषित करने के लिए बोर्ड की विवेकाधीन शक्ति पर छोड़ दिया गया है। ये नोट बोर्ड को ऐसे विधायी इरादे को आगे बढ़ाने और विनियमों के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए कदम उठाने में मार्गदर्शन करने में मदद करते हैं।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने स्वतंत्र और निष्पक्ष बाजार प्रतिस्पर्धा की रक्षा के लिए सेबी अंतरंगी व्यापार विनियम 2015 (सेबी विनियम 2015) पर प्रतिबंध लगाया है। परिणामस्वरूप, व्यक्तियों पर न केवल अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी (UPSI) के आधार पर व्यापार करने के लिए बल्कि ऐसी जानकारी का संचार करने के लिए भी दंड लगाया गया। यूपीएसआई को ऐसी कोई भी जानकारी माना जाता है जो किसी कंपनी की प्रतिभूतियों की कीमत को भौतिक रूप से प्रभावित कर सकती है। सेबी विनियम 2015 के विनियम 4 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति यूपीएसआई के कब्जे में होने पर प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं करेगा। संबंधित विनियमन के पीछे विधायी मंशा को समझने के लिए, 2018 में विनियमन में जोड़े गए स्पष्टीकरण के साथ इसे पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। यह निर्धारित करता है कि जब कोई व्यक्ति जिसके पास यूपीएसआई है, ऐसी गोपनीय जानकारी के आधार पर व्यापार करता है, इसका सीधा सा मतलब है कि विनियमन 4 में स्पष्टीकरण को शामिल करते समय, विधायी इरादा किसी व्यक्ति को अंतरंगी व्यापार के लिए उत्तरदायी ठहराने के मानदंड के रूप में 'इरादे' को खत्म करना था। विनियमन 4 को ट्रिगर करने के लिए केवल यह साबित करना आवश्यक था कि

- (1) व्यापार और
- (2) UPSI के कब्जे में रहते हुए व्यापार।

विनियमन 4 को सूचना विषमता की रक्षा करने की दृष्टि से तैयार किया गया था जो तब होती है जब किसी व्यक्ति के पास UPSI होता है। नतीजतन, यह तर्क दिया जा सकता है कि विनियमन 4 स्वयं सूचना की समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका अनिवार्य रूप से यह अर्थ है कि क्योंकि णझडख के कब्जे वाला व्यक्ति एक उंचे स्थान पर है, ऐसे व्यक्ति के लिए अनुपालन का स्तर भी अधिक है। परिणामस्वरूप, अधिग्रहणकर्ता का इरादा अप्रासंगिक हो जाता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेनदेन कंपनी या उसके शेयरधारकों को लाभ पहुंचाता है या नहीं। हालाँकि, न्यायिक घोषणाओं ने इसके विपरीत निष्कर्ष निकाला है। विनियमन 4 के दायरे पर चर्चा करते हुए, अदालतों ने आगे बढ़कर प्रावधान के तहत किसी पर मुकदमा चलाने के लिए इरादे को एक शर्त के रूप में तैयार किया है। इस लेख के माध्यम से लेखकों ने तर्क दिया है कि भारतीय न्यायपालिका ने न्यायिक व्याख्या के नाम पर विधायी मंशा को अनुचित रूप से कमजोर कर दिया है।

सेबी अंतरंगी व्यापार विनियम 2015

(i) यू.पी.एस.आई. के संचार और खरीद की अनुमति कब दी जाती है? (विनियमन 3) कोई भी अंदरूनी व्यक्ति किसी कंपनी या सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों से संबंधित किसी भी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी को किसी भी व्यक्ति को संचारित, प्रदान या उस तक पहुँच की अनुमति नहीं देगा, जिसमें अन्य अंदरूनी व्यक्ति भी शामिल हैं, सिवाय इसके कि ऐसा संचार वैधा उद्देश्यों, कर्तव्यों के प्रदर्शन या कानूनी दायित्वों के निर्वहन के लिए हो।

नोट-वैध उद्देश्य शब्द में साझेदारों, सहयोगियों, उधारदाताओं, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, मर्चेट बैंकरों, कानूनी सलाहकारों, लेखा परीक्षकों, दिवालियापन पेशेवरों या अन्य सलाहकारों या परामर्शदाताओं के साथ व्यवसाय के सामान्य क्रम में किसी अंदरूनी व्यक्ति द्वारा अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी साझा करना शामिल होगा, बशर्ते कि ऐसा साझाकरण इन विनियमों के निषेधों से बचने या उन्हें दरकिनार करने के लिए नहीं किया गया हो।

अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के कब्जे में होने पर व्यापार करना - सामान्य नियम-कोई भी अंदरूनी व्यक्ति अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के कब्जे में होने पर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं करेगा।

(ii) सामान्य नियम के अपवाद (विनियमन 4) अंदरूनी लोगों के बीच ऑफ-मार्केट अंतर-स्थानांतरण

1. लेनदेन ब्लॉक डील विंडो तंत्र के माध्यम से किया गया था
2. एक वैधानिक या नियामक दायित्व के अनुसार
3. स्टॉक विकल्पों के प्रयोग के अनुसार
4. यदि प्रयोग मूल्य पूर्व-निर्धारित था
5. एक ट्रेडिंग योजना के अनुसार

(iii) ट्रेडिंग प्लान (विनियमन 5)

1. इन विनियमों में ट्रेडिंग प्लान की एक नई अवधारणा शामिल है जो अंतरंगी व्यापार पर पूर्ववर्ती विनियमों के अंतर्गत नहीं थी।
2. इनसाइडर के पास ट्रेडिंग प्लान तैयार करने और उसे स्वीकृति और सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए अनुपालन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का विकल्प होगा। स्वीकृति मिलने पर अनुपालन अधिकारी स्टॉक एक्सचेंजों को ट्रेडिंग प्लान अधिसूचित करेगा।

3. ट्रेडिंग प्लान 12 महीने की अवधि के लिए होगा।

4. ऐसी ट्रेडिंग प्लान में प्लान के सार्वजनिक प्रकटीकरण से 6 महीने से पहले ट्रेडिंग शुरू नहीं की जाएगी।

हाल ही में, सेबी बनाम अभिजीत राजन मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि आरोपी अंतरंगी व्यापार के दोषी नहीं थे, क्योंकि उनके पास अपने पास मौजूद UPSI की मदद से मुनाफ़ा कमाने का कोई इरादा नहीं था। न्यायालय ने आगे कहा कि वास्तविक लाभ या हानि कोई मायने नहीं रखती, लेकिन लाभ कमाने का उद्देश्य ज़रूरी है। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय द्वारा प्रासंगिक भौतिक तथ्यों पर विचार किए बिना बहुत बड़ी धारणा बना ली गई है। किसी जुड़े हुए व्यक्ति से सावधानी की उच्च सीमा की अपेक्षा इसलिए की जाती है, क्योंकि ऐसे UPSI तक उनकी पहुँच होती है और उनके अनुसार व्यापार में हेरफेर करने की उनकी क्षमता होती है। UPSI तक पहुँच इनसाइडर को एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में लाभप्रद स्थिति में रखती है, क्योंकि इससे उन्हें बाजार की शक्तियों को नियंत्रित करने और निष्पक्ष बाजार प्रथाओं को बाधित करने की अनुमति मिलती है। इसी कारण से, सेबी विनियमन 2015 के विनियमन 5 में ऐसे इनसाइडर को एक विस्तृत ट्रेडिंग योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जो नियामक निकायों को ऐसे जुड़े हुए व्यक्तियों की गतिविधियों की लगातार निगरानी करने की अनुमति देती है।

भारत ने अंतरंगी व्यापार को लागू करने में बहुत प्रयास किए हैं। अंतरंगी व्यापार कानूनों के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होने के लिए सेबी ने जस्टिस एन. के. सोढ़ी की अध्यक्षता में अंतरंगी व्यापार पर कानूनों को संशोधित किया है और अंतरंगी व्यापार/ अंतरंगी व्यापार निषेध विनियम, 2015 का मसौदा तैयार किया है। नए अंतरंगी व्यापार विनियमों ने विभिन्न अवधारणाओं की परिभाषाओं में संशोधन करके कई बदलाव किए हैं। इसमें पाँच अध्याय, दो अनुसूचियाँ और 12 खंड शामिल हैं। पहला अध्याय परिभाषाओं से संबंधित है, दूसरा इनसाइडर द्वारा संचार और व्यापार पर प्रतिबंध से संबंधित है। अध्याय 3 कंपनी द्वारा किए गए खुलासे के बारे में बात करता है और चार प्रकटीकरण और आचार संहिता निर्धारित करते हैं। अध्याय 5 में शक्ति और प्रतिबंध शामिल हैं।

सुझाव:

1. शिक्षा/प्रशिक्षण/जागरूकता- आम लोगों में अंतरंगी व्यापार की प्रथा और इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना इस दुरुपयोग को रोकने में काफी मददगार हो सकता है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, सेबी एक अंतरंगी व्यापार मैनुअल (पुस्तिका) प्रकाशित कर सकता है और इसे खुद या विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, स्टॉक एक्सचेंज, कंपनियों या बिचौलियों आदि की सहायता से जनता के संबंधित वर्ग में वितरित कर सकता है और नियमित रूप से ऐसे दुरुपयोग में फंसे निवेशकों को इसके हानिकारक प्रभावों और ऐसी हानिकारक गतिविधियों से खुद को बचाने के तरीकों के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यक्रम/चर्चा/सेमिनार भी आयोजित कर सकता है। अज्ञानता केवल व्यक्तियों के स्तर पर ही नहीं बल्कि कई संगठनों के स्तर पर है जिसके लिए न केवल सेबी, बल्कि केंद्र सरकार, प्रत्येक संगठन और कंपनी के निदेशकों और कर्मचारियों को भी इस मुद्दे और इसके प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा, कंपनियों से जुड़े पेशेवरों सहित कंपनी प्रबंधन को संबंधित कानूनों और आवश्यकताओं के बारे में कंपनी के

अंदरूनी लोगों के बीच जागरूकता पैदा करनी चाहिए ताकि इसका उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

2. इनाम- सेबी को किसी भी तरह की ऐसी सूचना का स्वागत करना चाहिए जो उसे अंतरंगी व्यापार में लिप्त होने का पता लगाने के लिए निर्देशित करती है और उसे लोगों को अंतरंगी व्यापार गतिविधियों से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। अमेरिका में, प्रतिभूति विनियम अधिनियम की धारा 21ए(ई) के तहत, एसईसी उन व्यक्तियों को इनाम के रूप में इनाम देता है जो उन्हें किसी भी तरह की जानकारी प्रदान करते हैं जिससे अंतरंगी व्यापार घोटाले का पता चलता है।

3. कार्रवाई का निजी अधिकार- समय की मांग है कि अमेरिका की तरह कानून बनाया जाए जो कई नागरिक उपचार प्रदान करता है जिसमें निजी व्यक्तियों द्वारा प्रतिभूति विनियम नियम, 1942 के नियम 10बी-5 और नियम 14ई-3 और प्रतिभूति विनियम अधिनियम की धारा 16-बी और धारा 20-ए के तहत नागरिक कार्रवाई की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति अंतरंगी व्यापार के कारण घायल हुआ है। उसे हानि हुई है, तो भारतीय कानून में उसे अंदरूनी व्यक्ति के विरुद्ध निवारण प्राप्त करने का निजी अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें अनिवार्य रूप से घायल पक्षों को हुई हानि के लिए मुआवजा शामिल होगा।

4. पूर्व-निवारक पूर्वानुमानित कार्रवाई- भारतीय विधानमंडल को अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने की आवश्यकता है, जिसमें वह केवल अंतरंगी व्यापार के घटित होने के बाद ही उसे दंडित करता है। स्टॉक एक्सचेंजों और सेबी को घटना के घटित होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय अंदरूनी व्यापार की ओर इशारा करने वाली परिस्थितियों के निर्माण पर पूर्व-निवारक कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए, एक निगरानी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए जो संभावित अंतरंगी व्यापार के बारे में जनता को सावधान करने का काम करेगी। उदाहरण के लिए, यदि लगातार 3 दिनों तक शेयर की कीमत में 10 प्रतिशत से अधिक का परिवर्तन होता है, तो उस शेयर में कुछ अनुचित व्यवहार की संभावना हो सकती है। तब एक्सचेंज असामान्य मूल्य आंदोलनों के आधार पर ऐसे स्थापित फ़िल्टर ब्रेकेट के आधार पर संभावित अंतरंगी व्यापार के बारे में बड़े पैमाने पर जनता को चेतावनी दे सकते हैं। इस तरह के मार्गदर्शन से अनजान निवेशकों को ऐसे शेयरों में सौदे करके नुकसान उठाने से रोका जा सकता है।

5. संरचनात्मक मुद्दे- अंतरंगी व्यापार कानून के प्रभावी प्रवर्तन की कमी का पहला समाधान अतिरिक्त धन और जनशक्ति की मांग है। इस तरह के सुझाव का समर्थन इस तथ्य से होता है कि सेबी के देश भर में विभिन्न कार्यालयों में मात्र 643 कर्मचारी हैं, जबकि एसईसी के पास 3958 कर्मचारी हैं। इसके अलावा, सेबी को पेशेवरों की अपनी टीम बनाकर अंतरंगी व्यापार की जांच को गंभीरता से देखना चाहिए जो अपराध की कुशलतापूर्वक जांच करेगी। मार्गदर्शन हमारे उदाहरण से लिया जा सकता है जहां एसईसी ने मार्केट एब्यूज यूनिट की स्थापना की जिसका उद्देश्य जांच की शुरुआत में व्यापारियों और संस्थानों के बीच पैटर्न, कनेक्शन और संबंधों की पहचान करके सक्रिय होना है।

निष्कर्ष - अंतरंगी व्यापार प्रतिभूति विनियमन के सबसे विवादित पहलुओं में से एक है, यहाँ तक कि कानून और अर्थशास्त्र के गुट के बीच भी। अंतरंगी व्यापार कई कारणों से कपटपूर्ण है। हालाँकि बाजार की अक्षमता के लिए कई अन्य प्रतिस्पर्धी रास्ते हैं, नए वित्तीय साधन और अंतर्दृष्टि हमें इन

प्रतिस्पर्धी अक्षमताओं को हल करने की अनुमति देते हैं। हालाँकि, हालांकि अधिकांश लोग अंतरंगी व्यापार के विरोध का तर्क देते हैं क्योंकि यह केवल असमान है, शायद सबसे बड़ा परिणाम यह है कि अंतरंगी व्यापार बाजार को कम कुशल बनाती है। अंतरंगी व्यापार की गुप्त प्रकृति पता लगाना मुश्किल बनाती है, दोषसिद्धि अधिक कठिन होती है, और इसमें शामिल बड़ी रकम को रोकना मुश्किल होता है। विद्वानों का एक समूह अंतरंगी व्यापार के विनियमन का समर्थन करता है, जिससे निगमों को अनुबंध द्वारा अपनी खुद की अंतरंगी व्यापार नीतियाँ निर्धारित करने की अनुमति मिलती है। कानून और अर्थशास्त्र के विद्वानों का एक और समूह, भेद में, तर्क देता है कि अंदरूनी जानकारी का संपत्ति अधिकार निगम को सौंपा जाना चाहिए और अनुबंध के पुनर्मूल्यांकन पर माफ नहीं किया जाना चाहिए।

अंतरंगी व्यापार को विनियमित करने के पक्ष में तर्क पारंपरिक रूप से निष्पक्षता के मुद्दों पर आधारित पाया गया था, जिसका कानून और अर्थशास्त्र बिरादरी में बहुत कम विरोध हुआ है। इसके बजाय, अनिवार्य अंतरंगी व्यापार निषेध के पक्ष में आर्थिक तर्क आम तौर पर सूचना में संपत्ति के अधिकारों के अर्थशास्त्र के कुछ विकल्प पर आधारित है। विनियामक तर्क आम तौर पर इस दावे पर आधारित होते हैं कि अंतरंगी व्यापार बाजार की दक्षता में सहायता करता है या प्रबंधकों को अंदरूनी सूचना का संपत्ति अधिकार सौंपना एक व्यवस्थित प्रतिपूर्ति योजना है। सार्वजनिक विकल्प विश्लेषण भी विनियामक साहित्य का एक प्रमुख हिस्सा है, यह तर्क देते हुए कि अंतरंगी व्यापार निषेध निवेशकों के बजाय बाजार पेशेवरों और प्रबंधकों को लाभ पहुंचाता है।

अंतर को कम करने और मौजूदा मानदंडों को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने 15 मई, 2015 को सेबी (अंतरंगी व्यापार निषेध) विनियम, 2015 पेश किए, जिसने मौजूदा सेबी (अंतरंगी व्यापार निषेध) विनियम, 1992 को प्रतिस्थापित किया। 2015 के विनियम आशाजनक, अनुकूल, अधिक व्यावहारिक और काफी हद तक अंतरंगी व्यापार के वैश्विक दृष्टिकोण के अनुरूप प्रतीत होते हैं। वे बेहतर अनुपालन और प्रवर्तन भी प्रदान करते हैं। इसलिए, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हर कोई नए मानदंडों के बारे में बात कर रहा है। पिछले दो दशकों में, अंतरंगी व्यापार (वैश्विक और घरेलू दोनों) के कानून और धारणा में काफी बदलाव आया है। अधिकांश वित्तीय विनियमों को लगातार विकसित और प्रगतिशील बाजार गतिशीलता के साथ तालमेल रखने के लिए लगातार और निरंतर संशोधनों की आवश्यकता होती है। अंदरूनी व्यापार बिल्कुल भी अलग नहीं है। मौजूदा नियम 1992 में लागू हुए। हालाँकि इन संहिताओं का अनुपालन असहनीय और असुविधाजनक प्रतीत होता है, खासकर बड़ी शेयरधारक और कर्मचारी आधार वाली कंपनियों और व्यावसायिक घरानों के लिए। उदाहरण के लिए, 10,000 कर्मचारियों वाली कंपनी में, कर्मचारियों की व्यापारिक गतिविधियों की निगरानी के लिए समर्पित संसाधनों की आवश्यकता होगी। हालाँकि, उम्मीद है कि नियमों की व्याख्या न्यायालयों और अधिकारियों द्वारा निरंतर तरीके से की जाएगी और पूंजी बाजार नियामक द्वारा समय पर स्पष्टीकरण जारी किए जाएंगे।

प्रतिभूति विनियमन का मूल उद्देश्य इस उद्देश्य का कार्यान्वयन है कि सभी निवेशकों को प्रतिभूति लेनदेन में भागीदारी के पुरस्कारों तक समान पहुंच होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, निवेश करने वाले सभी लोगों को समान बाजार जोखिमों के अधीन होना चाहिए। ज्ञान तक असमान पहुंच पर आधारित

असमानताओं को हमारे जीवन के तरीके में अपरिहार्य मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि बाजार सभी प्रकार की धोखाधड़ी और विशेष रूप से अंदरूनी व्यापार से मुक्त हो, जो आम निवेशक को बाजार के कामकाज से विमुख कर देता है, जैसे कि उसे पासा के साथ बकवास का खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया जा रहा हो। यदि अपराधी को लगता है कि सजा और अपराध के बीच सीधा संबंध है, तो अतिरिक्त कानून और कठोर दंड अपराधों को खत्म कर सकते हैं। अपराध के निवारण सिद्धांत के अनुसार, यदि सजा की निश्चितता है, तो अतिरिक्त कानून और कठोर दंड वित्तीय धोखाधड़ी को कम कर देंगे या इसे कम भी कर देंगे।

अतिरिक्त कानून दंड को और अधिक कठोर बना सकते हैं और कठोर दंड की तीव्रता को बढ़ा सकते हैं। ये तभी प्रभावी हो सकते हैं जब इन कानूनों का क्रियान्वयन कुशल हो और वित्तीय धोखाधड़ी करने वालों को लगे कि अगर वे वित्तीय धोखाधड़ी करते हैं तो वे पकड़े जाने से बच नहीं सकते। सबसे पहले, सरकार अंतरंगी व्यापार को खत्म करने या कम करने के लिए एक नई रणनीति लागू कर सकती है, वह है एक गोपनीय हेल्पलाइन स्थापित करना, जहां कोई व्यक्ति गुमनाम रूप से सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन को अंतरंगी व्यापार से संबंधित जानकारी दे सकता है। दूसरा, ब्रोकर फर्मों को सबसे पहले पता चलता है कि अंतरंगी व्यापार कब होती है। ब्रोकर फर्मों के लिए अंतरंगी व्यापार की रिपोर्ट करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। अगर वे जानकारी देने में विफल रहते हैं तो उन्हें ट्रेडिंग से निलंबित कर दिया जाना चाहिए। ब्रोकर फर्मों को यह तय करने के लिए विशिष्ट मानदंड दिए जाने चाहिए कि अंतरंगी व्यापार हुई है या नहीं। तीसरा, अंतरंगी व्यापार संचालन की सही रिपोर्टिंग के लिए नकद पुरस्कार स्थापित किए जाने चाहिए।

अंतरंगी व्यापार पर निगरानी रखने का महत्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ गया है क्योंकि विदेशी विनियामक घरेलू निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय निवेश समुदाय को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए, सेबी को अब केवल विनियामक की भूमिका निभानी चाहिए। मामलों के तेजी से और प्रभावी निपटान के लिए विशेष अदालतें स्थापित की जा सकती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. www.business-standard.com/india-news
2. Thapa Rojina, Insider Trading: A Brief Overview Of Legal Regime In USA, UK, India And Nepal "Mirmi re-Economic Article Special Issue, Vol.38, No. 293, Jan/ Feb,2010
3. The Companies Act2013, notification dated 12thSeptember, 2013 and received the assent of President on 29th August 2013.
4. N.K. Gupta, Monika Chopra, Financial Markets, Institutions & Services, 101 (An eBooks Pvt.Ltd.2nd Edition)2010
5. H.NejatSeyhun, Investment Intelligence from Insider Trading, MITPress Pvt.Ltd, 2000
6. Jonathan Moreland.Profitfrom LegallInsider Trading

- InvestTodayon Tomorrow's News, Dearborn Trade U.S.Pvt.Ltd, (2000)
7. GuyCohen.The Insider Edge:-how to follow the insiders for windfall profits, (John Wiley & SonsPvt.Ltd, 2012)
8. Pankaj Singh and Dharamveer Singh Chauhan, Insider Trading in India Consolidated Commercial Digest (2004)
9. Rishikesh Desai and Yosham Desai, A Comprehensive overview of the SEBI (Prohibition of Insider trading) Regulations, 1992
10. <http://www.lawyersclubindia.com/articles/Insider-Trading-An-Analysis-in-Corporate-Regime-3446.aspx>
11. Sanjay Gupta, Insider Trading: An overview available at <https://www.caclubindia.com/articles/insider-trading-anoverview-part-i-11090.asp>
12. Karan Gupta, Insider Trading in Capital Markets: an overview available at www.manupatra.com/capital-market
13. Das, Sonakshi, The Know-All of Insider Trading? Decades of Corruptive Prevention. Academike, 15.Jan. 2015,www.lawctopus.com/academike/know-insider-trading-decades-corruptive-prevention/#_edn8.
14. Tata Iron And Steel Co. Ltd. Etc vs Union Of India And Anr, 1992
15. Kumar Gaurav Role of SEBI in Curbing Insider Trading in India? An Analysis. IP leaders, 4 June 2018, blog.ipleaders.in/sebi-insider-trading-offences/.
16. Srivastava Anushweta & Shah Maharashi. Latest Insider Trading Regulations: Prohibitions & Exceptions
17. Tax Guru, 30 Sept. 2020, <https://taxguru.in/sebi/latest-insider-trading-regulations-prohibitions-exceptions.html>.
18. HindustanLeverlimited(HIL)VSEBI, (1998) 18SCL31 1MOF
19. Machiraju, H.R., (2009) The Working of Stock Exchanges in India, New Age International (P) Ltd.,pp-164-165
20. Reliance Industries limited (RIL) V & SEBI,2004 55 SCL 81 SAT
21. Katarki, Suneeth. India: 'Mens Rea' In Insider Trading? A 'Sine Qua Non'? Mondaq, 3 June 2015, www.mondaq.com/india/x/401724/Securities/Requirement-Of-Mens-Rea-As-A-Criterion-for-Penalising-Insider-Trading-In-India.
22. Jayachandran. Eliminating the Menace of Insider Trading. Live Mint, 27 Nov.2017, Constitution of India
23. https://www.lawinsider.in/columns/an-overview-of-insider-trading-related-laws-in-india#post-51341-footnote-0?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block Companies act 2013
24. Civil Appeal No.563 of 2020